वार्षिक रिपोर्ट
2012-2013

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002 (भारत)

(वेबसाइट : www.ugc.ac.in)

वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

प्रो0 वेद प्रकाश*

उपाध्यक्ष

प्रो0 वेद प्रकाश**

सदस्य

1. श्री अशोक ठाकुर***
2. श्रीमती अंजुली चैब दुग्गल
3. प्रो0 अच्युतानन्द सामन्त
4. प्रो0 (डॉ0) सैयद ई0 हसनैन
5. प्रो0 मीनाक्षी गोपीनाथ
6. डॉ0 इन्दु साहनी
7. प्रो0 योगेन्द्र यादव
8. डॉ0 वी0एस0 चौहान
9. प्रो0 डी0 नरसिम्हा रेडडी
10. प्रो0 एम0एम0 अन्सारी#

सचिव

डॉ0 एन0ए0 काज़मी##

डॉ0 अखिलेश गुप्ता###

---

* 18 जनवरी, 2013 से
** 17 जनवरी, 2013 तक
*** 30 मई, 2012 से
\# 06 अगस्त, 2012 से
\## 02 नवम्बर, 2012 तक
\### 02 नवम्बर, 2012 से

मुद्रक एवं प्रकाशक	:	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110 002
डिजाईन एवं मुद्रित	:	मैसर्स जीवन ऑफसैट प्रेस 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाईन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया न्यू रोहतक रोड़, नई दिल्ली–110005 दूरभाष : 9873870464 | ई–मेल : jewanpress@gmail.com

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

प्रो0 वेद प्रकाश

उपाध्यक्ष

डॉ0 एच0 देवराज

सदस्य

श्री अशोक ठाकुर	सचिव, (माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
श्रीमती अंजुली चैब दुग्गल	अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली–110001
प्रो0 अच्यूतानन्द सामन्त	आचार्य, रसायन विभाग, कलिंग इन्सिटीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलोजी, भुवनेश्वर (ओडीशा)
प्रो0 (डॉ0) सैयद ई0 हसनैन	आचार्य, कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हौजखास, नई दिल्ली– 110 016
प्रो0 मीनाक्षी गोपीनाथ	प्रधानाचार्य, लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली– 110 024
डॉ0 इंदु साहनी	प्रधानाचार्य, एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकनॉमिक्स, 123, दिनशा वाचा रोड, चर्च गेट, मुंबई – 400 020
डॉ0 वी.एस. चौहान	निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एण्ड बायो–टेक्नोलॉजी, (आईसीजीईबी) अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली– 110 067
प्रो0 डी0 नरसिम्हा रेड्डी	अध्यक्ष, भर्ती एवं मूल्यांकन केन्द्र, डी0 आर0 डी0 ओ0, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, लखनउ रोड, तिमार पुर, दिल्ली–110054
प्रो0 एम0एम0 अंसारी	अर्थशास्त्री, पूर्व सी0आई0सी0 एवं भारत सरकार की ओर से जम्मू और कश्मीर के लिए मध्यस्थ, 1068, रजनीगंधा अपार्टमेंट, प्लाट–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
प्रो0 एस0जी0 डान्डे	58 ब्यू–मॉंट, पंचवटी, पाषण, पुणे, महाराष्ट्र–411008

सचिव

डॉ0 अखिलेश गुप्ता

विषयसूची

		पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		xi
कार्यकारी सारांश		1
1.	**प्राक्कथन**	26
1.1	पृष्ठभूमि	26
1.1(क)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं संगठन	26
1.2	बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में	28
1.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्य कर रहे विशेष प्रकोष्ठ	30
	(क) सूचना का अधिकार (आर.आई.ए.) प्रकोष्ठ	30
	(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ	31
	(ग) वि0अ0आ0 का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ	32
	(घ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ	32
	(ङ) सतर्कता प्रकोष्ठ	32
	(च) विधिक प्रकोष्ठ	33
	(छ) डेस्क : संसदीय मामले	33
	(ज) आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ	33
	(झ) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ	34
	(ञ) "कार्यस्थान पर महिला यौन उत्पीड़न" को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ	34
	(त) रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ	34
1.4	प्रकाशन	37
1.5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त	38
1.6	केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)	40
1.7	वर्ष के दौरान लिये गये मुख्य निर्णय	43
2.	**उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े**	48
2.1	संस्थाएँ	48
2.2	छात्र नामांकन	56
2.3	संकाय संख्या	57

2.4	शोध उपाधियाँ	58
2.5	उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि	58
2.6	राज्य तथा संकाय–वार महिलाओं के नामांकन का संवितरण	58
2.7	महिला महाविद्यालय	59
3.	**विश्वविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता**	73
3.1	विश्वविद्यालयों को सहायता	73
	(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय	73
	(ख) राज्य विश्वविद्यालय	92
	(ग) सम विश्वविद्यालय	101
4.	**महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता**	106
4.1	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर बल	106
4.2	वित्तीय सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	108
4.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान	108
4.4	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुदानों की योजनावार स्थिति	110
4.5	दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान	130
4.6	निम्न जी.ई.आर. वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों (ई.बी.डी.) में नए आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना	131
4.7	महाविद्यालयों में यंत्र रख–रखाव सुविधा	132
5.	**गुणवत्ता और उत्कृष्टता**	134
5.1	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)	134
5.2	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)	137
5.3	विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी.ए.)	138
5.4	नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना	140
5.5	विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)	141
5.6	नवोन्मेषी कार्यक्रम – कुछ उभरते हुए एवं अन्र्तविषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध	144
5.7	स्वायत्त महाविद्यालय	145
5.8	अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (ए.एस.सी.)	148
5.9	राजभाषा (हिन्दी) को बढ़ावा देना	149

5.10	द्विपक्षीय सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम	151
5.11	शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन के विकास के लिये राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (नेट)	157
5.12	यात्रा अनुदान	162
5.13	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)	163
5.14	वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (सीएएस)	166
5.15	वि0अ0आ0 स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार, वि0अ0आ0 हरिओम आश्रम न्यास राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वेद व्यास संस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार	166
6.	**अनुसंधान को प्रोत्साहन**	168
6.1	शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ : वृहद तथा लघु	168
6.2	शिक्षकों के लिये शोध अवार्ड	170
6.3	एमिरेटस अध्येतावृत्तियाँ	170
6.4	अनुसंधान कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/परिसंवाद और सम्मेलन	171
6.5	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) एवं शोध एसोसिएटशिप (आर.ए.)	171
6.6	भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ	172
6.7	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ	173
6.8	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ	174
6.9	व्यावसायिक पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	174
6.10	शोध वैज्ञानिक (संशोधन–पूर्व)	175
6.11	महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति	175
6.12	एम.ई/एम.टेक./एम.फार्मा में गेट अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	176
6.13	एकल बालिका हेतु इंदिरा गाँधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	176
6.14	स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मैरिट छात्रवृत्ति	178
6.15	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	181
6.16	भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध करने के लिये अधिकारप्राप्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति	183
6.17	नेटवर्किंग शोध केन्द्र : समर–विंटर स्कूल	184
6.18	एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना	185

6.19 डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ 185

6.20 विज्ञान विषयों में मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृतियाँ 186

6.21 ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज : विश्वविद्यालयों के शोध एवं शिक्षण संसाधनों में वृद्धि हेतु पहल 187

6.22 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना 187

6.23 बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत ''शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान'' 188

6.24 भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट–अप' अनुदान 188

7. लिंगगत तथा सामाजिक समानता 189

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास 189

7.2 महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना 190

7.3 उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधको की क्षमता का निर्माण 191

7.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना 192

7.5 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ 195

8. प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा 196

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना 196

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र 197

8.3 विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केन्द्रों की स्थापना 198

8.4 युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन 201

8.5 जीवनपर्यन्त अध्ययन और विस्तार कार्यक्रम 201

8.6 मानव अधिकार शिक्षा योजना (एच.आर.ई.) 202

9. संचार एवं सूचना प्रौद्योकियों का समेकन 205

9.1 विश्वविद्यालयों हेतु कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन 205

9.2 मौजूदा और नए प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विकास सहायता 206

9.3 स्नातकोत्तर विषयों हेतु ई–विषयवस्तु पाठयक्रम तैयार करना 207

10. संचालन और कार्यक्षमता में सुधार 209

10.1 संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन 209

परिशिष्टों की सूची 211

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) की वर्ष 1953 में स्थापना के साथ ही की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन अनवरत रूप से किया जा रहा है।

वर्ष 2012–2013 की वार्षिक रिपोर्ट न केवल देश में उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाए रखने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में वि0अ0आ0 द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहल को दर्शाती है बल्कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सामान्य विकास का संवर्धन करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई को पहल पर भी प्रकाश डालती है जिससे शिक्षा तक पहुंच, समता, संगतता और उत्कृष्टता में वृद्धि हुई।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा में समावेश सुनिश्चित करने और साथ ही गुणात्मक विस्तार सुनिश्चित करने के मद्देनजर अनेक नई पहल की हैं। मुझे आशा है कि इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समस्त सूचनाएँ शिक्षकों, छात्रों शोधकर्ताओं, उच्चतर शिक्षा के प्रशासकों तथा उच्चतर शिक्षा में अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं, इस अवसर पर आयोग के सभी सदस्यों का वि0अ0आ0 के एजेंडों को आगे ले जाने में उनके सतत् सहयोग हेतु अत्यंत आभारी हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ।

मैं, इस अवसर पर रिपोर्ट को इसके वर्तमान स्वरुप में तैयार करने के लिए मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु में सुधार करने के लिए सुझावों का स्वागत है।

प्रो0 वेद प्रकाश

नई दिल्ली **अध्यक्ष**

कार्यकारी सारांश 2012–13

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 का कार्यकारी सारांश न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनिवार्य उद्देश्यों बल्कि उसकी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा इन पर हुए व्यय के साथ–साथ आँकड़ों के संदर्भ में हुए विकास और इनके तहत् प्राप्त वास्तविक लक्ष्य को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रियाकलापों को भी समाहित करता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न ब्यूरो तथा प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्य करता है। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न क्रियाकलापों की रिपोर्ट निम्नवत पुनर्उद्धृत है।

- वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 10249 आवेदन तथा 592 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2012–13 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 113443/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 96502/– रु0 रहा।

- वेतनमान प्रकोष्ठ जिसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों से संबंधित मामलों का समाधान करने और अध्यापकों के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति के कार्यों का समन्वय करने के लिए गठित किया गया है– इस प्रकोष्ठ द्वारा मा.सं.वि.मं./विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारिवृंदों की न्यूनतम अर्हता के संबध में विनियमों को परिचालित किया और रीडर सें प्राचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए प्रेक्षकों की भी नियुक्ति की।

- विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने तथा नियुक्तियों के प्रति, आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निगरानी की जा रही है।

- वर्ष 2008 में स्थापित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर कार्यवाही की जाती है जैसे कि सम–विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान करना और अल्पसंख्यक संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करना आदि। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की देख–रेखे समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकरी करते हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सतर्कता प्रकोष्ठ को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 300 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से केन्द्रीय सतर्कता आयोग (17) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (34) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (4) और 245 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त हुई और संवेदनशील स्वरुप के कुछ मामलों में जाँच समिति के समक्ष रखा गया है और समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई।

- वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत के विभिन्न न्यायालयों में दर्ज 1034 मामलों में प्रतिवादी बनाया गया और अधिवक्ताओं के बिल पर पिछले वर्ष के 75.85 लाख रुपये की तुलना में 224.0 लाख रुपये का व्यय हुआ।

- संसद् डेस्क को वर्ष 2012–2013 के दौरान पिछले वर्ष के 448 संसदीय प्रश्नों की तुलना में 533 प्रश्न प्राप्त हुए। तारांकित प्रश्नों की संख्या 53 थी जिनमें से 7 प्रश्नों पर आश्वासन दिया गया तथा शेष का निपटान कर दिया गया।

- जाली विश्वविद्यालयों तथा डिग्रियों की बढ़ती संख्या के खतरे से निपटने के लिए उत्तरदायी कदाचार प्रकोष्ठ ने कुल 21 जाली संस्थानों की पहचान करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ठोस कार्यवाही के आधार पर कतिपय संस्थानों के नामों के जुड़ने/घटने से संस्थानों की संख्या में अंतर होता रहता है। वि0अ0आ0 ने समाचार पत्रों में जनसाधारण/छात्रों की जागरूकता हेतु अकादमिक सत्र के आरंभ में छात्रों को जाली संस्थानो में प्रवेश प्राप्त न करने हेतु आगाह करते हुए एक सार्वजनिक सूचना/प्रेस विज्ञप्ति जारी की।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के महिला उत्पीडन प्रकोष्ठ को किसी महिला अधिकारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- वर्ष 2008 में स्थापित रैंगिंग–रोधी प्रकोष्ठ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विद्यमान रैगिंग की सम्भावना पर नियंत्रण रखने के लिये उत्तरदायी है। रैगिंग के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो भी निर्देश हैं, उनका अनुपालन करने के लिये समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को कहा गया है।एक राष्ट्रव्यापी 24x7 निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। एक रैगिंग–रोधी वेबसाइट का भी विकास किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 69 शिकायतें विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध संस्थानों से प्राप्त हुईं। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने को कहा गया है। हैल्पलाइन चालू किये जाने से लेकर 31.3.2013 तक 38 शिकायतों पर की गयी कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अवगत करवाया गया है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन अनुभाग ने रिपोर्टाधीन वर्ष में 13 प्रकाशनों का प्रकाशन/मुद्रण किया और इस पर 7.11 लाख़ रुपये व्यय हुए।

उच्चतर शिक्षा में समन्वय करने तथा स्तरों को बनाये रखने के अपने मूल कृत्यों के निर्वहन तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष (2012–2013) के दौरान अनेक उपाय किये हैं :

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र स्थापित करने संबंधी) विनियम, 2012**

  शिकायत निवारण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम अब लागू हो चुके हैं। यह विनियम प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा संस्थान को छात्रों की शिकायतों को तुरंत तथा समय से निपटान करने हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित करने को अनिवार्य बनाता है। यह विनियम छात्रों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये एक लोकपाल की नियुक्ति का भी उपबंध करता है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012**

  इस प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012 यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र से जाति, पांति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाये तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

- छात्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के संबंध में दिशानिर्देशों को पृथक रूप से अधिसूचित किया गया है। यह दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों तथा संस्थानों को जारी किये गये हैं ताकि वे छात्रों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम सुविधाओं के बारे में समझ सकें।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन) विनियम, 2012**

  विनियम के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के लिये अनिवार्य होगा कि वे अपना एनएएसी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित किसी अन्य एजेन्सी से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करवायें।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग का संवर्धन तथा स्तर का रखरखाव) विनियम, 2012**

  भारतीय तथा विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने तथा उसे सुव्यवस्थित बनाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग का संवर्धन तथा स्तर का रखरखाव) विनियम, 2012 लागू किया है। यह विनियम सुनिश्चित करेगा कि केवल नामचीन विदेशी संस्थान ही अपने भारतीय प्रतिपक्षियों के साथ सहयोग करें, जो भारतीय संस्थानों को लाभ पहुँचायेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के प्रथम संशोधन (विनियम 2011) को जारी किया।

  दूसरे, शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक संवर्गों में भर्ती तथा प्रोन्नति हेतु विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट पी0बी0ए0एस0 पद्धति के माध्यम से ए0पी0आई0 स्कोरिंग को आरंभ किये जाने से इस पेशे में शिक्षकों की उपयुक्तता तथा सक्षमता में वृद्धि हुई है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''बेचलर ऑफ वोकेशनल'' उपाधि हेतु विनिर्दिष्टताओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा इसे वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत सम्मिलित किये जाने को अनुमोदित किया।

- उच्चतर शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में विनियामककारी कार्यकरणों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, जो पूर्व में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की विनियमक थी, उसका विघटन कर दिया गया है तथा अब सभी विनियामक संबंधी कार्यकरणों की देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है।

- ओबामा–सिंह 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल (ओएसआई) कार्यक्रम के निष्पादन हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिये 5 वर्षों की अवधि हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित करने के निर्णय की पुष्टि की। आयोग ने भारतीय पक्ष से प्रस्तावों को आमंत्रित करने तथा ओएसआई कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में (04) प्रस्तावों को अंतिम रूप से अवार्ड करने को भी अनुमोदित किया।

  आयोग ने यथानिर्णित समय अनुसूची के अनुसार अमेरिका में भारतीय स्कालरों को 300 पोस्ट डाक्टारेल अध्येतावृत्ति के अवार्ड को आगे अनुमोदित किया।

  आगे यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि निकट भविष्य में अनक देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग की परिकल्पना की जा रही है, आयोग बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने के लिये बजटीय आवंटनों को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जातिगत भेदभाव/उत्पीडन/परिपीडन का निवारण तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना) संबंधी विनियम, 2012 का अनुमोदन किया।

- मा.स.वि. मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्शानुसार रक्षा विभाग तथा रणनीतिक अध्ययन का उन्नयन कर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया। आगे निर्णय लिया कि इस क्रियाकलाप को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता मुहैया करवायी जाए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट पर डाला जाये। आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अधिकतम 10 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाये।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रचालनाधीन सभी योजनाओं के नए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिये जाने तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू रखने जाने का निर्णय लिया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी राज्य विश्वविद्यालय को एक पत्र जारी करने तथा तत्पश्चात् उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अनुरक्षित राज्य निजी विश्वविद्यालय की सूची में शामिल करने के संबंध में मामले पर विस्तार से विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम पर विचार उपरांत इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर किसी राज्य निजी विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर डाला जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर डाली गई जानकारी में अन्य जानकारियों के साथ–साथ यह स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिये कि क्या अमुक विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरीक्षण किया गया है। क्या विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति द्वारा इंगित कमियों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा क्या प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है।

  आयोग ने इस बात पर बल दिया कि राज्य विश्वविद्यालय के लंबित सभी निरीक्षणों को विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के छह माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विशेषज्ञों के नामांकन हेतु मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए तथा विशेषज्ञ के एक पूल को तैयार किया जाना चाहिए। आयोग के सभी सदस्यगण निजी विश्वविद्यालयों का दौरा करने हेतु वाली ऐसी दौरा समितियो मे नामांकित किये जाने वाले विशेषज्ञों के नाम भेजने पर सहमत हुए।

  आगे निर्णय लिया गया कि निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नवत जानकारी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर अपलोड किया जायेः–

  (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूची में सम्मिलित किये गये निजी विश्वविद्यालयों की संख्या।

  (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरीक्षण किये गये तथा आयोग द्वारा अनुमोदित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या।

  (ग) निरीक्षण किये गये निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तथा रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखी गयी परंतु मद को आस्थगित कर दिया गया।

  (घ) निरीक्षण किये गये निजी विश्वविद्यालयों की संख्या परंतु रिपोर्ट को आयोग के समक्ष नहीं रखा गया।

  (ड.) निजी विश्वविद्यालयों की संख्या जिनमें समिति का गठन कर दिया गया है परंतु जिनका दौरा नहीं किया गया।

  (च) निजी विश्वविद्यालय जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी को विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं किया।

  (छ) निजी विश्वविद्यालय जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को विहित प्ररूप में प्रस्तुत कर दिया गया है परंतु ब्यूरो द्वारा मामले को संसाधित किया जाना शेष है।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अंतर्गत महाविद्यालयों को सम्मिलित किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने संबंधी कदम उठाये जाने चाहिये। महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की

वेबसाईट पर अपलोड किया जाना चाहिये ताकि जानकारी के संबंध में जनसाधारण द्वारा किन्हीं आपत्तियों को दाखिल किया जा सके। इससे महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली गलत जानकारी पर लगाम लगेगी।

- देश में ''नवोन्मेषी विश्वविद्यालय'' तथा ''नवोन्मेषी केन्द्रों'' की स्थापना हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा इस बात पर सहमत हुए कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवोन्मेषी विश्वविद्यालय'' की योजना आरंभ की जाये। यह निर्णय लिया गया कि (क) केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित मौजूदा विश्वविद्यालय (ख) मा.स.वि. मंत्रालय द्वारा गठित टण्डन समिति द्वारा श्रेणी 'क' के तहत श्रेणीवद्ध सम विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालयों का चयन किया जाये। तथापि, स्व–वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।

  इस बात पर सहमति बनी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में चिन्हित उत्कृष्टता की क्षमता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए) का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाम बदल कर ''उत्कृष्टता एवं नवोन्मेष की क्षमता वाले केन्द्र'' किया जाये तथा उन्हें अनुसंधान व नवोन्मेष द्वारा ज्ञान के नवीन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये।

  नवोन्मेषी विश्वविद्यालय की योजना संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया। यह निर्णय लिया गया कि आयोग के सदस्य इस पर एक सप्ताह में अपनी टिप्पणियां दे जिन्हें नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र संबंधी विशेषज्ञ समिति के समक्ष उनके विचारार्थ तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए रखा जा सके।

  यह निर्णय लिया गया कि योजना को महाविद्यालय पर भी लागू किया जाये तथा महाविद्यालय क्षेत्र के लिये भी इसी समिति द्वारा पृथक दिशानिर्देश तैयार किये जायें।

- विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थानों द्वारा संयुक्त नियुक्ति संबंधी योजना के दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें ''सिद्धांत'' रूप में अनुमोदित किया। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के सदस्य एक सप्ताह में अपनी टिप्पणियां प्रो. हसनैन तथा प्रो. डी.एन. रेड्डी को भेज दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित करने तथा मामले में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

- पंडित मदनमोहन मालवीय जी की जन्म की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पंडित मदनमोहन मालवीय अध्यक्षपीठ की स्थापना की गई तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की तर्ज पर एक अध्यक्षपीठ स्थापित करने को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अध्यक्षपीठों की स्थापना हेतु राजीव गांधी अध्यक्षपीठ संबंधी दिशानिर्देशों को मानक दिशानिर्देश के रूप में अपनाया जाये।

  आगे यह भी निर्णय लिया गया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को राजीव गांधी अध्यक्षपीठ के मॉडल पर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाये।

- केवल ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान में एल0एल0एम0 डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने को अनुमोदित किया जिनमें स्नातकोत्तर विधिक अध्ययन केन्द्र मौजूद हैं।

- मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) तथा मालापुरम (केरल) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया। आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसे मामलों को अनुमोदन प्रदान करने में तात्कालिकता को स्पष्ट करने वाले टिप्पण को भी सम्मिलित किया जाये।

- ''फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम'' के तहत 200 पदों के सृजन के मुद्दे पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया। आयोग ने आगे फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम संबंधी त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन के नियम, निबंधन व शर्तों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।

- दिसम्बर, 2012 में आयोजित लेक्चरारशिप हेतु नेट परीक्षा के न्यूनतम अंकों और मानदण्डों पर विचार किया तथा इन्हें अनुमोदित किया। आयोग ने आगे यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा देने वाले छात्रों के लाभ हेतु मानदण्ड और न्यूनतम अंकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर डाला जाये। आयोग ने मद संख्या 1.01 (ख) (ii) के तहत यथा इंगित जनवरी, 2013 के माह में नेट परीक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने हेतु विशिष्ट रूप से एक अर्धदिवसीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। आगे यह भी इच्छा प्रकट की गई कि उपसचिव (एनईटी) इसमें निहित मुद्दों को उजागर करते हुए एक स्थिति टिप्पण तैयार करे।

  आगे यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा के तुरंत पश्चात् अभ्यर्थियों को ई–प्रमाणपत्र जारी किया जाये।

- मेटा विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव को संस्वीकृत करने का संकल्प लिया गया। आयोग ने आगे यह संकल्प लिया कि अन्य मेटा विश्वविद्यालयों को विस्तार देने पूर्व मौजूदा मॉडल से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया जाये।

वित्त ब्यूरो

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बजट और अनुदान–सहायता की प्राप्ति निम्नवत हैः

तालिका 1.1: वर्ष 2012–13 के लिए बजट

(रु0 करोड़ में)

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आवंटन		गैर–योजनागत आवंटन	
		ब0अनु0	सं0अनु0	ब0अनु0	सं0अनु0
1.	सामान्य	6351.15	5639.19	4794.17	4722.96
	कुल	**6351.15**	**5639.19**	**4794.17**	**4722.96**

तालिका 1.2 : वर्ष 2012–2013 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर–योजनागत (सामान्य) अनुदान

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत	गैर–योजनागत
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सामान्य)	4960.79	4686.78
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	–	–
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	45.00	–
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	66.00	–
	कुल	**5071.79**	**4686.78**

- वर्ष 2012–13 के दौरान जारी योजनागत अनुदान (5071.79 करोड़ रुपये) में से 45.22 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 2.42 प्रतिशत सम विश्वविद्यालयों, 22.96 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों और 6.77 प्रतिशत राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को दिया गया।

- वर्ष 2012–13 के दौरान जारी कुल गैर–योजनागत अनुदान (4686.78 करोड़ रुपये) में से 65.83 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 24.40 प्रतिशत दिल्ली महाविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों को और 5.28 प्रतिशत समविश्वविद्यालयों को जारी किया गया।

- संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) जिनका गठन उन शिक्षणेत्तर स्टॉफ पदों (केवल केंद्रीय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुरक्षित समविश्वविद्यालयों के लिये) एक समान संवर्ग संरचना का निर्माण करने और वेतनमानों, कार्यों, अर्हताओं का यौक्तिकरण करने के लिये किया गया जो कि 24 संवर्ग के बारे में था और उसकी रिपोर्ट वर्ष 2011–12 के दौरान आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समीक्षा समिति की इस रिपोर्ट को सहमति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थानों में एसीपी के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश भी परिचालित किए जा चुके हैं।

- रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–13 के दौरान अन्य मुख्य विशेषताओं मे ओबामा–सिंह संयुक्त 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल (ओएसआई) कार्यक्रम, जाति आधारित भेदभाव/उत्पीडन/परिपीडित करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता को बढावा देने संबधी विनियम, 2012, रक्षा विभाग तथा रणनीतिक अध्ययन विभाग का राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग के रूप में उन्नयन करना आदि तथा गठित महत्वपूर्ण समितियां आयोग द्वारा लिए गए निर्णय, अनुमोदन एवं संकल्पों को अध्याय–1(1.8)में दर्शाया गया है।

2. उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

- आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ज) के तहत भारतवर्ष एवं अन्य देशों के विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बधित मामलों इस प्रकार की सूचना एकत्र करने का अधिकार है जैसा वह उचित समझता है।

- स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 महाविद्यालय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो संख्या विद्यमान थी उसकी तुलना में अब विश्वविद्यालयों से संबंधित संख्या 30 गुना हो चुकी है। महाविद्यालयों से संबंधित यह संख्या 74 गुना हो चुकी है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत छात्रों का नामांकन 100 गुना हो चुका है।

- 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों की संख्या 624 तक जा पहुँची है (जिनमें 44 केंद्रीय, 286 राज्य, 151 राज्य निजी, 129 समविश्वविद्यालय हैं, 4 संस्थान राज्य विधान के तहत स्थापित हैं) एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 37204 महाविद्यालय हैं। जहाँ तक विश्वविद्यालयों की संख्या का प्रश्न है तमिलनाडु इस सूची में सबसे ऊपर है जहाँ 79 विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद उत्तरप्रदेश में 56 विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान में 56, आन्ध्र प्रदेश में 43, इत्यादि हैं। इस सूची से यह पता चलता है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना अनियमित ढंग से हुई हैं।

- रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची में 19 राज्य तथा 40 राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया हैं और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 9 विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया है।

- वर्ष 2012–13 के दौरान कुल मिलाकर 1665 नए महाविद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए जिन्हें मिलाकर महाविद्यालयों की संख्या वर्ष 2011–12 के 35539 से बढ़कर वर्ष 2012–13 के दौरान 37204 हो गयी।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की कुल संख्या 8929 थी। इनमें अब तक धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है (1637), जिसके बाद महाराष्ट्र (1185), कर्नाटक (752) और आंध्रप्रदेश (596) हैं।

- शैक्षिक सत्र 2012–2013 के दौरान समस्त पाठ्यक्रमों और नियमित विषय के स्तरों पर कुल नामांकन 215.01 लाख था जिसमें 93.06 लाख छात्राएँ थीं और जो कि समस्त नामांकन का 43.28 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में महिला छात्रों का सर्वाधिक नामांकन (33.65 लाख) रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (24.57 लाख) तथा तमिलनाडु (20.38 लाख), आन्ध्र प्रदेश (20.14 लाख) रहा।

- विभिन्न स्तरों पर छात्रों के नामांकन का प्रतिशतताओं निम्नवत रहा है:

स्तर	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर	डिप्लोमा / प्रमाणपत्र	शोध
कुल नामांकन का प्रतिशत	85.90	12.15	1.11	0.84

- सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लगभग 89.50 प्रतिशत तथा समस्त स्नातकोत्तर छात्रों का 72.35 प्रतिशत छात्र शेष विश्वविद्यालयों के विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों में थे।

- छात्रों के कुल नामांकन (215.01 लाख) में से 37.94 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, उसके बाद 18.56 प्रतिशत विज्ञान में तथा 17.50 प्रतिशत वाणिज्य में थे। इस प्रकार केवल तीन संकायों में 74 प्रतिशत नामांकन था जबकि पेशेवर संकायों में नामांकन 26.70 प्रतिशत रहा। इस प्रकार का अनियमित वितरण अपेक्षित नीतिगत परिवर्तन का सूचक है।

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकायों के अध्यापकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 9.34 लाख से बढ़कर 9.51 लाख हो गई जिसमें कि 0.018 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 9.51 लाख अध्यापकों में से 82.54 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों में हैं और शेष 17.46 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में हैं।

- वर्ष 2012–2013 के दौरान 17531 पी.0एच.0डी0 शोध उपाधियां प्रदान की गई। इनमें से सबसे अधिक कला संकाय की 5642 पी.एच.डी. उपाधियां तत्पश्चात विज्ञान संकाय में 5607 पी.0एच.0डी0 उपाधियां प्रदान की गई। इन दोनों संकायों में प्रदत्त उपाधियां कुल उपाधियों का 63.84 प्रतिशत रहा।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समस्त स्तरों पर नामांकित प्रति सौ पुरुष छात्रों के पीछे महिला नामांकन 76.31 प्रतिशत रहा।

- प्रतिशतता के संदर्भ में, महिला नामांकन गोवा राज्य में सर्वाधिक रहा (60.31 प्रतिशत) उसके पश्चात् दमन और दीव (59.11 प्रतिशत), केरल (58.24 प्रतिशत) फिर मेघालय (53.82 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश में (50.67 प्रतिशत) तथा अरूणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कम (36.69 प्रतिशत) महिला नामांकन रहा। परिशुद्ध संख्या में उ0प्र0 14.28 लाख के आंकड़ों के साथ महिला नामांकन के मामले में शीर्ष पर रहा जिसके बाद महाराष्ट्र (10.76 लाख) तथा तमिलनाडु (8.61 लाख) आदि रहा।

- महिला नामांकन कला संकाय में सर्वाधिक (42.66 प्रतिशत) था, उसके पश्चात् विज्ञान (19.07 प्रतिशत) में, फिर वाणिज्य (16.16 प्रतिशत) जो तीनों संकायों में कुल 77.89 प्रतिशत रहा। जबकि शेष 22.11 प्रतिशत सभी पेशेवर संकायों में था। प्रतिशत के संदर्भ में पेशेवर संकायों में सबसे ज्यादा महिला नामांकन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (10.55 प्रतिशत) के पेशेवर संकाय में रहा।

- वर्ष 2012–2013 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 120 नये महिला महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार महिला महाविद्यालयों की कुल संख्या 4386 हो गई।

3. विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत) एवं विकास (योजनागत) अनुदान

- केन्द्रीय, राज्यों और सम विश्वविद्यालयों को पहुंच में वृद्धि करने, समानता को सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता में सुधार करने, प्रशासन को प्रभावी बनाकर, छात्रों के लिए सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने, शोध सुविधाओं के संवर्धन करने और विश्वविद्यालयों की अन्य योजनाओं जैसे पहलुओं को कवर करते हुए उपरोक्त विश्वविद्यालयों के समग्र विकास के लिए सामान्य विकास अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित संख्या में कुछ विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृंदों के वेतन के आवर्ती व्यय साथ ही प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों आदि के लिए और कुछ अनिवार्य भुगतानों जैसे कर, टेलीफोन, बिजली के बिल, डाक व्यय आदि का भुगतान कर सकें। केन्द्रीय एवं कुछ समविश्वविद्यालयों को योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान ही दिया जा रहा है।

- वर्ष 2012–2013 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 44 थी। इनमें से तीन विश्वविद्यालयों नामतः इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मैरीटाइम विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालयों और नालन्दा विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष रूप से क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय तथा पोत और परिवहन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। अतः वर्ष 2012–13 के दौरान, केवल 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजनागत एवं गैर–योजनागत अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

- विलय की गई योजनाओं तथा अध्येतावृत्ति (गैर–एनईटी) सहित सामान्य अनुदान के अन्तर्गत तथा 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 1999.19 करोड रूपये प्रदान किये गये। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा एक चिकित्सा महाविद्यालय को रूपये 3137.22 करोड़ की राशि, अनुरक्षण अनुदान के रूप में प्रदान की गई।

- चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, प्रत्येक को 25.00 करोड रू0 की राशि जारी की गई।

- वर्ष 2012–13 के दौरान पं0 मदन मोहन मालवीय की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष मे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को मालवीय अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु 1.5 करोड रू0 की राशि प्रदान की गई।

- भारत सरकार ने मालापुरम तथा मुर्शिदाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो केन्द्रों की स्थापना की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक के लिये 25 करोड़ रू0 की राशि अर्थात् कुल 50.00 करोड़ रूपये की राशि जारी की है।

- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण को लागू करने के लिये क्षमता विस्तार हेतु 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 289.26 करोड़ रू0 की राशि का भुगतान किया गया था। साथ ही, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा एक सम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं हेतु आवासी अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना करने और इलाहाबाद में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु 30.65 करोड़ रू0 की राशि जारी कर दी गई थी।

- 31 मार्च, 2013 तक विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत 451 राज्य विश्वविद्यालयों एवं राज्य के निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इनमें से कृषि तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों को छोड़कर केवल 142 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 290.76 करोड रू0 के योजनागत (विकास) अनुदानों का बजटीय आवंटन किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान पात्र राज्य विश्वविद्यालयों ने 142 राज्य विश्वविद्यालयों को 290.76 करोड़ रु0 का विकास अनुदान प्रदान किया गया।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना हेतु बरकतुल्लाह और कोचीन विश्वविद्यालय को 20.00 लाख रू0 की धनराशि का भुगतान किया गया है।

- वर्ष 2012–13 के दौरान बाबू जगजीवन राम अध्यक्षपीठ की स्थापना के लिए पटना और कोलकाता विश्वविद्यालय को 18.00 लाख रु0 का भुगतान किया गया।

- 116 विश्वविद्यालयों के समान अवसर प्रकोष्ठ हेतु 60.75 लाख रू0 की राशि जारी की गई।

- अपिव(असम्पन्न वर्ग/ अल्पसंख्यक) तथा अ0जा0/अ0ज0जा0 हेतु आमेलित योजना के तहत रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 21.95 लाख रू0 की राशि जारी की गई।

- 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 129 सम विश्वविद्यालय थे। 129 विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 24 सम विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान और 10 सम विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान कर रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान 18 सम विश्वविद्यालयों को 33.42 करोड़ रुपयों का विकास (योजनागत) अनुदान जारी किया गया और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 10 सम विश्वविद्यालयों को 246.89 करोड़ रु0 का गैर–योजनागत अनुदान का भी भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे सम विश्वविद्यालय के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं अध्याय–3 के पैरा 3.2 में दर्शायी गयी हैं।

4. महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर–योजनागत) अनुदान

- विकास सहायता का केन्द्रीय उद्देश्य मूलभूत अवसंरचना का उन्नयन कर शिक्षण–ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को समर्थन देना है। विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार तथा उन्हें मजबूत करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तरों में सुधार, विशेष रूप से स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों को कैरियर के अवसरों से जोड़ने के लिए, उन्हें औचित्यपूर्ण तथ विविध बनाने पर ज़ोर दिया जायेगा। शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं, वहां पर नये महाविद्यालयों की स्थापना करना आयोग की एक प्राथमिकता है।

- 31 मार्च 2013 तक देश में 37204 कालेज थे। इनमें से 31 मार्च 2013 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत केवल 8929 महाविद्यालय अर्थात 24 प्रतिशत को मान्यता प्राप्त है। कुल 8929 महाविद्यालयों में से मात्र 7448 महाविद्यालय ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। महाविद्यालय क्षेत्रक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बंगलूरु में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से होता है।

- वर्ष 2012–13 के दौरान बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 3403 पात्र महाविद्यालयों को 114.68 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की गई।

- वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा अध्याय–4 के बिन्दु 4.4 में दिया गया है।

- वर्ष 2012–13 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 53 महाविद्यालयों को कुल 1069.34 करोड़ रूपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 घटक महाविद्यालयों को 25.47 करोड रुपये की राशि प्रदान की गई।

- साथ ही, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान के दौरान महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत दिल्ली के महाविद्यालयों को 3.27 करोड़ रुपये और विलयित योजना के अंतर्गत 0.48 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

- उच्चतर शिक्षा में विस्तार करने के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2010–11 के दौरान निम्न जीईआर वाले ईबीडी में ''नए मॉडल डिग्री महाविधालयों की स्थापना '' की योजना लागू की है। यह योजना मूल रूप से राज्य सरकारों के लिए शैक्षणिक रूप से कम विकसित जिलों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके उत्थान हेतु एक प्रेरणा तंत्र है। यह उन जिलों पर लागू है (374 जिले) जिनकी योजना आयोग द्वारा ईबीडी के रूप मे पहचान की गई है। पूंजीगत लागत के रूप मे सहायता 2.67 करोड़ रु0 तक है जिसमें तथा शेष और आवर्ती व्यय की संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूति की जानी होती है। वर्ष 2012–13 के दौरान 326 महाविद्यालयों को कुल 9. 96 करोड रूपये के अनुदान से सहायता प्रदान की गई।

5. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अभिज्ञात विश्वविद्यालयों को "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय" का दर्जा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय को किसी भी एक योजना अवधि के दौरान 30.00 करोड़ रु0 उपलब्ध कराया जाता है। 11वीं योजना के दौरान ऐसे **6** और संभावित विश्वविद्यालयों की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों की पहचान की जानी है और उन्हें दर्जा प्रदान किया जाना है, अर्थात बीएचयू, गुरू नानक देव, कर्नाटक, मैसूर, ओस्मानिया और राजस्थान विश्वविद्यालय। वर्ष 2012–13 के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 15 विश्वविद्यालयों को 14.26 करोड़ रु0 की राशि जारी की गयी

- महाविद्यालयों में शिक्षण में मुख्य रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने और महाविद्यालयों में अनुसंधान संस्कृति की पहल करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय'' नामक एक योजना आरम्भ की है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–13 के दौरान 284 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों को कुल 46.73 करोड रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने चुने हुए विभागों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले 12 केन्द्रों को अनुमोदित किया ताकि वे एक साथ कार्य कर सकें और संयुक्त रूप से नवीन नवोन्मेषी अकादमिक अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने में सक्षम हों। इन केन्द्रों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कार्य करना आरंभ किया। सभी केन्द्रों की समीक्षा की गई और उन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केन्द्रों को 8.90 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की।

- शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की योजना के तहत जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विश्वविद्यालय विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष के 874 विभागों की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान सैप सहायता प्राप्त विभागों की संख्या 932 रही। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न स्तरों पर विभागों को 63.33 करोड़ रू0 की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई।

- नए विचारों एवं नवोन्मेष को सहायता देने और अंतर–विषय एवं उभरते हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के अनुमोदित विभागों को शत–प्रतिशत विकास सहायता उपलब्ध करवा रहा है। 31.3.2013 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवोन्मेष कार्यक्रम के तहत 87 विभागों की पहचान की गई और इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालय के विभागों को 11.06 करोड़ रू0 का कुल अनुदान जारी किया गया।

- सम्भाव्यता वाले महाविद्यालयों को शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। 31.03.2013 तक, 19 राज्यों के 80 विश्वविद्यालयों में फैले 427 महाविद्यालयों को स्वायत्ता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–2013 के दौरान 211 स्वायत्त महाविद्यालयों को 58.16 करोड़ रू0 का अनुदान जारी किया गया था।

- 66 अकादमी स्टॅाफ़ महाविद्यालयों के माध्यम से विभिन्न विषय शाखाओं में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के वृहत कार्यक्रम का संचालन किया गया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ए0एस0सी0 द्वारा अभिविन्यास पाठ्यक्रमों, में 290 अभिविन्यास पाठयक्रमों तथा 810 पुनश्चर्या पाठयक्रमों और 292 अल्पावधि पाठयक्रमों के संचालन को अनुमोदित किया गया था। इन अनुमोदित कार्यक्रमों में से 240 अभिविन्यास कार्यक्रम, 780 पुनश्चर्या पाठयक्रम तथा 250 अल्पावधि पाठयक्रमों को संचालित किया गया और इस कार्यक्रम द्वारा 27460 शिक्षकों को लाभ पहुँचा। विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे अकादमिक स्टाफ़ महाविद्यालयों को 45.75 करोड़ का अनुदान जारी किया गया।

- हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग ने निबंध, टिप्पणी, मसौदा लेखन और हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जिसमें आयोग के कर्मचारियों ने भाग लिया, कार्यशालाओं का संचालन किया/हिन्दी पखवाड़ा और हिन्दी दिवस मनाया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अहिन्दी भाषी राज्यों के 17 विश्वविद्यालयों को हिन्दी विभागों की स्थापना/उन्नयन तथा उन्हें वित्तपोषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

- 31 देशों के साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम चल रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न देशों के 9 विदेशी विद्वानों/शिष्टमंडलों के लिए दौरों का आयोजन किया और 63 भारतीय विद्वानों को विदेश भेजा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों से 3 विदेशी शिष्टमंडलों से भेंट भी की।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मॉरीशस (2010–12) के तृतीयक शिक्षा आयोग के बीच पांचवें कन्सोर्टियम समझौते पर 4 मार्च, 2010 को हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत विद्वानों के आदान–प्रदान का प्रावधान है। पांचवें कंसोर्टियम समझौते के तहत 21 भारतीय विद्वानों ने मॉरीशस का दौरा किया जिनमें से 12 दीर्धकालीन और 9 अल्पकालीन दौरे थे।

- वर्ष 2012–13 के दौरान सहयोगात्मक कार्यक्रमों के तहत नियुक्त किए गए 22 विदेशी भाषाओं के शिक्षक विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं।

- अध्यक्ष, "डॅाड" तथा अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच 30 अक्तूबर, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा वैयक्तिक कार्यक्रम 2008 से प्रारम्भ हो चुके हैं। वर्ष 2012–2013 के लिए एक्सचेंज आफ सांईटिस्ट प्रोग्राम के तहत 2 स्कॅालरों ने जर्मनी का दौरे किया।

- भारतीय वैज्ञानिकों के लिए दो से तीन माह तक की छात्रवृत्ति के वार्षिक पुरस्कार के तहत वर्ष 2012 में 4 विद्वानों को नामित किया गया। चार में से केवल दो स्कालरों का साउथ एशियन इंस्टीट्यूट, जर्मनी में कार्य करने के लिए चयन किया गया तथा उनका दौरान सफल रहा है।

- प्रत्येक वर्ष, कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ यू.के. कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टॅाफ़ फैलोशिप अवार्ड के तहत भारत के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रतिभावान संकाय के 80 सदस्यों को यू.के विश्वविद्यालय/संस्थानों में शोधकार्य करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2012 के लिए कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 द्वारा 80

अध्येतावृत्तियों की पेशकश की गई। तदनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2011 में 70 अध्यापकों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की सिफारिश की इनमें से ए0सी0यू0, यू0के0 द्वारा वर्ष 2011 के लिए कॉमनवेल्थ अकादमिक स्टॉफ फैलोशिप अवार्ड, 2011 हेतु 28 स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति के लिए चयन किया।

- वर्ष 2012 के दौरान कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने भारत में डॉक्टरल डिग्री कर रहे तथा यू0के0 में एक वर्ष पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाने के इच्छुक छात्रों अथवा कनिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए 9 कॉमनवेल्थ स्पलिट–साईट डॉक्टरल छात्रवृत्तियाँ देने की पेशकश की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2012 के दौरान 14 स्कॉलरों को नामांकित किया और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ, यू0के0 ने कॉमनवेल्थ स्पलिट–साईट छात्रवृत्ति अवार्ड 2012 के अन्तर्गत 9 स्कॉलरों का चयन किया।

- वर्ष 2012 के दौरान, यात्रा अनुदान योजना के अन्तर्गत 2 भारतीय स्कॉलरों को उनकी शोध सामग्री एकत्रित करने के लिए विदेशों का दौरा करने चार अध्यापकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

- वर्ष 2012 के लिए भारत–फिनलैंड शोधवृत्तियों के अन्तर्गत फिनलैंड दौरे के लिए आयोग द्वारा वर्ष 2012 में 10 शोध विद्वानों को नामित किया गया था। पांच नामांकनों को स्वीकार कर लिया गया हैं।

- वर्ष 2012 के लिए भारत–हंगेरियाई ई.ई.पी. अल्पावधि/विस्तृत अवधि शोधवृत्ति के अन्तर्गत आयोग द्वारा 7 भारतीय शोध विद्वानों को नामांकित किया गया (13 विद्वानों की दीर्धावधि तथा 9 विद्वानों को अल्पावधि के लिए) ताकि वे अपने विशेषज्ञता क्षेत्र से जुड़े प्रतिपक्षियों के साथ विचार–विमर्श कर सकें तथा व्याख्यान दे सकें। वर्ष 2012–13 के लिए भारतीय पक्ष को हंगेरियाई प्राधिकारियों से 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सभी दौरे सफल रहे।

- भारत बुल्गेरियाई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत बुल्गारियाई भाषा एवं संस्कृति पर अर्न्तराष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन संगोष्ठि के लिए 4 भारतीय शोध विद्वानों को नामाकित किया गया।

- यूके इंडिया एजूकेशन एण्ड रिसर्च इनीशियेटिव (यूकेआईईआरआई) के तहत क्रियाकलापों के संयुक्त प्रचालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ब्रिटिश काउंसिल के मध्य एक एक समझौता ज्ञापन पर अप्रैल, 2011 से मार्च 2013 की अवधि के लिए 16.8.2011 को हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालयों से 20 संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया एवं 18 परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत अनुदान संस्वीकृत किया गया हैं।

- वर्ष 2012–13 के दौरान उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग तथा विचारों के आदान–प्रदान करने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया गयाः वियतनाम से 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल, न्यूजीलैण्ड से 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल तथा कनाडा से 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल। आस्ट्रेलिया, इजराईल, न्यूजीलैण्ड तथा नारवे के साथ कार्यशालाएं और जेडब्ल्यूजी बैठकें आयोजित की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापन और अनुसंधान के पेशे के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए लेक्चरशिप पात्रता तथा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (नेट) आयोजित करता है। इसमें भाग लेने वाले कुल 7.5 लाख उम्मीदवारों मे से मात्र 1.18 प्रतिशत उम्मीदवारों ने कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की अर्हता प्राप्त की तथा जून और दिसम्बर 2012 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित लेक्चररशिप पात्रता परीक्षा (जेआरएफ सहित) में बैठे कुल 11.8 लाख उम्मीदवारों में से 8.18 प्रतिशत ने सहायक प्रोफेसरशिप (जे.आर.एफ.सहित) के लिए अर्हता प्राप्त की। नेट परीक्षा पूरे देश में 78 विषयों में 77 केन्द्रों पर संचालित की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ''सी0एस0आई0आर0'' विज्ञान के 5 विषयों में नेट परीक्षा संचालित करती है। दिसम्बर, 2012 में आयोजित नेट परीक्षा में 3176 उम्मीदवारों ने सहायक प्रोफेसरशिप के लिए अर्हता प्राप्त की तथा 4376 उम्मीदवारों को सीआईएसआर–जेआरएफ तथा सहायक प्रोफेसरशिप के लिए अर्हक पाया

गया। दिसम्बर, 2009 से प्रभावी रूप में, विज्ञान विषयों में प्रति परीक्षा, अध्येतावृत्तियों की संख्या 600 से 1200 तक बढ़ा दी गई है तथा जून, 2010 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित विषयगत परीक्षा में प्रति परीक्षा अध्येतावृतियों की संख्या 3200 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2012–13 के दौरान इन परीक्षाओं को संचालित करने में 30.54 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। जून, 2010 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर, तथा ऑनलाइन सत्यापन किया जा रहा है और ई–प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों/राज्यों के समूहों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) के संचालन के लिए प्रत्यायन की अनुमति भी देता है। जिन उम्मीदवारों ने 1 जून, 2002 से पूर्व, लेक्चरशिप के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) पास कर ली है, वे उम्मीदवार ''नेट'' परीक्षा में बैठने के लिए छूट के पात्र हैं। 1 जून, 2002 में अथवा उसके बाद होने वाली सेट परीक्षाओं के लिए योग्य उम्मीदवार, राज्य के केवल उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों मे लेक्चरार/सहायक प्रोफेसरशिप के पद के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे, जहाँ उन्होंने सेट परीक्षा पास की है। वर्ष 2012–13 के दौरान राजस्थान, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा गोवा पूर्वोत्तर राज्य, तमिलनाडु और उत्तराखण्ड राज्यों ने सेट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। सेट संचालित करने का व्यय वहन संबद्ध राज्यों द्वारा किया जाता है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत 868 महाविद्यालय के शिक्षकों, छह कुलपतियों ने अपने शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया। उनकी यात्रा पंजीकरण, शुल्क, ठहरने के भत्ते आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। स्थायी पद पर पुस्तकालय अध्यक्ष/अध्यापक तीन वर्ष में एक बार और कुलपति तथा आयोग के सदस्य दो वर्ष में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लाभान्वित लोगों को 5.24 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

- विश्वविद्यालय प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 (गगग) के तहत 6 अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) को स्वायत्तशासी केन्द्रों के रूप में स्थापित किया गया है तथा यह केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में सक्रिय हैं तथा अत्याधुनिक उपस्कर और उत्कृष्ट ग्रंथालय सुविधा तक पहुंच प्रदान कर प्रत्येक क्षेत्र मे विशेषज्ञता प्रदान कर विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को सामान्य सुविधायें, सेवाएँ एवं कार्यक्रम आदि उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों(एनएफसी) की भी स्थापना की है तथा इन्हें भी नियमित रूप से सहायता प्रदान की जाती है। इसने दूरदर्शन, ज्ञानदर्शन तथा शिक्षा चैनलों पर कक्षाओं से दूर उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1000 से भी अधिक शैक्षिक फिल्मों/कार्यक्रमों को भी योगदान दिया है। एनएएसी के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन कर रहा है। 31.3.2013 तक, 179 विश्वविद्यालयों तथा 5156 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया गया है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छह अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्रों को योजनागत अनुदान के तहत 35.00 करोड़ रु0 तथा गैर–योजनागत अनुदान के तहत 40.50 करोड़ रु0 की धनराशि का भुगतान किया।

- भारत में व्यावहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान को बदावा देने और राष्ट्रीय कल्याण का बदावा देने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक निकायों, सोसायटियों, संस्थानों, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित चार अकादमी में से कम से कम दो अकादमियों के अध्येता, शिक्षकों को 15,000/– रूपये प्रतिमाह के विशेष मानदेय का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान, 4 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कुल 10.20 लाख रु0 की धनराशि का भुगतान किया गया।

- इनकोर योजना का मुख्य उद्वेश्य विश्वविद्यालयों प्रणाली से इतर पेशेवरों और विशेषज्ञों की मदद प्राप्त कर विश्वविद्यालयों में ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को व्यापक बनाना और विस्तार देना और एम.फिल तथा पीएचडी स्तरों पर गुणवत्ता तथा वैश्विक रूप से तुलनीय अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आवंटन का मानदंड निम्नवत हैः–

क्र.सं.	प्रकार	अनुबद्ध संकाय	रेजीडेंट स्कॉलर
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	5	2
2.	राज्य विश्वविद्यालय	2	1
3.	सम विश्वविद्यालय	1	1

- वर्ष 2012–13 के दौरान 4 राज्य विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसमें से तीन को अनुमोदित किया गया है। संकायों तथा स्कालर्स को संदाय हेतु तीन अनुमोदित विश्वविद्यालयों को 15.30 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई थी।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयी प्रणाली में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेक्षक की नियुक्त कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत रीडर के पद से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया की निगरानी करता रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयन प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए कुल मिलाकर 100 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रक्षकों को नियुक्त की।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ''स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती'' राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हरी ओम आश्रम न्यास'' राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत'' पुरस्कारों को उन भारतीय शिक्षकों के लिए शुरू किया है जो कि विश्वविद्यालय प्रणाली में कार्यरत हैं या जो कि उन विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं जो कि उच्च अनुसंधान कार्य करने के लिए स्वीकृत हैं। वर्ष 1985 के बाद से यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन लोगों को प्रदान किये जाते हैं जिन्होंने शैक्षिक/वैज्ञानिक कार्य में अद्वितीय योगदान किया है। उपरोक्त पुरस्कार चयन किए गए व्यक्तियों को केवल वर्ष 2007 तक ही प्रदत्त किये गये हैं।

6. अनुसंधान का संवर्धन

- ''अध्यापकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ'' योजना का मुख्य उद्देश्य, विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता देकर उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, जैरोन्टॉलोजी, पर्यावरण, नैनो प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकियों, तनाव प्रबंधन, डब्ल्यू.टी.ओ. और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आदि विषयों से तथा कुछ अन्य क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जिनकी विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा पहचान की जाएगी। विज्ञान तथा मानविकी एवं समाजिक विज्ञान में वृहद परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि क्रमश : अधिकतम 12.00 लाख तथा 10.00 लाख रू0 होगी। यहां तक कि सेवानिवृत्त अध्यापक भी 70 वर्ष की आयु तक अनुसंधान परियोजना कर सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–13 के दौरान विज्ञान में 994 बड़ी तथा 78 लघु परियोजनाएँ कुल मिलाकर 1072 परियोजनाएँ तथा मानविकी एवं समाजिक विज्ञान में 480 बड़ी परियोजनाएँ तथा 84 छोटी शोध परियोजनाए कुल मिलाकर 564 परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय द्वारा 92.57 करोड़ रू0 की राशि जारी की गई।

- रिसर्च अवार्ड योजना, विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के स्थायी अध्यापकों द्वारा बिना शोध सहायता प्राप्त किए अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्वतंत्र अनुसंधान करने वाले शिक्षकों के लिए बनाई गई है। 45 वर्ष से कम आयु वाले डॉक्टरेट उपाधि धारक अध्यापक को इन अवार्डो को प्रदान करने के लिये विचार किया जाता है। समस्त विषयों में, प्रत्येक दूसरे वर्ष के दौरान 100 स्थानों के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2012–2013 के दौरान अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को रु0 7.35 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

- इमेरिटस फैलोशिप योजना, सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए उनके संबद्ध क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध करने का अवसर प्रदान करती है। किसी भी एक समय के दौरान विज्ञान के

लिए उपलब्ध स्लॉटों की संख्या प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 है। अध्येता के लिए 50,000 रु0 प्रतिवर्ष की आकस्मिक धनराशि के साथ दो वर्षों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्ष 2012–2013 के दौरान अध्येताओं को भुगतान करने पर 3.13 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न संगोष्ठि/कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुसंधान संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 2693 प्रस्तावों को अनुमोदित किया और पात्र महाविद्यालयों को 22.44 करोड़ रु0 जारी किये गए।

- विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ)/ रिसर्च एसोसिएटशिप योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन भारतीय उम्मीदवारों को जे.आर.एफ प्रदान की जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित विश्वविद्यालय नेट परीक्षा की हैं। जे.आर.एफ. के अन्तर्गत अध्येतावृत्ति राशि प्रारम्भिक 2 वर्षों तक 16,000 रु0 प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति है, तथा शेष समय के लिए यह 18,000 रु0 प्रतिमाह होगी, इसके साथ ही वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी उपलब्ध होगा। शोध अध्येता (आरए) के अन्तर्गत 16,000/–रुपये प्रतिमाह तथा वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में 30,000/– रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान प्राप्त होता है कि शोध अध्येतावृत्ति के समस्त काल के लिये प्राप्त होता है।

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विज्ञान तथा मानविकी एवं समाजिक विज्ञान में जे.आर.एफ./आर.ए. योजना हेतु 190.02 करोड़ का व्यय हुआ। विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए 69.81 लाख रु0 का व्यय हुआ।

- उच्चतर शिक्षा में सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों (अ0जा0 के लिए 2000 तथा अ0ज0जा0 के लिए 667) के लिए 2667 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ उपलब्ध कराता है ताकि वे उच्चतर अध्ययन एवं अनुसंधान कर एम.फिल./पी.एच.डी. कर सकें। जे.आर.एफ. और अध्येतावृत्ति का स्वरूप समान है। वर्ष 2012–2013 के दौरान अनुसूचित जाति के अध्येताओं के लिए 57.12 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के अध्येताओं के लिए 18.03 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था।

- पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप की एक नई योजना अ0जा0/अ0ज0जा0 के उन उम्मीदवारों के लिए कार्यान्वित की गई है जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है और जिनके अपने अनुसंधान कार्य प्रकाशित हो गए हैं और जिन्होंने स्वतंत्र रुप से अनुसंधान कार्य का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। फैलोशिप की अवधि पाँच वर्ष है तथा इसके लिए प्रतिमाह 16000/–रुपये की निर्धारित राशि है जिसके साथ रुपये 30,000 प्रतिवर्ष आकस्मिकता राशि प्रदान की जाती है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 100 स्लॉटों के समक्ष अ0जा0/अ0ज0जा0 के 100 चयनित अध्येताओं हेतु 1.47 करोड़ का व्यय किया गया।

- अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों के लिए एक और नई योजना अर्थात पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों को इस उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है कि समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उन्हें स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययनों को शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाये। कुल स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है। एम0टेक0 के लिए छात्रवृत्ति 5000 रु0 प्रतिमाह एवं आकस्मिक राशि 15000 रु0 प्रतिवर्ष तथा एम. फार्मेसी/एम0 मैनेजमैंट के छात्रों के लिए रुपये 3000 प्रतिमाह एवं रुपये 10000 प्रतिवर्ष आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष के दौरान 2012–2013 के दौरान अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों को भुगतान के लिए कुल 5.72 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को शोध वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने के लिए और शोध में उच्च गुणवत्ता विकसित करने के लिए वर्ष 1983 में यह योजना आरम्भ की गई और लागू की गई। वर्तमान में 69 शोध वैज्ञानिक विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं। वर्ष 2012–2013 के दौरान ऐसे वैज्ञानिकों के वेतन एवं आकस्मिक व्यय पर कुल 5.39 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पी.एच.डी. की डिग्री धारक बेराज़गार महिलाओं के लिए पूर्णकालिक आधार पर पोस्ट–डॉक्टोरल शोध करने की इच्छुक महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 100 स्लॉट प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिए नए उम्मीदवारों के लिए 25000 रुपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और शोध अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए 30000 रूपये प्रतिमाह की अध्येतावृत्ति और पांच वर्षों तक 50,000 प्रतिमाह की आकस्मिक राशि प्रदान की जाएगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिला अध्येताओं को भुगतान के रूप में 5.39 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

- स्नातक छात्रों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.ई./एम.टैक./एम.फर्मा विषयों के गेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 8,000 रुपये प्रतिमाह (सभी सेमेस्टरों में 60% और उससे अधिक) तथा आकस्मिक राशि 5,000 रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होगी। वर्ष 2012–13 के दौरान छात्रों को भुगतान करने पर 11.23 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

- स्नातकोत्तर इंदिरा गाँधी छात्रवृत्ति योजना इस उद्देश्य छात्रवृत्तियों के माध्यम से ऐसी बालिकाओं को शिक्षित करना तथा शिक्षा को बढावा देना है जो अपने परिवार की एक मात्र संतान हैं तथा इस प्रकार अभिभावकों को छोटे परिवार के मानदण्डों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करना है। ऐसी बालिकाओं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निष्णांत डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश पा लिया है वे इसके लिए पात्र हैं। इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष है तथा छात्रवृत्ति की राशि 20 माह के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्रि प्राप्त होगी। अकादमिक सत्र 2011–13 के दौरान 1803 छात्राओं का चयन किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान छात्रवृत्ति धारकों को भुगतान करने पर 2.66 करोड रुपये की राशि व्यय की गयी।

- प्रतिभाशाली छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा में अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पी.जी. मेरिट छात्रवृत्ति की योजना 2005–2006 के बाद से प्रारम्भ की गई जसमें उन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया जिन्होंने स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र देश में किसी भी उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में किसी विशिष्ट क्षेत्र में पी.जी. विषयों में (जिनमें व्यावसायिक पाठयक्रम शामिल नहीं है) अध्ययन कर सकता है। इस छात्रवत्ति के अन्तर्गत सामान्य पाठयक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र ही पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष की होगी, एवं छात्रवृत्ति राशि 2000 रुपये प्रतिमाह, 20 माह तक के लिए है। प्रथम अकादमिक वर्ष में छात्रवृत्तियों की संख्या 3000 है। वर्ष 2012–13 के दौरान अकादमिक सत्र 2011–13 के लिए चुने हुए 375 छात्रों को भुगतान के लिए 1.64 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।

- केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों का उद्धेश्य अल्पसंख्यक समुदायों से छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समेकित 5 वर्ष की अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराना है ताकि वे एमफिल और पीएचडी जैसे अध्ययन जारी रख सके। प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए 756 प्लॉट उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा प्रदत्त अध्येतावृत्ति की दर की अन्य अध्येतावृत्तियों के समकक्ष होगी। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न राज्यों से 754 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 48.67 करोड़ रू0 का व्यय किया गया।

- वर्ष 2012–13 में भारतीय विश्वविद्यालयों में मूलभूत वैज्ञानिक शोधकार्य के लिए अधिकारप्राप्त समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत है:

- वर्ष 2012–13 के दौरान पात्र महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों विभागों को विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान के घटक हेतु अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 30.32 करोड़ रूपये का कुल अनुदान मुहैया करवाया गया।

- वर्ष 2012–13 के दौरान नेटवर्क अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदित 9 विश्वविद्यालय विभागों मे से 3 विभागों को ही 4.00 करोड़ रू0 के अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

- विज्ञान विषयों में एक नवीन पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति योजना डॉ0 डी0एस0 कोठारी के नाम से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से 500 पी.डी.एफ. को पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाएगी। वर्ष 2011–12 के दौरान विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे अध्येताओं को 16.74 करोड़ रूपये जारी की गई।

- मेधावी छात्रों को विज्ञान में पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए के लिए, उच्च अध्ययन एवं शोध शुरू करने हेतु'' मेधावी छात्रों के लिए विज्ञान में शोध अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वित की गई है। ऐसे उम्मीदवार जो कि उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय/उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्रों/उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित विशेष सहायता विभागों में विज्ञान के विषयों में पी.एच.डी. में पंजीकृत है वे इसके लिए पात्र हैं। इस अध्येतावृत्ति का कार्यक्रम आरम्भ में दो वर्ष है, जिसे अध्येता द्वारा किए गए कार्य मूल्याकंन के आधार पर और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय सहायता अध्येतावृत्ति राशि के रूप में प्रतिमाह 14,000 रुपये और आकस्मिक धनराशि के रूप में 12000 रुपये प्रतिवर्ष है। वर्ष 2012–2013 के अंत तक विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान विभागों में (एस.ए.पी. के अंतर्गत सी.ए.एस./डी.एस.ए.) 6754 अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ आवंटित की गयीं तथा वर्तमान में इन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न विज्ञान विभागों के अंतर्गत 3423 अध्येता कार्यरत हैं। वर्ष 2012–2013 के दौरान अध्येताओं को कुल 54.87 करोड रूपये की राशि जारी की गई है।

- विज्ञान संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को सुदृढ़ करने और अकादमी संकाय सदस्यों में नई प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नवोन्मेषी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए संकाय रिचार्ज कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके तहत, आरंभ में 80 : 80 : 40 अनुपात (आचार्यः सह–आचार्यः सहायक आचार्य) में 200 पद सृजित किए जायेंगे। यह नए और सेवारत शिक्षक दोनों के लिए है। आरंभ में, कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए है और यह प्रत्येक पांच वर्ष की समीक्षा के अध्यधीन अधिवर्षिता की आयु तक चलता है। इस प्रयोजनार्थ, ज0ला0ने0 वि0वि0, दिल्ली में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और साथ ही शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक की भी नियुक्ति की गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चयन प्रक्रिया आरंभ की गई। प्रकोष्ठ के कार्यकरण के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान इसे 1.00 करोड़ रूपये मुहैया कराये गये हैं।

- राज्य विश्वविद्यालयों मे कार्यरत अधिवार्षिता की आयु के समीप प्रतिभावान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षकों द्वारा मूलभूत विज्ञान अनुसंधान में योगदान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बी0एस0आर0 संकाय अध्येतावृत्ति नाम से नई योजना आरंभ की है। विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में आचार्य/सह–आचार्य के पद पर कार्यरत शिक्षक इसके लिए पात्र हैं। अध्येतावृत्ति में 30,000 रु0 प्रतिमाह की धनराशि प्रदान की जाती है जो कि पेंशन अथवा/और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त है। वर्ष 2012–13 के दौरान 31 संकाय सदस्यों का चयन किया गया और अनुसंधान जारी रखने के लिए उन्हें 1.79 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है।

- इस बीएसआर कार्यक्रम के तहत 'शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान' प्रदान करने का उद्वेश्य उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान को जारी रखना है। जिस शिक्षक की अधिवर्षिता की तिथि से कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष है, जिसने अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 15 पीएचडी और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम पांच पीएचडी उपाधियां प्राप्त करने में मदद की हो और जिसने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित कम से कम पांच प्रायोजित अनुसंधान पूर्ण किए हों, वे इसके लिए पात्र हैं। योजना के तहत, एक शिक्षक को उसके अनुसंधान कार्य के लिए 7.00 लाख रु0 उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अपने अनुसंधान को जारी रखने वाले 37 शिक्षकों को 2.59 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

- 'शिक्षकों को तथा संबद्ध संघों को प्रोत्साहन' योजना का मुख्य उद्वेश्य शिक्षकों तथा संबद्ध संघों को सम्मेलनों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना और सहायक शिक्षकों तथा विषय आधारित संघों द्वारा पत्र प्रस्तुत करने और अंततः उसे प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना सभी राष्ट्रीय विषयगत संघों के लिए खुली है। किसी एक विशिष्ट संघ के सदस्यों की संख्या के आधार पर 2 से 3 लाख रु0 की वार्षिक सहायता दी

जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान 19 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे तथा 105.73 लाख रु0 की कुल धनराशि भी जारी की गई थी।

7. लिंगगत एवं सामाजिक समानता

- "महिला अध्ययनों का विकास" योजना का लक्ष्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों को सुदृद करना एवं उसे धारणीय बनाये रखना है जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के मध्य उन्हें सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित किया जाये तथा साथ ही अन्य आंगिक घटकों के साथ नेटवर्क बनाने की उनकी क्षमता को सुगम बनाया जा सके ताकि वे परस्पर एक दूसरे की बल प्रदान करें तथा एक दूसरे को सहयोगी बन सकें। इस समस्त प्रक्रिया का विशेष बल इस बात पर है कि जाति श्रेणी/धर्म समुदाय एवं व्यवसायों से परे, ऐसी क्षेत्रगत योजनाओं का विकास हो जिनसे कार्यवाही, शोधकार्य, मूल्यांकन एवं ज्ञान में अभिवृद्धि हो तथा सहभागिता बढ़े व इस नेटवर्क में और अधिक लोगों व संगठनों को भी जोडा जा सके व साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि यह नवीन रूप से उद्भूत होने वाले क्षेत्र पर जो ध्यान केन्द्रित किया जाये। प्रत्येक विश्वविद्यालय में ऐसा प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष 5.00 लाख से लेकर 12.00 लाख रूपये प्राप्त करने का पात्र होगा तथा प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसा केन्द्र वार्षिक रूप से 3.00 लाख रूपये से लेकर 8.00 लाख रूपये प्राप्त करने का पात्र होगा। दिनांक 31.03.2013 तक विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत कुल मिलाकर 159 महिला अध्ययन केन्द्र (विश्वविद्यालय में 82 और महाविद्यालयो में 77) स्थापित हो चुके थे तथा विश्वविद्यालयी प्रणाली में कार्यरत थे।

- महिलाओं के दर्जे में वृद्धि करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आयोग महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना के तहत छात्रावास एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। 60.00 लाख रुपये से 100.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सहायता शत–प्रतिशत आधार पर आधार पर प्रदान की जाती है जोकि गैर–महानगरीय शहरों में महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाली महिला छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है तथा महानगरों के महाविद्यालयों हेतु 120.00 लाख रु0 से 200 लाख रु0 है। वर्ष 2012–13 के दौरान 1010 राज्य महाविद्यालयों को कुल 184.98 करोड़ रु0 का अनुदान जारी किया गया।

- उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबन्धकों की क्षमता निर्माण योजना का विशिष्ट लक्ष्य, उच्चतर शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत विद्वमान लैगिंक विभेद को न्यून करने वाली संदर्शी योजना तैयार करना एवं रणनीतिक विकास करना है ताकि प्रशासक बनने की इच्छुक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश की जा सके। वर्तमान में, केवल मात्र तीन प्रकार के ही प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास करने संबंधित कार्यशालाओं को संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने, जागरूकता/संवेदनशीलता/प्रेणनात्मक कार्यशालाएँ और प्रबंधन कौशल उन्नयन माडॅयूल कार्यशालाएं आयोजित की गई। वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न संस्थानों को कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 3.83 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता रहा है ताकि विश्वविद्यालयों में दाखिले शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों आदि पर भर्ती में आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। 31 मार्च, 2013 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में 127 अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठ कार्य कर रहे थे।

- समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक समता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपचारात्मक अनुशिक्षण की योजना, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरों पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेवाओं में भर्ती के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (अल्पसंख्यक/असपन्न वर्ग) छात्रों के लिए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक के उम्मीदवारों को नेट /सेट के लिए तैयार किया जा सके। ऐसे संस्थान जिनमें अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं उन्हें आर्थिक

सहायता प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। ऐसी अनुशिक्षण कक्षाओं में भाग लेने के लिए सामान्य श्रेणी के उन उम्मीदवारों को अनुमति है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस संबंध में आर्थिक सहायता निम्न प्रकार से हैः

- अनावर्ती : प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख रूपये (एक मुश्त) तक सहायता।
- आवर्ती : प्रत्येक योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों के लिए 5.00 लाख रु. तथा विश्वविद्यालयों के लिए 7.00 लाख रु. तक।

इन योजनाओं के तहत अनुदान वि0अ0आ0 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है।

- वि0अ0आ0 शिक्षण, गैर–शिक्षण तथा दाखिले में अ0पि0व0 हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की दिशा में प्रयासरत है। इस संबंध में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों को अ0पि0व0 के कल्याण हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण की नीति लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एवं निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन भी किया गया है।

- विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अजा/अजजा संबंधी स्थायी समिति का वर्ष 2007 में पुनर्गठन किया गया था। समिति की दूसरी बैठक 20 अक्तूबर, 2011 को नियुक्तियों, दाखिले, छात्रावासों तथा कर्मचारियों के आवासों के आवंटन की देखरेख के लिए आयोग में हुई थी।

- महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का लाभ वंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं एवं बाध्यताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन समूहों की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देख–रेख करने और शैक्षिक, वित्तीय तथा अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयें में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) की स्थापना करने की योजना बनाई है। समान अवसर प्रकोष्ठ का कार्यालय स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा। चूंकि यह विलयित योजनाओं में से ही एक योजना है, अतः जहाँ तक अनुदान जारी करने का संबध है, विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्यालय तथा महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान जारी किया जाता है।

- अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चालू विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करती है। समिति की बैठक वर्ष में एक या दो बार होती है।

- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निशक्त व्यक्तियों की उपेक्षा न करने तथा विशेष अध्यापकों व परामर्शदाताओं के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करने के लिये तथा निशक्त व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "टी.ई.पी.एस.ई." तथा "एच.ई.पी.एस.एन." योजना लागू कर रहा है। इन योजनाओं को अब विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों हेतु सामान्य विकास अनुदान के साथ विलय कर दिया गया है और मुख्यालय तथा साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुदान जारी किया जा रहा है।

8. प्रासंगिता एवं मूल्य आधारित शिक्षा

- शिक्षा में कैरियरोन्मुखी पाठ्यक्रमों का उद्देश्य कैरियर एवं बाजारोन्मुखी कौशल में वृद्धि करने वाले अतिरिक्त पाठयक्रमों को आरंभ करना है जिनकी रोजगार प्राप्त करने में एवं स्व–रोजगार हेतु उपयोगिता हो और जिससे छात्रों का सशक्तिकरण हो सके। इस कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र संस्थानों को मानविकी एवं वाणिज्य संकाय के प्रति पाठयक्रम के लिए 7 लाख रू. दिए जाते हैं तथा विज्ञान विषयों में प्रति पाठयक्रम एकमुश्त राशि रुपी 'सीड–मनी' जिसे पाँच वर्ष के लिए पुस्तकें, पत्रिकाएँ, प्रयोगशाला तथा अन्य उपस्करों की खरीद तथा अतिथि

संकाय को मानदेय हेतु 10.00 लाख रूपये प्रदान किया जाता है। कॉलेज/विश्वविद्यालयों के पास आवश्यकता आधारित किन्हीं तीन पाठ्यक्रमों का चुनाव करने का विकल्प रहेगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 14.00 करोड रु. की राशि जारी की गयी थी।

- भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के सबंध में समग्रता से बोध को बढ़ावा देने के लिए और नीति निर्माताओं विशेषरूप से भारत के आर्थिक, राजनीतिक तथा राजनीतिक हितों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्वेश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालयों की पहचान करता रहा है। वर्तमान में, विश्वविद्यालयों में 52 अध्ययन केन्द्र (विश्वविद्यालयों में नियमित आधार पर केन्द्र तथा 20 विश्वविद्यालय में परियोजना आधार पर 29 केन्द्र चल रहे हैं)। उन केन्द्रों पर ध्यान दिया जाएगा जिनके साथ भारत के प्रत्यक्ष अथवा अंतरंग संबंध रहे हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रों को उनके क्रियाकलापों हेतु 5.44 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी।

- सैद्धान्तिक एवं नीतिपरक महत्व वाले सामाजिक बहिष्करण एवं समावेश विषय पर शोधकार्य में सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में अध्यापन–सह–शोध केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया। जिन्हें समाजिक बहिष्करण एवं समावेश नीति संबंधी केन्द्रों के नाम से जाना जायेगा। 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार, 35 विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्र चल रहे हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान 15 विश्वविद्यालयों को 4.96 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया।

- भारतवर्ष के महान समाज विचारकों के विचारों एवं दृष्टिकोण से शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित करवाने के उद्देश्य से चिह्नित विश्वविद्यालयों द्वारा अब तक 24 महान व्यक्तियों के नाम पर 501 विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गए हैं (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व 191 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 310)। रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को अपने क्रियाकलापों हेतु कुल 3.83 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था।

- सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त करने और ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के लिए 21 राज्यों में 71 केन्द्रों की स्थापना कर जीवन–पर्यन्त ज्ञान अर्जन तथा विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2010–11 से जीवन पर्यन्त ज्ञान अर्जन विभागों को 2.00 से 10.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष का आवर्ती अनुदान तथा 5.00 लाख रु0 अनावर्ती अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालयों में केन्द्रों को 2.31 करोड़ रूपए का कुल अनुदान उपलब्ध कराया गया।

- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने और मानवाधिकार तथा कर्तव्य शिक्षा पर सम्मेलन, संगोष्ठि तथा कार्यशाला आयोजित करने के लिए और शिक्षकों, छात्रों तथा जनसाधारण में जागरुकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानवाधिकार शिक्षा योजना के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 4.41 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की गई।

9. सूचना एवं सम्प्रेक्षण प्रौद्योगिकियों का समेकन

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में प्रशासन, वित्त, दाखिले एवं विश्वविद्यालयों में मौजूदा कम्प्यूटर केन्द्रों के उन्नयन कार्यो सहित अध्यापन, अनुसंधान एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों में अभिवृद्धि एवं विकास की एक केन्द्रीय सुविधा के रूप में नियमित रूप से कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 70.00 लाख रु. (अनावर्ती) तथा कम्प्यूटर केन्द्र को स्थापित करने के लिए किए गए वास्तविक व्यय (आवर्ती) के आधार पर अनुदान किया जायेगा तथा 5 वर्षो के पश्चात ऐसा केन्द्र उन्नयन हेतु द्वितीय सहायता 50,00 लाख रू. (केवल अनावर्ती) तक की सहायता के लिए पात्र होगा। वर्ष 2012–13 के दौरान 15 विश्वविद्यालयों को कुल मिलाकर 5.19 लाख़ रु. की राशि जारी की गई थी।

- विश्वविद्यालय कैम्पसों की अत्याधुनिक कैम्पस व्यापी नेटवर्कों के माध्यम से नेटवर्किंग हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 2002 से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–इन्फोनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल सेवा प्रदाता के रूप में फाइबर आप्टिकल लीज्ड लाइन पर अब तक विश्वविद्यालयों को इंटरनेट संपर्क मुहैया करवाया गया है। 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी वाले एनकेएन और एनएमई–आईसीटी के अस्तित्व में आने से ही लगभग सभी विश्वविद्यालय ने एनकेएन/एनएमई–आईसीटी कनेक्टिविटी कार्यक्रम को अपना लिया है और वे उच्च बैंड विद्थ प्राप्त कर रहे हैं। 1 अप्रैल, 2012 से लाभार्थी विश्वविद्यालयों द्वारा बेहतर उपयोग हेतु नये प्रारूप का प्रस्ताव है। वर्ष 2012–13 के दौरान, नये कार्यक्रम को अपनाने के कारण कोई अनुदान मुहैया नहीं कराया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विश्वविद्यालयों कैंपसों के नेटवर्किंग के कार्यों हेतु पात्र विश्वविद्यालयों को 46.66 करोड़ रुपये का कुल अनुदान मुहैया कराया गया है।

- पत्रिकाओं के मूल्यों में वृद्धि होने, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पास निधियों के अभाव के कारण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें यूजीसी–इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कॉसोर्शियम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसे, इनफ्लिबनेट इन्टर–यूनिविर्सिटी सेन्टर द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से क्रियान्वित किया जा रहा है। सारगर्भित एवं वरिष्ठ विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित पत्रिकाओं एवं ग्रंथ संदर्भित पत्रिकाओं जो प्रकाशकों एवं विभिन्न विषयों में समूहनकर्ताओं से संबद्ध हैं, उन सब पत्रिकाओं तक चालू एवं पुरालेखीय पहुँच बनाने का कार्य कॉन्सोर्शियम कर रहा है। अब तक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन आने वाले 200 विश्वविद्यालयों को अभिदत्त ई–रिसोर्स के लिए विभेदक पहुंच उपलब्ध कराई है। कन्सोर्टियम द्वारा अभिदत्त ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2009 में आरंभ किए गए कार्यक्रम में 105 से भी अधिक निजी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान सह–सदस्य बन गये थे। वर्ष 2012 से उपयोगकर्ता समुदाय की मांग के आधार पर चार नये संसाधनों नामतः राष्ट्रीय विधि विद्यालयों/विश्वविद्यालय हेतु विधिक आंकड़ा आधार, अतिरिक्त विश्वविद्यालय हेतु एससीआई फाइंडर स्कॉलर, ई–जनरल अभिलेखागार तथा साइंस डायरेक्ट के 10 विषयों के संग्रह को जोड़ा गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजीटल रिपोजिटरी के प्रयोजनार्थ 146 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया था।

- सभी विषयों में स्नातकोत्तर विषयों में ई–कंटेंट पाठ्य सामग्री के विकास हेतु आयोग ने खाका तैयार करने और योजना के समग्र प्रचालन की देखरेख के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। ई–कंटेंट के विकास का कार्य इन्फलिबनेट को सौंपा गया है। इस प्रकार से विकसित ई–कंटेंट, इन्फलिबनेट और साथ ही साक्षात पोर्टल पर स्थापित एक ज्ञान अर्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से मुक्त रूप से पहुंच हेतु उपलब्ध होगी। इस कार्य के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोग को आबंटित निधियों में से इन्फलिबनेट को 10.00 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन्फलिबनेट सर्वर पर ई–विषय–वस्तु को होस्ट करने के लिए एक ओपन सोर्स लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया एवं आवश्यकता अनुरूप तैयार किया गया। चर्चा हेतु फोरम सहित प्रशासनिक कार्य तथा वित्तीय रिर्पोट के प्रबंधन हेतु एक ई–पाठशाला प्रबंधन प्रणाली भी विकसित की गई है।

10. अभिशासन एवं कार्यकुशलता में सुधार

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज में भागीदारी/सहयोग द्वारा संसाधनों को जुटाने हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से 50 लाख रू. प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन उनके द्वारा सृजित संसाधनों का 25 प्रतिशत उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंश के रूप में 2 राज्य विश्वविद्यालयों को 17.30 लाख रू0 की राशि और 24 सम विश्वविद्यालयों को 214.57 लाख रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में कार्यान्वित करने के संबंध में 12 मार्च, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बायें से दायें खड़े हुए : प्रो0 वेद प्रकाश, अध्यक्ष, वि0अ0आ0; श्री अशोक ठाकुर, सचिव, मा0सं0वि0मं0, डॉ0 एम0एम0 पलामू राजू, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा ले0 जनरल पी0एस0 भल्ला, महानिदेशक, एन0सी0सी0

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में कार्यान्वित करने के संबंध में 12 मार्च, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बायें से दायें बैठे हुए : डॉ0 रेनू बत्रा, सं0सचिव, वि0अ0आ0; प्रो0 वेद प्रकाश, अध्यक्ष, वि0अ0आ0; श्री अशोक ठाकुर, सचिव, मा0सं0वि0मं0; डॉ0 एम0एम0 पलामू राजू, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा ले0 जनरल पी0एस0 भल्ला, महानिदेशक, एन0सी0सी0

17 दिसम्बर, 2012 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित वि0अ0आ0 की 490वीं बैठक में भाग लेते हुए डॉ0 एम0एम0 पलामू राजू, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री।
बायें से दायें बैठे हुए : डॉ0 एम0एम0 पलामू राजू, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री; प्रो0 वेद प्रकाश, अध्यक्ष, वि0अ0आ0; डॉ0 अखिलेश गुप्ता, सचिव, वि0अ0आ0 तथा डॉ0 के0 गुनाशेखरन, अपर सचिव, वि0अ0आ0

डॉ0 एम0एम0 पलामू राजू, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिनांक 26 जून, 2013 को नई दिल्ली में वि0अ0आ0 के तीन प्रकाशन : भारतीय उच्चतर शिक्षा – उत्कृष्टता की खोज, उच्चतर शिक्षा में सामाजिक समता का पोषण और भारत में उच्चतर शिक्षा – एक दृष्टि में, का विमोचन किया।
बायें से दायें खड़े हुए : डॉ0 अखिलेश गुप्ता, सचिव, वि0अ0आ0; श्री अशोक ठाकुर, सचिव, म0सं0वि0मं0; डॉ0 एम0एम0 पलामू राजू, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, प्रो0 वेद प्रकाश, अध्यक्ष, वि0अ0आ0; प्रो0 देवराज, उपाध्यक्ष, वि0अ0आ0 तथा डॉ0 राजबीर सिंह, निदेशक, सी0ई0सी0

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के संबंध में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सम्मेलन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 6 मार्च, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित किय गया था।

बायें से दायें दृष्टिगत : प्रो0 वेद प्रकाश, अध्यक्ष, वि0अ0आ0; श्री आर0पी0 सिसोदिया, संयुक्त सचिव, मा0सं0वि0मं0 तथा श्री अशोक ठाकुर, सचिव, मा0सं0वि0मं0

1 प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसम्बर, 1953 को अस्तित्व में आया तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में समन्वय करने तथा मानकों के निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बन गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग पिछले वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सटीक एवं संपूर्ण ब्यौरा देते हुए प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसकी प्रतियों को केन्द्र सरकार को भेजेगा तथा सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखेगा।

भारत सरकार द्वारा आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस सदस्यगणों (सचिव–शिक्षा, सचिव–व्यय, 8 अन्य सदस्यगणों) की नियुक्ति/नामित करेगा। सचिव, सचिवालय का अध्यक्ष होता है जिसमें समूह 'क' के 63, समूह 'ख' के 255 तथा समूह 'ग' के 135 अधिकारियों के साथ कुल 467 कर्मचारिवृंद हैं। कुल कर्मचारियों का 32.97 प्रतिशत महिलाएं, 24.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 60.40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कर्मचारिवृंद हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1994 से अपने कार्यकरण को चरणबद्ध तरीके से विकेन्द्रीकृत करते हुए सात क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं ताकि सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जा सके और महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशी तथा तर्कसंगतता के साथ अकादमिक सुधारों में नामांकन में विस्तार किया जा सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हेतु 30 प्रतिशत का लक्ष्य है तथा इसे शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि कर तथा मौजूदा संस्थानों के दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने की दोहरी रणनीति को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

1.1(क) वि0अ0आ0 की भूमिका और संगठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो 28.12.1953 में अस्तित्व में आया, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बन गया। वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 12 उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श कर विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन तथा समन्वय और शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान में मानदंड को बनाए रखने के लिए वे सभी कदम उठाएगा जो वह उचित समझता हो।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र, राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने की इसकी भूमिका के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को भी परामर्श देता है। यह शिक्षकों के लिये शिक्षण के न्यूनतम मानदण्ड तथा योग्यता जैसे विनिमय भी तैयार करता है।

उच्चतर शिक्षा के बहु–आयामी उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उच्चतर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने तथा उसके समन्वय के मुख्य कार्यों के निवर्हन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विविध कार्यक्रम तैयार किये है तथा कार्यान्वित किये हैं।

संगठनात्मक ढांचा

आयोग में एक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दस अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दस सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है। कम से कम चार सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक में से किया जाता है।

शेष सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों में से किया जाना चाहिएः

1. जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान या अनुभव हो।
2. जो अभियांत्रिकी, विधिक, चिकित्सा या किसी अन्य प्रतिष्ठित पेशे के सदस्य हों, अथवा
3. जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति हो, अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हो परंतु केन्द्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हो अथवा जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो।

वि0अ0आ0 का कार्यकारी शीर्ष सचिव है। वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित कर्मचारिवृंद के साथ उन्होंने आयोग के सचिवालय की अध्यक्षता की:–

समूह	संस्वीकृत संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या (संस्वीकृत संख्या का प्रतिशत)	कुल कर्मचारियों की संख्या में से		
			महिला (प्रतिशत)	अ0जाति (प्रतिशत)	अ0 जनजाति (प्रतिशत)
समूह क	105	63	26 (41.26%)	09 (14.28%)	2 (3.17%)
समूह ख	327	255	99 (38.82%)	51 (20%)	12 (4.70%)
समूह ग	318	135	19 (14.07%)	35 (25.92%)	12 (8.88%)
कैन्टीन स्टॉफ	19	14	2 (14.28%)	3 (21.43%)	शून्य
कुल	**769**	**467**	**154**	**113**	**30**

क्षेत्रीय कार्यालय

वि0अ0आ0 ने निम्नानुसार सात क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एसईआरओ)	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ)	गुवाहाटी	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	प0 बंगाल, बिहार, ओडीशा, सिक्किम, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरू	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एआरसीओ)	दिल्ली	जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड

1.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में

लोगों के उत्थान तथा देश की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत की उच्चतम शिक्षा प्रणाली को योजना सहायता प्रदान की जा रही है। वि0अ0आ0 ने देश में सूचना आधार को स्रोत सामग्री के रूप में विकास करने के लिए उच्चतर शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अध्ययनों को प्रायोजित किया ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पद्धति और रणनीति तैयार की जा सके। यह अध्ययन विस्तार, समावेश, गुणवत्ता और वित्त से जुड़े हुए हैं। इन अध्ययनों से प्राप्त हुई सूचना को बारहवीं योजना के लिए परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए उपयोग किया गया है और निष्कर्षों द्वारा इसके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिली है।

बारहवीं योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी गुणवत्ता तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली में आवश्यक अकादमिक सुधारों के साथ समावेशी गुणवत्ता और संगत शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इसलिए, मुख्य बल संस्थानिक क्षमता तथा दाखिले की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुच का विस्तार करना, उच्चतर शिक्षा तक कम पहुंच वाले समूहों को पहुंच के समान अवसर उपलब्ध करवा कर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, संगत शिक्षा को बढ़ावा देना, अकादमिक तथा शासी सुधारों को आरंभ करना आदि पर रहेगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2012 के 15 प्रतिशत के वर्तमान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि कर उसे 2017 तक 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 5 प्रतिशत की निवल वृद्धि का लक्ष्य दोहरी रणनीति से प्राप्त किया जाना है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि तथा मौजूदा संस्थानों की दाखिले की क्षमता बढ़ाना शामिल है

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्धेश्य निम्नवत है :

क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नामांकन अनुपात को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत के स्तर तक लाने में मदद करना।

ख) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा एक समान संस्थानों के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विस्तार कर 30 प्रतिशत सकल नामांकन दर (जीईआर) के लक्ष्यों को प्राप्त करना।

ग) उन जिलों की सकल नामांकन दर में वृद्धि करना जिनकी उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सीमित है।

घ) शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के नामांकन में वृद्धि करना तथा समावेशी बनाना।

ड) गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

च) संगत शिक्षा को बढ़ावा देना।

छ) अन्य संगत मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।

ज) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश, परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया आरंभ करना।

झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आंतरिक कार्यकरण का कंप्यूटरीकरण के माध्यम से सुधार करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मानव संसाधन में सुधार सहित शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना।

ट) डाटाबेस और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करना ताकि शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों को सतत् रूप से सुदृढ़ किया जा सके तथा एक उचित संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके।

आयोग ने 10.05.2013 को आयोजित अपनी बैठक में 19500 करोड़ रुपए के आवंटन को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये योजनागत आवंटन को मोटे तौर पर निम्नवत तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है:–

	(करोड रूपये में)
केन्द्रीय विश्वविद्यालय को सहायता,	10500.00 रूपये
केन्द्र सरकार के तहत सम विश्वविद्यालयों को सहायता,	300.00 रूपये
राज्य विश्वविद्यालय,	2048.00 रूपये
क्षेत्रीय कार्यालय, एनआरसीबी तथा दिल्ली महाविद्यालय	2026.00 रूपये
12(ख) के तहत सम्मिलित किये जाने वाले नये राज्य विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय,	726.00 रूपये
स्व–वित्तपोषित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिये शिक्षक/छात्र केन्द्रीय योजनाएं, नई आईयूसी नवेन्मेषी विश्वविद्यालय तथा अन्य नई योजनाएं खेलकूद को बढ़ावा देना तथा आरंभ की जाने वाली अन्य योजनाएं तथा अन्य विविध कार्यक्रम	4200.00 रूपये
कुल	**19800.00 रूपये**

कुल वित्त वर्ष 2013–14 से निम्नवत योजनाओं को **बंद करने का निर्णय** लिया गया है। इन योजनाओं हेतु किया गया व्यय/किये जाने वाले व्यय की पूर्ति बजट आवंटन में सूचीबद्ध क्रम संख्या 51 में इंगित 'प्रतिबद्ध देयताएं' शीर्ष से की जायेगी।

(1) जीवन–पर्यन्त ज्ञान अर्जन एवं विस्तार

(2) सामाजिक समावेश तथा बहिष्करण संबंधी अध्ययन हेतु केन्द्र

(3) नवेन्मेषी कार्यक्रम

(4) कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन

(5) विश्वविद्यालय में मौजूदा तथा नये प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विकास सहायता

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–इन्फोनेट नेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन्फोनेट नेट डिजीटन लाइब्रेरी कन्सोसियम

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र

(9) महाविद्यालय को जयंती एवं शताब्दी अनुदान

(10) मीडिया केन्द्र/संबद्ध मीडिया केन्द्रों की स्थापना

(11) गेट योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु एमई/एमटेक हेतु कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति

(12) नई योजना के तहत केन्द्र

निम्नलिखित योजनाओं को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ दिया गया है:

(1) मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य शिक्षा (एचआरडीई) को जीडीए के साथ जोड़ दिया गया है।

(2) महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण को महिला अध्ययन केन्द्र के साथ जोड़ दिया गया है

(3) योग शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना को खेलकूद को बढ़ावा देने की योजना के साथ जोड़ दिया गया है।

(4) एनकोर को जीडीए के साथ जोड़ दिया गया है।

(5) उपकरण अनुरक्षण सुविधाओं को जीडीए के साथ जोड़ दिया गया है।

(6) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में खेलकूद अवसंरचना तथा उपस्कर संबंधी विकास योजना को खेलकूद को बढ़ावा देने संबंधी योजना के साथ जोड़ दिया गया है।

(7) गेस्ट/अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति/मानदेय संबंधी योजना को जीडीए के साथ जोड़ दिया गया है।

उपरोक्त सात योजनाओं पर किया गया व्यय/किये जाने वाले व्यय को उन योजनाओं के शीर्ष से किया जायेगा जिनके साथ उन्हें जोड़ा गया है।

आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नवत नई योजनाओं को जारी रखने अथवा आरंभ करने का निर्णय लिया है :

1) पदक विजेता

2) संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन

1.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कार्य कर रहे विशेष प्रकोष्ठ

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.आई.ए.), प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार 'सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ' की स्थापना की है। सीपीआईओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समग्र कार्यालय हेतु इस प्रकोष्ठ का समग्र समन्वयक होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मुख्य कार्यालय, शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 18 अपीलीय प्राधिकारी तथा 30 पी आई ओ हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुल मिलाकर 10249 आवेदन तथा 592 अपीलें प्राप्त हुई तथा वर्ष 2012–13 के दौरान आरटीआई शुल्क संग्रहण 113443/– रु0 रहा तथा अतिरिक्त शुल्क 96502/– रु0 रहा।

(ख) वेतनमान प्रकोष्ठ

वेतनमान प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, इस प्रकोष्ठ को समय–समय पर गठित की गई वेतन समीक्षा समितियों के कार्य का समन्वय करने का कार्य सौपा गया है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों तथा सेवाशर्तों से संबंधित मामलों में शिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी यह प्रकोष्ठ वार्ता करता है। रिर्पोटाधीन वर्ष 2012–2013 के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सूचित कर दिया गया है :–

1. शिक्षक और अन्य भौक्षणिक स्टॅाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी नया विनियमन, 2010

वेतनमान प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टॅाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्ड बनाए रखने के संबध मे उपायो संबधी विनियम, 2010 का प्रथम संशोधन जारी किया है।

2. शिक्षकों के लिये पुनश्चर्या/अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तिथि को 31.12.2013 तक बढ़ाने के संबंध में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीएएस के तहत प्लेसमेंट/प्रोन्नति हेतु पुस्तकालय अध्यक्ष के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लने के मुद्दे पर विचार किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षकों/सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक/शारीरिक शिक्षा के महाविद्यालय निदेशक के कैरियर में प्रगति करने के उद्देश्य से 31.12.2013 तक सीएएस के तहत प्लेसमेट/प्रोन्नति करने के लिये पुनश्चर्या/अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में भाग लेने की तिथि को परिचालित किया।

उपरोक्त निर्णय को आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालय/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 07.12.2012 के पत्र संख्या एफ.1–2/2009 (पीएस) के माध्यम से परिचालित किया गया।

3. वर्ष 2012–2013 की अवधि के दौरान कॅरियर प्रोन्नति योजना के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षक की नियुक्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके भारत में कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि इस प्रयोजन हेतु विहित प्रक्रिया का विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए। रिपोर्टिंग वर्ष 2012–13 के दौरान सीएएस के अंतर्गत रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए 100 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत 160 रिपोर्टों पर कार्यवाही की जा चुकी है और संबंधित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुमोदन भेजा जा चुका है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दाखिले शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों पर आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने संबधी निगरानी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रतिनिधित्व, अकादमिक विशेषज्ञों, भूतपूर्व कुलपतियों एवं उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में आरक्षण के स्तर को और रिक्तियों के पिछले बकाया पदों का सर्वेक्षण करने के लिए स्थायी समिति और उप स्थायी समिति समय–समय पद बैठक करती रहती है।

(घ) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पृथक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर विचार किया जाता है जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को समविश्वविद्यालयों का स्तर प्रदान किया जाना, अल्पसंख्यक संस्थानों को विश्वविद्यालयों के साथ सहसंबद्धता उपलब्ध कराना है।

(ङ) सतर्कता प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भ्रष्टाचार की प्रभावी ढ़ंग से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित किया है ताकि कार्यालय के काम–काज पर नजर रखी जा सके जिससे यहाँ कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो पाये । सामान्यतः सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रमुख, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपर सचिव के पद का एक अधिकारी होता है और इसके कार्यकरण की केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पुनर्रीक्षा की जाती है।। सी.वी.ओ. मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने तथा भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने के लिए उत्तरदायी और जहां कहीं भी आवश्यक होता है कानूनी कार्यवाही की जाती है।

इसके अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी निम्नलिखित कार्य भी सुनिश्चित करता है :

- संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना।
- निम्न से संबंधित ऐसे निष्ठा विषयक आचरणों का तुरन्त पालन करना :– (1) परिसंपत्तियों और अर्जनों का विवरण, (2) उपहार, (3) प्राइवेट फर्मो में नौकरी कर रहे या प्राइवेट व्यवसाय कर रहे संबंधी लोग (4) बेनामी लेन–देन।
- संवेदनशील स्थानों का पता लगाना, ऐसे स्थानों का नियमित एवं अचानक निरीक्षण और संवेदनशील पदों पर नियुक्त किए गए कार्मिकों की उचित छानबीन करना।
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान आवंटन तथा संवितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए उपचारात्मक उपाय आरम्भ करना।

वर्ष 2012–13 के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ ने सीवीसी (17), मा.स.वि.मं. (34), के.अ.ब्यूरो (4) और विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त 245 शिकायतें प्राप्त हुई। संवेदनशील शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त जांच समिति के समक्ष रखा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सतर्कता प्रकोष्ठ, सतर्कता जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करता है और मामले को संबंधित ब्यूरो के साथ उठाता है।

(च) विधिक प्रकोष्ठ

विधिक प्रकोष्ठ समस्त देश के विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में नियुक्त अधिवक्ताओं के बीच न्यायालय के मामलों का समन्वय करता है। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्यकरण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ब्यूरो से संबद्ध विभिन्न मामलों पर नामनिर्दिष्ट विधिक परामर्शदाता का मत प्राप्त करना है। दूसरे, विधिक प्रकोष्ठ, निचली अदालतों, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय में दायर, मुकदमों पर कार्यवाही करता है।

वर्तमान में, अधिकांश मामले मुख्यतः विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षण और शिक्षणेत्तर स्टॉफ़ के वेतनमानों, अर्हताएँ सेवानिवृत्ति आयु चयन, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विभिन्न संस्थाओं/जाली विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि से संबंधित होते हैं। कुछ मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्टॉफ़ से संबद्ध प्रशासनिक मामले के होते हैं।

वर्तमान में वर्ष 2012–2013 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2013) के दौरान प्रदत्त अनुदान		
वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	अधिक्ताओं के बिलों पर किया गया व्यय (लाख रु0 में)
2012–2013 (31.03.2013 तक)	1034	224.00

(छ) डेस्क : संसद् मामले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डेस्क संसद्'', भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उच्चतर शिक्षा के संबंध में प्राप्त हुए संसद् प्रश्नों के उत्तर तैयार करने, और उनका समन्वय करने का कार्य करता है।

वर्ष 2012–2013 के दौरान लोकसभा/राज्यसभा के बजट/मानसून/शीतकालीन सत्र के दौरान निम्नलिखित संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए/उत्तर दिया गयाः

वर्ष	संसदीय प्रश्नों की कुल संख्या	कुल प्रश्नो मे से तारांकित प्रश्नों की संख्या	आश्वासनों की संख्या
2012–13	533	53	7

(ज) आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय की अध्यक्षता उपनिदेशक करते है तथा उनकी सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पर तैनात लेखा/कनिष्ठ लेखा अधिकारी होते हैं। यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयी प्रणाली के अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों की लेखापरीक्षा भी करता है। इसके अलावा, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ वि0आ0आ0 को विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर परामर्श भी देता है। प्रकोष्ठ को पेंशन भुगतान मामलों की पूर्व लेखापरीक्षा, जी0पी0एफ0/सी0पी0एफ0 अंतिम भुगतान संबंधी मामले, वेतन निर्धारण, संविदा दस्तावेज तथा समय–समय पर इसे सौपे गए अन्य मामलों का कार्यों का भी निपटान करता है। यह लेखे की लेखापरीक्षा उपरांत जांच, सहायता–अनुदान रजिस्टरों एवं संस्वीकृतियों की जाँच, सांविधिक लेक्षा परीक्षा में उठाई गई आपत्तियाँ के अनुपालन/निपटान करने तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पैराओं पर उत्तर के संबंध में संबधित निकायों के साथ समन्वय का कार्य भी करता है।

(झ) कदाचार रोधी प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उल्लधंन में देश भर में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों और जाली उपाधियों/अंक तालिकाओं के तीव्र प्रसार के खतरे से निबटने के लिए 30 मई, 1996 को कदाचार प्रकोष्ठ, की स्थापना की हुई है। यह संस्थान राज्य अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम, अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किए गए हैं, अथवा जिन्हें विशेष रूप सें उपधियां प्रदान करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं अतः जाली विश्वविद्यालय/संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं। प्रकोष्ठ का मूल उददेश्य प्रिंट मीडीया एव अन्य स्रोतो के माध्यम से जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानो के बारे में सूचना एकत्रित करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान मे लाना तथा राज्य/केन्द्र सरकार की विभिन्न एजन्सियों के साथ संपर्क करना है, ताकि इन सभी जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

21 जाली विश्वविद्यालयों की सूची **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है

(ञ) ''कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न'' को रोकने संबंधी प्रकोष्ठ

महिला संयुक्त सचिव डॉ0(श्रीमती) रेनू बत्रा, की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न'' प्रकोष्ठ कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्यवाही करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दौरान प्रकोष्ठ को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(त) रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 887/2009 में दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2009 तैयार किए हैं, और उन्हें 17 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया जोकि वर्तमान में प्रभावी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी संस्थानों को परामर्श देता है कि यह विनियम अनिवार्य हैं।

आयोग ने सभी संस्थानों को अपनी विवरणिका में रैगिंग को वर्जित करने तथा इसके परिणामों के संबंध में निदेशों को शामिल करने को अनिवार्य बनाया है। सामान्य अथवा किसी विशेष योजना के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र में संस्थान द्वारा रैगिंग रोधी उपायों का अनुपालन किये जाने वाली विशिष्ट शर्त को शामिल किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचनाओं, वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय को पत्रों के माध्यम से रैगिंग रोधी उपायों का कड़ाई का अनुपालन किये जाने के संबंध में अनुस्मरण कराती है। हाल ही में 19.7.2013 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर लगाम लगाने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया। सीईसी द्वारा रैगिंग रोधी एक वीडियो फिल्म तैयार करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर अपलोड की गई है तथा सभी विश्वविद्यालय से इसे छात्रों, कर्मचारिवृंद तथा अन्य हितधारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालय में प्रचार करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों/अभिभावकों से दाखिले के समय रैगिंग रोधी से जुड़े शपथपत्र को जमा करने को अनिवार्य बनाया है।

एक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क रैगिंग रोधी हेल्पलाइन 1800–180–5522 आरंभ की गई है, जिस पर रैगिंग संबंधी घटनाओं से पीड़ित छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस हैल्पलाइन को कॉल सेंटर सुविधाओं सहित 12 भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, और क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, आसामी, गुजराती और बंगाली) में रैगिंग के पीड़ित छात्रों की सहायता और ऐसी घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लागू किया गया है। यह हैल्पलाइन शिकायतकर्ताओं/रैगिंग के पीड़ितों से सीधे शिकायतें प्राप्त करती हैं। इस शिकायत को हैल्पलाइन द्वारा संबंधित संस्थानों तथा स्थानीय प्रशासन (थानाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक) को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है। रैगिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगता है। विभिन्न रैगिंग रोधी उपायों का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक रैगिंग–रोधी प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त कथित रैगिंग संबंधी घटनाओं की सभी शिकायतों पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है तथा संबंधित संस्थानों से की गई कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाती है। संस्थानों द्वारा रैगिंग की कथित घटनाओं पर कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में ऐसे संस्थानों के विरूद्ध विनियमनों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। विलम्ब से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर पुनः अनुस्मारक भेजा जाता है और जब कोई कृत कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ की जाती है।

पिछले वर्ष के दौरान, हैल्पलाईन के आरंभ होने से अर्थात् अप्रैल, 2012 से 69 कथित रैगिग रोधी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन शिकायतों को संबंधित संस्थानों के ध्यान में लाया गया है तथा इस संबंध में तत्काल और तुरंत कार्यवाही करने के लिये उनसे अनुस्मारकों तथा कारण बताओ नोटिसों के माध्यम से तत्काल कड़ाई के साथ पत्राचार किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्तर पर 2012–13 के दौरान 38 शिकायतों को निपटाया गया। इसमें से 29 मामलों को अन्य परिषदों को भेजा गया। 02 मामलों में की गई कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो रैगिग की समस्या पर लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय, 2009 के अनुसार संगत दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की जायेगी।

622 विश्वविद्यालय तथा 30,000 महाविद्यालय में विनियमों के अनुपालन के मामलों की देखरेख के लिये दो परियोजना अधिकारी तथा दो परियोजना एसोसियेटों की नियुक्ति की गई है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एडसिल तथा मै. प्लेनेट ई–काम साल्यूॅशन्स प्रा.लि. द्वारा 58.42 लाख रुपए की लागत पर एक रैगिंग रोधी पोर्टल को विकसित करने हेतु 29.3.2011 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये वेब–पोर्टल को माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा 26.07.2012 को आरंभ किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2009 की सिविल अपील सं. 887 में दिनांक 08.05.2009 के निर्णय के माध्यम से छात्रों पर रैगिग के मानसिक प्रभाव का पता लगाने के लिये मनश्चिकित्सक/मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदि की एक समिति का गठन किया तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सभी शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में तत्काल एवं अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपाय करने की सिफारिश की ताकि रैगिंग की घटनाओं से बचा जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भाग में चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों में **रैगिंग की मानसिक सामाजिक अध्ययन** करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक समिति के गठन करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। 05.10.2012 को इस प्रयोजनार्थ 49.12 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई तथा 2456000 रुपए जारी किए गये।

आयोग ने एक समन्वय समूह का गठन किया तथा समन्वय समूह की प्रथम बैठक 16.10.2012 को हुई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिग रोधी हैल्पलाइन के लिये निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक नई एजेन्सी नामतः मै. सायरेक्स एन्फोसर्विस इंडिया प्रा.लि. की नियुक्ति की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 02.06.2012 से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रो. अमन सत्य काचरू न्यास तथा राज काचरू, संस्थापक न्यासी को निगरानी एजेंसी (एनजीओ) के रूप में नियुक्त किया। निगरानी एजेंसी का कार्यकाल को छह माह के लिए बढ़ाया गया तथा एनजीओ/एनजीए हेतु ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) देने के लिये एक विज्ञापन को दिनांक 11.07.2013 को जारी किया गया।

एनजीओ/एनजीए के चयन के लिये 28.03.2013 को एक बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की निबंधन और शर्तों की पुनः जॉच करने व समीक्षा करने का निर्णय लिया गया।

16.04.2013 को एक अतर परिषद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केन्द्र में रखते हुए निगरानी एजेंसी द्वारा विभिन्न परिषदों को सीधे ही भेजा जाना चाहिए। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिषदों को सूचित किया कि शपथ पत्र दाखिल करना एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें स्टाम्प पेपर या किसी नोटरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। छात्र सीधे ही आनॅलाईन जाकर शपथ पत्र डाउॅनलोड कर सकते हैं।

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिग की समस्या पर लगाम लगाने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा संशोधन के पश्चात् दिनांक 10.5.2013 को आयोजित 493वीं बैठक में द्वितीय संशोधन, 2013 को अनुमोदित कर दिया गया।

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिग की समस्या के नियंत्रण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय, 2009 के पश्चात् इसमें मूल विनिमय में निम्नलिखित का लोप किया जायेगा:

''इस शपथपत्र की विषयवस्तु को पढ़ने के पश्चात् दिनांक तथा माह, वर्ष को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर कर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

ओथ कमीश्नर''

उपरोक्त संशोधन को मा0स0वि0म0 तथा विधि मंत्रालय को अनुमोदन हेतु दिनांक 27.05.2013 को भेजा गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिग की समस्या पर नियंत्रण संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय, 2009 के अनुपालन में विभिन्न समितियों का गठन करने के लिये सभी विश्वविद्यालयों को दिनांक 28.06.2013 को एक परिपत्र जारी किया। साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रैगिग की समस्या पर नियंत्रण करने के संबंध में 02.08.2013 को सभी कुलपतियों को एक पत्र भी भेजा गया और उनसे रैगिग के विरूद्ध तख्ती लगाने तथा पर्चे बॉंटने का अनुरोध किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19.07.2013 को उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिग की समस्या पर नियंत्रण करने के संबंध में एक प्रमुख समाचारपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षिक संस्थानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुपालन हेतु दो परियोजना अधिकारी तथा दो परियोजना एसोशियेटों की भी नियुक्ति की।

1 अप्रैल, 2012–13 से प्राप्त रैगिंग–रोधी शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष 2012–13 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	मामले जहां संस्थान द्वारा कृत कार्यवाही के बारे में जानकारी प्रदान की गई है	लंबित मामले	टिप्पणियां
1.	1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013	69	38	2	29 मामलों को अन्य परिषदों को भेज दिया गया है तथा संकाय के विरूद्ध 2 शिकायतों को आगे कार्यवाही करने के लिए अन्य विभाग को भेज दिया गया है।

दो लंबित शिकायतों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुख्य कार्यालय) के एसयू–1 तथा एसयू–2 अनुभाग को भेजा गया है।

1.4 प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रकाशन ब्यूरो विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, यथा वि0आ0आ0 की वार्षिक रिपोर्ट, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, वि0अ0आ0 अधिनियमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सम्मेलन, समितियों की रिपोर्ट, सांख्यिकी रिर्पोटों/प्ररूपों का प्रकाशन करता है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभिन्न लेखन सामग्री का भी प्रकाशन करता है यथा विजिटिग कार्ड, लिफाफे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टी0ए0/डी0ए0 प्रपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिन्दी दिवस प्रमाणपत्रों तथा वार्षिक गोपनीय रिर्पोट (ए0सी0आर0) प्ररूपों का भी प्रकाशन करता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रकाशनों/अन्य मदों के मुद्रणों पर निम्नवत व्यय किया गया।

वर्ष	व्यय (लाख रु0 में)
2008-2009	12.59
2009-2010	9.90
2010-2011	8.08
2011-2012	25.51
2012-2013	7.11

वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए प्रकाशनो के मुद्रणों की सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	प्रतियों की संख्या
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2010–11 (अंग्रेजी)।	1000
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, 2010–11 (हिन्दी)।	500
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक लेखा, 2010–11 (अंग्रेजी)।	100
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक लेखा, 2010–11 (हिन्दी)।	100
5.	उच्चतर शिक्षा एक दृष्टि में – पर डिजीटल प्रिंट तथा फोल्डर की प्रिटिंग।	1500
6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का पुनर्मुद्रण।	500
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों के लेखन सामग्री का मुद्रण (विजिटिंग कार्ड, लैटर हैड तथा लिफाफे आदि)	आवश्यकतानुसार
8	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देश संख्या 3, 49, 51 और 52 का मुद्रण,	प्रत्येक की 1000 प्रतियां
9.	हिन्दी दिवस हेतु प्रमाणपत्रों का मुद्रण	100
10	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष के लिए दीपावली शुभकामना कार्डों का मुद्रण	200
11	वेतनमानों के संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना का पुनर्मुद्रण	500
12	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का पुनर्मुद्रण।	500
13	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का डिजीटल मुद्रण।	100

1.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बजट और वित्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार, अनुदान आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपनी निधि से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुदान आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अनुरक्षण (गैर–योजनागत) तथा विकास (योजनागत) अनुदानों के रूप में निधियाँ आवंटित एव संवितरित कर सकता है ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के मानदण्डों को बनाए रखा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वर्ष 2012–2013 के लिए बजट विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1 : वर्ष 2012–2013 के लिए बजट

क्र.सं.	बजट शीर्ष	योजनागत आबंटन (करोड़ रु0 में)		गैर–योजनागत आबंटन (करोड़ रु0 में)	
		ब0अ0	स0अ0	ब0अ0	स0अ0
1.	सामान्य	6351.15	5639.19	4794.17	4722.96
	कुल	**6351.15**	**5639.19**	**4794.17**	**4722.96**

वर्ष 2012–2013 के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त योजनागत तथा गैर–योजनागत अनुदानों और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जारी किए गये अनुदानों को ब्यौरा तालिका 1.2, 1.3 और 1.4 और 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : वर्ष 2012–2013 के दौरान प्राप्त अनुदान

क्र.सं.	बजट शीर्ष	प्राप्त योजनागत अनुदान (करोड़ रु0 में)	प्राप्त गैर–योजनागत अनुदान (करोड़ रु0 में)
1.	सामान्य	4960.79	4686.78
2.	अव्ययित शेष (2011–2012)	949.40	85.67
	कुल	**5910.19**	**4772.45**

तालिका 1.3 : वर्ष 2012–2013 के दौरान प्राप्त योजनागत और गैर–योजनागत (सामान्य) अनुदान

क्र.सं.	मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान	योजनागत अनुदान (करोड़ रु0 में)	गैर–योजनागत अनुदान (करोड़ रु0 में)
1.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	4960.79	4686.78
2.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली	0.00	0.00
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	45.00	0.00
4.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, नई दिल्ली	66.00	0.00
	कुल	**5071.79**	**4686.78**

तालिका 1.4 : वर्ष 2012–2013 के दौरान संस्थानों को जारी किया गया अनुदान

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	योजनागत अनुदान (करोड़ रु0 में)	कुल योजनागत अनुदानों का प्रतिशत+यूबी
1.	राज्य विश्वविद्यालय	1139.07	19-27
2.	राज्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	335.73	5.68
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2243.17	37.95
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	39.23	0.66
5.	अंर्तविश्वविद्यालय केन्द्र	218.20	3.69
6.	समविश्वविद्यालय संस्थाएँ	120.27	2.03
7.	विविध/विश्वविद्यालयेतर तथा संस्थाएँ	83.36	1.41
8.	छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों हेतु बैंकों द्वारा आर्नलाईन भुगतान	10.81	0.18
9.	क्षेत्रीय केन्द्र	1111.39	18.80
10.	स्थापना	6.17	0.10
	कुल	**5307.40**	**89.77**

तालिका 1.5 वर्ष 2012–2013 के दौरान संस्थानों को जारी किए गए गैर–योजनागत अनुदान

क्र.सं.	संस्थाओं के प्रकार	गैर–योजनागत अनुदान (करोड़ रूपये में)	योजनागत अनुदानों का प्रतिशत+यूबी
1.	निम्नलिखित को अनुरक्षण हेतु		
	(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (यू0सी0एम0एस0 सहित)	3085.20	64.65
	(ख) (i) दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय	1143.71	23.96
	(ii) बी.एच.यू. के महाविद्यालय	27.45	0.58
	ग) सम विश्वविद्यालय संस्थान	247.33	5.18
	घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय	55.47	1.16
2.	राज्य विश्वविद्यालय	12.47	0.26
3.	अंतरविश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्र	69.39	1.45
4	राज्य महाविद्यालय	1.77	0.04
4.	प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	58.25	1.22
6.	प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय कार्यालय)	4.87	0.10
	कुल	**4705.91**	**98.61**

1.6 केन्द्रीय तथा समविश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित सम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में गैर–शिक्षकों के लिए एक समान स्टॅाफ़ पैटर्न पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति (जे.सी.आर.सी.) का गठन किया किया है। इस संयुक्त संवर्ग समीक्षा समिति का उद्‌देश्य एक इन संस्थानों गैर–शिक्षक स्टॅाफ़ (क,ख,ग, और घ समूह) के लिए समान सेवा शर्तो के समग्र ढाँचे की सिफारिश करना है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विचार करने तथा अनुमोदित करने के बाद तीन चरणों में जेसीआरसी की रिपोर्ट मासविम के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत की:–

1. ग्रथांलय सेवा संवर्ग पर रिपोर्ट को दिनांक 18 जनवरी, 2008 के पत्रांक संख्या एफ 23–1/2005(जेसीआरसी) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
2. 15 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों अर्थात (i)प्रशासन/लिपिकवर्गीय सेवाएँ (ii) सचिवालय से जुड़ी सेवाएँ (iii) अतिथिशाला/होटल/कैन्टीन सेवाएँ (iv) परिवहन सेवाएँ (v) स्कूल अध्यापक (vi) सुरक्षा सेवाएँ (vii) स्वच्छता संबंधी सेवाएँ (viii) राजभाषा प्रकोष्ठ (ix) फोटोग्राफ/छायाप्रति संबंधी सेवाएँ (x) संगीत सेवाएँ (xi) खेलकूद/खेल सेवाओं (xii) उद्यान /बागवानी सेवाएँ (xiii) कृषि/पशु चिकित्सा सेवाएँ (xiv)धार्मिक सेवाएँ (xv)शोध/सांख्यिकीय सेवा संबधी रिपोर्ट को 12–06–09 को पत्रांक सं0 एफ. 6–7/97(सीयू/जेसीआरसी) के माध्यम से भेज दी गई है।
3. 8 चिन्हित सेवाओं/संवर्ग ढांचों अर्थात् (i) प्रेस एवं प्रकाशन सेवाएँ (ii) संग्रहालय एवं अभिलेखागार सेवाएँ (iii) तकनीकी/प्रयोगशाला सेवाएं (iv) अभियांत्रिकी सेवाएं (v) कार्यशाला सेवाएँ (vi) विश्वविद्यालय विज्ञान एवं यंत्र केन्द्र (vii) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाए (viii) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) सेवा के संबंध में रिर्पोट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, को दिनांक 23.09.2010 को पत्र संख्या एफ.6–7/97(जे.सी.आर.सी.) के माध्यम से भेज दी गयी है।

उपरोक्त रिर्पोटें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है।

केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना का कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में ए0सी0पी0 योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति का गठन किया है। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय ने विगत में अपने गैर–शिक्षण कर्मचारीवृंदों के विचार किये गये अलग–अलग मामलों के संबंध में एसीपी योजना के संबंध में स्थायी समिति के प्रेक्षणों/सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा तैयार किये गये दिशा–निर्देशों के आधार पर स्वयं एसीपी योजना को लागू कर सकती है। मासविम के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित समय विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली स्थित महाविद्यालयों को अपने गैर–शैक्षिक कर्मचारीवृंदों को एमएसीपी प्रदान करने के लिये दिनांक 09.07.2010 के पत्रांक के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

अर्द्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित सांविधिक निकायों में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को लागू करने के मासविम के अ.शा. पत्र संख्या 2–1/2008–यू.आई.(ए) के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालयों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 03 दिसम्बर, 2009 को पत्रांक संख्या एफ 20–1/2008 (जेसीआरसी) भेजा। मामला मासविम के विचाराधीन है।

उपरोक्त उल्लिखित 21 जाली विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दो और संस्थान हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(ड.) तथा 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। इन दो विश्वविद्यालयों के नाम भारतीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मेनेजमेंट (आईआईपीएम) है। इसलिये, यह दो संस्थान डिग्रियां प्रदान करने में सशक्त नहीं हैं, इन दो संस्थानों के संबंध में न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जाली विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं डालने का निदेश दिया है। उन दो जाली विश्वविद्यालयों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है।

(क) भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, उत्तर प्रदेश

भारतीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 21 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। इसे न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1958 की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2011 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय शिक्षा परिषद का नाम जाली विश्वविद्यालय की सूची की पाद टिप्पणी में डाला था। यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा बीएड/एमएड उपाधियाँ देने के लिये मान्यताप्राप्त नहीं है। भारतीय शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त कोई भी उपाधि रोजगार प्राप्त करने और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये वैध है। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मुक्ता राम डेका और अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य के मामले में वर्ष 2011 की रिट याचिका (सी) सं. 5582 की एक प्रति भेजी है। माननीय न्यायमूर्ति श्री हरिशीकेश राय ने अपने 24.05.2013 के निर्णय में यह घोषणा की कि भारतीय शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त डिग्रियाँ वैध नहीं हैं चूँकि यह एनसीटीई द्वारा अनुमोदित नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 2 तथा एक प्रति भारतीय शिक्षा परिषद्, भारत भवन, मैत्री चिन्हाट, फैजाबाद रोड़, लखनऊ–227150 (उत्तर प्रदेश) को भी भेजी।

भारतीय शिक्षा परिषद ने वर्ष 1991 से न्यायालयों में अनेक मामले दायर किये हैं।

(ख) आईआईपीएम

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मेनेजमेंट (आईआईपीएम) अकादमिक क्रियाकलापों से जुड़ी तथा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत एवं इसके स्थापना मानदण्ड के अनुसार एक विश्वविद्यालय नहीं है। इसे न ही केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम अथवा प्रांतीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है। यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। आईआईपीएम द्वारा पेशकश किये जाने वाले पाठ्यक्रम एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आईआईपीएम का नाम अपनी दिनांक 13.06.2008 की सूची में शामिल कर लिया परंतु बाद में न्यायालय के दिनांक 27.06.2008 के ओदशों के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29.07.2008 को निम्नवत शर्तों के साथ आईआईपीएम का नाम जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची से हटा दिया:–

(1) यह कि आईआईपीएम द्वारा यदि कोई विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रमों का नाम इंगित होगा जिसकी आईआईपीएम छात्रों को पेशकश करेगा जिसमें यह स्पष्ट किया जायेगा कि आईआईपीएम

द्वारा पेशकश किये जाने वाले पाठ्यक्रमों से केवल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एक बेल्जियम (आईएमआई, बेल्जियम) द्वारा जारी एमबीए/बीबीए डिग्री ही प्रदान करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आईआईपीएम बिना यह स्पष्ट किये एमबीए/बीबीए शब्द का विज्ञापन में उपयोग नहीं करेगा कि यह उपाधियां आईएमआई द्वारा प्रदान की जा रही है।

(2) उपरोक्त (1) की एवज में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईआईपीएम का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर 'राज्य–वार जाली विश्वविद्यालयों' की सूची' से हटा देगा।

(3) तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विज्ञापन साथ ही अपने वेबसाईट के माध्यम से यह जागरूकता पैदा करता रहेगा कि आईआईपीएम द्वारा पेशकश किये जाने वाले पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आम जनता/छात्रों तथा अभिभावकों के लिये समाचार पत्रों में विशिष्ट रूप से एक हिन्दी तथा अंग्रेजी में एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है कि आईआईपीएम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 तथा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय नहीं है। आईआईपीएम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22(3) के तहत यथा विनिर्दिष्ट उपाधियां प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अकादमिक सत्र के प्रारंभ में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में आम जनता/छात्रों की जानकारी के लिये 'सार्वजनिक सूचना'/'प्रेस विज्ञप्ति' जारी की साथ ही **फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची** भी जारी की और छात्रों को इन संस्थानों में दाखिला न लेने के लिये सावधान किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आईआईपीएम के न्यायिक प्रकरण के नवीनतम घटनाक्रम यह हुआ कि आईआईपीएम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यालय में सुनवाई का मौका दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईआईपीएम प्रतिनिधियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञों के साथ सितम्बर, 2013 में एक बैठक करेगा।

जन साधारण/छात्रों/अभिभावकों की जानकारी के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाली संस्थानों साथ ही आईआईपीएम के संबंध में नोटिस को अपनी वेबसाईट **www.ugc.ac.in** पर डाला है।

कदाचार रोधी प्रकोष्ठ सभी शिक्षा सचिवों/राज्यों के प्रधान सचिवों को परिपत्र जारी करता है कि वे अपने संबधित राज्यों में चल रहे जाली विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विरूद्ध व्यापार प्रचार करे और उपयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही करे ताकि दाखिला लेने वाले छात्रों के भविष्य को बचाया जा सके। वे छात्रों तथा जन साधारण को भी जानकारी प्रदान करते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आगे चलकर उच्च शिक्षा अथवा रोजगार प्राप्त करने के लिये वैध नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विधिक प्रकोष्ठ जाली विश्वविद्यालय संबंधी न्यायिक प्रकरणों पर कार्यवाही करता है तथा जाली विश्वविद्यालय से संबंधित न्यायिक प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार में होते हैं। वर्ष 2013 में कदाचार रोधी प्रकोष्ठ को वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लिमिटेड, दरियागंज दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा धारा 3 की परिभाषा के तहत एक विश्वविद्यालय नहीं होने के कारण (वाणिज्यिक विश्वविद्यालय लि. का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जाली विश्वविद्यालयों की सूची से नहीं हटाया जा सकता है) तथा भारतीय शिक्षा परिषद् (बीएसपी द्वारा प्रदान की जा रही बीएड की डिग्री का अवैध होना) से संबंधित दो न्यायिक आदेशों की प्रतियां प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसरण में एमपीसी अनुभाग भी जाली विश्वविद्यालयों द्वारा विधिक मामलों में अपनी टिप्पणियां देता है साथ ही प्रकरणों में अपेक्षा अनुरूप संगत कागजात उपलब्ध कराता है।

1.7 वर्ष के दौरान लिये गये मुख्य निर्णय

उच्चतर शिक्षा में समन्वय करने तथा स्तरों को बनाये रखने के अपने मूल कृत्यों के निर्वहन तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष (2012–2013) के दौरान अनेक उपाय किये हैं :

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र स्थापित करने संबंधी) विनियम, 2012**

  शिकायत निवारण के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम अब लागू हो चुके हैं। यह विनियम प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा संस्थान को छात्रों की शिकायतों को तुरंत तथा समय से निपटान करने हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित करने को अनिवार्य बनाता है। यह विनियम छात्रों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये एक लोकपाल की नियुक्ति का भी उपबंध करता है।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012**

  इस प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन) विनियम, 2012 यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी छात्र से जाति, पांति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाये तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

- छात्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के संबंध में दिशानिर्देशों को पृथक रूप से अधिसूचित किया गया है। यह दिशानिर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों तथा संस्थानों को जारी किये गये हैं ताकि वे छात्रों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम सुविधाओं के बारे में समझ सकें।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन तथा प्रत्यायन) विनियम, 2012**

  विनियम के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के लिये अनिवार्य होगा कि वे अपना एनएएसी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित किसी अन्य एजेन्सी से मूल्यांकन तथा प्रत्यायन करवायें।

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग का संवर्धन तथा स्तर का रखरखाव) विनियम, 2012**

  भारतीय तथा विदेशी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने तथा उसे सुव्यवस्थित बनाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग का संवर्धन तथा स्तर का रखरखाव) विनियम, 2012 लागू किया है। यह विनियम सुनिश्चित करेगा कि केवल नामचीन विदेशी संस्थान ही अपने भारतीय प्रतिपक्षियों के साथ सहयोग करें, जो भारतीय संस्थानों को लाभ पहुँचायेगा।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक कर्मचारिवृंदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के प्रथम संशोधन (विनियम 2011) को जारी किया।

  दूसरे, शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक संवर्गों में भर्ती तथा प्रोन्नति हेतु विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट पी0बी0ए0एस0 पद्धति के माध्यम से ए0पी0आई0 स्कोरिंग को आरंभ किये जाने से इस पेशे में शिक्षकों की उपयुक्तता तथा सक्षमता में वृद्धि हुई है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ''बेचलर आफ वोकेशनल'' उपाधि हेतु विनिर्दिष्टताओं के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा इसे वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत सम्मिलित किये जाने को अनुमोदित किया।

- उच्चतर शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में विनियामककारी कार्यकरणों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंप दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा परिषद् जो पूर्व में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की विनियमक थी, उसका विघटन कर दिया गया है तथा अब सभी विनियामक संबंधी कार्यकरणों की देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है।

- ओबामा–सिंह 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल (ओएसआई) कार्यक्रम के निष्पादन हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिये 5 वर्षों की अवधि हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित करने के निर्णय की पुष्टि की। आयोग ने भारतीय पक्ष से प्रस्तावों को आमंत्रित करने तथा आईएसआई कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में (04) प्रस्तावों को अंतिम रूप से अवार्ड करने को भी अनुमोदित किया।

  आयोग ने यथानिर्णित समय अनुसूची के अनुसार अमेरिका में भारतीय स्कालरों को 300 पोस्ट डाक्टारेल अध्येतावृत्ति के अवार्ड को आगे अनुमोदित किया।

  आगे यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि निकट भविष्य में अनक देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग की परिकल्पना की जा रही है, आयोग बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने के लिये बजटीय आवंटनों को पर्याप्त रूप से बढ़ा सकता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जातिगत भेदभाव/उत्पीडन/परिपीडन का निवारण तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना) संबंधी विनियम, 2012 का अनुमोदन किया।

- मा.स.वि. मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्शानुसार रक्षा विभाग तथा रणनीतिक अध्ययन का उन्नयन कर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग करने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के निर्णय का अनुसमय किया। आगे निर्णय लिया कि इस क्रियाकलाप को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता मुहैया करवायी जाए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाइट पर डाला जाये। आयाग ने आगे यह निर्णय लिया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अधिकतम 10 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाये।

- ग्यारहवीं पंयवर्षीय योजना के दौरान प्रचालनाधीन सभी योजनाओं के नए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिये जाने तक बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू रखने जाने का निर्णय लिया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी राज्य विश्वविद्यालय को एक पत्र जारी करने तथा तत्पश्चात् उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अनुरक्षित राज्य निजी विश्वविद्यालय की सूची में शामिल करने के संबंध में मामले पर विस्तार से विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम पर विचार उपरांत इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर किसी राज्य निजी विश्वविद्यालय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर डाला जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर डाली गई जानकारी में अन्य जानकारियों के साथ–साथ यह स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिये कि क्या अमुक विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरीक्षण किया गया है। क्या विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति द्वारा इंगित कमियों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा क्या प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है।

आयोग ने इस बात पर बल दिया कि राज्य विश्वविद्यालय के लंबित सभी निरीक्षणों को विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के छह माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विशेषज्ञों के नामांकन हेतु मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए तथा विशेषज्ञ के एक पूल को तैयार किया जाना चाहिए। आयोग के सभी सदस्यगण निजी विश्वविद्यालयों का दौरा करने हेतु वाली ऐसी दौरा समितियो मे नामांकित किये जाने वाले विशेषज्ञों के नाम भेजने पर सहमत हुए।

आगे निर्णय लिया गया कि निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नवत जानकारी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर अपलोड किया जायेः—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूची में सम्मिलित किये गये निजी विश्वविद्यालयों की संख्या।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निरीक्षण किये गये तथा आयोग द्वारा अनुमोदित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या।

(ग) निरीक्षण किये गये निजी विश्वविद्यालयों की संख्या तथा रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखी गयी परंतु मद को आस्थगित कर दिया गया।

(घ) निरीक्षण किये गये निजी विश्वविद्यालयों परंतु रिपोर्ट आयोग के समक्ष रखा गया।

(ड.) निजी विश्वविद्यालयों की संख्या जिनमें समिति का गठन कर दिया गया है परंतु जिनका दौरा नहीं किया गया।

(च) निजी विश्वविद्यालय जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी को विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं किया।

(छ) निजी विश्वविद्यालयों जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को विहित प्ररूप में प्रस्तुत कर दिया गया है परंतु ब्यूरो द्वारा मामले को संसाधित किया जाना शेष है।

- यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के अंतर्गत महाविद्यालयों को सम्मिलित किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने संबंधी कदम उठाये जाने चाहिये। महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर ऑपलोड किया जाना चाहिये ताकि जानकारी के संबंध में जनसाधारण द्वारा किन्हीं आपत्तियों को दाखिल किया जा सके। इससे महाविद्यालय द्वारा दी जाने वाली गलत जानकारी पर लगाम लगेगी।

- देश में ''नवोन्मेषी विश्वविद्यालय'' तथा ''नवोन्मेषी केन्द्रों'' की स्थापना हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा इस बात पर सहमत हुए कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवोन्मेषी विश्वविद्यालय'' की योजना आरंभ की जाये। यह निर्णय लिया गया कि (क) केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित मौजूदा विश्वविद्यालय (ख) मा.स.वि. मंत्रालय द्वारा गठित टण्डन समिति द्वारा श्रेणी 'क' के तहत श्रेणीवद्ध सम विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालयों का चयन किया जाये। तथापि, स्व–वित्तपोषित सम विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जायेगा।

  इस बात पर सहमति बनी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में चिन्हित उत्कृटता की क्षमता वाले केन्द्रों (सीपीईपीए) का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाम बदल कर ''उत्कृष्टता एवं नवोन्मेष की क्षमता वाले केन्द्र'' किया जाये तथा उन्हें अनुसंधान व नवोन्मेष द्वारा ज्ञान के नवीन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये।

नवोन्मेषी विश्वविद्यालय की योजना संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया। यह निर्णय लिया गया कि आयोग के सदस्य इस पर एक सप्ताह में अपनी टिप्पणियां दे जिन्हें नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों तथा केन्द्र संबंधी विशेषज्ञ समिति के समक्ष उनके विचारार्थ तथा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए रखा जा सके।

यह निर्णय लिया गया कि योजना को महाविद्यालय पर भी लागू किया जाये तथा महाविद्यालय क्षेत्र के लिये भी इसी समिति द्वारा पृथक दिशानिर्देश तैयार किये जायें।

- विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थानों द्वारा संयुक्त नियुक्ति संबंधी योजना के दिशानिर्देशों पर विचार किया तथा उन्हें ''सिद्धांत'' रूप में अनुमोदित किया। आगे यह भी निर्णय लिया गया कि इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के सदस्य एक सप्ताह में अपनी टिप्पणियां प्रो. हसनैन तथा प्रो. डी.एन. रेड्डी को भेज दें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष को संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित करने तथा मामले में आगामी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

- पंडित मदनमोहन मालवीय जी की जन्म की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में पंडित मदनमोहन मालवीय अध्यक्षपीठ की स्थापना की गई तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की तर्ज पर एक अध्यक्षपीठ स्थापित करने को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अध्यक्षपीठों की स्थापना हेतु राजीव गांधी अध्यक्षपीठ संबंधी दिशानिर्देशों को मानक दिशानिर्देश के रूप में अपनाया जाये।

  आगे यह भी निर्णय लिया गया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को राजीव गांधी अध्यक्षपीठ के मॉडल पर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा जाये।

- केवल ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान में एल0एल0एम0 डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने को अनुमोदित किया जिनमें स्नातकोत्तर विधिक अध्ययन केन्द्र मौजूद हैं।

- मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) तथा मालापुरम (केरल) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया।

- ''फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम'' के तहत 200 पदों के सृजन के मुद्दे पर विचार किया तथा उसे अनुमोदित किया। आयोग ने आगे फैकल्टी रिचार्ज कार्यक्रम संबंधी त्रिपक्षीय संगम ज्ञापन के नियम, निबंधन व शर्तों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।

- दिसम्बर, 2012 में आयोजित लेक्चरारशिप हेतु नेट परीक्षा के न्यूनतम अंकों और मानदण्डों पर विचार किया तथा इन्हें अनुमोदित किया। आयाग ने आगे यह भी निर्णय लिया कि परीक्षा देने वाले छात्रों के लाभ हेतु मानदण्ड और न्यूनतम अंकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर डाला जाये। आयोग ने मद संख्या 1.01 (ख) (ii) के तहत यथा इंगित जनवरी, 2013 के माह में नेट परीक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने हेतु विशिष्ट रूप से एक अर्धदिवसीय बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। आगे यह भी इच्छा प्रकट की कि उपसचिव (एनईटी) इसमें निहित मुद्दों को उजागर करते हुए एक स्थिति टिप्पण तैयार करे।

  आगे यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा के तुरंत पश्चात् अभ्यर्थियों को ई–प्रमाणपत्र जारी किया जाये।

- मेटा विश्वविद्यालय से एक प्रस्ताव को संस्वीकृत करने का संकल्प लिया गया। आयोग ने आगे यह संकल्प लिया कि अन्य मेटा विश्वविद्यालयों को विस्तार देने पूर्व मौजूदा मॉडल से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया जाये।

जाली विश्वविद्यालयों की सूची

	बिहार
1.	मैथिली विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
	दिल्ली
2.	कमर्शियल यूनिवर्सिटी,लि0, दरियागंज, दिल्ली।
3.	यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
4.	वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
5.	ए0डी0आर–सैंटिक जूरीडिकल यूनिवर्सिटी,एडी.आर. हाउस, 8–जे गोपाला टॉवर, 25–राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
6.	भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, नई दिल्ली।
	कर्नाटक
7.	बदगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)
	केरल
8.	सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल
	मध्य प्रदेश
9.	केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म0प्र0)
	महाराष्ट्र
10.	राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
	तमिलनाडु
11.	डी0डी0बी0 संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, त्रिचि, तमिलनाडु
	पश्चिम बंगाल
12.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आल्टरनेटिव मेडिसन, कोलकात्ता
	उत्तर प्रदेश
13.	वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ0प्र0)/जगतपुरी,दिल्ली
14.	महिला ग्राम विद्यापीठ / विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग इलाहाबाद(उ0प्र0)
15.	गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद (उ0प्र0)
16.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो काम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर
17.	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़(उ0प्र0)
18.	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा(उ0प्र)
19.	महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)
20.	इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद्, इंस्टिट्यूशनल एरिया, खोड़ा, माकनपुर, नोएडा फेस–2(उ.प्र.)
21.	गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.)

**भारतीय शिक्षा परिषद् लखनऊ, उत्तर प्रदेश – मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।*

2 उच्चतर शिक्षा प्रणाली का विकास : कुछ आँकड़े

आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ज) के अन्तर्गत आयोग द्वारा भारत तथा अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर जानकारी एकत्र करने का अधिकार है और धारा 12(झ) के अन्तर्गत उस विश्वविद्यालय में शुरू की गई विभिन्न शिक्षण शाखाओं अथवा अध्ययन की वित्तीय स्थिति से संबंधित नियमों एवं विनियमों के संबंधित जानकारी को भेजने को कह सकता है जिसमें उस विश्वविद्यालय में ज्ञान–अर्जन की प्रत्येक शाखा के संबंध में शिक्षण और परीक्षा के स्तर सहित सभी नियम और विनियमन शामिल हैं।

स्वतंत्रता के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 महाविद्यालय थे और उच्चतर शिक्षा पद्धति में 2.1 लाख छात्रों और अध्यापकों की संख्या काफी कम थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी की संख्याओं में काफी वृद्धि हुई है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि विश्वविद्यालयों की संख्या में 30 गुना वृद्धि हुई है, महाविद्यालयों की संख्या में 74 गुना वृद्धि हुई है और उच्चतर शिक्षा की औपचारिक पद्धति में छात्रों की भर्ती 100 गुना बढ़ी है। विश्वविद्यालयों अथवा विशेष रूप से महाविद्यालयों जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विकास के बिना छात्र नामांकन और पाठयक्रमों में दाखिले की क्षमता में इतनी वृद्धि कभी सम्भव नही हो पाती। संस्थानों तथा नामांकन में वृद्धि यह दर्शाता है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2012 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के निर्धारित 15 प्रतिशत के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2017) के अंत तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का लक्ष्य 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

2.1 संस्थाएँ

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (31.03.2007) तक देश में 363 विश्वविद्यालय (20 केन्द्रीय, 229 राज्य, 109 सम विश्वविद्यालय तथा 5 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और 21,170 महाविद्यालय थे। 11वीं योजना के अन्त तक (31.03.2012) विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 573 (43 केन्द्रीय, 129 समविश्वविद्यालय एवं 397 राज्य विश्वविद्यालय एवं 4 संस्थान विशेष राज्य विधान अधिनियमों के अंर्तगत स्थापित किए गए थे) और महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 35539 हो गई और इस प्रकार विश्वविद्यालयों की संख्या में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के आकडों की तुलना में महाविद्यालयों की संख्या में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्वविद्यालयों की मौजूदा संख्या 605 (31.03.2013 तक) है तथा महाविद्यालयों की संख्या 37204 है।

जहां तक राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का प्रश्न है तमिलनाडु राज्य सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश तत्पश्चात 56 विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश (43) आदि हैं और **तालिका 2.2** द्वारा यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है।

तथापि, राज्यों में विद्यमान महाविद्यालयों की संख्या में काफी असमानता है, जैसा कि **संलग्नक VII** द्वारा देखा जा सकता है यदि तुलनात्मक रुप से देखा जाए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2008) के आरम्भ के परिशुद्ध आकडों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में (2303) महाविद्यालयों के साथ सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई और इसके बाद राजस्थान (1576), महाराष्ट्र (1473) , आन्ध्र प्रदेश (1286), तमिलनाडु (1113), आदि हैं। यह भी देखा गया कि जो राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हैं तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों की संख्या लगभग नयूनतम ही रही। 31.03.2013 को महाविद्यालयों की संख्या 37204 थी।

वर्ष 2012–2013 के दौरान 1665 नये महाविद्यालयों को स्थापित किया गया और इस प्रकार वर्ष 2012–2013 के 35539 महाविद्यालयों की तुलना में वर्ष 2011–2012 के दौरान महाविद्यालयों की कुल संख्या 37204 हो गई और इस प्रकार इसमें लगभग 4.68 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 30 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को पूरा करने के अधिकाधिक विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों खोलने और मौजूदा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किये गये हैं।

वित्त वर्ष 2012–2013 के अन्त तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अन्तर्गत पिछले साल की 8288 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की तुलना में यह संख्या 8929 थी। इन 8929 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में से 1481 ( ) महाविद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) एवं धारा 12(ख) के अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है उनकी राज्य–वार संख्या निम्नवत है :–

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) एवं 12(ख)	केवल 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (12(ख) के तहत शामिल नहीं)	
1	आन्ध्र प्रदेश	502	94	596
2	अरूणाचल प्रदेश	8	2	10
3	असम	248	29	277
4	बिहार	381	18	399
5	छत्तीसगढ़	144	7	151
6	गोवा	25	4	29
7	गुजरात	406	36	442
8	हरियाणा	162	6	168
9	हिमाचल प्रदेश	54	4	58
10	जम्मू और कश्मीर	82	87	169
11	झारखण्ड	107	11	118
12	कर्नाटक	545	207	752
13	केरल	235	10	245
14	मध्य प्रदेश	403	81	484
15	महाराष्ट्र	1019	166	1185
16	मणिपुर	52	5	57

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महाविद्यालयों की संख्या		कुल
		2(च) एवं 12(ख)	केवल 2(च) के अन्तर्गत सम्मिलित (12(ख) के तहत शामिल नहीं)	
17	मेघालय	29	8	37
18	मिजोरम	21	4	25
19	नागालैण्ड	30	3	33
20	उड़ीसा	410	40	450
21	पंजाब	231	11	242
22	राजस्थान	226	56	282
23	सिक्किम	6	6	12
24	तमिलनाडु	332	105	437
25	त्रिपुरा	19	0	19
26	उत्तर प्रदेश	1194	443	1637
27	उत्तरांखण्ड	55	9	64
28	पश्चिम बंगाल	409	14	423
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	4
30	चण्डीगढ़	18	0	18
31	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32	दमन और द्वीव	1	0	1
33	दिल्ली	79	4	83
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुदुचेरी	13	9	22
	कुल	**7448**	**1481**	**8929**

वर्ष 2012–2013 के दौरान, कुल **605** विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान थे – **281** राज्य , **151** राज्य निजी, **44** केन्द्रीय, **129** समविश्वविद्यालय एवं **चार** ऐसे संस्थान थे जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया था **(परिशिष्ट : I एवं II)** । रिपोर्टाधीन वर्ष, 2012–13 के दौरान कुल मिलाकर, **40** राज्य निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विश्वविद्यालयों की सूची के में शामिल किया गया और **9** विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया। दिनांक 13 अगस्त, 2007 से वि.अ.आ. ने वि.अ.आ. की धारा 2 (च) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना बंद कर दिया है।

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूची में जिन राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया उनका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम
	अरूणाचल प्रदेश
1.	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच–52, नामसाई, जिला लोहित, अरूणाचल प्रदेश
2.	दि इंदिरा गांधी टैक्नोलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरूणाचल प्रदेश
3.	वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी, एटानगर, अरूणाचल प्रदेश
4.	डा. वाई.एस.आर. हार्टीकल्चलर यूनिवर्सिटी, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटारमण्नगपडम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट – 536101, आन्ध्र प्रदेश
	असम
5.	दि असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम
6.	बोडोलैण्ड यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़, पोओ रंगालीखेटा, कोकराजजर, 783370, बीटीसी, असम
7.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीशियल अकादमी, एनइजेओटीआई बिल्डिंग, बी.के. काकाटी रोड़, भोलानाथ मंदिर पथ, उलबेरी, गुवाहाटी – 781007, असम
	छत्तीसगढ़
9.	आईटीएम यूनिवर्सिटी, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला–रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़
10.	कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़
11.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
	गुजरात
12.	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिलेलीटी एण्ड मेनेजमेंट, सूरत, गुजरात
13.	इंदूज यूनिवर्सिटी, इंदूज कैम्पस, रणचारदा, वाया–थालटेज, अहमदाबाद – 382115 – गुजरात
14.	राय यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात
15.	चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण संकुल, सेक्टर – 20, गांधीनगर, गुजरात
16.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गर्वमेंट कॉलेज कैम्पस, नियम महात्मा मंदिर, जी–4, सेक्टर – 15, गांधीनगर, 382016, गुजरात
17.	रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, न्यू मेंटर कारनर, मेघनीनगर, अहमदाबाद – 380016, गुजरात
18.	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्टस, यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 19, पुनीत वेन रोड़, नियम सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस, गांधीनगर, 382019, गुजरात
	हरियाणा
19.	अंसल यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव, हरियाणा
20.	बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा
21.	एमवीएन यूनिवर्सिटी, पलवल, हरियाणा

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम
	हिमाचल प्रदेश
22.	एपीजे (अलख प्रकाश गोयल) यूनिवर्सिटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश
23.	कैरियर प्वॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
24.	आईईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी, बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश
25.	महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, अटल शिक्षा कुंज, जिला–सोलन–174103, हिमाचल प्रदेश
	झारखण्ड
26.	झारखण्ड राय यूनिवर्सिटी, झारखण्ड
27.	साई नाथ यूनिवर्सिटी, रांची, झारखण्ड
	मध्य प्रदेश
28.	ए.के.एस. यूनिवर्सिटी, सतना, मध्य प्रदेश
29.	स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी, सागर, मध्य प्रदेश
30.	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी कैम्पस, कोलोर मार्ग, भोपाल – 462016 मध्य प्रदेश
31.	राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एण्ड आर्टस यूनिवर्सिटी, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर–474009, मध्य प्रदेश
32.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़ ग्वालियर–474002, मध्य प्रदेश
	ओड़ीशा
33.	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा
	पंजाब
34.	आदेश यूनिवर्सिटी, एनएच–7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब
35.	चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी, घारवान, मोहाली – 140413, पंजाब
36.	डी.ए.वी. यूनिवर्सिटी, जालन्धर–पठानकोट नेशनल हाइवे – 44, विलैज, सरमस्तपुर, जालन्धर, पंजाब
37.	गुरू काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी सावो, जिला – भटिंडा, पंजाब
38.	गुरू रविदास यूनिवर्सिटी, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब
	राजस्थान
39.	कैरियर प्वॉइट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान
40.	गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान
41.	जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान
42.	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान
43.	एन.आई.आई.टी. यूनिवर्सिटी, नीमराना, राजस्थान
44.	पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, रामचन्द्रपुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम
45.	संगम यूनिवर्सिटी, भीलवाड़ा, राजस्थान
46.	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान
47.	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 36, एनआरआई रोड़, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर – 3030012, राजस्थान
48.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान
	उत्तर प्रदेश
49.	मोनाड यूनिवर्सिटी, कासमाबाद, पीओ–पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश
50.	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा–लखनऊ बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश
51.	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील – बेहट, सहारनपुर – 247001, उत्तर प्रदेश
	उत्तराखण्ड
52.	डीआईटी यूनिवर्सिटी, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड
53.	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, माक्कवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड
54.	उत्तराखण्ड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, 7–ए, पलेजेन्ट वेली, राजपुर रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड
	पश्चिम बंगाल
55.	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम – 4, सेक्टर–5, सॉल्ट लेक, कोलकाता – 700091, पश्चिम बंगाल
	बिहार
56.	बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबोर, भागलपुर, 813210, बिहार
	कर्नाटक
57.	कर्नाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, 2/106, केएएसएसआईए बिल्डिंग, तीसरा तल, 17वां क्रॉस, मागडी कोर्ड रोड़, विजयनगर, बैंगलोर – 460040, कर्नाटक
	महाराष्ट्र
58.	गोडवाना यूनिवर्सिटी, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र
	तमिलनाडु
59.	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्ट, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली – 620009, तमिलनाडु

2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत निम्नलिखित **9** विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया गया हैः–

1. महात्मा गांधी यूनिवर्सिटल, पानागल, नालगोंडा – 500803, आन्ध्र प्रदेश (पहले इस विश्वविद्यालय का नाम नालगोंडा यूनिवर्सिटी था)
2. वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी, फरीदाबाद – 121006, हरियाणा
3. कवि कालगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, महाराष्ट्र
4. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स–28, कटक – 753001, ओड़ीशा

5. वीर सुरेन्द्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी, पीओ बूरला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला सामबालपुर ओड़ीशा (राज्य विश्वविद्यालय)
6. यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा (राजस्थान)
7. दिल्ली टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)
8. इन्द्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी, नियर गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, फेज–3, नई दिल्ली – 110020
9. भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आईआईटी कैम्पस, प्लॉट नं. 13, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित **5** विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का मौजूदा नाम	विश्वविद्यालय का नया नाम
1.	मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ	ख्वाजा मुईनुद्धीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, लखनऊ
2.	वीआईटी यूनिवर्सिटी,, जयपुर, राजस्थान	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वीआईटी कैम्पस, सेक्टर–36, एनआरआई रोड, सियावास, जगतपुरा, जयपुर–303012, राजस्थान

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की उनके प्रकार–वार संख्या **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1 : 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालय स्तर वाले संस्थानों एवं महाविद्यालयों की उनके प्रकार–वार संख्या

क्र.सं.	संस्थानों के स्वरूप	संस्थानों की संख्या (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	44
2.	राज्य विश्वविद्यालय	300
3.	राज्य निजी विश्वविद्यालय	151
4.	राज्य विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	4
5.	सम–विश्वविद्यालय संस्थान	129
	कुल	**628**
7.	**महाविद्यालय**	**37,204***

नोट: 1) इसमें कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा इंजीनियरिंग / तकनीकी तथा मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं।
2) श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तिरूपति जिसे आंध्र प्रदेश के राज्य विधान अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, राज्य विश्वविद्यालयों में सम्मिलित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार) की धारा 2(च) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों। की राज्यवार संख्या **तालिका 2.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.2: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या: 2012–2013 (31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					
		कुल	केन्द्रीय	राज्य सरकार	राज्य निजी	सम वि.वि.	अन्य*
1.	आंध्र प्रदेश	44	3	33	-	7	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	1	-	3	1	-
3.	असम	13	2	8	3	-	-
4.	बिहार	20	2	15	-	2	1
5.	छत्तीसगढ़	18	1	15	6	-	-
6.	गोवा	1	-	1	-	-	-
7.	गुजरात	39	1	22	14	2	-
8.	हरियाणा	26	1	10	9	6	-
9.	हिमाचल प्रदेश	21	1	4	16	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	9	2	6	-	-	1
11.	झारखण्ड	13	1	7	3	2	-
12.	कर्नाटक	41	1	23	2	15	-
13.	केरल	14	1	11	-	2	-
14.	मध्यप्रदेश	32	2	18	9	3	-
15.	महाराष्ट्र	42	1	20	-	21	-
16.	मणिपुर	2	2	-	-	-	-
17.	मेघालय	9	1	-	8	-	-
18.	मिजोरम	2	1	-	1	-	-
19.	नागालैंड	3	1	-	2	-	-
20.	ओड़ीशा	17	1	12	2	2	-
21.	पंजाब	18	1	8	7	2	-
22.	राजस्थान	57	1	15	33	8	-
23.	सिक्किम	5	1	-	4	-	-
24.	तमिलनाडु	50	2	20	-	28	-

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या					
		कुल	केन्द्रीय	राज्य सरकार	राज्य निजी	सम वि.वि.	अन्य*
25.	त्रिपुरा	2	1	-	1	-	-
26.	उत्तरप्रदेश	57	4	23	19	10	1
27.	उत्तराखण्ड	20	1	7	8	4	-
28.	पश्चिम बंगाल	23	1	20	1	1	-
29.	रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली	21	5	5	-	11	-
30.	चंडीगढ़	2	-	1	-	1	-
31.	पुदुचेरी	2	1	-	-	1	-
	कुल	**628**	**44**	**300**	**151**	**129**	**4**

*अन्य – राज्य विधान अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्थान।

2.2 छात्र नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2012–2013 के दौरान समस्त विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न स्तरों पर पिछले वर्ष के 203.27 लाख के संशोधित आंकडों की तुलना में 215.01 लाख (अनंतिम) छात्रों का नामांकन हुआ। इस प्रकार इसमें 5.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। छात्रों नामांकन वृहद स्तर पर जो प्रवृत्ति पिछले दो दशकों मे देखने में आई है **परिशिष्ट–III** में दी गयी है। इन 215.01 लाख छात्रों में से 93.06 लाख महिला छात्राएँ थीं जो कि इस समस्त संख्या का 43.28 प्रतिशत है जबकि, विभिन्न राज्यों में वर्ष 2012–2013 के दौरान पाई गई कुल छात्र नामांकन और महिला छात्राओं के नामांकन की तुलनात्मक प्रवृत्ति जो **परिशिष्ट –IV** में दर्शायी गई है। परिशुद्ध संख्या के संदर्भ में देखा जाये तो, महिला छात्रों का सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में (33.65 लाख), उसके बाद महाराष्ट्र (24.57 लाख), तमिलनाडु (20.38 लाख) आंध्रप्रदेश (20. 14 लाख), आदि हैं।

स्तर–वार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2012–2013 के दौरान नामांकन स्थिति से पता चलता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में स्नातक पूर्व स्तर पर विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों में अधिसंख्य छात्रों का नामांकन होता है। कालेज तथा विश्वविद्यालयों दोनों में मिलाकर, अस्थायी तौर पर उस स्तर पर 85.90 प्रतिशत छात्र नामांकित होते है। ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रमों (पी0जी0) में प्रवेश लिया हुआ है, उनकी प्रतिशतता 12.15 प्रतिशत रही जबकि शोध हेतु प्रवेश प्राप्त छात्रों की प्रतिशतता बहुत ही न्यून रही अर्थात 0.84 प्रतिशत। इस प्रकार, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कुल छात्रों में से मात्र 1.11 प्रतिशत ने ही प्रवेश लिया।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत छात्रों का सर्वाधिक नामांकन संबद्ध महाविद्यालयों में हुआ था। पूर्व–स्नातक छात्रों में से लगभग 89.50 प्रतिशत और स्नातकोत्तर छात्रों में से 72.35 प्रतिशत छात्र संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकित किये गए जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालयों एवं उनके संघटक महाविद्यालयों में थे। इसके विपरीत 77.02 प्रतिशत शोध छात्र विश्वविद्यालयों से थे। डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की संख्या, संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या से ऊपर ही थी। फिर भी, यह तथ्य, संबंद्ध महविद्यालय जहां पर उच्चतर शिक्षण की नींव रखी जा रही

है, उनमें प्रवेश प्राप्त कुछ छात्रों में से अधिकाशं के उपर ध्यान कन्द्रित किया जाना चाहिए – विशेषज्ञ रूप से सापक्षेता के रूप में छात्रों की पहुंच बनाने में, समानता गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता आदि को प्रोन्नत करने का प्रयास होना चाहिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिशत्ता के दृष्टिकोण से छात्रों का चरणबद्ध वितरण कमोवेश पिछले एक दशक के दौरान अपरिवर्तित ही रहा है। **(परिशिष्ट–V)**

संकायवार नामांकन

शैक्षिक वर्ष 2012–2013 के दौरान छात्रों का अलग–अलग संकायों में नामांकन निम्न प्रकार रहा :

छात्रों के कुल नामांकन (215.01 लाख) में से 37.94 प्रतिशत छात्र कला संकाय में थे, इसके बाद विज्ञान में 18.56 प्रतिशत, वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान में, 17.50 प्रतिशत छात्र थे। इस प्रकार, कुल नामांकन में से 74 प्रतिशत छात्र, कला–विज्ञान एवं वाणिज्य/प्रबंध विज्ञान संकायों में थे, जबकि शेष 26.70 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में थे, जिनमें से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (16.05 प्रतिशत) में प्रतिशतता सर्वाधिक थी और उसके बाद चिकित्सा (3.52 प्रतिशत) आदि पाठ्यक्रम में थी। भारत जेसे देश में जहाँ पर मुख्य और संबद्ध व्यवसाय कृषि है वहाँ पर कृषि पाठ्यक्रमों में नामांकन केवल (0.48 प्रतिशत) और पशु पालन विज्ञान में यह नगण्य, 0.14 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार, यह स्पष्ट संकेत मिलता है जैसा कि संकाय–वार वितरण से स्पष्ट है कि व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक नामांकन का अनुपात लगभग 1:3 रहा, अतः एक उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है इसे युक्तिगत बनाकर विसंगतियों को कम कर सके और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। **(परिशिष्ट – VI)**

2.3 संकाय संख्या

शैक्षिक वर्ष 2012–2013 के दौरान, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या पिछले वर्ष की 9.34 लाख की तुलना में 9.51 लाख थी। 9.51 लाख शिक्षकों में से 82.54 प्रतिशत शिक्षक महाविद्यालयों तथा शेष 17.46 प्रतिशत विश्वविद्यालयों विभागों/विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में हैं। **(परिशिष्ट VIII एवं IX)**

प्रतिशतताओं के आधार पर वर्ष 2012–2013 के दौरान, संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालयों के आंगिक महाविद्यालयों में शिक्षकों की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 2.3: शिक्षकों की कुल श्रेणीवार संख्या : 2012–2013

क्र.सं.	श्रेणी	शिक्षकों की कुल संख्या			
		ए.सी.	यूटीडी/ यूसी	एसी+यूटीडी/ यू.सी. (कुल)	कुल संख्या का प्रतिशत
1	सहायक आचार्य/व्याख्याता	441070	72348	513418	55.48
2	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	91386	18348	109734	11.85
3	रीडर/ सह–आचार्य/ व्याख्याता (चयन ग्रेड)	177733	39251	216984	23.45
4	प्रोफेसर और उनके समकक्ष	56667	28587	85254	9.22
	कुल	**766856**	**158534**	**925390**	**100.00**

ए.सी : संबद्ध महाविद्यालय

यू.टी.डी./यू.सी: = विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग/विश्वविद्यालय आगिंक महाविद्यालय

2.4 शोध उपाधियाँ

विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त शोघ उपाधियों (पी0एच0डी0) की संख्या वर्ष 2010–2011 की 16093 से बढकर वर्ष 2011–12 में 17631 हो गई और इस प्रकार 3.34 प्रतिशत बढत दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान प्रदत्त उपाधियों में विज्ञान संकाय संकाय में प्रदत्त डिग्रियों की संख्या सर्वाधिक थी जो कि 5607 थी, उसके बाद कला संकाय का स्थान रहा, जिसमें 5642 शोघ उपाधियां प्रदान की गईं। कुल प्रदत्त शोघ उपाधियों में से इन दोनों संकायों में प्रदान की गई पी0एच0डी0 उपाधियों की संख्या 63.89 प्रतिशत थी। पेशेवर संकायों में, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संकाय द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। जिसमें कुल 2098 पी.एच.डी. उपाधियां दी गई और इसके बाद 617 पी.एच.डी. डिग्रियों के साथ शिक्षा संकाय, इसके बाद 617 पी.एच.डी. डिग्रियों के साथ चिकित्सा संकाय इसके बाद 564 पी.एच.डी. डिग्रियों के साथ कृषि संकाय है। यह पाया गया कि वर्ष 2010–2011 की तुलना में वर्ष 2011–2012 के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गईं अनुसंधान डिग्रियों की दृष्टि से अनुसंधान क्षेत्रक में थोड़ी बढत का रुझान दिखाई देता है **(परिशिष्ट–X)**। वर्ष 2011–12 के लिए कुल नामांकन की तुलना में अर्जित पीएचडी की डिग्री केवल 0.1 प्रतिशत थी। इसलिए, संस्थानों को वित्तपोषित करके अनुसंधान के संवर्धन की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है।

2.5 उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में वृद्धि

उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में अभिवृद्धि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर अब तक उच्चतर शिक्षा में प्रवेश प्राप्त महिलाओं के संख्या में विशाल अभिवृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं द्वारा प्रवेश की दर जो समस्त प्रविष्ट छात्रों के 10 प्रतिशत से भी कम थी, वही शैक्षणिक वर्ष 2012–2013 के दौरान 43.28 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है।

इस अभिवृद्धि की गति विशेषरूप से पिछले 2 दशकों में तीव्र रही है। जैसा कि **तालिका 2.4** में दिये गए आकड़ों से स्पष्ट होता है, प्रति 100 पुरूषों के मुकाबले में पंजीकृत महिलाओं की संख्या वर्ष 1950–51 की तुलना में वर्ष 2011–12 में लगभग 5 गुना बढी है।

तालिकाः 2.4 प्रति सौ छात्रों पर छात्राओं की संख्या

वर्ष	कुल महिला नामांकन (प्रति हजार)	प्रति 100 पुरुषों पर महिला नामांकन
1950–51	40	14
2012–2013	9306	76.31

2.6 राज्य तथा संकाय–वार महिलाओं के नामांकन का संवितरण

(क) महिला नामांकन का राज्यवार संवितरण

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्यों द्वारा किए गए महिलाओं के नामांकन के संवितरण द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रतिशतता में हुई वृद्धि लगभग न्यून ही रही है। राज्यों में, 60.31 प्रतिशत के साथा गोवा महिलाओं के नामांकन में शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद दमन और दीव (59.11 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके पश्चात केरल (58.24 प्रतिशत), मेघालय (53.82 प्रतिशत) एवं हिमाचल प्रदेश (51.16 प्रतिशत) है। कुल 17 ऐसे राज्य है जिनमें 43.86 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में सर्वाधिक नामांकन प्रतिशत रहा शेष राज्यों में यह राष्ट्रीय प्रतिशतता से कम महिला नामांकन है जो की अरूणाचल प्रदेश में 37.08 प्रतिशत के साथ सबसे कम महिला नामांकन दर्ज किया गया है। केवल संख्या के संर्दभ में देखा जाए तो संख्यावार उत्तर

प्रदेश राज्य ही महिला छात्राओं के नामांकन में शीर्ष पर रह है (14.28 लाख) जिसके बाद महाराष्ट्र (10.76 लाख) और तमिलनाडु (10.02 लाख) आदि है (**परिशिष्ट–IV**)

(ख) संकायवार महिला नामांकन का संवितरण

वर्ष 2012–2013 के दौरान, उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन का संकायवार संवितरण, तालिका 2.5 मे दर्शाया जा रहा है :

तालिका 2.5: संकायवार महिला नामांकन : 2012–2013

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन	कुल महिला नामांकन की प्रतिशतता
1.	कला	3969715	42.66
2.	विज्ञान	1775319	19.07
3.	वाणिज्य / प्रबंधन	1504335	16.16
4.	शिक्षा	442656	4.76
5.	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी	982277	10.55
6.	आयुर्विज्ञान	391057	4.20
7.	कृषि	27812	0.30
8.	पशु चिकित्सा विज्ञान	8073	0.09
9.	विधि	115296	1.24
10.	अन्य	89863	0.97
	कुल जोड़	**9306403**	**100.00**

* अनंतिम

तालिका 2.5 दर्शाती है कि कला संकाय में कुल महिला नामांकन का 42.66 प्रतिशत नामांकन हुआ, जिसके बाद विज्ञान संकाय (19.07 प्रतिशत), वाणिज्य / प्रबन्धन (16.16 प्रतिशत) आदि रहा जो इन तीन गैर–व्यवसायिक संकायों मे समस्त नामांकन का 77. 39 प्रतिशत है। वर्ष 2010–2011 की प्रतिशतता की तुलना में, समस्त संकायों में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता में थोडा सा परिवर्तन है। शिक्षा संकाय, जो जिसमें प्रतिशतता वर्ष 2010–11 की 4.60 प्रतिशत की तुलना में में वर्ष 2011–2012 में 4.94 प्रतिशत थी, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2010–2011 की 11.36 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011–2012 के दौरान 11.06 प्रतिशत आदि था। इसके अतिरिक्त महिला नामांकन में दोहरे अंक में केवल गैर–व्यवसायिक संकायों–कला, विज्ञान, वाणिज्य / प्रबन्धन आदि में रही तथा व्यवसायिक संकायों में यह एकल अंक में ही दर्ज की गई। कृषि एवं पशु विज्ञान संकायों में महिला नामांकन नगणय ही बना रहा।

2.7 महिला महाविद्यालय

निम्न 2.6 तालिका से यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2208 महिला महाविद्यालयों की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक कुल 2058 महिला महाविद्यालय ही स्थापित हुए इस प्रकार स्थापित महिला महाविद्यालयों की संख्या में 93 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 31.3.2013 के अनुसार विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए 4386 महाविद्यालय मौजूद थे।

तालिका 2.6 : 1997–98 से 2012–13 की अवधि के दौरान स्थापित महिला महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	महिला महाविद्यालयों की संख्या
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871
2004-2005	1977
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009	2565
2009-2010	3612
2010-2011	3982
2011-2012	4266
2012-2013	4386*

रेखाचित्र प्रस्तुति

चित्र 1 : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र नामांकन की वर्ष-वार वृद्धि : 1984-85, 2012-2013

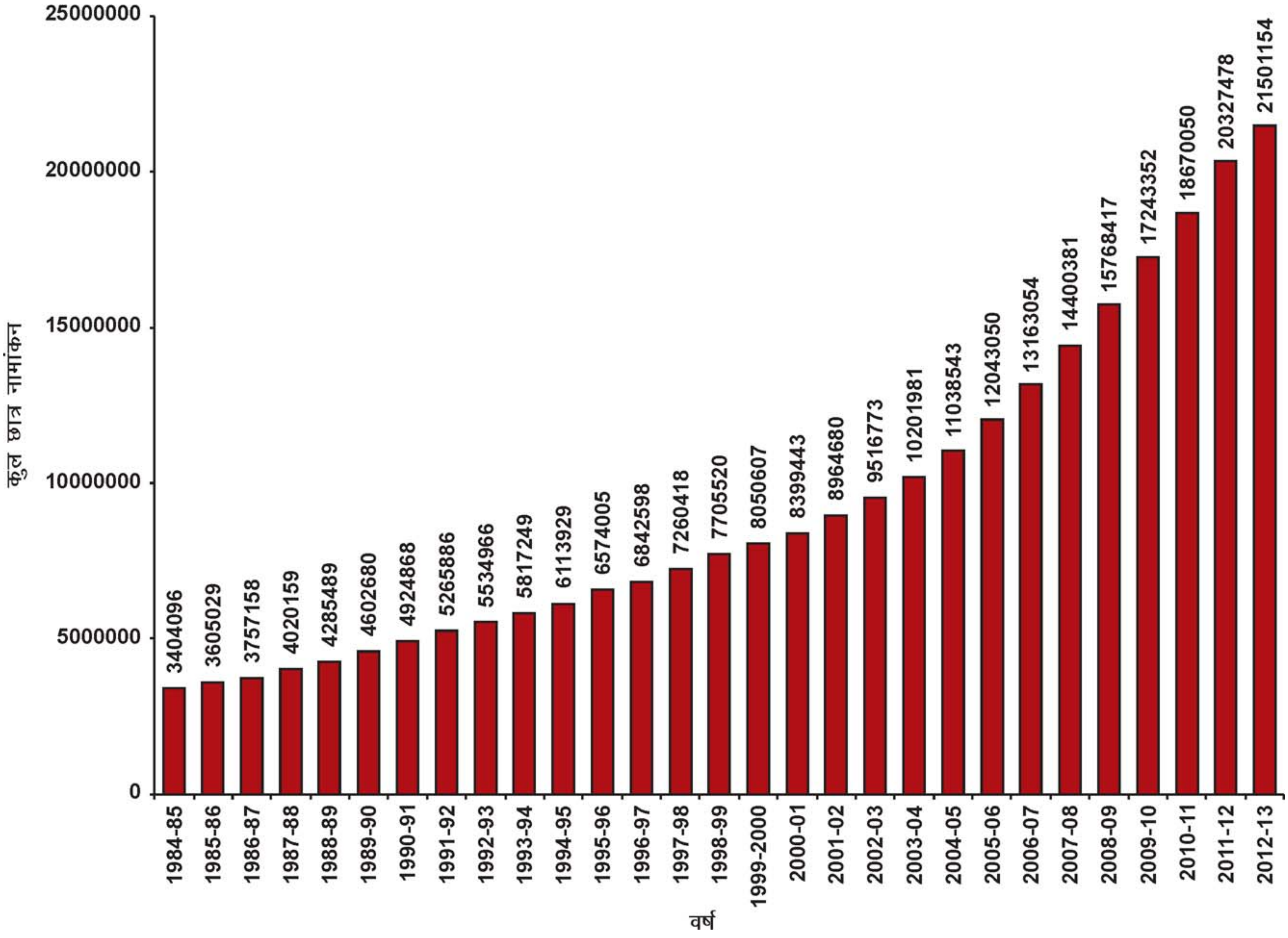

चित्र 2 : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राज्य-वार छात्रों का नामांकन 2012-2013*

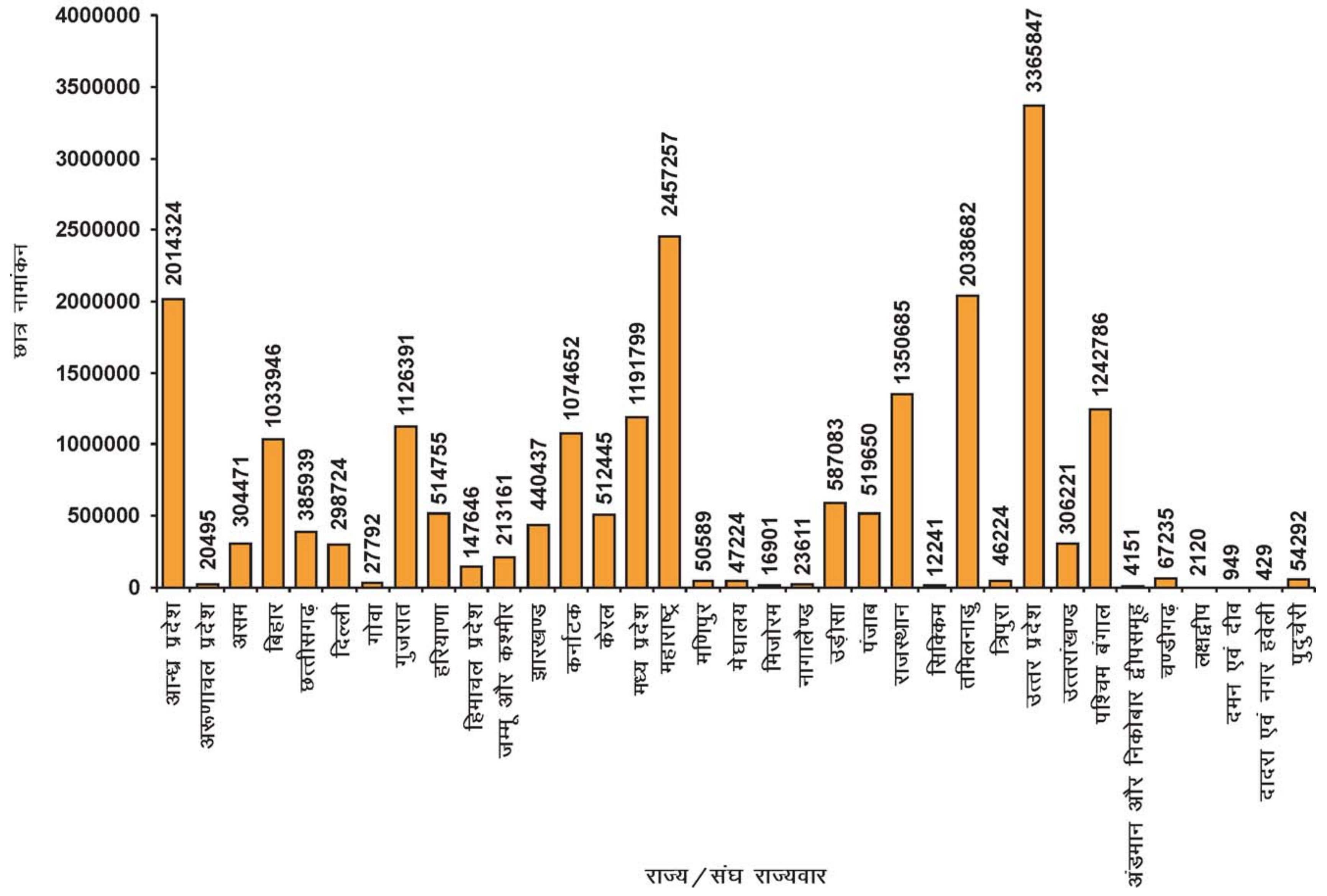

चित्र 2 (क) : विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में लिंग-वार और राज्य-वार छात्रों का नामांकन 2012-2013

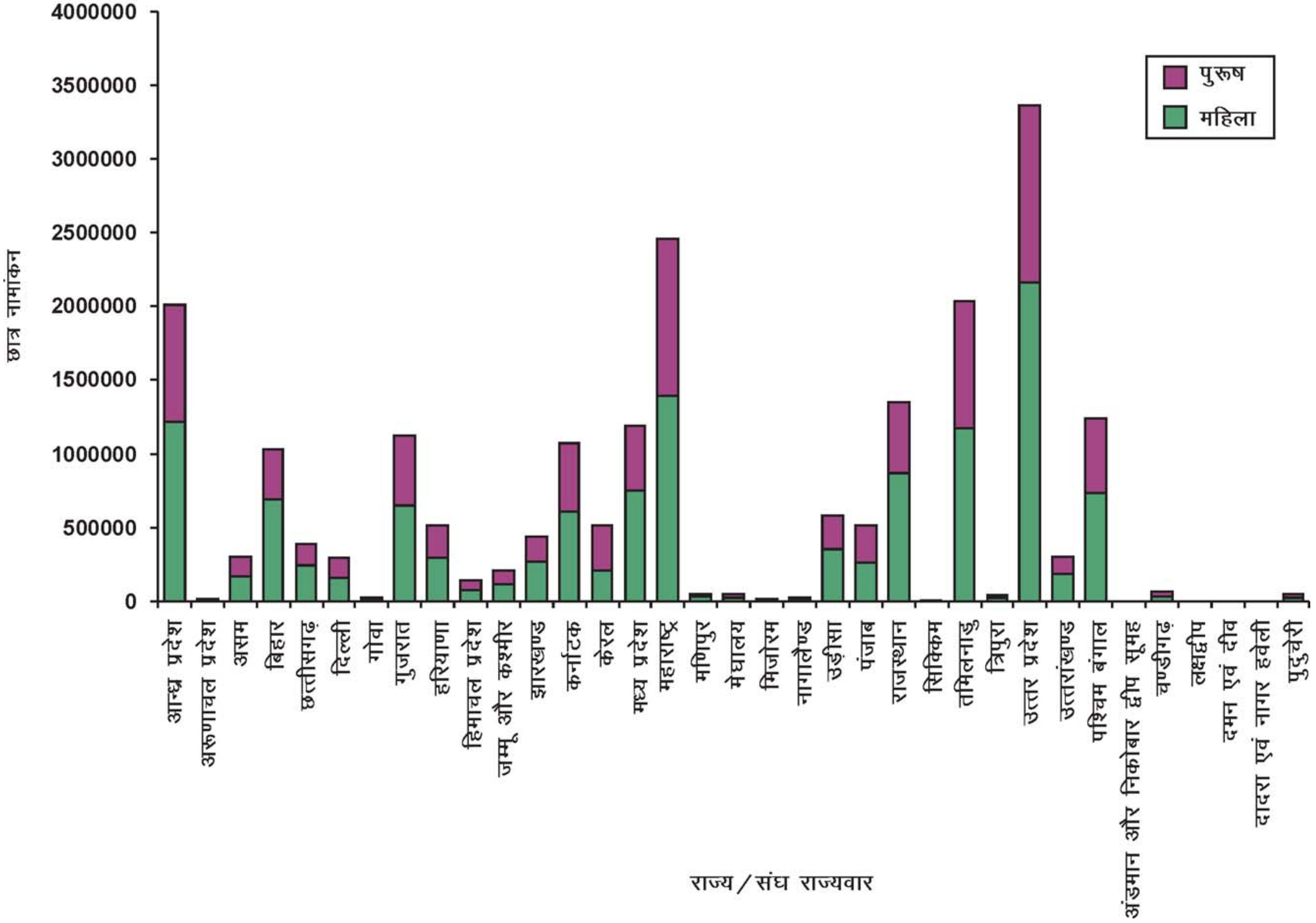

चित्र 3 : वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/विश्वविद्यालय के तहत महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन

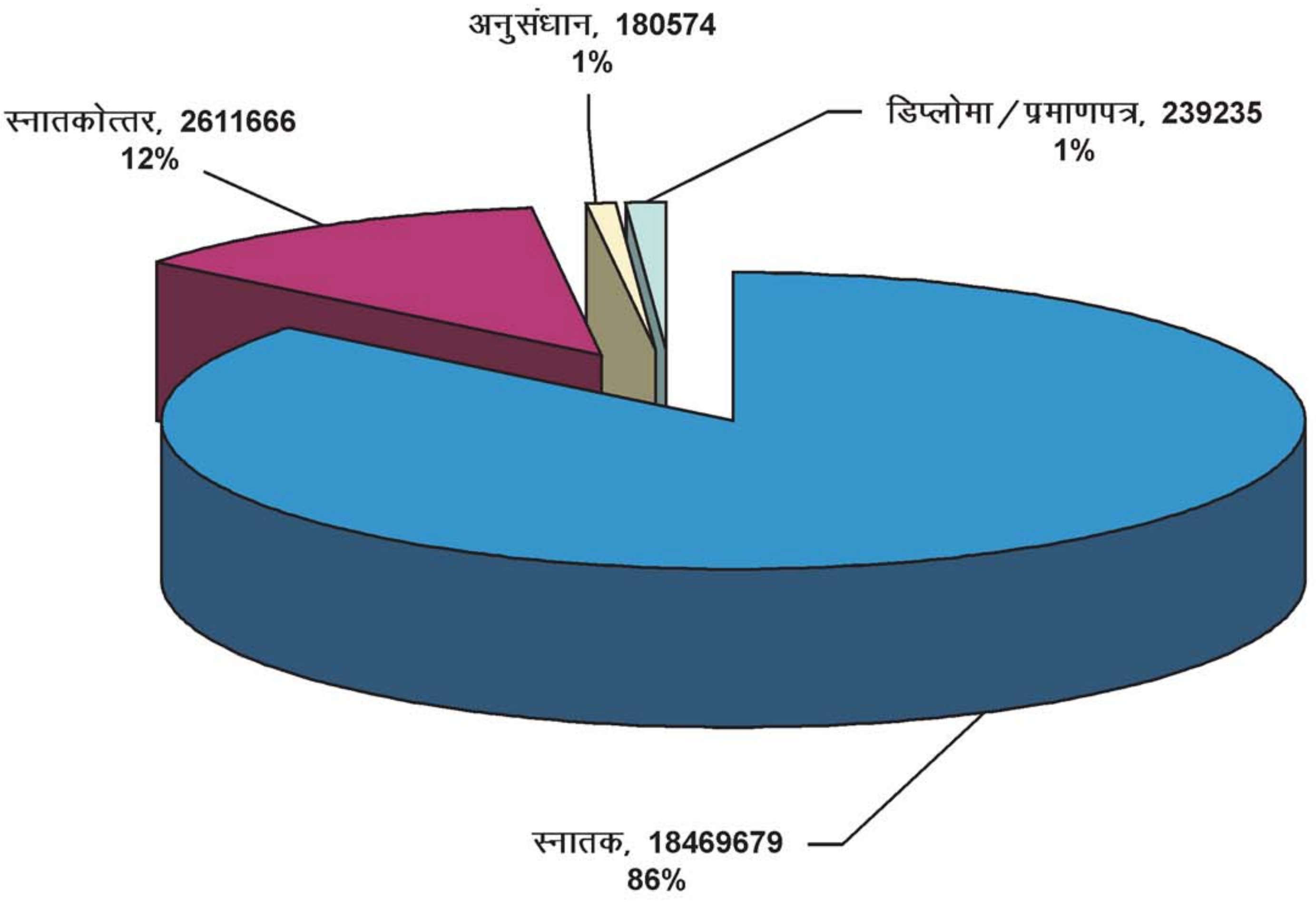

चित्र 3(क) : वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के तहत महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन

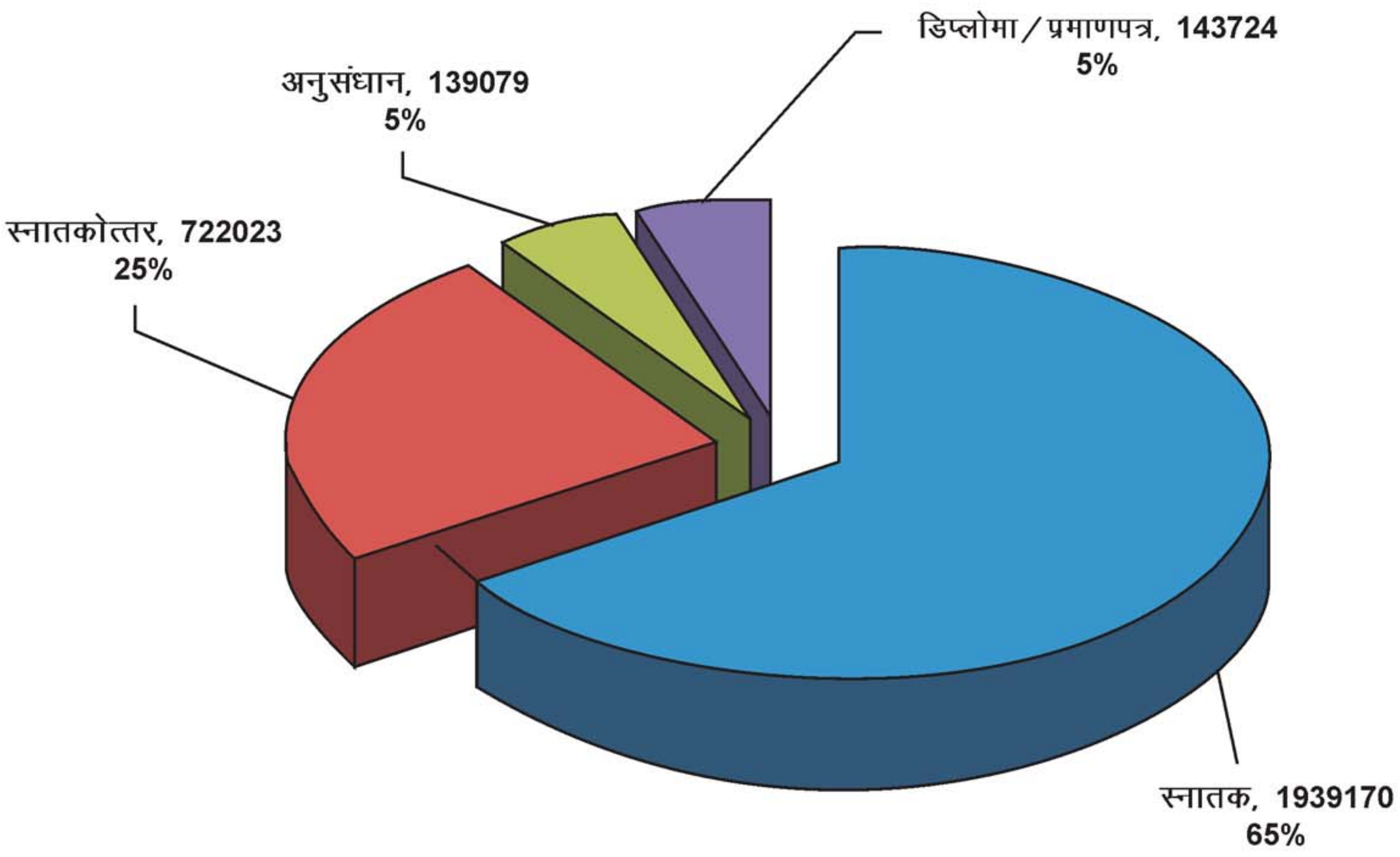

चित्र 3 (ख) : वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्तरवार छात्र नामांकन

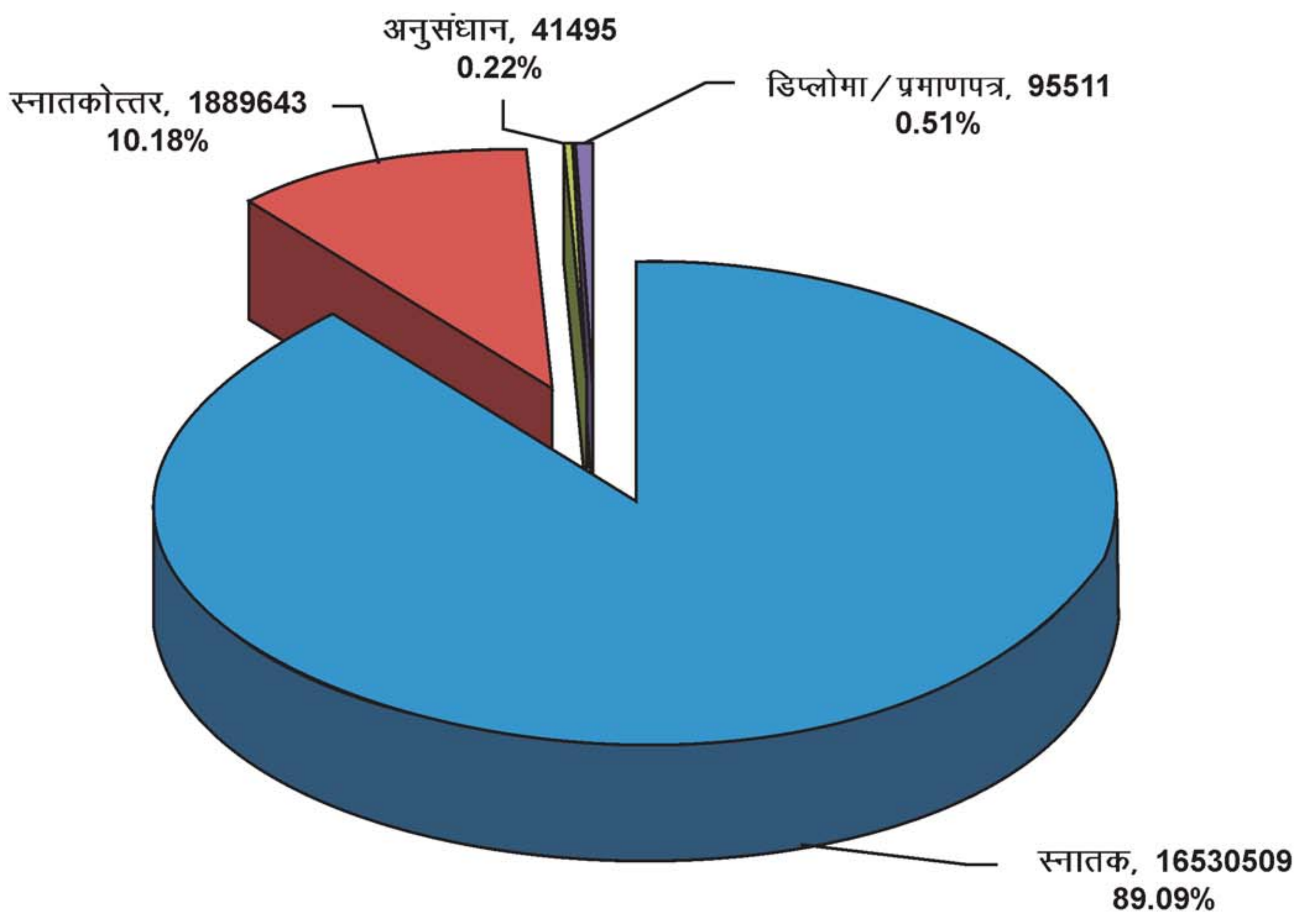

चित्र 4 : वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकायवार छात्र नामांकन

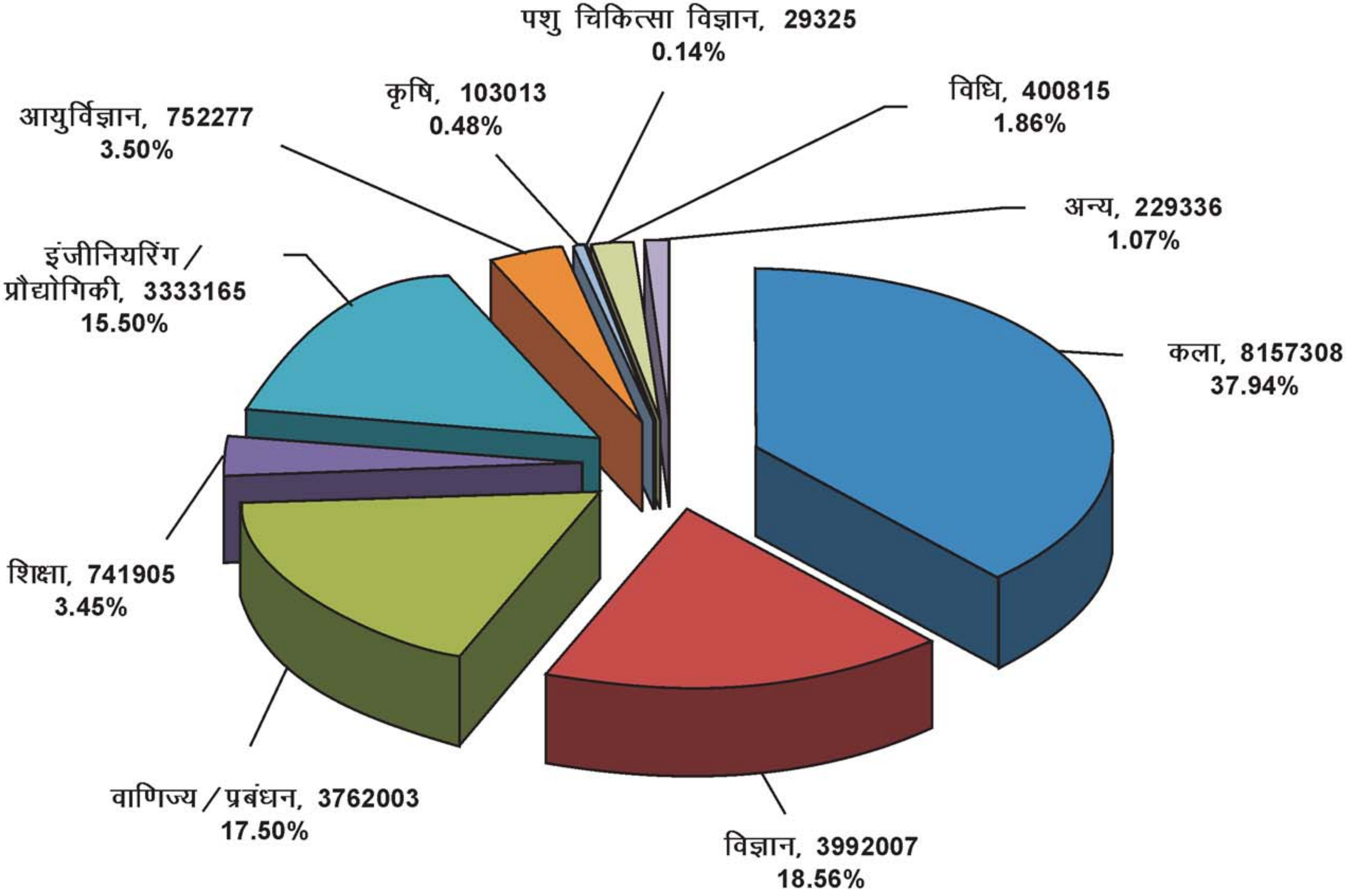

चित्र 5 : महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या : 2012-2013

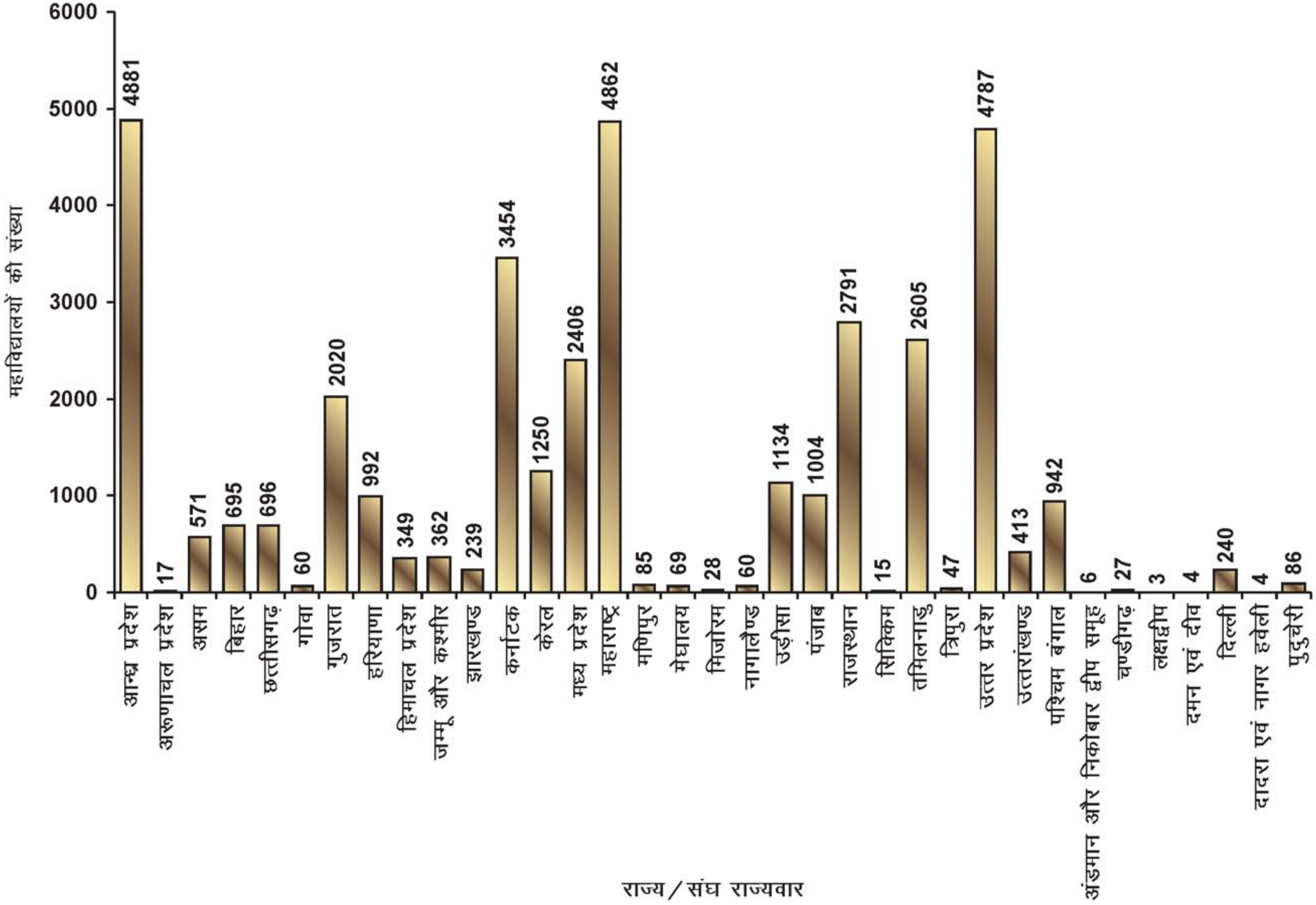

चित्र 6 (क) : स्तर-वार शिक्षण स्टॉफः विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालयों से संबधित महाविद्यालय : 2012-13

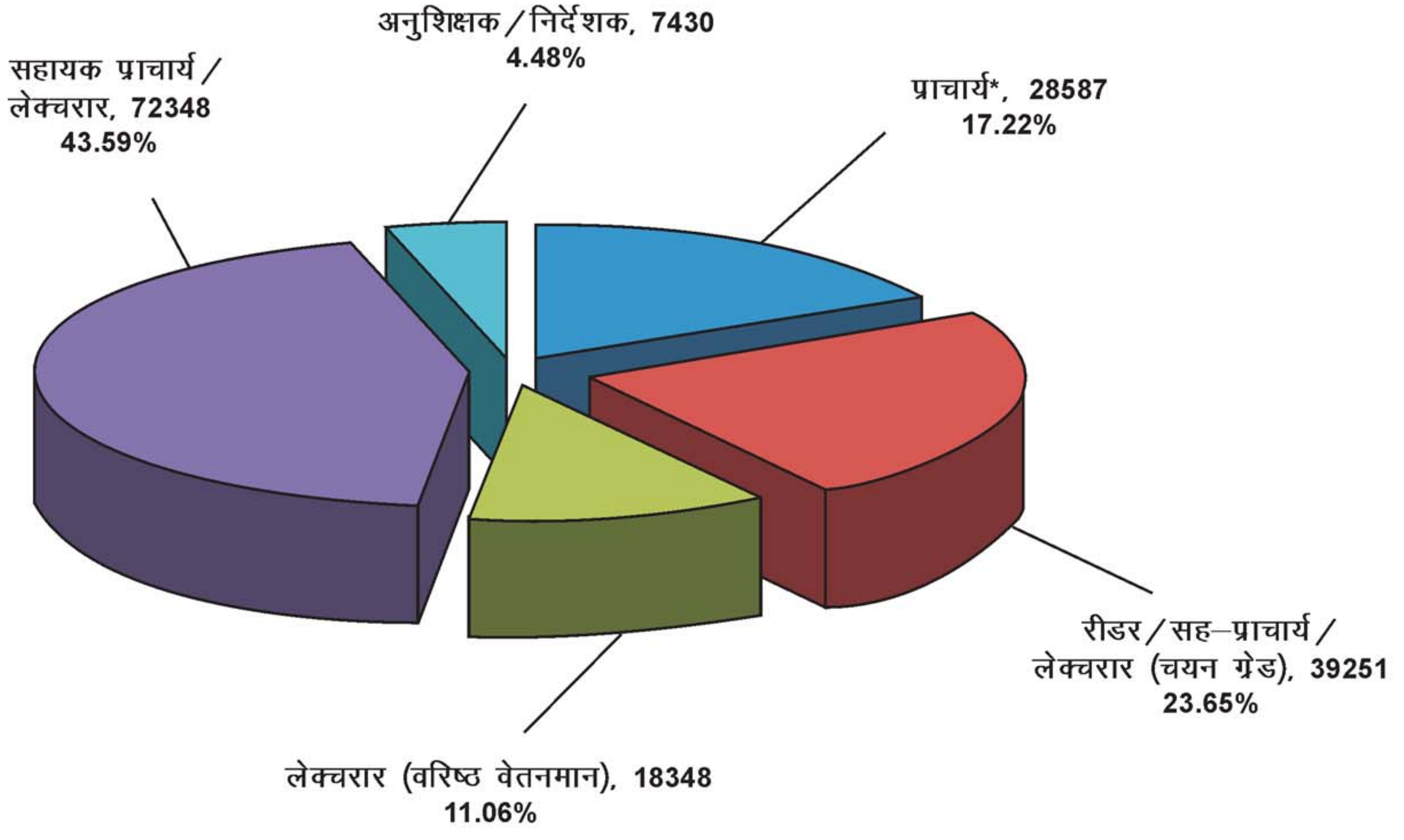

चित्र 6 (ख) : स्तर-वार शिक्षण स्टॉफ : संबंद्ध महाविद्यालय : 2012-2013

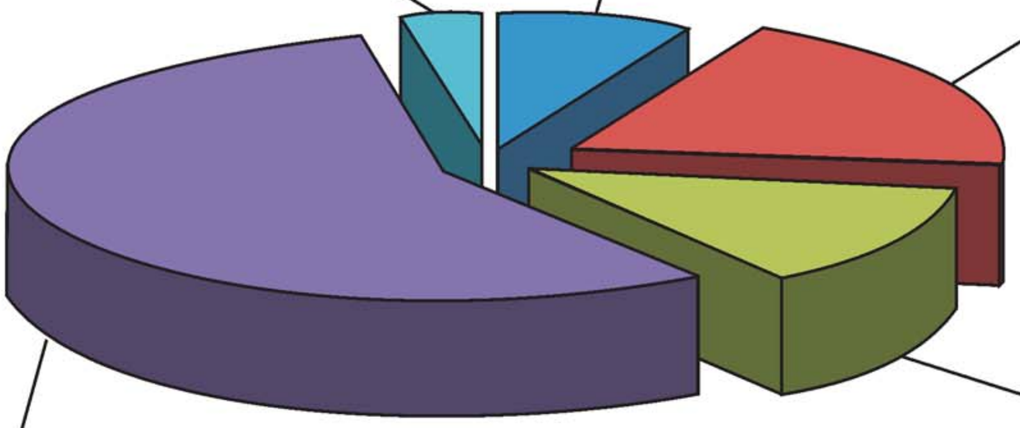

चित्र 7 : वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संकायवार महिला छात्रों का नामांकन

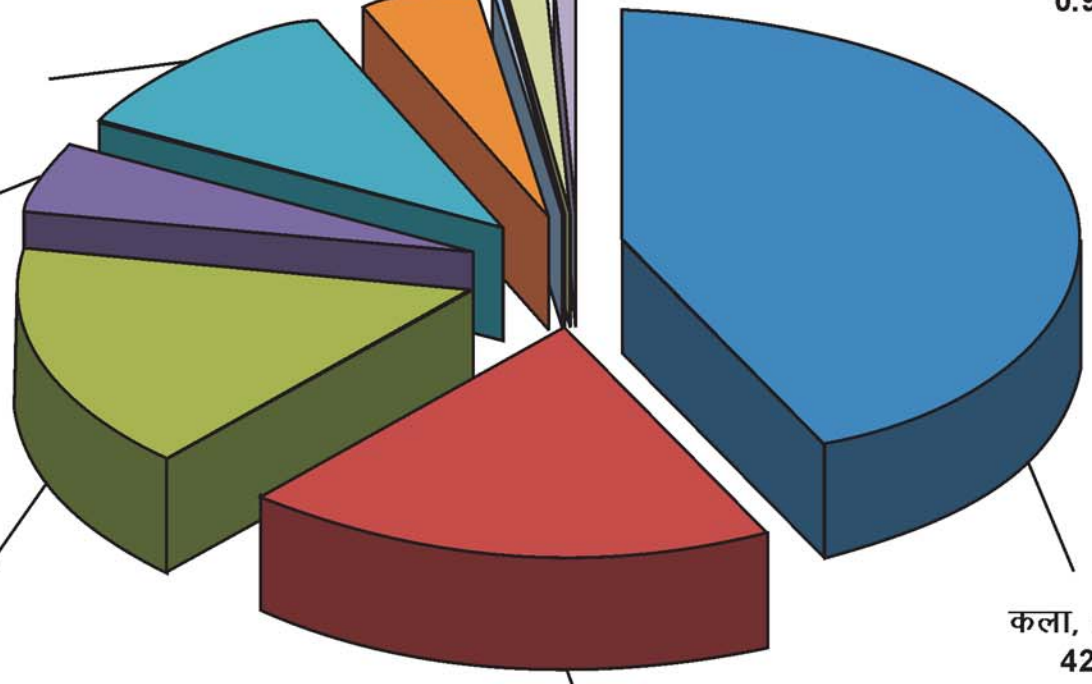

3 विश्वविद्यालय को विकास (योजनागत) और अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

3.1 विश्वविद्यालयों को सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय और सम विश्वविद्यालयों को योजनागत (विकास) और गैर–योजनागत (अनुरक्षण) दोनों अनुदान प्रदान करता रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए सहायता केवल विकास (योजनागत) के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जा रही है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को निर्धारित परिव्यय के आधार पर एवं विश्वविद्यालयों हेतु सामान्य योजना विकास अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है और विश्वविद्यालयो को संसूचित किया जाता है। यह परिव्यय, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए चालू रहेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पहुँच बढ़ाने, समानता सुनिश्चित करने, संगत शिक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता में सुधार करने, अपने विश्वविद्यालय के प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने, अधिकाधिक संकाय सुधार कार्यक्रम चलाने, छात्रों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करने सहित पहलुओं को कवर करते हुए सामान्य योजना विकास सहायता के अंतर्गत प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सहायता देता है।

12वीं योजना अवधि के दौरान, इन उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों की अवसंरचना, स्टॉफ, उपस्कर पुस्तकों और जर्नलों, पुस्तकालयों आदि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य योजना विकास अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

(क) केंद्रीय विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि0अ0आ0) विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान योजना सहित, विकास (योजना) और अनुरक्षण (गैर–योजनागत) दोनों ही प्रकार की सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्तमान में ऐसे 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 5 विश्वविद्यालय नामतः (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, (iii) इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चिन्नई (iv) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (v) नालन्दा विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता है। इस प्रकार 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को योजना (विकास) तथा वि.अ.आ. की एक अन्य विशेष योजना के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 3 नये परिवर्तित एवं एक चिकित्सा महाविद्यालय सहित पुराने 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे है। विश्वविद्यालयों के नामों की सूची नीचे दी गई है :

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	अरुणाचल प्रदेश
1	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्सए पीओ दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791112
	असम
2	असम विश्वविद्यालय, पीओ असम विश्वविद्यालय, सिलचर–788011
3	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सानीतपुर, पो0 बा0 न0 72, नाप्पम, तेजपुर, असम–784001

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	आंध्र प्रदेश
4	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500046
5	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबौली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश–500032
6	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ओ0यू0 कैम्पस, हैदराबाद आंध्र प्रदेश –500007
	दिल्ली
7	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली–110025
8	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली–110007
9	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110067
10	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11	साउथ एशियन यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली
	मध्य प्रदेश
12	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
	महाराष्ट्र
13	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पो0बा0न0 16,पंचटीला, उमरी ग्रामए अरवी रोड, वर्धा, मुंबई–442001
	मिजोरम
14	मिजोरम विश्वविद्यालय, पो0बा0न0190, आईजवाल, मिजोरम–796009
	मेघालय
15	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, नेहू कैम्पस , शिलांग, मेधालय–793022
	मणिपुर
16	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर–795003
17	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर
	नागालैंड
18	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमनी, नागालैंड–797001
	पुदुचेरी
19	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, आर0 वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुदुचेरी, पुदुचेरी–605014
	सिक्किम
20	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा माईल, समदोर, पी0ओ0 तडोंग गंगटोक,सिक्किम–737102
	त्रिपुरा
21	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरत्तला, त्रिपुरा–799130
	तमिलनाडु
22	इंडियन मैरीटाइम विश्वविद्यालय, चेन्नई

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	उत्तर प्रदेश
23	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202002
24	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडका विश्वविद्यालय, विद्या विहार, राय बरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226025
25	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश–221005
26	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश–211002
	पश्चिम बंगाल
27	विश्व भारती, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल–731235
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय
	उत्तराखंड
28	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर,गढवाल–246174
	तमिलनाडु
29	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, केयर ऑफ कलेक्टरेट अनेक्सी, तिरुवरूर, तमिलनाडु–610001
	राजस्थान
30	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8, बंडार सिन्दरी, जिला अजमेर–305801, राजस्थान
	पंजाब
31	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय,डी0–13,सिविल स्टेशन, भटिंडा–151001
	ओडीशा
32	ओडीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड बिल्डिंग, लाडीगुडे, कोरापुट,ओडीसा
	मध्य प्रदेश
33	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश –470003
	केरल
34	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय,ढ ीकेएम टावर, नयनमाड मूला, विद्यानगर, पी0ओ0, कासरगोड–671123
	कर्नाटक
35	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, करया सौध, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा–585106
	झारखंड
36	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बी रोड, रांची, 601, मारू टावर, कनकी रोड, रांची, झारखण्ड–834008
	जम्मू और कश्मीर
37	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुरैशी मंजिल, 50– नसीमाबाद, सदरबल, श्रीनगर–190006
38	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8/8 त्रिकुटा नगर, जम्मू–180012
	हिमाचल प्रदेश
39	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पी0ओ0 बाक्स न021, धर्मशाला, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश–176215

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम
	हरियाणा
40	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम जन्त–पाली, जिला–महेंद्रगढ़–123029, हरियाणा
	छत्तीसगढ़
41	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़–495009
	बिहार
42	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी कैम्पस, पीओ–बी0वी0 महाविद्यालय,पटना–800014
43	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर,जिला–नालन्दा–803116, बिहार
	गुजरात
44	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्लाट न0 95/1, सेक्टर–2ए,गांधीनगर –382007

योजनागत अनुदान

1. सामान्य विकास अनुदान

मेडिकल कॉलेजों एवं इनसे जुड़े अस्पतालों सहित 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास हेतु, योजनागत अनुदान दिया गया है। विकास सहायता का उद्धेश्य न केवल विश्वविद्यालय की विद्यमान आधारभूत संरचना में सुधार करना और उसका समेकन करना है बल्कि कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत ब्लॉक अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय को सामान्य विकास सहायता मुहैया करवाई जायेगी। विश्वविद्यालय के लिए भवन के निर्माण/नवीकरण के लिए (जिसमें विरासत भवन का नवीकरण शामिल है) कैम्पस विकास स्टॉक, पुस्तकें एवं जर्नल, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अवसरंचना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा, नवोन्मेषी शोध क्रियाकलाप, विश्वविद्यालय उद्योग संबंध, विस्तार क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य परिचर्या, छात्रावास, सहित छात्रों को सुविधाएं, छोत्रों को गैर–एनईटी अध्येतावृत्ति, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशाला, प्रकाशन अनुदान, विजिटिंग प्रोफेसर/विजिटिंग अध्येता की नियुक्ति तथा कैरियर एवं परामर्शदाता प्रकोष्ठ की स्थापना, दिवसीय देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिये मूलभूत सुविधाएं तथा संकाय विकास कार्यक्रम आदि के लिये होगी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं की परिसंकल्पना को समाप्त कर दिया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमेलित योजनाओं के तहत कोई पृथक अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

निम्नवत योजनाएं जो पूर्व में आमेलित योजना का भाग थीं उसे अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा तथा इन योजनाओं के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पृथक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

(i) समान अवसर प्रकोष्ठ।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु उपचारी अनुशिक्षण।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये अनुशिक्षण।

(iv) सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं।

(v) निशक्त व्यक्तियों हेतु योजना।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) तथा महिलाओं के लिये छात्रावास योजना की एक स्वतंत्र योजना लागू की जायेगी और अब यह आमेलित योजना का भाग होगी।

एनकोर नामक एक योजना जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था अब यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य विकास सहायता योजना का भाग होगी। इस योजना के लिए कोई पृथक वित्तपोषण उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत हेतु भी निधियां उपलब्ध करवाई हैं:—

सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सच्चर समिति रिपोर्ट मे शिक्षा क्षेत्र के संबंध में अनेक सिफारिशें की है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्य योजना तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्री मो0 ए.ए. फातमी, राज्य मत्री, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। माननीय मानव संसाधन मंत्री ने फातमी समिति की रिपोर्ट उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर ली हैं।

फातमी समिति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के बारे कतिपय विशिष्ट सिफारिशें की हैं।

वर्ष 2012—13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए 10.00 करोड़ रुपये राशि जारी की है।

भारत सरकार ने मल्लापुरम (केरल) तथा मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो केन्द्र स्थापित किये हैं। वर्ष 2012—13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन दो केन्द्रों के लिये 50.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की है (इन दो केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र के लिये 25.00 करोड़ रुपए)

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमियों की स्थापना

विश्वविद्यालय उपचारी अनुशिक्षण एवं सेवाओं में प्रवेश की योजनाओं के वाछिंत प्रभाव प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और जामिया मिलिया इस्लामियां में अल्पसंख्यकों/अनु.जा./अनु.ज.जा. और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना की गई थी।

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी का उद्धेश्य समान उन्नति के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हो सके तथा निःशुल्क/नाममात्र शुल्क/बिना शिक्षण शुल्क पर छात्रावास की सुविधा प्रदान कर केन्द्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उपर्युक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को निःशुल्क शिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सके।

इस योजना के तहत आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान दी गई वित्तीय सहायता निम्नवत् हैः—

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आबंटन	ग्यारहवीं योजना के दौरान जारी किया अनुदान
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1328.78	664.39
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	750.00
3	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	414.39
4.	डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	539.39
5.	जामिया हमदर्द	1395.38	1385.38
	जोड़	**6131.72**	**4209.44**

अध्यक्षपीठ

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यक्षपीठों की स्थापना की स्थिति

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	अध्यक्षपीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष	जारी किया गया अनुदान
1.	राजीव गांधी अध्यक्षपीठ	एनईएचयू	2005-2006	40,00
		दिल्ली विश्वविद्यालय		20,00
		इलाहाबाद विश्वविद्यालय		40,00
2.	मोती लाल नेहरू अध्यक्षपीठ,	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	2012-2013	-
3.	बाबा सतगुरू रामसिंह अध्यक्षपीठ	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2012-2013	-
4.	बैरिस्टर एम.के. नांबियार अध्यक्षपीठ केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2012-2013	-
5.	पंडित मदनमोहन मालवीय अध्यक्षपीठ	बीएचयू	2012-2013	150.00
6.	जनजातीय अध्ययन हेतु अध्यक्षपीठ	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	2012-13	-
		हैदराबाद विश्वविद्यालय		
		नार्थ ईस्ट्रन हिल यूनीवर्सिटी		
		ओडीशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
		हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
7.	बाबू जगजीवन राम अध्यक्षपीठ	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	-	-
8.		बी.एच.यू.,	2006-07	
9.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सम्मान में शांति अध्ययन तथा विवाद प्रबंधन अध्यक्षपीठ	हैदराबाद विश्वविद्यालय,	-	-
10.	शंकरादेव अध्यक्षपीठ	तेजपुर विश्वविद्यालय	2012-13	-

क्र. सं.	अध्यक्षपीठ का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष	जारी किया गया अनुदान
11.	मौलाना अबुल कलाम अध्यक्षपीठ	एमएएनयू	2011-12	20,00
		जामिया मिलिया इस्लामिया वि0वि0	2011-12	20,00
12.	श्री लाल बहादुर शास्त्री अध्यक्षपीठ	बीएचयू	2008-2009	750.00
		दिल्ली विश्वविद्यालय	2005-06	
13.	असमिया अध्यक्षपीठ	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	2007-2008	-

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम चार विशिष्ट विज्ञान विषयों के अध्येदाओं के शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का विशेष मानदेय प्रदान करने की योजना आरंभ की है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है अथवा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित चार अकादमियों में से कम से कम दो विषयों के अध्येता हों।

1. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद
2. भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलूरू
3. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली
4. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान इंजीनियरी अकादमी, नई दिल्ली

कोई शिक्षक स्वयं केवल एक मानदेय प्राप्त कर सकता है अर्थात् या तो सीएसआईआर से भटनागर पुरस्कारधारक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के माध्यम से पुरस्कार धारक।

वर्ष 2012–13 के दौरान योजना के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 57.77 लाख रुपए जारी किये गये थे।

उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास के लिए केन्द्र की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उर्दू माध्यम के अध्यापकों के पेशेवर विकास हेतु केन्द्र की स्थापना करने के लिए उन्हीं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया को निधियां उपलब्ध करवा रहा है। इन विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान की स्थिति निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

विश्वविद्यालय का नाम	आवंटन	2011–12 के दौरान जारी अनुदान	ग्यारहवीं योजना के दौरान अब तक जारी अनुदान
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	400.00	शून्य	376.00
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	400.00	170.00	370.00
जामिया मिलिया इस्लामिया	400.00	शून्य	200.00

लाभार्थियों की संख्या (विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/नुसूचित जनजाति आदि) सहित लक्षित समूह की कवरेज

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या = 39

	कुल	मौजूदा	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	शारीरिक रूप से निशक्त
शिक्षण कर्मचारिवृंदो की संख्या (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)	16080	9928	777	351	592	90
गैर–शिक्षण कर्मचारिवृंदो की संख्या (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)	33242	24933	2614	1565	1928	183
छात्र नामांकन	**कुल**	**महिला**	**अ0जा0**	**अ0ज0जा0**	**अ0पि0व0**	**शारीरिक रूप से निशक्त**
(31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)	196050	77370	23237	18012	43306	1607

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के दौरान प्रदत्त अनुदान

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सामान्य विकास अनुदान के तहत अलग–अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय को जारी अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007–12) के दौरान जारी अनुदान (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)						
		सामान्य विकास अनुदान	आमेलित योजनाएं	गैर–नेट, पी.एच.डी. एवं एम.फिल. को अध्येतावृति	कुल (4+5+6)	अ.पि.व. अनुदान	अन्य योजनाओं के तहत जारी अनुदान	कुल योग (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
	आंध्र प्रदेश							
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	11249.50	617.50	313.47	12180.47	867.00	5332.28	18379.75
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय	13837.50	599.16	1750.00	16186.66	15380.00	6698.36	38265.02
3	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	14300.00	342.29	500.00	15142.29	1325.00	30.00	16497.29

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)						
		सामान्य विकास अनुदान	आमेलित योजनाएं	गैर–नेट, पी.एच.डी. एवं एम.फिल. को अध्येतावृति	कुल (4+5+6)	अ.पि.व. अनुदान	अन्य योजनाओं के तहत जारी अनुदान	कुल योग (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	छत्तीसगढ़							
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	11656.48	0.00	0.00	11656.48	0.00	1500.00	13156.48
	दिल्ली							
5क	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	16000.00	520.50	1700.00	18220.50	96964.00	10950.00	126134.50
5ख	यूसीएमएस	2286.75	32.94	0.00	2319.69	2324.00	225.53	4869.22
6	जामिया मिलिया इस्लामिया	17650.00	597.35	1350.00	19597.35	0.00	11176.06	30773.41
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	14581.25	565.30	4000.00	19146.55	15753.00	1900.00	36799.55
	मध्य प्रदेश							
8	डा0 हरि सिंह गौड वि0वि0	10183.08	0.00	0.00	10183.08	0.00	500.00	10683.08
9	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	13300.00	50.00	4.00	13354.00	0.00	0.00	13354.00
	महाराष्ट्र							
10	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	6605.00	249.50	350.00	7204.50	505.00	3000.00	10709.50
	पुदुचेरी							
11	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	12350.00	1223.25	1050.00	14623.25	9642.00	5338.12	29603.37
	उत्तराखंड							
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	15842.00	0.00	0.00	15842.00	0.00	1500.00	17342.00
	उत्तर प्रदेश							
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	14000.00	452.00	3250.00	17702.00	0.00	3900.00	21602.00
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	22720.31	382.60	4000.00	27102.91	42092.75	3800.60	72996.26
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	12591.00	300.00	250.00	13141.00	0.00	434.00	13575.00
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	7820.09	250.60	2350.00	10420.69	9060.00	1399.14	20879.83

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)						
		सामान्य विकास अनुदान	आमेलित योजनाएं	गैर–नेट, पी.एच.डी. एवं एम.फिल. को अध्येतावृति	कुल (4+5+6)	अ.पि.व. अनुदान	अन्य योजनाओं के तहत जारी अनुदान	कुल योग (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पश्चिम बंगाल							
17	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	14857.00	300.00	600.00	15757.00	6309.00	2034.00	24100.00
	कुल (I) (गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	**231829.96**	**6482.99**	**21467.47**	**259780.42**	**200221.75**	**59718.09**	**519720.26**
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय							
	बिहार							
18	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	2025.00			2025.00	0.00	0.00	2025.00
	गुजरात							
19	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	6225.00			6225.00	0.00	0.00	6225.00
	हरियाणा							
20	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	8950.00			8950.00	0.00	0.00	8950.00
	हिमाचल प्रदेश							
21	हि0प्र0 केंद्रीय विश्वविद्यालय	2800.00			2800.00	0.00	0.00	2800.00
	जम्मू और कश्मीर							
22	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	1150.00			1150.00	0.00	0.00	1150.00
23	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	1525.00			1525.00	0.00	0.00	1525.00
	झारखंड							
24	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	10150.00			10150.00	0.00	0.00	10150.00
	कर्नाटक							
25	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	21775.00			21775.00	0.00	75.00	21850.00
	केरल							
26	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	4275.00			4275.00	0.00	0.00	4275.00
	ओडीसा							
27	ओडीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय	8100.00			8100.00	0.00	0.00	8100.00
	पंजाब							
28	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	6650.00			6650.00	0.00	0.00	6650.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी अनुदान (01.04.2007 से 31.03.2012)						
		सामान्य विकास अनुदान	आमेलित योजनाएं	गैर–नेट, पी.एच.डी. एवं एम.फिल. को अध्येतावृति	कुल (4+5+6)	अ.पि.व. अनुदान	अन्य योजनाओं के तहत जारी अनुदान	कुल योग (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजस्थान							
29	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	19225.00			19225.00	0.00	0.00	19225.00
	तमिलनाडु							
30	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	19950.00			19950.00	0.00	0.00	19950.00
	कुल -II (नये के0वि0वि0)	**112800.00**	**0.00**	**0.00**	**112800.00**	**0.00**	**75.00**	**112875.00**
	कुल (I + II)	**344629.96**	**6482.99**	**21467.47**	**372580.42**	**200221.75**	**59793.09**	**632595.26**
	एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
	असम							
31	असम विश्वविद्यालय	7000.00	200.00	950.00	8150.00	7011.00	5105.60	20266.60
32	तेजपुर विश्वविद्यालय	10225.00	550.00	290.00	11065.00	6457.00	10465.00	27987.00
	अरुणाचल प्रदेश							
33	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	4000.00	300.00	125.00	4425.00	0.00	1225.00	5650.00
	मणिपुर							
34	मणिपुर विश्वविद्यालय	9478.50	462.50	760.00	10701.00	1500.00	6344.93	18545.93
	मेघालय							
35	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	11902.00	517.50	474.36	12893.86	0.00	11228.00	24121.86
	मिजोरम							
36	मिजोरम विश्वविद्यालय	16032.50	467.50	150.00	16650.00	0.00	6402.18	23052.18
	नागालैंड							
37	नागालैंड विश्वविद्यालय	7000.00	275.00	50.00	7325.00	0.00	1000.00	8325.00
	सिक्किम							
38	सिक्किम विश्वविद्यालय	7775.00	183.00	0.00	7958.00	0.00	1500.00	9458.00
	त्रिपुरा							
39	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	8500.00	300.00	150.00	8950.00	0.00	4000.00	12950.00
	कुल (III) (एनईआर)	**81913.00**	**3255.50**	**2949.36**	**88117.86**	**14968.00**	**47270.71**	**150356.57**
	कुलयोग (I+II+III)	**426542.96**	**9738.49**	**24416.83**	**460698.28**	**215189.75**	**107063.80**	**782951.83**

गैर–योजनागत

II. अनुरक्षण (गैर–योजनागत) अनुदान

शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ के वेतन पर होने वाले आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु तथा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, भवनों के रखरखाव तथा बाध्यकारी भुगतानों जैसे करों, टेलीफोन, डाक, विद्युत बिलों आदि के भुगतान हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण (गैर–योजनागत) सहायता प्रदान करता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, 24 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूनीवर्सिटी कालेज ऑफ मेडीकल सांईस के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करने के लिए **1135747.00** लाख रूपये के गैर–योजनागत अनुदान जारी किए गए। अन्य विश्वविद्यालय नये स्थापित विश्वविद्यालय है तथा वे निम्नानुसार योजनागत अनुदान से अपने आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की पूर्ति कर रहे हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत अनुदान का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्षवार जारी किया गया अनुदान					जारी किया गया कुल अनुदान (3+4+5+6+7)
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
	गैर–एन0ई0आर0 विश्वविद्यालय						
	आंध्र प्रदेश						
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	773.48	1090.08	1611.56	1783.02	2012.92	**7271.06**
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय	5180.18	8015.89	11824.65	9846.61	13946.40	**48813.73**
3	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1216.06	2709.66	3167.84	3316.31	3931.65	**14341.52**
	छत्तीसगढ़						
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	0.00	427.67	2365.55	3491.20	3105.70	**9390.12**
	दिल्ली						
5	दिल्ली विश्वविद्यालय	15468.34	21651.42	29435.15	31086.85	32946.18	**130587.94**
6	जामिया मिलिया इस्लामिया	11609.95	9587.49	14551.35	13735.04	16562.24	**66046.07**
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	10925.34	11736.31	19482.92	16361.44	20114.14	**78620.15**
	मध्य प्रदेश						
8	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय	0.00	1007.40	5501.99	6521.88	7366.84	**20398.11**

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्षवार जारी किया गया अनुदान					जारी किया गया कुल अनुदान (3+4+5+6+7)
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
	महाराष्ट्र						
9	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मुंबई	470.00	503.75	680.28	835.87	882.95	**3372.85**
	पुदुचेरी						
10	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	2486.33	3690.90	5802.71	4273.63	5797.48	**22051.05**
	उत्तराखंड						
11	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	0.00	1116.00	4735.37	4022.66	5886.59	**15760.62**
	उत्तर प्रदेश						
12	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	23192.33	32746.60	46759.82	46941.70	54521.79	**204162.24**
13	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	24221.36	35843.73	52596.98	51256.63	55917.03	**219835.73**
14	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	462.54	583.33	948.74	1119.51	1315.02	**4429.14**
15	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	10418.32	12824.91	16321.76	18206.29	16509.02	**74280.30**
	पश्चिम बंगाल						
16	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	6207.82	8759.82	13484.36	13025.00	13233.63	**54710.63**
	कुल	**112632.05**	**152294.96**	**229271.03**	**225823.64**	**254049.58**	**974071.26**
	एनईआर विश्वविद्यालय						
	असम						
17	असम विश्वविद्यालय,	1221.77	2214.82	2382.01	3089.61	3874.14	**12782.35**
18	तेजपुर विश्वविद्यालय	794.22	1426.66	2359.83	2065.25	2699.32	**9345.28**
	अरुणाचल प्रदेश						
19	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	1066.08	1259.48	2010.31	1990.08	2177.89	**8503.84**
	मणिपुर						
20	मणिपुर विश्वविद्यालय	1135.01	2993.17	4617.22	4044.16	5237.90	**18027.46**
	मेघालय						
21	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	5719.80	7445.38	10639.43	10166.25	12137.51	**46108.37**

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्षवार जारी किया गया अनुदान					जारी किया गया कुल अनुदान (3+4+5+6+7)
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
	मिजोरम						
22	मिजोरम विश्वविद्यालय,	2354.82	3239.72	4424.50	3459.61	4413.08	**17891.73**
	नागालैंड						
23	नागालैंड विश्वविद्यालय,	2162.25	2784.79	3472.17	3185.27	4459.95	**16064.43**
	सिक्किम						
24	सिक्किम विश्वविद्यालय,	717.00	1138.72	1469.61	1984.21	2249.76	**7559.30**
	कुलएनईआर	**15170.95**	**22502.74**	**31375.08**	**29984.44**	**37249.55**	**136282.76**
25	यूसीएमएस	2750.00	4783.30	6325.89	5396.92	6136.87	**25392.98**
	कुलयोग	**130553.00**	**179581.00**	**266972.00**	**261205.00**	**297436.00**	**1135747.00**

➢ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (2012–2017)

वर्ष 2012–2013 के दौरान सामान्य विकास सहायता के तहत विभिन्न केन्दीय विश्वविद्यालयों को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी किया गया अनुदान (2012–2017) (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन	वर्ष 2012–2013 के दौरान जारी किया गया अनुदान
	गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
	आंध्र प्रदेश		
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	13400.00	5112.50
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	16600.00	8175.00
3	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	16100.00	4700.00
	छत्तीसगढ़		
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	12900.00	7100.00
	दिल्ली		
5क	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	30000.00	8927.40

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन	वर्ष 2012–2013 के दौरान जारी किया गया अनुदान
5ख	यूसीएमएस	12400.00	1500.00
6	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	20600.00	8355.00
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	20400.00	2100.00
	मध्य प्रदेश		
8	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय,	12700.00	1575.00
9	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	28000.00	11075.00
	महाराष्ट्र		
10	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मुंबई	7400.00	4250.00
	पुदुचेरी		
11	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	14600.00	7275.00
	उत्तराखंड		
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर	17600.00	6350.00
	उत्तर प्रदेश		
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ	16200.00	13559.66
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	24900.00	14166.73
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	5800.00	4843.72
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	13800.00	2020.00
	पश्चिम बंगाल		
17	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	6800.00	525.00
	कुल(I) (गैर–एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	**290200.00**	**111610.01**
	नए केंद्रीय विश्वविद्यालय		
	बिहार		
18	बिहार केंद्रीय वश्वविद्यालय, पटना	27975.00	2030.00
	गुजरात		
19	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	23775.00	3175.00
	हरियाणा		
20	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	31050.00	2565.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन	वर्ष 2012–2013 के दौरान जारी किया गया अनुदान
	हिमाचल प्रदेश		
21	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला	27200.00	2575.00
	जम्मू और कश्मीर		
22	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय,, जम्मू	38850.00	3037.50
23	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर	38475.00	781.25
	झारखंड		
24	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय,, रांची	29850.00	5075.00
	कर्नाटक		
25	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	28225.00	2575.00
	केरल		
26	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, विद्यानगर	35725.00	5375.00
	ओडीशा		
27	ओडीशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, ओडीशा	31900.00	2531.25
	पंजाब		
28	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा	33350.00	3075.00
	राजस्थान		
29	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर	30775.00	11031.25
	तमिलनाडु		
30	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	30050.00	10031.25
	कुल-II (नए केंद्रीय विश्वविद्यालय)	**407200.00**	**53857.50**
	कुल (I + II)	**697400.00**	**165467.51**
	एन0ई0आर0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
	असम		
31	असम विश्वविद्यालय,	8400.00	4372.50
32	तेजपुर विश्वविद्यालय	11100.00	7718.39
	अरुणाचल प्रदेश		
33	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	5700.00	4006.25

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन	वर्ष 2012–2013 के दौरान जारी किया गया अनुदान
	मणिपुर		
34	मणिपुर विश्वविद्यालय	10700.00	5272.50
	मेघालय		
35	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	13400.00	1132.00
	मिजोरम		
36	मिजोरम विश्वविद्यालय	18000.00	6758.75
	नागालैंड		
37	नागालैंड विश्वविद्यालय,	8800.00	678.75
	सिक्किम		
38	सिक्किम विश्वविद्यालय,	30000.00	5672.50
	त्रिपुरा		
39	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	10600.00	1840.00
	कुल (III) (एनईआर)	**116700.00**	**37451.64**
	कुल योग (I+II+III)	**814100.00**	**202919.15**

वर्ष 2012–13 के दौरान 24 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अनुरक्षण व्यय की पूर्ति हेतु **313722.50** लाख रुपए का गैर योजनागत अनुदान जारी किया गया था। अन्य नये स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अपने आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की योजनागत अनुदान से पूर्ति कर रहे हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय को जारी किया गया गैर–योजनागत अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष 2012–2013 (बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत अनुदान का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
	गैर–एन0ई0आर0 विश्वविद्यालय	
	आंध्र प्रदेश	
1	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1995.85
2	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	14783.76
3	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	3725.47

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
	छत्तीसगढ़	
4	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	1219.62
	दिल्ली	
5	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	33633.29
6	यूसीएमएस	5547.46
7	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	18994.49
8	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	20680.63
	मध्य प्रदेश	
9	डा0 हरि सिंह गौड विश्वविद्यालय,	3968.00
	महाराष्ट्र	
10	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मुंबई	1315.12
	पुदुचेरी	
11	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	6737.02
	उत्तराखंड	
12	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर.	2830.31
	उत्तर प्रदेश	
13	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीग	62696.84
14	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	63753.06
15	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	1524.10
16	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	17926.68
	पश्चिम बंगाल	
17	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	15001.24
	कुल	**276332.94**
	एनईआर विश्वविद्यालय	
	असम	
18	असम विश्वविद्यालय,	2394.03
19	तेजपुर विश्वविद्यालय	2741.47
	अरुणाचल प्रदेश	
20	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	2424.86

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी की गई राशि
	मणिपुर	
21	मणिपुर विश्वविद्यालय	3933.61
	मेघालय	
22	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	13604.85
	मिजोरम	
23	मिजोरम विश्वविद्यालय,	4952.55
	नागालैंड	
24	नागालैंड विश्वविद्यालय,	4893.01
	त्रिपुरा	
25	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2445.18
	कुल एनईआर	**37389.56**
	कुलयोग	**313722.50**

➢ रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पुरानी योजनाओं का विलोपन तथा नई योजना/कार्यक्रमों को जोड़ा जाना, यदि कोई हो तो

मेटा विश्वविद्यालय संकल्पना

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मेटा विश्वविद्यालय की संकल्पना आरंभ की; मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने विभिन्न विश्वविद्यालय से ज्ञान अर्जन संसाधनों की सहभागिता है ताकि छात्र विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान अर्जन संसाधनों से लाभान्वित हो सके। मेटा विश्वविद्यालय द्वितीय पीढ़ी के विश्वविद्यालय का द्योतक है जोकि भौतिक सीमांकन स्थितियों से मुक्त है तथा जो ऐसे क्षेत्रों में नवोन्मेष तथा उपलब्ध लचीलेपन का लाभ उठाकर आभासी स्थान में चल सके।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया इस्लामिया ने मेटा विश्वविद्यालय संकल्पना पर आधारित ''मास्टर ऑफ मेथा मेटिकल एजुकेशन 2012–13'' में एक पाठ्यक्रम आरंभ किया है।

फैकल्टी इंडक्शन डेवलपमेंट सेल की स्थापना

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुनिंदा विश्वविद्यालय में फैकल्टी इंडक्शन डेवलपमेंट सेल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। एफआईसीडी भर्ती/संकाय सदस्यों की प्रोन्नति का एक कलैन्डर तैयार करेगा और नये भर्ती किये गये युवा शिक्षकों हेतु सेवा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगा।

स्वदेशी भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संकटापन्न भाषाओं के संवर्धन एवं परिरक्षण हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय में स्वदेशी भाषा केन्द्रों की स्थापना एवं उन्हें चलाने का निर्णय लिया है। केन्द्रों को संकटापन्न भाषाओं का दर्जा दिया जायेगा।

➢ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीतियों को दर्शाते हुए संदर्शी कार्य योजना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सृजित नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय को पूर्ण रूपेण चालू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य पहल सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सभी रिक्त शिक्षण पदों को भरना है जिनकी वर्तमान में संख्या लगभग 6100 है।

ख. राज्य विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अनुसार, 17 जून, 1972 के पश्चात् स्थापित, नये राज्य विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई भी अनुदान प्राप्त करने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग स्वयं विहित मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने योग्य है। 31 मार्च, 2013 तक विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से 151 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

वर्तमान में, 151 राज्य विश्वविद्यालय, कृषि/मेडिकल विश्वविद्यालयों को छोड़कर, वि.अ.आ. से सामान्य विकास अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, अनुदानों सहित (जयंती अनुदान, संसाधन गत्यात्मकता, तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता, समकालीन अध्ययन में राजीव गांधी पीठ की स्थापना आदि) विकास अनुदान, इन पात्र विश्वविद्यालयों को इसलिए प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, जो सामान्यतः उन्हें, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सहायक निकाय से उपलब्ध नहीं होती हैं। यह सहायता, भवन, स्टॉफ, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, उपस्कर, आदि के लिए भी दी जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सामान्य विकास सहायता के बाद भी वर्ष 2012–13 के दौरान, सामान्य विकास सहायता के साथ–साथ आमेलित योजनाओं के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किए गए।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत 142 राज्य विश्वविद्यालयों को 29076.68 करोड़ रुपये का विकास (योजनागत) अनुदान जारी किया गया था। **तालिका 3.4**

वर्ष 2012–2013 के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य विकास सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, नागार्जुन नगर,	231.56
2.	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम	357.19
3.	द्रविड़यन यूनिवर्सिटी, कुप्पम	125.00
4.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	214.50
5.	जेएनटी यूनिवर्सिटी, कुप्पम	125.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
6.	काकतीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	240.63
7.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	349.17
8.	पी.एस. तेलुगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	152.35
9.	श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	218.75
10.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय,तिरूपति	210.94
11.	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति	284.33
12.	एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	125.00
13.	जेएनटी यूनिवर्सिटी, अनंतपुर	125.00
	असम	
14.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	253.12
15.	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़	253.12
	बिहार	
16.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	183.17
17.	भूपेन्द्र नारा यनमण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	147.50
18.	जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा	125.00
19.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	127.47
20.	ललित नारायन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	198.75
21.	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	193.16
22.	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	189.06
23.	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	205.00
24.	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	125.00
25.	चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, पटना (बिहार)	300.00
	छत्तीसगढ़	
26.	इन्दिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़	140.62
27.	पण्डित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर	198.75
28.	एच.एन. लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर (छत्तीसगढ़)	125.00
	दिल्ली	
29.	जीजीएस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली	140.63
30.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका (नई दिल्ली)	105.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
	गोवा	
31.	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	253.12
	गुजरात	
32.	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	210.94
33.	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	268.13
34.	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोढ़रा	470.03
35.	नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटण	128.44
36.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर	207.19
37.	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	243.75
38.	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	268.13
39.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद (गुजरात)	125.00
	हरियाणा	
40.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	125.00
41.	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	125.00
42.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरुथल	125.00
43.	गुरू जम्भेष्वर यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार	128.13
44.	कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र	237.50
45.	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	268.13
	हिमाचल प्रदेश	
46.	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	253.13
	जम्मू और कश्मीर	
47.	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	250.00
48.	कश्मीर यूनिवर्सिटी, हजरतबल	253.13
49.	श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी, कटरा	125.00
50.	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, राजौरी (जम्मू और कश्मीर)	125.00
	झारखण्ड	
51.	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	195.18
52.	सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, दुमका	125.00
53.	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	165.16

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
	कर्नाटक	
54.	बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर	359.00
55.	दावनगिरी यूनिवर्सिटी	125.00
56.	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	194.06
57.	कन्नड यूनिवर्सिटी, हम्पी	125.00
58.	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	253.13
59.	कर्नाटक स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर	125.00
60.	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, षंकरघट्टा	175.78
61.	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोरगंगोत्री	190.63
62.	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	238.13
63.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू (कर्नाटक)	125.00
	केरल	
64.	कालीकट यूनिवर्सिटी, कालीकट	231.63
65.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची	361.25
66.	कन्नूर यूनिवर्सिटी, मंगत्तूपाराम्बा	288.25
67.	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूवन्नतपुरम	250.22
68.	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम	217.06
69.	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	125.00
	मध्य प्रदेश	
70.	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा	198.75
71.	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल	244.06
72.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	198.75
73.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	195.63
74.	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	131.25
75.	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, भोपाल	125.00
76.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	255.94
77.	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	256.25
78.	नेशनल लॉ इंस्टीट् यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल (मध्य प्रदेश)	125.00
	महाराष्ट्र	
79.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद	218.75

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
80.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, रायगढ	125.00
81.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	161.87
82.	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	287.43
83.	एस.एन.डी.टी. वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई	339.34
84.	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	196.09
85.	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर	224.53
86.	स्वामी रामानंद तीरथ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड़	140.63
87.	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई	427.19
88.	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे	257.81
	ओड़ीशा	
89.	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, भंजा बिहार	243.75
90.	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	125.00
91.	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपेडा	125.00
92.	रावेनषाह यूनिवर्सिटी, कटक	125.00
93.	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी, ज्योति विहार	284.19
94.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	146.88
95.	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुबनेष्वर	230.00
	पंजाब	
96.	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	268.13
97.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	306.06
98.	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	231.56
99.	राजीव गाँधी नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला (पंजाब)	102.88
	राजस्थान	
100.	जे. एन. व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	262.38
101.	एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर	175.00
102.	एम.एल. सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	160.63
103.	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	262.50
104.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर (राजस्थान)	125.00
	तमिलनाडु	
105.	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराईकुडी	198.75

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
106.	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	475.62
107.	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	332.96
108.	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	206.25
109.	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, त्रिचुरापल्ली	207.19
110.	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	281.25
111.	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	243.75
112.	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	175.00
113.	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडईकनाल	152.35
114.	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	125.00
115.	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	140.62
116.	दि तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई (तमिलनाडु)	125.00
	उत्तर प्रदेश	
117.	बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी	140.63
118.	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	223.75
119.	सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, कानपुर	125.94
120.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	168.54
121.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	187.50
122.	डा. आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	146.72
123.	जेआरएच यूनिवर्सिटी, चित्रकूट	112.75
124.	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	269.38
125.	एमजी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	133.13
126.	एमजेपी रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	175.31
127.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	125.00
128.	वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	140.63
129.	डा. आरएमएल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ (उ.प्र.)	300.00
	उत्तराखण्ड	
130	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	231.56
131	दून यूनिवर्सिटी, देरादून, उत्तराखण्ड	125.00
	पश्चिम बंगाल	
132	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, शिवपुर,	234.38

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी किया गया अनुदान
133	वर्द्धमान यूनिवर्सिटी, वर्द्धमान	216.88
134	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	360.63
135	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	464.22
136	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	197.50
137	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जलिंग	232.50
138	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	253.13
139	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	185.63
140	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालाजी, कोलकाता	125.00
141	प्रेजीडेंसी यूनिवर्सिटी, कोलकाता	300.00
142	वेस्ट बंगाल नेशनल ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	125.00
	कुल योग	29076.68

जयंती अनुदान (25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरे होने पर)

10वीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को अपनी स्थापना के 25, 50, 75, 100 और 150 वर्ष पूरे करने पर निम्नानुसार अधिकतम सीमा के अध्यधीन विकास सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

क्र.सं.	आयोजन का नाम	लाख रुपये में
1	शताब्दी वर्ष (100 वर्ष)	100.00
2	प्लेटिनम जयंती (75 वर्ष)	75.00
3	हीरक जयंती (60 वर्ष)	60.00
4	स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)	50.00
5	रजत जयंती (25 वर्ष)	25.00

वर्ष 2012–13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत चार विश्वविद्यालयों को स्वर्ण और हीरक जयंती हेतु 9225000 रू0 की राशि प्रदान की गई।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	लाख रुपये में
1.	डा0 बी0ए0 मराठवाडा वि0वि0, औरंगाबाद	25,00,000/-
2.	एम0एल0 सुखाडीया वि0वि0, उदयपुर	25,00,000/-
3.	अमरावती वि0वि0 अमरावती	12,25,000/-
4.	पंजाब वि0वि0, चण्डीगढ	30,00,000/-
	कुल	**92,25,000/-**

समसामयिक अध्ययनों में राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना

राजीव गांधी अध्यक्षपीठ के तहत विश्वविद्यालयों को अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों मे कार्य करने अथवा उनमें शोघ करने के लिए जांच समितियों के माध्यम से आमंत्रित करने अथवा नियुक्त करने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन के अलावा वर्ष 2012–2013 के दौरान राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश को 20.00 लाख रूपये तथा शेर–ए–कश्मीर यूनीवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल सांसेज को 28.93 लाख रूपये की राशि प्रदान की गई।

बाबू जगजीवन राम अध्यक्षपीठ

"राजीव गांधी अध्यक्षपीठ की स्थापना" संबंधी दिशार्निर्देशों के तहत निम्नवत पांच विश्वविद्यालयों को "बाबू जगजीवन राम अध्यक्षपीठ" की स्थापना हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना
2	एलएन मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
3	वीर कुमार सिंह, आरा
4	कोलकाता विश्वविद्यालय,कोलकाता
5	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर

वर्ष 2012–2013 के दौरान उक्त अध्यक्षपीठ की स्थापना के लिए पटना और कोलकाता विश्वविद्यालय का 18.00 लाख रूपये भी संस्वीकृत की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत पहले से आने वाले विश्वविद्यालयों और 5500 महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता

अब, वि0आआ0 ने इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ करने का निर्णय लिया है तथा वि.अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत कवर राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है।

इस योजना का उद्धेश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पठन पाठन को सुदृढ़ करना है ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। यह सहायता जेनरेटर, इनवर्टर, प्रयोगशाला उपस्कर, स्मार्ट बोर्ड और रेफ्रिजरेटर, डिजिटल कैमरा सहित दृश्य–श्रव्य उपस्कर, एलसीडी/ टीवी, और अन्य शिक्षण सहायता, कंप्यूटर और उसके पुर्जों, सॉफ्टवेयर और उसके पुर्जों, सॉफ्टवेयर और रिप्रोग्राफिक सुविधा जैसे उपस्करों के लिए दी जाती है।

सहायता का स्वरूप

उक्त योजना के तहत अनुदान की अधिकनम सीमा 2.00 करोड रूपये है।

अब तक इस योजना के अधीन वर्ष 2012–13 के दौरान 20 राज्य विश्वविद्यालयों को 22.98 करोड़ रुपये का कुल अनुदान जारी किया गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न जीईआर वाले चिन्हित शैक्षिक रूप से पिछडे 374 जिलों मे माडल डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना

म0स0वि0मंत्रालय की सहमति से वि0अ0आ0 ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में निम्न जीईआर वाले चिन्हित शैक्षिक रूप से पिछडे (ईबीडी) 374 जिलों मे मॅाडल डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना आरंभ की , जहां सकल नामांकन अनुपात (जीईआार) 12.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है। केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रति महाविद्यालय 2.67 करोड रूपये की अधिकतम सीमा के साथ 8.00 करोड रूपये की पूंजी लागत का 1/3 होगा तथा शेष और आवर्ती व्यय का भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विशेष दर्जे वाले राज्य के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में वित्तीय सहायता का अनुपात 50(वि0अ0आ0):50(राज्य सरकार) होगा। अब 1/3 केन्द्र की हिस्सेदारी के साथ पूंजीगत लागत को कम करके 4.00 करोड रूपये कर दिया गया है।

निम्न जीईआर वाले चिन्हित शैक्षिक रूप से पिछडे जिलों मे मॅाडल डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को विशिष्ट रूप से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात् 31.03.2012 के लिए अनुमोदित किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना को जारी रखने के संबंध में मा0स0वि0 मंत्रालय से निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2012–2013 के दौरान वि0अ0आ0 द्वारा 30.70 करोड रूपये के कुल अनुदान जारी किये गये थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने वाले (गैर–12ख) राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित राज्य महाविद्यालयों को एकमुश्त कैच–अप अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य विश्वविद्यालयों की अवसंरचना एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एकमुश्त कैच–अप अनुदान प्रदान करने की एक योजना तैयार की ताकि वे वि0आआ0 अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें। किसी विश्वविद्यालय में धारा 12(ख) के मानदण्ड को पूर्ण करने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताएं 10.00 करोड रू0 से अधिक नहीं होगी जिसमें से वि0अ0आ0 50 प्रतिशत (5.00 करोड़ रू0 तक) तक उपलब्ध कराएगा और शेष 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को जारी रखने के संबंध मे मा0स0वि0 मंत्रालय का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

इस योजना के अंतगर्त 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12.05 करोड रू0 के अनुदान जारी किए।

कश्मीर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयों के विस्थापित प्रवासी अध्यापकों के लिए अतिथि प्राध्यापक के पदों हेतु विशेष योजना

नवम्बर, 1990 में आयोग ने कश्मीर विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध महाविद्यालयोंसे विस्थापित प्रवासी अध्यापकों को शिक्षण/ शोध कार्य प्रदान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक के कुछ पर सृजित किए थे। आयोग ने प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर तीन पदो ।के समकक्ष क्रमशः तीन स्तरों पर यथा ए, बी, और सी पर अतिथि प्राध्यापक के पद सृजित किए तथा 1 अप्रैल, 1999 से ए, बी और सी स्तरों पर उन्हें बढ़े आधार पर 3500 रुपये प्रतिमाह (अध्यापक), 400 रुपये प्रतिमाह (रीडर) और 5500 रुपये प्रतिमाह (प्रोफेसर) मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया था। यह योजना अनेक बार आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के आदेशों द्वारा बढ़ाई गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुदेशों पर आयोग ने सी पी पी–।। अनुभाग द्वारा जारी अपने दिनांक 12.01.2005 के पत्र द्वारा यह निर्णय लिया था कि इन अध्यापकों को उन संस्थाओं जहां वे वर्तमान में कार्यरत हैं वहां मौजूदा रिक्तियों पर आमेलित किया जा सकता है। उन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों में आमेलन के लंबित रहने के कारण 01.04.2005 से 31.03.2006 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार भी दिया गया है।

वर्ष 2012–13 के दौरान उपरोक्त योजना के तहत जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को 1.40 लाख रू0 जारी किये गये थे।

ग. सम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यह उपबंध है कि यदि कोई भी उच्चतर शिक्षा से जुड़ी संस्था जो किसी विशेष क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्तर का कार्य कर रही हो, उसे सम विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को विश्वविद्यालय जैसा अकादमिक दर्जा व विशेष अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं तथा ये आमतौर से बहुसंकाय युक्त विश्वविद्यालय बन जाने की बजाय अपनी विषेशज्ञता वाले क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों को मजबूत कर पाती हैं।

सामान्य विकास (योजनागत) अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 129 सम विश्वविद्यालयों में से केवल 34 सम विश्वविद्यालयों का ही सामान्य विकास (योजनागत) अनुदान प्रदान कर रहा है। सामान्य विकास सहायता का उद्धेश्य, विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है ताकि वे कम से कम न्यूनतम स्तर को तो प्राप्त कर ही सकें और इसका उद्धेश्य, गुणवत्ता का संवर्धन करना हैं। यह विकास सहायता विद्यमान संरचना को समेकित करने में उपयोग में लाई जा सकती है और शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रशासन संबंधी क्रियाकलापों का आधुनिकीकरण करने साथ ही विस्तार और क्षेत्र पहुंच क्रियाकलापों हेतु भी इसका उपयोग किया सकता है ताकि समाज की मांग के अनुरूप विश्वविद्यालयों की बदलती आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2012–13 के दौरान सामान्य विकास योजना के तहत सम विश्वविद्यालयों को 2792.63 लाख रू0 की राशि जारी की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दो सम विश्वविद्यालयों नामतः (1) थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, पटियाला (2) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मेसरा, रांची को विशिष्ट प्रयोजनार्थ अर्थात् स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर संकाय के वेतन तथा प्रयोगशाला के रखरखाव हेतु अनुदान मुहैया करवा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान उपरोक्त प्रयोजनार्थ 313.11 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया था।

गैर–योजनागत (अनुरक्षण) अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **10** सम विश्वविद्यालयों को गैर–योजनागत अनुदान प्रदान कर रहा है। इन **10** विश्वविद्यालयों में से **8** सम विश्वविद्यालय वेतन तथा भत्तों, सेवानिवृत्ति हित लाभों और वेतनेत्तर मदों के लिए शत–प्रतिशत गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। गैर–योजनागत मदों में उपभोक्ता वस्तुएं, बिजली प्रभार, पानी प्रभार, संपत्ति कर, गृह कर, आकस्मिक व्यय, भवनों का रखरखाव/ मरम्मत और अन्य व्यय शामिल हैं। **8** सम विश्वविद्यालयों के बजट अनुमानों/ संशोधित बजट अनुमानों को संबधित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के साथ चर्चा उपरांत निर्धारित किया जाएगा।

शेष दो सम विश्वविद्यालयों अर्थात जामिया हमदर्द, नई दिल्ली और चंद्रशेखर सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम को निर्धारित अनुरक्षण संगठित अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जो क्रमशः 800.00 लाख रुपये प्रति वर्ष और 7.00 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

वर्ष 2012–13 के दौरान गैर–योजनागत अनुदान के तहत **24689.17 लाख रुपये** की राशि जारी की गयी थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत, गैर–योजनागत अनुदान तथा निर्धारित अनुरक्षण प्राप्त कर रहे 24 सम विश्वविद्यालय

योजनागत, गैर–योजनागत अनुदान (शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)

1. अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर,तमिलनाडु
2. दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा–282005, उ0प्र0
3. गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल–624302, तमिलनाडु
4. गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड अहमदाबाद–380014, गुजरात
5. *गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404, उत्तराखण्ड**
6. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति–517507, अ0प्र0
7. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,कटवारिया सराय,न्यू महरौली रोड, कु0इ0ए0ए नई दिल्ली–110016
8. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, देवनार, मुंबई–400088

योजनागत और निर्धारित अनुरक्षण अनुदान

9. जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062
10. *श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनथपुरम, कांचीपुरम, तमिलनाडु–631552

केवल योजनागत अनुदान

11. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली–304022, राजस्थान
12. बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, पिलानी विद्या विहार–333031, राजस्थान
13. बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची–835215, झारखण्ड
14. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी–221007, उ0प्र0
15. डेक्कन कॉलेज पी जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे,–411006 महाराष्ट्र
16. गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, शिवाजीनगर डक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे,–411006, महाराष्ट्र
17. इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मटूंगा, मुंबई–400019, महाराष्ट्र
18. जैन विश्व भारती इस्टीटयूट लांडनू–341306(राजस्थान)
19. श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम–515134,जिला अनंतपुर (आध्र प्रदेश)
20. *तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडीए पुणे,–411037 महाराष्ट्र**
21. *थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,थापर टेक्नोलॉजी कैम्पस पो0बा0 32, पटियाला, पंजाब
22. चेन्नै मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, चेन्नै,एच–1 सिपकाट आईटी पार्क पादुर पोस्ट, सिरूसेरी–603103 तमिलनाडु (ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकमुश्त विशेष अनुदान प्राप्त किया)

23. इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली–110001(ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकमुश्त विशेष अनुदान प्राप्त किया)

24. रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इस्टीटयुट,पश्चिम बंगाल–711202(ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकमुश्त विशेष अनुदान प्राप्त किया)

वर्ष 2012–2013 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को जारी सामान्य विकास अनुदान का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	संस्थान / विश्वविद्यालय का नाम	जारी अनुदान 2012–2013
	आंध्र प्रदेश	
1.	श्री सत्य साईं इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम, जिला अनंतपुर	233.00
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	135.00
	दिल्ली	
3.	जमिया हमदर्द, हमदर्द नगर	244.00
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	160.00
5.	'इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली	...
	गुजरात	
6.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	127.00
	झारखंड	
7.	*बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची	**लागू नहीं**
	महाराष्ट्र	
8.	डेक्कन कॉलेज पी जी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	66.00
9.	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स, पुणे	118.00
10.	*तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे**	**लागू नहीं**
11	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज,देवनार, मुंबई	236.00
12	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मटूंगा, मुंबई	145.00
	पंजाब	
13.	*थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	**लागू नहीं**
	राजस्थान	
14.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	180.00
15.	*बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, विद्यापीठ, पिलानी	**लागू नहीं**

क्र. सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	जारी अनुदान 2012–2013
16.	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लॉडनु	157.83
	तमिलनाडु	
17.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन, कोयम्बतूर	176.00
18	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम,डिंडिगुल	199.00
19.	*श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय, इनथपुरम, कांचीपुरम	**लागू नहीं**
20.	चेन्नई मेथेमेटिकल इंस्टिट्यूट, चेन्नई	95.80
	उत्तर प्रदेश	
21.	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	78.00
22.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	152.00
	उत्तराखंड	
23.	*गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार**	**लागू नहीं**
	पश्चिम बंगाल	
24.	'रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजूकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	290.00
	कुल	**2792.60**

** वि0अ0आ0 ने अवधि के दौरान उपरोक्त छह मानित विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनागत आवटन नहीं करने का निर्णय लिया चूकि माडरेशन समिति ने यह नोट किया की कुछ मानित वि0वि0 को वि0अ0आ0 से योजनागत आवटन तो प्राप्त हो रहा था तथा वे स्व–वित्तपोषित पाठयक्रम की पेशकश कर रहे थे। तथापि, उन्हें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कुछ तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था। आयोग ने मानित विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने के हेतु एक समिति का गठन किया। इन छह मानित विश्वविद्यालयों को बारहवीं पंचवर्षीय योजनागत आवटन नहीं किया गया है।*

*** आयोग ने अपनी दिनांक 11,12,2011 और 13,02,2012 को हुई बैठक मे टन्डन समिति की श्रेणी "ग" के तहत आने वाले मानित विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया है।*

वर्ष 2012–2013 के दौरान सम विश्वविद्यालयों को जारी किये गये गैर–योजनागत अनुदान (अनुरक्षण अनुदान) का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2012–2013 के दौरान संस्वीकृत कुल अनुदान
	आंध्र प्रदेश	
1.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	1685.34
	नई दिल्ली	
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	1739.73

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2012–2013 के दौरान संस्वीकृत कुल अनुदान
3	*जमिया हमदर्द,नई दिल्ली	800.00
	गुजरात	
4.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	2838.57
	महाराष्ट्र	
5.	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई	5602.24
	तमिलनाडु	
6.	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजूकेशन फॉर वूमेन, कोयंबतूर	3703.25
7.	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, गांधीग्राम, डिडिगुल	3661.83
8	*श्री सीएस महाविश्वविद्यालय, कांचीपुरम	7.00
	उत्तर प्रदेश	
9.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	1864.82 –44.02 1820.80
	उत्तराखंड	
10.	गुरूकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2830.41
	कुल	**24689.17**

***निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।**

4 महाविद्यालयों को विकास (योजनागत) तथा अनुरक्षण (गैर-योजनागत) सहायता

4.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाविद्यालयों के विकास पर बल

उच्चतर शिक्षा प्रणाली के स्तर को बनाए रखने, सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने, शिक्षा को उभरते कैरियर पैटर्न से जोड़ने तथा शिक्षा को सुगम बनाने और समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराने के लिए महाविद्यालयों का विकास करना एक प्रमुख दायित्व है, जोकि व्यापक रूप से स्नातकपूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है। महाविद्यालयों को दी जानी वाली विकास सहायता पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संपर्क सुलभता आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना का उन्नयन करके सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को सहयोग देने की दिशा में केन्द्रित होनी चाहिए। तथापि, मौजूदा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार तथा समेकन करने, आधुनिकीकरण के माध्यम से स्तर बढ़ाने, कैरियर की संभावनाओं से जोड़ने के लिए विशेषकर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को तर्क संगत बनाने और उनका विविधिकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालय अर्थक्षम नहीं होते और उनमें कम ही विद्यार्थी नामांकित होते हैं तथा समूह में सुविधाओं का अभाव रहता है इसलिये आयोग द्वारा विकास आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ऐसे क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना करना भी ग्यारहवीं योजना के दौरान, आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है जहां इनकी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

आधारभूत विकास सहायता के अतिरिक्त, 10वीं पंचवर्षीय योजना की कई योजनाएं ग्यारहवीं योजना की सामान्य विकास अनुदान योजनाओं के साथ आमेलित कर दी गई हैं। ग्यारहवीं योजना के लिए विकास अनुदान के संबंध में निर्णय करते समय, सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त, इन आमेलित योजनाओं के लिए भी आंबटन किया गया। ये योजनाएं निम्नवत थी :–

- क) पुराने महाविद्यालयों की अवसंरचना का जीर्णोद्वार।
- ख) नए महाविद्यालयों के लिए 'कैचअप' अनुदान।
- ग) ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय।
- घ) ऐसे महाविद्यालय, जहां पर अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है।
- ड़) महाविद्यालयों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान।
- च) महाविद्यालयों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना।
- छ) पिछड़े क्षेत्रों में महाविद्यालय।
- ज) वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना (वि0वि0आ0–एन0आर0सी0)।
- झ) महाविद्यालयों में समान अवसर केन्द्र।
- ञ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण।

ट) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों को नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) के लिए अनुशिक्षण)।

ठ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में शामिल होने के लिए अनुशिक्षण।

ड) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

ढ) कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, निम्नलिखित उद्देश्यों से महाविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान देने की योजना का कार्यान्वयन किया गया :

- महाविद्यालयों की आधारभूत अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा बुक–बैंक सहित पुस्तकें और पत्रिकाएं, वैज्ञानिक उपस्कर खरीदना, परिसर का विकास करना तथा शिक्षण सहायता उपकरण और खेलकूद सुविधाओं के लिए अनुदान मुहैया करवाना।
- मौजूदा भवनों का विस्तार/पुनर्निर्माण करने और नए भवन के निर्माण के लिए सहायता मुहैया करवाना।
- संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/अल्पसंख्यक समुदायों, निःशक्तों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, महाविद्यालयों को सहायता मुहैया करवाना।
- अकादमिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को विशेष उपचारात्मक अनुशिक्षण देना ताकि वे आत्मविश्वासी पुरूष या महिला बनकर महाविद्यालय से बाहर जाएं।
- क्षेत्रीय असंतुलन और विषमता समाप्त करने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े/ग्रामीण/सीमावर्ती/पर्वतीय/दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित महाविद्यालयों का विकास करना।
- महिलाओं को कॉमन कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराना।
- पुराने महाविद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए और नए महाविद्यालयों को 'कैचअप अनुदान' प्रदान करना।
- निकटवर्ती क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों, प्रौढ़ और सतत शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि वह पूरा का पूरा क्षेत्र सामूहिक रूप से लाभान्वित हो, जहां पर यह महाविद्यालय बना हुआ है।
- क्षमता निर्माण की पहल (नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करना और मौजूदा पाठ्यक्रमों की दाखिला क्षमता में विस्तार करना)
- महाविद्यालयों में, विशेषकर शिक्षकों के लिए आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में पहल करने के लिए सहयोग।
- आंतरिक परीक्षा प्रणाली में विभिन्न विकल्पों को प्रारम्भ करने को बढ़ावा देना और शिक्षण, शोध, अकादमी उत्कृष्टता और सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले नवोन्मेषी विचारों को क्रियान्वित करना।

सहायता केवल उन्ही महाविद्यालयों को प्रदान की जायेगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं और ग्यारहवीं योजनावधि हेतु दिशानिर्देश के अनुसार, पात्रता शर्ते पूरी करते हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बातों के साथ–साथ सकल नामांकन में वृद्धि करके इसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए महाविद्यालयों को गुणवत्ता पर नियंत्रण तथा समेकन को नजरअदांज न करते हुए पर्याप्त रूप से नामांकन मे विस्तार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी।

4.2 वित्तीय सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

31 मार्च, 2013 को देश में लगभग 37204 महाविद्यालय थे, जिनमें से केवल 8929 महाविद्यालय ही वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं जो 23 प्रतिशत है। मान्यता प्राप्त 8929 महाविद्यालयों में से केवल 7448 महाविद्यालय ऐसे हैं जो वि.अ.आ. अधिनियम 1956 की धारा 12(ख) के अधीन, केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। दिनाँक 31.03.2013 को महाविद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है :–

अवधि	धारा 2(च) और 12(ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या	धारा 2(च) के अंर्तगत महाविद्यालयों की संख्या (जो कि धारा 12(ख) के तहत शामिल नहीं हैं)	कुल
31.03.2011	6417	1385	7802
31.03.2012	6787	1501	8288
31.03.2013	7448	1481	8929

4.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 में एक चरणबद्ध ढंग से देश में अपने सात क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर अपने कार्यकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है, ताकि महाविद्यालय, क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अधीन आसानी से शीघ्र अनुदान प्राप्त कर सकें तथा उन्हें तुरन्त जारी/कार्यान्वित किया जा सके। बाद में, वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (एनआरओ), गाजियाबाद को ''उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो'' में परिवर्तित कर गाजियाबाद से दिल्ली में 35, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली में 25.09.2001 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके नाम, स्थिति, स्थापना की तिथि तथा राज्यों की कवरेज का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्थान	स्थापना की तिथि	कवर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय एसईआरओ)	हैदराबाद	28.4.1994	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (डब्ल्यूआरओ)	पुणे	11.11.1994	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव
3.	केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय (सीआरओ)	भोपाल	01.12.1994	मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़
4.	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (एनइआरओ)	गुवाहाटी	01.04.1955	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम
5.	पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय (ईआरओ)	कोलकाता	03.09.1996	प0 बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखण्ड
6.	दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (एसडब्ल्यूआरओ)	बंगलूरू	25.4.1999	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
7.	उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो (एनआरसीबी)	दिल्ली	25.9.2001	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चण्डीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांखण्ड

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 27.04.2012 को आयोजित अपनी 484वीं बैठक में चालू ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार देने तथा इन्हें बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किये जाने जारी रखने का निर्णय लिया।

क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो निम्नलिखित सात योजनाओं कार्यक्रमों के तहत संपूर्ण देश के सभी पात्र महाविद्यालयों को इन अनुदान का संवितरित कर रहे हैं :

1. महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता (स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर)।
2. महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।
3. संकाय सुधार कार्यक्रम (एम.फिल./पी.एच.डी. करने के लिए महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना)।
4. शोध योजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शोध वित्तपोषण (महाविद्यालय शिक्षकों के लिए लघु शोध परियोजनाएं—मानविकी/सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान)।
5. महाविद्यालयों में शोध कार्यशाला/परिसंवाद तथा सम्मेलन।
6. स्वायत्त महाविद्यालय (केवल अनुदान जारी करना)।
7. कवर किए गए महाविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान।
8. महाविद्यालयों को जयंती/शतवार्षिकी अनुदान।
9. खेल—कूद अवसंरचना तथा उपस्करों का विकास।
10. कवर नहीं किए गए महाविद्यालयों को एकमुश्त 'कैच—अप' अनुदान।
11. पिछली पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु प्रतिबद्ध देयताएं।

विकास अनुदानों के तहत 14 आमेलित योजनाओं के लिए अनुदान निम्नवत हैं :—

(i) पुराने महाविद्यालयों में अवसंरचना का पुनर्निर्माण।

(ii) नए महाविद्यालयों के लिए "कैच—अप" अनुदान।

(iii) अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के तुलनात्मक रूप से उच्चतर अनुपात वाले महाविद्यालय।

(iv) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय।

(v) दूरस्थ/पर्वतीय/सीमावर्ती/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय।

(vi) महाविद्यालयों में क्षमता निर्माण पहल के लिए विशेष अनुदान।

(vii) वि.अ.आ. नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना।

(viii) दिवस देखभाल केन्द्र की स्थापना।

(ix) अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी अनुशिक्षण।

(x) अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को "नेट" हेतु अनुशिक्षण।

(xi) अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं।

(xii) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं।

(xiii) महाविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्श प्रकोष्ठ

(xiv) महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.)

4.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी अनुदानों की योजनावार स्थिति

1. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय विकास योजना

11वीं योजना के दिशानिर्देशों में यथा विहित शर्तों को पूरा करने वाले स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करता है। योजना के अधीन, महाविद्यालयों को उचित शिक्षा, विद्यमान भवन विस्तार/नवीकरण तथा नए भवनों का निर्माण, विस्तार गतिविधियां, शैक्षिक रूप से खराब निष्पादन करने वालों के लिए उपचारी अनुशिक्षण आदि के लिए आवश्यक बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं (पुस्तक बैंक सहित), वैज्ञानिक उपस्कर उनके रख–रखाव, परीक्षा सुधार, शैक्षणिक नवोन्मेष, स्टाफ, परिसर विकास, विस्तार/नवीकरण, शिक्षण सहायता सामग्री जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान तथा महाविद्यालयों को जारी अनुदानों तथा महाविद्यालय विकास योजना के तहत महाविद्यालयों को आवंटित और जारी ग्यारहवीं पंचवर्षीय विकास अनुदानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(वर्ष 2012–13 के दौरान महाविद्यालयों को आबंटित और प्रदत्त विकास अनुदान योजना)

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2013 को धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत महाविद्यालयों की संख्या	2012–13 के दौरान सहायता प्रदत्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 के दौरान प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2007 से 2012 तक प्रदत्त कुल अनुदान	
				सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	659	525	13.15	1754.96	1808.02	5742.02
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	30	30	93.64	0.00	0.00	10662.32
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	404	355	5.63	883.39	2454.09	1610.55
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	1348	211	73.00	549.90	10306.94	920.69
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	843	628	114.71	2569.66	5989.80	266.71
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	1237	1002	2.18	3122.62	289.75	9027.02
7.	एनआरसीबी	925	652	176.00	2213.00	9683.00	1670.00
	कुल	**5446**	**3403**	**478.31**	**10990.65**	**30531.6**	**29899.31**

2. महिला छात्रवासों का निर्माण

महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा अन्य आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान, महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए एक विशेष योजना शुरू की थी, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चालू है, जो महाविद्यालय वि.अ.आ. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं तथा जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं वह महाविद्यालय, वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(ख) के अधीन स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अधीन वि.अ.आ. से शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन उनकी अधिकतम सीमा इस प्रकार होगी :

महिला नामांकन	गैर–महानगरों के संबंध में धनराशि (लाख रुपये में)	महानगरों के संबंध में धनराशि (लाख रुपये में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251–500	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

वि.अ.आ. आबंटन/अधिकतम राशि से किए गए अधिक व्यय को संस्थाओं द्वारा अपने संसाधनों द्वारा पूरा करना होगा जिसका संबंधित संस्था स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगी आश्वासन प्रदान करेगी। ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित /अधिकतम राशि से अधिक बढ़ी हुई लागत उपलब्ध नहीं कराता है।

वर्ष 2012–2013 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा महिला छात्रावासों के निर्माण योजना के तहत प्रदत्त अनुदानों की स्थिति इस प्रकार हैं :–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	166	0.00	3173.09	0.00	12633.08
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	58	0.00	1168.67	0.00	8802.85
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	206	0.00	4138.52	0.00	10218.51
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	231	0.00	3604.11	0.00	8578.79
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	104	0.00	1910.67	0.00	13136.35
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	165	0.00	3554.34	0.00	16703.75
7.	एनआरसीबी	80	0.00	2279.00	0.00	7524.00
	कुल	**1010**	**0.00**	**18498.4**	**0.00**	**77597.33**

3. संकाय सुधार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य, संकाय सदस्यों को शोध के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सहभागिता के द्वारा भी संस्थानों के अकादमिक तथा बौद्धिक परिवेश का विकास करना है। इन कार्यक्रमों में सहभागिता करके संकाय सदस्य अपने शोध कार्य को अद्यतम तथा शैक्षिणिक कौशल बढाने में सक्षम होंगे।

इसी पृष्ठभूमि में आयोग ने 11 वी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

संकाय सुधार कार्यक्रम योजना के उद्देश्य निम्नवत है :–

1. एम.फिल/पी.एच.डी. उपाधियां प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों को अकादमिक/शोधकार्य के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
2. अकादमिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने के लिए तथा कार्यशालाओं में भाग लेने तथा ज्ञान एवं विचारो के परस्पर आदान प्रदान करने के लिए शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराना।
3. युवा संकाय सदस्यों को एक बेहतर अकादमिक अभिव्यक्ति हेतु उनके मनपसंद संस्थान में एक अल्पावधि (जो दो सप्ताह से कम न हो और दो महीनों से अधिक नहीं हो) तक निवास करने के अवसर प्रदान करना।

आयोग द्वारा, वर्ष 2012–2013 के दौरान, एन0आर0सी0बी0 सहित इस कार्यक्रम के तहत प्रदत्त अनुदान की राशि नीचे दर्शाई गई है:–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	1083	1223.57	0.00	2422.33	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	61	8.92	127.36	561.52	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	72	245.66	0.00	781.66	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	462	0.00	757.00	1171.45	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	116	520.43	0.00	1605.61	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	95	205.36	0.00	692.19	0.00
7.	एनआरसीबी	110	96.00	0.00	226.00	0.00
	कुल	**1999**	**2299.94**	**884.36**	**7460.76**	**0.00**

4. शोध योजनाओं (लघु शोध परियोजना हेतु सहायता के लिए शोध वित्तपोषण परिषद्

योजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का संवर्द्धन करना है। पात्र विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षक लघु शोध परियोजना योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा 1.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वर्ष 2012–2013 के दौरान वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो द्वारा एन0आर0सी0बी0 सहित अनुमोदित लघु शोध परियोजनाएं (मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान)एवं प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है :–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012–13 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या		अनुमोदित प्रस्ताव की संख्या		1.4.2012 से 31.3.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		1.4.2007 से 31.3.2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
		विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां –35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां –35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	575	891	354	659	327.31	424.49	1137.22	623.28
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	160	280	124	270	131.34	228.36	1032.89	1034.35
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	249	386	179	313	262.10	127.89	1104.86	738.86
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	683	970	556	701	1192.28	0.00	3597.11	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	329	247	161	154	461.58	0.00	1153.87	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	227	353	180	293	263.19	292.67	1686.56	768.33
7.	एनआरसीबी	0	0	0	0	71.00	0.00	504.00	0.00
	कुल	**2223**	**3127**	**1554**	**2390**	**2708.8**	**1073.41**	**10216.51**	**3164.82**

5. महाविद्यालयों में शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों का आयोजन

इस योजना के अधीन, संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परिसंवादों/शोध तथा सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अपने ज्ञान, अनुभवों और शोध को बॉंटने के लिए मंच प्रदान करके महाविद्यालयों में उच्च मानकों का संवर्द्धन करना है। इस योजना में सभी पात्र महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत 70,000 रूपये से 1,50,000 रूपये तक की राशि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2012–2013 के दौरान शोध कार्यशालाओं/परिसंवादों तथा सम्मेलनों की योजना के अधीन महाविद्यालयों को वि.अआ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012–13 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्ताव की संख्या	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (लाख रूपये में) (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
				सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	933	681	314.89	0.00	1004.51	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	231	218	270.13	0.00	854.22	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	284	232	268.17	0.00	610.10	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	844	628	690.01	0.00	1260.10	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	370	291	205.22	0.00	529.56	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	722	643	448.90	0.00	1802.25	0.00
7.	एनआरसीबी	0	0	47.00	0.00	533.00	0.00
	कुल	**3384**	**2693**	**2244.32**	**0.00**	**6593.74**	**0.00**

6. स्वायत्त महाविद्यालय

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना का उद्देश्य संबद्ध संरचना से महाविद्यालयों को असंबद्ध करके स्नातकपूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस स्कीम के तहत संकायों की संख्या के आधार पर 9.00 लाख रू0. से 20.00 लाख रूपये तक की धनराशि प्रदान की जाती है वर्ष 2012–2013 के दौरान स्वायत्त महाविद्यालयों को वि.अ.आ. क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा संस्वीकृत राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त स्वायत्त महाविद्यालय की संख्या (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	25	199.08	199.96	573.27	1011.22
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	13	250.92	0.00	854.22	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	01	0.00	15.00	0.00	56.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	07	74.66	0.00	276.47	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	144	3548.98	1189.14	8600.67	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	21	220.25	40.00	1495.41	0.00
7.	एनआरसीबी	0	79.00	0.00	146.00	0.00
	कुल	**211**	**4372.89**	**1444.1**	**11946.04**	**1067.22**

7. धारा 12(ख) के अंतर्गत कवर महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 131 राज्य विश्वविद्यालयों और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 6000 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विकास एवं आमेलित योजनाओं दोनों के अंतर्गत योजनागत अनुदान प्राप्त हो रहा है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे आगे अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियिम, 1956 की धारा 12 (ख) के तहत पहले से ही कवर राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करने के लिए एक योजना तैयार की है।

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है ताकि शिक्षण एवं ज्ञान अर्जन में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत जनरेटर, इनवर्टर, प्रयोगशाला के उपस्कर, स्मार्ट बोर्ड, रेफ्रीजरेटर जैसे उपस्कर और डिजीटल कैमरा, एलसीडी/टेलीविजन सहित सहायक उपकरण, कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री, सॉफ्टवेयर और रेप्रोग्राफिकल सुविधाओं का अर्जन किया जा सकता है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

1. विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमाः 2.0 करोड़ रु0।
2. महाविद्यालयों के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा : 25.0 लाख रु0।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	298	0.00	2387.37	0.00	10668.76
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	221	0.00	3689.64	0.00	7958.54
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	387	0.00	4901.76	0.00	6787.39
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	899	0.00	7250.77	0.00	13166.21
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	388	0.00	4113.96	0.00	5262.44
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	794	0.00	10556.67	0.00	12537.26
7.	एनआरसीबी	418	0.00	9997.00	0.00	8252.00
	कुल	**3405**	**0.00**	**42897.17**	**0.00**	**64632.6**

8. महाविद्यालयों की जयंती/शताब्दिक अनुदान

ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने अपने अस्तित्व के 50, 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए जिसमें पूंजी अपेक्षित होती है तथा जो अवसर के अनुरूप हों जैसे स्मारक के रूप में महत्व वाले पुराने भवन का नवीकरण और नये भवनों के निर्माण हेतु सहायता मुहैया करवायी जाती है। अनुदान की राशि नीचे दी गई हैः

प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि की प्रमात्रा :

क्र.स.	आयोजन का स्वरूप	लाख रु0 में
1.	शताब्दिक अनुदान (100 वर्ष)	50.00
2.	जयंती अनुदान (50 वर्ष)	25.00

इस योजना के तहत वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान निम्नवत हैं :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	12	0.00	104.60	0.00	276.37
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	17	0.00	21.50	0.00	1058.13
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	12	0.00	101.25	0.00	215.91
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	22	0.00	266.73	0.00	596.61
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	10	0.00	110.21	0.00	175.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	18	0.00	164.97	0.00	1349.55
7.	एनआरसीबी	48	0.00	609.00	0.00	507.00
	कुल	**139**	**0.00**	**1378.26**	**0.00**	**4178.57**

9. खेलकूद अवसंरचना का विकास और उपस्कर

योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के छात्रों के बीच एक स्वस्थ भागीदारी और सहयोग की भावना पैदा करना और खेलकूद में उपलब्धियाँ प्राप्त करना और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का साहस और दृढ़ता के साथ सामना करने और उनसे प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने की क्षमता पैदा करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों के मद्देनजर, योजना को निम्नवत हेतु तैयार किया गया है।

(क) नई और मौजूदा आऊटडोर अथवा इंडोर अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना ताकि छात्रों का खेलों में और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जबकि, छात्रों को ऐसी खेलकूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा, इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नई पीढ़ी के युवकों को अवसर प्रदान करना है।

(ख) किसी विशिष्ट खेलकूद में छात्रों को उनकी 'उत्कृष्टता प्राप्ति' के स्तर के आधार पर बेहतर उपस्कर और अवसंरचना की उपलब्धता के माध्यम से उसी अथवा खेलकूद के संबद्ध क्षेत्र में अधिक उन्नत स्तर पर भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

(ग) जहाँ पहले से ही अवसरंचना उपलब्ध है, उसका सुधार/सुदृढ़ किया जाना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ऐसी मानक अवसंरचना अविस्तारणों/उपस्कर सुविधाओं के सृजन में सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने छात्रों हेतु ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कर सके।

वर्ष 2012–13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत एनआरसीबी सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त अनुदान की धनराशि निम्नवत है:–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	339	0.00	2837.02	0.00	385.71
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	86	0.00	2170.31	0.00	8356.32
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	202	0.00	5453.29	0.00	9224.19
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	175	559.20	3322.11	673.96	7797.12
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	131	186.59	1995.28	1875.17	3007.75
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	20	0.00	201.60	0.00	6084.37
7.	एनआरसीबी	38	0.00	967.00	0.00	2239.00
	कुल	**991**	**745.79**	**16946.61**	**2549.13**	**37094.46**

10. कवर नहीं किए गए (गैर–12ख) महाविद्यालयों को एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान

ऐसे लगभग 8800 महाविद्यालय हैं जो कि मुख्यत: स्नातक–पूर्व महाविद्यालय है, और राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध है जो कि तकनीकी रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में है, परंतु उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई विकास अनुदान प्राप्त नहीं होता है, चूंकि यह महाविद्यालय वास्तविक सुविधाओं और अवसंरचना के संदर्भ में न्यूनतम अर्हता मानदंड पर खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी संख्या में ऐसे महाविद्यालयों विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और जो कि पूर्व में अपनी अवसंरचना और गुणवत्ता में कमी के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास अनुदान से वंचित थे, उन्हें एकमुश्त 'कैच–अप' अनुदान प्रदान करने की योजना तैयार की है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान एनआरसीबी सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त धनराशि निम्नवत है:–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	3	0.00	90.44	0.00	454.19
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	1	0.00	0.35	0.00	350.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	24	0.00	905.36	0.00	1362.45
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	3	0.00	108.00	0.00	185.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0	0.00	0.00	0.00	170.00
7.	एनआरसीबी	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**31**	**0.00**	**1104.15**	**0.00**	**2521.64**

12. आमेलित योजनाएं

(क) पुराने महाविद्यालयों की अवसंरचना का जीर्णोद्धार :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्माण/विस्तार/नवीकरण के लिए उन कॉलेजों को अनुदान प्रदान करता है जो कि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व स्थापित हुए थे और जिनमें वर्तमान आधारभूत संरचना के नवीकरण की आवश्यकता है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि 15 अगस्त, 1947 से पूर्व स्थापित हुए उन पुराने महाविद्यालयों को तत्काल आवश्यकता के आधार पर भवनों के नवीकरण अथवा निर्माण/विस्तार कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य आधारभूत संरचना के लिए सहायता प्रदान की जाये।

इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भवनों और कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, स्टॉफ कक्ष, सामान्य कक्ष, छात्रावासों आदि के नवीकरण अथवा अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर कक्षाओं/प्रयोगशालाओं अथवा अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण/विस्तार के लिए 15 लाख रु0 तक उपलब्ध करवायेगा।

वर्ष 2012–13 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय/ब्यूरो को प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	13	0.00	71.01	0.00	218.29
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	03	0.00	0.18	0.00	268.25
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	30	0.00	56.13	0.00	71.52

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	10	0.00	74.99	0.00	39.69
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	11	0.00	79.1	0.00	85.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	6	0.00	34.50	0.00	181.87
	कुल	**73**	**0.00**	**315.91**	**0.00**	**864.62**

(ख) नवीन महाविद्यालयों के लिए ''कैच–अप'' अनुदान

यह उन महाविद्यालयों को प्रदत्त किया जाने वाला विशेष अनुदान है जो अभी कुछ समय पूर्व धारा 2(च) तथा 12 (ख) के तहत शामिल किए गए तथा वे महाविद्यालय तब तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। अतः सामान्य विकास अनुदान के अतिरिक्त ये महाविद्यालय भवन, पुस्तकों एवं जर्नल, उपस्करों के रूप में आधारभूत अवसंरचना के शीघ्र निर्माण/सुदृढ़ करने के लिए इस ''कैच अप'' अनुदान हेतु आवेदन कर सकते हैं। विशेष अनुदान का प्रयोजन (i) फर्नीचर एवं फिटिंग्स की खरीद हेतु सहायता उपलब्ध कराना तथा जिनका निर्माण, **प्रस्ताव प्रस्तुति के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले नहीं हुआ है**। (ii) पुस्तकों की खरीद तथा जर्नलों की सदस्यता (ई–जर्नल्स सहित)प्राप्त करने, वैज्ञानिक एवं शिक्षण उपस्कर, खेलकूद के सामान की खरीद करने के लिए अनुदान प्राप्त करना है।

इस योजना के अंतर्गत किसी महाविद्यालय को योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अधिकतम 12 लाख रु0 प्राप्त हो सकते हैं। भवन हेतु आवंटित धनराशि 9.00 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 2012–2013 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरों द्वारा प्रदत्त अनुदान स्थिति निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	9	0.00	34.33	0.00	687.90
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	01	0.00	3.60	0.00	366.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	165	0.00	171.21	0.00	881.96
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	72	3.00	244.89	1131.80	432.63
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	4	0.00	24.49	39.41	19.50
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	13	0.00	44.72	0.00	893.37
	कुल	**264**	**03**	**523.24**	**1171.21**	**3281.36**

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. एवं अल्पसंख्यकों के अपेक्षाकृत उच्चानुपात वाले महाविद्यालय

अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) को भारतीय समाज को दो सर्वाधिक पिछड़े वर्गों में चिन्हित किया गया है। इन दोनों वर्गों में ऐसी समस्त जातियाँ, प्रजातियाँ अथवा जनजातियाँ सम्मिलित हैं जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इस योजना का लक्ष्य यह है कि अ.जा./अ.ज.जा/ अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग (असंपन्न वर्ग) के, छात्रों, जिन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शारीरिक रूप से निशःक्त छात्रों की पहुँच शिक्षा तक सुनिश्चित करना है।

महाविद्यालय निम्नवत हेतु 6.00 लाख रू0 की सहायता के लिए पात्र होगाः

महाविद्यालय द्वारा चयनित उपरोक्त श्रेणियों के 100 छात्रों को 'साधन–सह–मेधा' आधार पर पुस्तकें, लेखन सामग्री क्रय करने तथा आकस्मिक व्यय करने के लिए 500 रु0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना।

वर्ष 2012–13 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत हैः–

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	0.00	0.00	0.00	1175.59	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	0	0.00	0.00	1435.50	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	28	0.00	56.00	879.32	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	13	12.54	0.00	555.85	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	508.56	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0	0.00	0.00	1966.99	0.00
	कुल	**41**	**12.54**	**56**	**6521.81**	**0.00**

(घ) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में महाविद्यालय

ऐसे जिले जिनमें राष्ट्रीय औसत से निम्न समग्र साक्षरता दर है उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िले माना गया। तदापि, ऐसा देखा गया है कि साक्षरता का कोई भी एकल सूचक/संकेतक सामान्य शैक्षिक पिछड़ेपन और विशेषकर उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में विद्यमान शैक्षिक पिछड़ेपन की जटिलताओं को सम्पूर्ण रूप से समाहित नहीं कर सकता है। अब, देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िलों को अभिलक्षित करने के लिए एक नवीन मानदण्ड का उपयोग किया जा रहा है, जो कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से और अधिक संवेदनशील होगा। वह हैः उच्च शिक्षा मेंः निबल नामांकन दर (जी.ई.आर) = 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के पश्चात हुए नामांकनों की संख्या।

ऐसा महाविद्यालय, जो एक ऐसे ज़िले में स्थित है, जहाँ ''जी.आई.आर''–राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ऐसे महाविद्यालय को शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र का महाविद्यालय माना जायेगा। इस योजना का लक्ष्य यह है कि शैक्षिक रूप

से पिछड़े इलाकों में स्थित महाविद्यालयों को आधारभूत संरचना के विकास शिक्षण–ज्ञान अर्जन संसाधनों के विकास के लिए सहायता दी जाए जिससे कि पात्र जनसंख्या द्वारा उच्चतर शिक्षा पहुंच बनाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जा सकें।

इस योजना के अंतर्गत सहायता की अधिकतम सीमा 12 लाख रु0 होगी।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	57	0.00	224.16	0.00	1388.26
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	21	0.00	68.16	0.00	2295.21
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	111	136.53	65.00	-	831.72
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	40	0.00	141.24	686.65	282.11
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	58	0.00	224.1	556.33	256.40
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	39	0.00	136.85	0.00	2623.84
	कुल	**326**	**136.53**	**859.51**	**1242.98**	**7677.54**

(ड.) ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालय

ग्रामीण इलाकों साथ दूरस्थ/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय इलाकों के रुप में चिन्हित किये गये क्षेत्रों से शिक्षा तक छात्रों पहुँच में तीव्र दर से सुधारे जाने की आवश्यकता है–अर्थात् "समेकित विकास" की मांग। उपयुक्त परिवहन सुविधाओं का अभाव, एक ऐसी कठिनाई है जो कि सामान्य रूप से शहरी इलाकों में नहीं होती है–यह सबसे प्रमुख रूकावट का कारण है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों एवं छात्रों को समान रूप से इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बहुधा उन्हें समय का बड़ा भाग आने जाने में व्यय करना पड़ता है। अतः प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों के लिए पर्याप्त क्वार्टर और छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास उपलबध हों। क्योंकि सभी छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा अतः उन सभी छात्रों को जो कि 10 किलोमीटर अथवा उससे भी दूर से आते हों उन्हें यात्रा भत्ता (अधिकतम 500 रू0 प्रतिमाह) प्रदान किया जाये। इस योजना का लक्ष्य यह है कि स्थान से जुडी विषमताओं का न्यूनतम किया जा सके और तथा छात्रों एवं अध्यापकों को, किराये पर आधारित आवास उपलब्ध करवाकर उच्चतर शिक्षा तक पहुँच को और बढ़ाया जा सके और स्थान विशेष के अनुसार पाठ्यक्रम को लागू कर ग्रामीण/दूरस्थ/सीमावर्ती/पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले पात्र छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाये।

महाविद्यालय निम्नलिखित हेतु 10.00 लाख रु0 प्राप्त करने का प्राप्त होगा:–

1. किराया आधार पर शिक्षकों/छात्रों को आवास उपलब्ध कराना।
2. छात्रों को (एक सप्ताह से अधिक की अवधि के अवकाश/छुट्टी/विश्रांति काल के लिए कोई वाहन भत्ता नहीं उपलब्ध कराया जाएगा) वाहन भत्ता उपलब्ध करवाना (अधिकतम दूरी तय करने वालों को अधिकतम 500 रु0 प्रतिमाह)।

3. स्थान विशेष के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास करना और उसे लागू करना।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	0	0.00	0.00	313.07	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	0	0.00	0.00	735.74	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	14	18.23	0.00	1271.39	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	08	3.30	0.00	414.81	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	04	11.10	0.00	303.58	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0	0.00	0.00	1041.93	0.00
	कुल	**26**	**32.63**	**0.00**	**4080.52**	**0.00**

(च) महाविद्यालयों में दाखिले की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान (क्षमता निर्माण के लिए पहल)

महाविद्यालय के विस्तार हेतु, वर्तमान पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने साथ ही नवीन पाठ्यक्रमों को आरंभ करके, सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकों, उपस्करों, पत्रिकाओं आदि की खरीद, जर्नलों की सदस्यता प्राप्त करने, नूतन प्रयोगशाला एवम् कक्षा फर्नीचर, फिटिंग्स तथा नवनिर्मित प्रयोगशालाओं अथवा/और कक्षाओं के लिए फर्नीचर एवं फिटिंग्स की खरीद के लिए आदि के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करायेगा। इस योजना का लक्ष्य मौजूदा पाठ्यक्रमों में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करने तथा साथ ही साथ नवीन अध्यापन कार्यक्रमों को आरंभ करने हेतु महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

दाखिले की संख्या बढ़ाने अथवा नया पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु कोई भी महाविद्यालय 7.00 लाख रु0 के अनुदान के लिए निम्नानुसार पात्र होगाः–

- पुस्तकें एवं जर्नल।
- उपस्कर।
- कक्षा/अथवा प्रयोगशाला का निर्माण/विस्तार।
- नवनिर्मित कक्षाओं/प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर तथा फिक्सचर।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	45	0.00	86.81	0.00	1414.08
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	18	0.00	26.85	0.00	1967.19
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	109	0.00	168.94	0.00	856.43
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	87	0.00433	108.53	1601.45	210.48
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	43	0.00	83.75	842.04	89.25
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	43	0.00	64.24	0.00	1197.44
	कुल	**345**	**0.00433**	**539.12**	**2443.49**	**5734.87**

(छ) महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र (वि.अ.आ-एन.आर.सी.) की स्थापना

योजना का उद्देश्य, प्रशासन,वित्त, परीक्षाओं एवं अनुसंधान संबंधी विभिन्न कार्यकलापों में कम्प्यूटर के प्रयोग के बारे में स्टॉफ एवं छात्रों में जागरूकता पैदा करना है। सूचना एवं संचार नेटवर्क के अतिरिक्त यह भारत तथा विदेशों में उत्कृष्ट स्थानों से मल्टीमीडिया सामग्री तक पहुँच बनाने के लिए महाविद्यालयों के लिए मद्दगार होगा।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	10	2.12	0.00	112.23	414.57
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	02	0.00	0.36	0.00	1026.96
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	7	15.10	-	616.37	66.01
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	25	3.36	0.00	1864.58	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	01	0.00	0.25	87.00	1474.61
	कुल	**45**	**20.58**	**0.61**	**2680.18**	**2982.15**

(ज) महाविद्यालयों में दिवस देखभाल केन्द्रों की स्थापना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों में भुगतान के आधार पर लगभग 3 माह से 6 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों के लिये दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम तैयार की है जिनके माता–पिता (स्टॅाफ/छात्र) दिनभर घर से बाहर रहते हैं। इसमें पुरूष कर्मचारियों, स्कालर्स/छात्रों को भी शामिल किया गया है जिनकी पत्नी कहीं इतर कार्य करती हैं ताकि महिलाएं और कामकाजी माता–पिता अपने कार्य घंटों के दौरान, अपने बच्चों के बारे में निश्चिंत रह सकें तथा अपने कैरियर को आगे बढ सकें। इस स्कीम का उद्देश्य महाविद्यालय के पुरूष/महिला कर्मचारियों/स्कॉलर्स/छात्रों के बच्चों को कार्य घंटों के दौरान एक सुरक्षित स्थान तथा परिवेश उपलब्ध कराना है।

योजना आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत सूचीबद्ध महाविद्यालयों को 2.00 लाख रु0 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। अनुदान को अनिवार्य सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। दिवसीय देखभाल केन्द्र किसी व्यक्ति विशेष या संगठन द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए नहीं चलाया जाता है।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	0	0.00	0.00	218.25	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	0	0.00	0.00	102.50	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	0	0.00	0.00	0.00	310.51
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	0	0.00	0.00	329.84	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	0	0.00	0.00	414.31	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0	0.00	0.00	0.00	284.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1064.9**	**594.51**

(झ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) एवं अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक अनुशिक्षण

अ.जा/अज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कुशलतापूर्वक उच्चतर शिक्षा को जारी रखने के लिए तथा उसमें असफल होने और पढाई को बीच में छोडने की दर मे कमी लाने के लिए उपचारी अनुशिक्षण की आवश्यकता है उन्हें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियमित समय–सारिणी के अलावा विशेष कक्षाएँ चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अ.पि.व. से संबद्ध छात्र तथा सामान्य छात्र भी इन अनुशिक्षण कक्षाओं के लाभ उठा सकेंगे। एक सामान्य श्रेणी के छात्र से नाममात्र का शुल्क (मासिक शिक्षण शुल्क से अधिक नहीं) वसूल किया जायेगा। तथापि, शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र तथा सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय से कम आय अर्जित करने वाले परिवारों के छात्रों (राज्य/संघ शासित राज्य/केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार) से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नवत उद्धेश्य को मद्देनजर रखते हुए उपचारात्मक अनुशिक्षण कक्षाएँ, चलाई जाएँगी :

(i) विभिन्न विषयों में छात्रों के अकादमिक कौशल एवं भाषा विज्ञान दक्षता में सुधार किया जा सके।

(ii) बुनियादी विषयों के ज्ञान स्तर को ऊँचा उठाना, ताकि अगले अकादमिक कार्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके।

(iii) जिन विषयों में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तकनीक तथा प्रयोगशाला संबंधी क्रियाकलाप शामिल होते है उनमें छात्रों के ज्ञान, कौशल अभिवृत्तियों को सुदृढ़ करना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध कराए गए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के आधार पर उच्चतर अध्ययन को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए छात्रों के स्तर मे अपेक्षित वृद्धि की जा सके।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	430	518.89	334.45	1100.05	1444.35
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	124	189.52	106.4	1895.53	1480.50
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	299	783.77	253.25	1544.85	1094.95
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	1664	1108.76	858.18	4457.53	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	960	674.04	528.92	2094.89	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	777	1168.13	799.92	1737.23	3295.10
	कुल	**4254**	**4443.11**	**2881.12**	**12830.08**	**7314.9**

(ञ) अ.जा./अ.ज.जा./अ..पि.व. (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए नेट/सैट हेतु अनुशिक्षण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (असंपन्न वर्ग) के उम्मीदवारों के साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार अध्यापन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्याख्याताओं के पद के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नैट) या राज्य पात्रता परीक्षा (सैट) की तैयारी के लिए अनुशिक्षण जारी रखेगा। अ.पि.वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से निःशक्त छात्र भी इस अनुशिक्षण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य, अ.जा./अ.ज.जा. तथा अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को नैट या सैट परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करना है ताकि विश्वविद्यालयी प्रणाली में इन समूहों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों व्याख्याताओं के पद पर चयन हेतु उपलब्ध हो सकें।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	82	95.92	55.44	171.25	221.05
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	26	32.50	16.80	160.78	384.85
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	18	36.32	0.00	87.06	5.60
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	335	183.63	126.86	746.38	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	328	214.66	133.48	644.78	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	58	68.61	40.03	128.81	171.35
	कुल	**847**	**631.64**	**372.61**	**1939.06**	**782.85**

(ट) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएँ

इस अनुशिक्षण योजना का मूल उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (असंपन्न वर्ग) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं में 'क, ख अथवा ग' समूह के पदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में समकक्ष पदों में लाभकारी रोज़गार प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इस योजना के तहत अनुशिक्षण भारतीय प्राशसनिक सेवा, राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती सेवा आदि जैसी सेवाओं में चयन हेतु विशेष रूप से आयोजित परीक्षोन्मुखी होना चाहिए। विशेष प्रतियोगिता परीक्षा की विशिष्ट माँग के अनुरूप अनुशिक्षण केन्द्रित होना चाहिए। महाविद्यालय, अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक रोजगार सूचना प्रकोष्ठ का विकास कर सकता है।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	268	328.37	213.66	972.35	515.54
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	50	70.7	42.90	521.49	792.20
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	231	476.73	352.94	1822.32	173.30
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	1174	798.47	594.81	3139.24	0.00

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	637	457.54	362.07	1259.68	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	545	813.39	527.38	1156.71	2160.20
	कुल	**2905**	**2945.2**	**2093.76**	**8871.79**	**3641.24**

(ठ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए योजनाएं

(i) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एच.ई.पी.एस.एन.)

एच.ई.पी.एस.एन योजना का मूल उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एक परिवेश तैयार करना है ताकि निःशक्त व्यक्तियों के उच्चतर शिक्षा के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। इस योजना के तहत सहायता की वृहद श्रेणियां, निशक्त व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और निर्माण का उद्देश्य पहुंच में सुधार करना, ज्ञान अर्जन आदि को रूचिप्रद बनाने के लिए उपस्करों की खरीद करना आदि हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना अवधि के दौरान प्रति महाविद्यालय 5.00 लाख रूपये तक एकमुश्त अनुदान प्रदान करेगा।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	07	0.70	13.60	44.83	56.54
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	11	3.91	0.50	321.36	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	4	0.00	20.80	134.18	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	10	1.83	22.00	234.28	46.82
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	24	0.00	56.50	169.66	31.50
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	04	0.00	5.40	57.97	173.93
	कुल	**60**	**6.44**	**118.8**	**962.28**	**308.79**

(ii) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दृष्टिबाधित शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्धेश्य दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर और रीडर भत्ता उपलब्ध करवा कर तथा शिक्षण एवं ज्ञान–अर्जन में सहायक उपकरणों तथा ब्रेल पुस्तकें, रिकार्डिड सामग्री आदि की खरीद हेतु निधियां उपलब्ध मुहैया करवाक उनके शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करने में मदद करना है। इस योजना का उद्देश्य, दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे अध्यापन, शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु विभिन्न सहायता उपस्करों का उपयोग करके स्वावलंबी बन सकें।

दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को 18,000/– रु0 प्रतिवर्ष का भत्ता प्रदान किया जाएगा।

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त कुल अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	2	0.36	0.00	7.37	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	02	0.54	0.00	0.00	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	4	1.39	0.00	3.99	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	55	31.00	0.00	58.92	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	3	0.90	0.00	15.67	0.00
	कुल	**66**	**34.19**	**0.00**	**85.95**	**0.00**

(त) महाविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ

महाविद्यालयों में कैरियर तथा परामर्शदाता प्रकोष्ठ स्थापित करने की योजना को समाज के अलग–अलग वर्गों तथा विविध पृष्ठभूमि से महाविद्यालय आने वाले छात्रों को उपयुक्त संस्थागत जानकारी प्रदान कर पहुंच एवं रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवा कर विविध सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों से निपटना हेतु तैयार किया गया है। छात्रों के बीच भाषायी तथा सांस्कृतिक अंतर भी रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना का एक कारण है। संगत एवं सुलभ सूचना साथ ही इसे उपयोग करने हेतु पेशेवर मार्गदर्शन के फलस्वरूप कक्षाओं से इतर, बेहतर कैरियर संबंधी उपलब्धि में परिणत हो सकता है तथा छात्र के स्वस्थ विकास में मददगार साबित हो सकता है। प्रत्येक महाविद्यालय में पाठ्यचर्या संबंधी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यचर्या के संबंध में संगत सूचना तथा संयोजनों की पेशकश तथा चयन की स्वतंत्रता सामान्यत उपलब्ध होती है तथा सहायता सेवा के रूप में, अनौपचारिक रूप से परामर्श दिया जाता है। परम्परागत सूचना तंत्र में, विवरणिका की एक प्रति शामिल होती है जिसमें पाठ्यचर्या तथा संयोजनों, प्रवेश नियमों, शुल्क ढाँचे, परीक्षा सारणी आदि की वर्ष दर वर्ष नियमित रूप से पुनरावृति की जाती है। परन्तु, अब परिदृश्य में बदलाव के साथ–साथ, न केवल अकादमिक विषयवस्तु बल्कि इसके नियम, बाजार की आवश्यकताओं के प्रति उन्मुखी हो गये हैं परन्तु वहीं शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विषमताओं तथा कैरियर के अवसर की समस्याओं को भी दूर करना है। पारम्परिक सूचना प्रकिया में अब सक्रिय मार्गदर्शन को भी जोड़ना होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी अब तेजी से प्रिंट मीडिया का स्थान लेती जा रही है, जिसमें सबके लाभ के लिए तत्परता से सूचना का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है:–

1. अनावर्ती : 2.00 लाख रु0
2. आवती : 1.00 लाख रु0

वर्ष 2012–13 में क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	0	0.00	0.00	529.37	423.24
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	17	0.00	21.50	0.00	1016.95
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	12	14.75	0.00	1018.25	146.60
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	38	33.06	0.00	1550.70	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	0	0.00	0.00	750.89	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	0.00	0.00	0.00	552.01	1327.40
	कुल	**67**	**47.81**	**21.5**	**4401.22**	**2914.19**

(थ) महाविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियात्मक बनाने के उद्धेश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वंचित वर्गों के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने तथा अकादमिक वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ (ई.ओ.सी.) का गठन करने की योजना तैयार की है। समान अवसर प्रकोष्ठ के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपये का मुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2012–13 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदान की स्थिति निम्नवत है :

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	212	120.40	0.00	187.25	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	122	61.16	0.00	123.07	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	109	146.68	0.00	163.32	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	487	233.55	0.00	547.51	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	278	103.84	0.00	148.28	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	419	170.93	0.00	159.35	0.00
	कुल	**1627**	**836.56**	**0.00**	**1328.78**	**0.00**

वर्ष 2012–13 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चौदहवीं आमेलित योजना के तहत उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ब्यूरो द्वारा प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–13 के दौरान सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नये और चालू)	01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		वर्ष 2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	एनआरसीबी, नई दिल्ली	139	334.00	396.00	1675.00	8750.00
	कुल	**139**	**334.00**	**396.00**	**1675.00**	**8750.00**

4.5 दिल्ली के महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों को अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गैर–योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध 53 महाविद्यालयों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों और योजनागत अनुदान के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 महाविद्यालयों (53 महाविद्यालय और दिल्ली प्रशासन के 11 महाविद्यालय) को वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है **(परिशिष्ट– चौदह)**

गैर–योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 53 महाविद्यालयों में से 37 महाविद्यालयों को 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है और शेष 16 महाविद्यालयों को शतप्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है (10 साध्यंकालीन महाविद्यालय + 6 विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय)। इन 37 महाविद्यालयों में से 16 महाविद्यालय दिल्ली प्रशासन से अनुरक्षण अनुदान के 5 प्रतिशत हिस्से को प्राप्त करते हैं और 21 महाविद्यालय संबंधित न्यासों/सोसायटियों से प्राप्त करते हैं।

किसी महाविद्यालय को "विस्तारित महाविद्यालय" के रूप में तब नामोद्दिष्ट किया जाता है जब उसका नामांकन 1500 से अधिक हो जाता है और तत्पश्चात उसे शत प्रतिशत आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, महाविद्यालय की श्रेणी के आधार पर 1000 तक नामांकन होने पर 95 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। 1000 से अधिक नामांकन होने पर महाविद्यालय की न्यास/दिल्ली प्रशासन से संबद्ध किसी श्रेणी पर विचार किए बिना शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जायेगा।

दिल्ली के यह 53 महाविद्यालय, आयोग से प्राप्त अनुरक्षण अनुदान से अपने वेतन और गैर–वेतन व्यय को पूरा करते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय का बजट निर्धारित करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वार्षिक बैठकें की जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गैर–योजनागत अनुदान के अंतर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सम्मिलित 4 महाविद्यालयों को निम्नानुसार अनुरक्षण अनुदान भी मुहैया करवाता है :

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 95 प्रतिशत वित्तपोषण।
- महाविद्यालय के प्रबंधन द्वारा 5 प्रतिशत अनुदान।

वर्ष 2012–2013 के दौरान दिल्ली और बीएचयू के महाविद्यालयों को उपलब्ध करवाये गये अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड रूपये में)

ब्यौरा	आबंटन	जारी अनुदान
दिल्ली के महाविद्यालय	999.76 (वेतन) 25.22 (गैर–वेतन)	956.86 25.22
बीएचयू के महाविद्यालय	25.85 (वेतन) 0.65 (गैर–वेतन)	20.29 0.65

योजनागत अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सामान्य विकास, आमेलित योजनाओं, महिला छात्रावासों तथा खेलकूद अवसंरचना के लिए दिल्ली के 64 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी मुहैया करवा रहा है।

आयोग ने वर्ष 2011–2012 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान जारी किया गया था:–

(करोड़ रूपये में)

विषय	आबंटन		जारी अनुदान	
	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां	सामान्य अनुदान सहायता	पूंजीगत परिसंपत्तियां
महाविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता	2.17	28.00	1.07	2.03
आमेलित योजना	2.42	1.00	0.57	--
विशेष योजना के तहत महिला छात्रावास	--	1.84	--	--
खेलकूद अवसंरचना	0.25	2.75	--	--

4.6 निम्न जी.ई.आर. वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों (ई.बी.डी.) में नए आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ईबीडी क्षेत्रों में डिग्री पाठ्यक्रमों तक पहुंच को बढ़ाना है ताकि समावेशी रूप में समानता और गुणवत्ता के साथ उच्चतर शिक्षा में विस्तार की प्राप्ति की जा सके और 12.4 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम औसत के निम्न सकल नामांकन वाले शैक्षणिक रूप से पिछड़े 374 जिलों (ईबीडी) में नये आदर्श डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा सके। यह योजना मूल रूप से राज्य सरकारों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है जिसका उद्देश्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को उपयुक्त वित्तीय सहायता मुहैया करवाकर उनके उत्थान करना है।

पात्रता:

- महाविद्यालय को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अथवा 1 जनवरी, 2008 को या उसके पश्चात् नये डिग्री महाविद्यालयों के संबंध में योजना आयोग के नयी पहल के तहत स्थापित किया गया हो।

- ➢ महाविद्यालय अधिमानतः किसी विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई होना चाहिए जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो अथवा स्थायी और अस्थायी रूप से ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के तहत कवर हो।
- ➢ महाविद्यालय को राज्य सरकार और/अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित निकायों से सतत् आधार पर योजनागत अथवा/और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त होना चाहिए।

चयनः

- ❖ संबंधित राज्य सरकार प्राथमिकताओं पर उचित रूप से ध्यान देते हुए यह निर्णय लेगी कि आदर्श महाविद्यालय कहां स्थापित करना है।
- ❖ राज्य सरकार संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय की पहचान करेगी जो आदर्श महाविद्यालय के ईबीडी के क्षेत्राधिकार में होगी।
- ❖ संबद्ध करने वाला विश्वविद्यालय एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे उसे मांगी गई वित्तीय सहायता हेतु प्रत्येक मद के लिए औचित्य दर्शाते हुए इसके द्वारा इसके वचनपत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा दिए गए एक शपथपत्र सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वित्तीय सहायताः

केन्द्र सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली सहायता 2.67 करोड़ रु0 प्रति महाविद्यालय की अधिकतम सीमा के साथ 8 करोड़ रु0 की पूंजीगत लागत के 1/3 भाग तक तक सीमित है और आवर्ती व्यय के शेष भाग की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में सहायता अनुपात 50 प्रतिशत (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) : 50 प्रतिशत (राज्य सरकार) होगा। अब केन्द्र के 2.67 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी के साथ पूंजीगत लागत को 8.00 करोड रूपये से कम करके 4.00 करोड रूपये कर दिया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालयों के माध्यम से महाविद्यालयों से 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। जिसमें से 48 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 23 महाविद्यालयों को अनुदान जारी किया जा चुका है और 25 महाविद्यालयों को अनुदान का भुगतान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अनर्हता के आधार पर दो प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया है और 14 प्रस्तावों को स्पष्टीकरण/कतिपय दस्तावेजों हेतु राज्य सरकारों को वापस भेजा गया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान 23 अनुमोदित महाविद्यालयों को 28.00 करोड़ रु0 का कुल अनुदान जारी किया गया है।

4.7 महाविद्यालयों में यंत्र रख–रखाव सुविधा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईएमएफ योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले स्वायत्त और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को सभी स्तरों पर विज्ञान शिक्षा में सुधार करने के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता मुहैया करवाता रहा है। यह सहायता अनिवार्य औजार/उपस्करों के क्रय, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के रखरखाव और अनुरक्षण और साथ ही संस्थान में ऐसे उपकरण के पूल के आधार पर निर्धारित आंकलित कार्यभार के अनुसार योग्य कर्मचारिवृंदों के लिए है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:

- महाविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को अनिवार्य सहायता अवसंरचना के रूप में यंत्र रखरखाव सुविधा (आईएमएफ) की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करना है जिससे उनके वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का प्रभावपूर्ण तथा कुशल रखरखाव किया जा सके।
- वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का रखरखाव करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति और औजार/उपस्कर खरीदने हेतु आवश्यक संसाधनों को विकास आगतों के रूप में मुहैया कराना।
- वैज्ञानिक यंत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के रख–रखाव हेतु आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण तथा दस्तावेजीकरण के माध्यम से कार्यकुशलता को अधिकतम बनाना।
- इस प्रकार से देश में स्थापित की गई इकाइयों को एक दूसरे के साथ सूचना प्रौद्यौगिकी का उपयोग कर जोडना ताकि वे एक दूसरे के अनुभव और विचारों को सांझा कर अपने निष्पादन में सुधार कर सकें।
- योजना की प्रभावकारिता और उपयोगकर्त्ता जैसे छात्रों, शिक्षकों आदि के प्रति इसके उत्तरदायित्व की निगरानी करने के लिये योजना की निगरानी करना।

ऐसे महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) और 12 (ख) के तहत स्नातकोत्तर विज्ञान विषय में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे अपने संस्थान में आई0 एम0 एफ0 केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

जिन महाविद्यालयों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्राप्त की थी वे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सहायता प्राप्त करने के पा्त्र हैं।

वित्तीय सहायता 4.00 लाख रूपये (एक मुश्त) अनावर्ती अनुदान के रूप में तथा 5.70 लाख रूपये आवर्ती अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है जोकि नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारिवृंद (तकनीकी अधिकारी और तकनीशियन) हेतु अनुमेय अनुदान है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी अनुदान तथा लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	जारी किया गया अनुदान	लाभार्थी महाविद्यालयों की संख्या
2010-2011	1.65	23
2011-2012	1.14	56

5 गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता

5.1 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय (यूपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) हेतु योजना आरंभ की थी जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी है।

शिक्षण एवं शोध गतिविधियों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए और समग्र विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ''उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय'' (यू.पी.ई.) का दर्जा प्राप्त करने के लिए चिन्हित विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है। योजना का मुख्य उद्वेश्य निम्नलिखित हैः

- भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और सुशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करना;
- शिक्षण, ज्ञान, अनुसंधान और अग्रप्रसारति कार्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अकादमिक और वास्तविक अवसंरचना को सुदृढ़ करना ;
- सुशासन की लचीली और प्रभावी शैली को प्रोत्साहित करना;
- स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर लचीले क्रेडिट आधारित माड्यूलर प्रणाली और नवीनता के विभिन्न प्रकार जो विश्वभर में स्वीकार्य हैं के साथ सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना;
- देश की सामान्य और क्षेत्र विशेष की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के संगत शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अंतरापृष्ठ के द्वारा महाविद्यालयों में स्नातकपूर्व शिक्षा में सुधार करना;
- देश में अन्य केन्द्रों, विभागों और प्रयोगशालाओं को नेटवर्किंग से जोड़ने को प्रोत्साहन देना;
- अर्द्धवार्षिक प्रणाली(सेमेस्टर सिस्टम), निरंतर आंतरिक मूल्यांकन(सीआईई), क्रेडिट प्रणाली आदि जैसे परीक्षा सुधार कार्यक्रमों को आरंभ करना;
- स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करना;
- ऐसे कार्यकलाप करना जो उपर्युक्त (i) में उल्लिखित मामलों में उत्कृष्टता लाने में सहायक हो।

पात्रता मानदंडः

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित साख वाले विश्वविद्यालय पात्र हैंः

- वर्ष 2007 में आरंभ की गई नई ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन केन्द्र (एनएसीसी) द्वारा 5 स्टार ग्रेडिंग प्रणाली में एनएसीसी फाईव स्टार प्रत्यायन अथवा 9 प्वाईंट ग्रेडिंग प्रणाली में 'ए' ग्रेड और इससे अधिक अथवा 'ए' ग्रेड।
- नैक द्वारा संस्तुत विश्वविद्यालय में सुव्यवस्थित और नियमित रूप से कार्य कर रही आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है।

- एनएएसी द्वारा अंतिम प्रत्यायन से गुणवत्ता पुष्टि और वृद्धि की वार्षिक रिपोर्टें तैयार की;
- किसी भी विषय में कम से कम एक उच्च अध्ययन हेतु केन्द्र (सीएएस)अथवा विशेष सहायता के दो विभाग(डीएसए);

अवधि:

आरंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा जो कि दस वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा और पांच वर्ष के अंत में एक योगात्मक मूल्यांकन हो।

वित्तीय सहायता

योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना से पूर्व प्रत्येक विश्वविद्यालय को योजना अवधि के लिए 30.00 करोड़ रु0 प्रदान किए गए हैं। इस राशि में से, 30 प्रतिशत राशि (रु0 9.00 करोड़) केन्द्रीकृत क्षेत्र पर व्यय की जानी है तथा 70 प्रतिशत (रु0 21.00 करोड़) की राशि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर पर व्यय की जानी है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान सहायता की उपरोक्त उच्चतमांक राशि को बढ़ाकर रु0 50.00 करोड़ कर दिया गया था। इसमें से रु0 15.00 करोड़ (30 प्रतिशत) की राशि केन्द्रीकृत क्षेत्र पर व्यय की जाएगी तथा रु0 35.00 करोड़ (70 प्रतिशत) की राशि सर्वांगीण विकास पर व्यय की जाएगी।

चयन प्रकिया:

ग्याहरवीं योजना में पाँच विश्वविद्यालय, नामतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, एवं पुणे विश्वविद्यालय की पहचान श्रेष्ठता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों का चयन एवं अनुमोदन यू. पी.ई. संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

दसवीं योजना के दौरान, पांच विश्वविद्यालयों के लक्ष्य की तुलना में केवल चार विश्वविद्यालय नामतः मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और एन.ई.एच.यू. का चयन किया गया था। अनुमोदन यूपीई संबंधी स्थायी समिति के समक्ष कार्य समूह द्वारा दिए गए अंक और विश्वविद्यालय से संबंधित कुलपति द्वारा प्रस्तुत ढांचे के आधार पर दिया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, छह और विश्वविद्यालयों नामतः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, कर्नाटक विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालयों का चयन और अनुमोदन यूपीई संबधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन किया गया था।

इन विश्वविद्यालय की पहचान वर्ष 2001 (गयारहवीं पंचवर्षीय योजना) में की गई थी अर्थात मद्रास विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, तथा जाधवपुर विश्वविद्यालय। प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति को अगले पांच वर्ष (2011–16) के लिए चरण–दो के तहत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए नए मूल्यांकन के आधार पर 25.00 करोड़ रू0 के नये आवंटन के साथ अनुमोदित किया गया था।

आरंभ में (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चयन किया गया था। विश्वविद्यालय ने एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त नहीं किया था जो कि यूपीई चरण–II को आगे विस्तार देने के लिए विश्वविद्यालय के मामले पर विचार करने के लिए एक अनिवार्य मानदण्ड है। इसलिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामले में यूपीई के चरण–II को अनुमोदित नहीं किया गया।

अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एनएएसी प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है जिसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय को जुलाई, 2012 में सीजीपीए 3.91 के साथ ग्रेड–ए का एनएएसी प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। इस संबबंध में आगे की कार्यवाही चल रही है।

यूपीई योजना की निगरानीः

योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर एक निगरानी समिति गत वर्षों के दौरान की गई प्रगति निगरानी के लिए प्रत्येक यूपीई विश्वविद्यालय का दौरा करती है। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर एक विशेषज्ञ समिति की गई प्रगति का मूल्यांकन करती है और इसके पश्चात् निगरानी समिति द्वारा पुनः दौरा किया जाता है।

15 यूपीई विश्वविद्यालयों द्वारा बल दिये जाने वाले क्षेत्रों और अब तक उन्हें भुगतान की गई निधियो का ब्यौरा निम्नवत हैः

योजना अवधि	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित राशि (रूपये करोड़ में)		भुगतान की गई राशि (रूपये करोड़ में)	
				चरण–1	चरण–2	चरण–1	चरण–2
ग्याहरवीं योजना	1.	जादवपुर विश्वविद्यालय	मोबाइल अभिकलन संचार एवं नैनो विज्ञान	30.00	25.00	30.00	10.00
	2.	पुणे विश्वविद्यालय	जैव रसायन शास्त्र एवं जैव प्रौद्योगिकी	30.00	25.00	30.00	10.00
	3.	मद्रास विश्वविद्यालय	शकीय विज्ञान (हर्बल विज्ञान)	30.00	25.00	30.00	15.20
	4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	इंटरफेस अध्ययन तथा अनुसंधान	30.00	25.00	30.00	10.00
	5.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	अनुवांशिकी, जैनोमिक्स जैव प्रौद्योगिकी	30.00	प्रगति पर है	30.00	शून्य
दसवीं योजना	6.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जीव विज्ञान में नैनोलाजी	28.65	--	28.65	--
	7.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू)	जैव विज्ञान एवं क्षेत्रीय अध्ययन	30.00	--	25.00	--
	8.	कोलकाता विश्वविद्यालय	आधुनिक जीव विज्ञान	30.00	--	25.00	--
	9.	मुम्बई विश्वविद्यालय	हरित प्रौद्योगिकी	30.00	--	10.00	--
ग्याहरवीं योजना	10.	ओस्मानिया विश्वविद्यालय	द्रव्य अनुसंधान सामाजिक प्रासंगिकता	50.00	--	30.00	--
	11.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील द्रव्यमान (उर्जा द्रव्यमान, मल्टीफेरानिक्स, अत्याधुनिक पालीमर) 2) जीनोमिकी और प्रोटियोमिक्स	50.00	--	30.00	--
	12.	राजस्थान विश्वविद्यालय	पदार्थ और अभिसरणात्मक विज्ञान नैनो–पदार्थ, नैनो–कंपोजिट तथा बहुपरत	50.00	--	30.00	--

योजना अवधि	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	बल दिया जाने वाला क्षेत्र	अनुमोदित राशि (रूपये करोड़ में)		भुगतान की गई राशि (रूपये करोड़ में)	
				चरण–1	चरण–2	चरण–1	चरण–2
	13.	मैसूर विश्वविद्यालय	1) अत्याधुनिक क्रियाशील, पदार्थों का संसाधित करना, लक्षण वर्णन तथा उनका अनुप्रयोग 2) मीडिया और सामाजिक विकास – कर्नाटक का अध्ययन मामला	50.00	--	30.00	--
	14.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	आतंकवादरोधी गतिविधियां – एक समेकित पद्धति	50.00	--	30.00	--
	15.	गुरूनानक देव विश्वविद्यालय	पदार्थ विज्ञान	50.00	--	30.00	--

वर्ष 2012–13 के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय'' (यू.पी.ई.) को 1426777785 रु0 की धनराशि जारी की गई थी।

5.2 उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सीपीई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी.पी.ई योजना को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया था। इस योजना के अन्तर्गत कालेजों को उनकी अकादमिक अवसंरचना में सुधार लाने, शिक्षण, प्रशिक्षण में नवोन्मेषी तत्वों को अपनाने के लिए तथा डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन में एक लचीला दृष्टिकोण प्रस्तावित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी उत्कृष्टता की संभाव्यता वाला कॉलेज अपने समस्त कार्यक्षेत्र में विद्यमान अन्य सभी कॉलेजों के लिए एक आदर्श भूमिका को अदा करता है। इस योजना का उद्धेश्य यह है कि चयनित महविद्यालयों, विशेष रूप से शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में तथा एक शोध संस्कृति आरंभ करने में, सहायता प्रदान करना है।

10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :–

10 वीं पंचवर्षीय योजना

गैर–स्वायत्त / एनएएसी / एनबीए द्वारा अप्रत्यायित नहीं हैं – 35.00 लाख रू0 तक।

स्वायत्त तथा जो प्रत्यायित नहीं है अथवा प्रतिलोमत : 60.00 लाख रू0 तक।

स्वायत्त एवं प्रत्यायित कॉलेज : .100.00 लाख रू0 तक।

11 वीं पंचवर्षीय योजना

जो महविद्यालय प्रत्यायित हैं, परन्तु स्वायत्त नहीं हैं – 100.00 लाख रू0 तक।

प्रत्यायित एवं स्वायत्त महविद्यालयों के लिए – 150.00 लाख रू0 तक।

पात्रता/पूर्व अर्हता

1. महाविद्यालय 10 वर्ष या इससे पूर्व स्थापित होना चाहिए।
2. महाविद्यालय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/घटक होना चाहिए।
3. महाविद्यालय, एनएएसी द्वारा प्रत्यायित/न्यूनतम तीन स्टार/अथवा 'बी' ग्रेड अथवा 2.01 ग्रेड प्वाईंट औसत अथवा 2.01 होना चाहिये तथा वैधता अवधि के भीतर होना चाहिए। वैधता अवधि पूर्ण हो जाये तो महाविद्यालय को पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन करना चाहिए।

सी.पी.ई योजना के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के दौरान सीपीसी दर्जे हेतु चयनित महाविद्यालयों की संख्या और ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

वर्ष 2012–13 के दौरान योजना के तहत 284 महाविद्यालयों को 467325824 रु0 की धनराशि जारी की गई थी।

5.3 विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र (सी.पी.ई.पी.ए.)

चयनित विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों (यूपीई) योजना को आरंभ किया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच विश्वविद्यालय नामतः मद्रास, जेएनयू, हैदराबाद, जादवपुर तथा पुणे विश्वविद्यालयों का चयन किया गया।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग ने और कुछ और अधिक विश्वविद्यालयों को यूपीई का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया।

तदनुसार, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के चरण–2 के चयन के दौरान यू.पी.ई. योजना के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा 12 और विश्वविद्यालयों को चिन्हित किया गया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करते समय आयोग ने **25** जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि उन्हें विशिष्ट क्षेत्र में "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र" कह सकते हैं। योजना के अंतर्गत केवल 12 विश्वविद्यालयों को अनुमोदित किया गया था। उस समय योजना हेतु कोई दिषानिर्देष नहीं थे।

एकमुश्त अनुदान के रूप में विज्ञान/प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 करोड़ रु0 और सामाजिक विज्ञान/मानविकी क्षेत्रों के लिए 3.00 करोड़ रु0 थी। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रत्येक केन्द्रों के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों की सहायता से इन केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा की गई थी।

सपीईपीए केन्द्रों के विशिष्टता का मुख्य क्षेत्र का ब्यौरा तथा अभी तक भुगतान की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विकसित किया जाने वाला विशेषज्ञता वाला क्षेत्र	10वीं योजना के दौरान किया गया आबंटन (करोड़ रूपये में)	10वीं योजना के दौरान जारी किया गया आबंटन (करोड़ रूपये में)
1.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय	खेलकूद विज्ञान	5.00	5.00
2.	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	लेजर एवं ऑप्टो–इलैक्टॉनिक साइंस एवं टैक्नोलॉजी	5.00	5.00

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विकसित किया जाने वाला विशेषज्ञता वाला क्षेत्र	10वीं योजना के दौरान किया गया आबंटन (करोड़ रूपये में)	10वीं योजना के दौरान जारी किया गया आबंटन (करोड़ रूपये में)
3.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	जैनोमिक विज्ञान	5.00	5.00
4.	पंजाब विश्वविद्यालय	जैव चिकित्सकीय विज्ञान	5.00	5.00
5.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	हिमालय संबंधित अध्ययन	5.00	5.00
6.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	पॉलीमर कैमिस्ट्री	5.00	5.00
7.	अन्ना विश्वविद्यालय	पर्यावरणीय विज्ञान	5.00	5.00
8.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	एप्लाइड पॉलीमर्स	5.00	5.00
9.	अरूणाचल विश्वविद्यालय (वर्तमान में राजीव गाँधी विश्वविद्यालय)	जैव विविधता	3.00	3.00
10.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	बिहेवियरल कॉगनेटिव साइंस	5.00	5.00
11.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति	पारम्परिक शास्त्र	3.00	3.00
12.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	ई–मैनेजमैंट स्टडीज़	3.00	3.00

सहायता का स्वरूप :

सीपीईपीए योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप निम्नवत है:

(i) विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी:

- विज्ञान/प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए 7.00 करोड़ रु0: और
- सामाजिक विज्ञान/मानविकी क्षेत्रों के लिए 5.00 करोड़ रु0।

(ii) विश्वविद्यालयों को वित्तपोषण परियोजना उन्मुखी होगा और विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) प्रस्ताव अनुदान स्वीकृत करने का आधार होगी;

(iii) योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय की अवधि आरंभ में पांच वर्षों के लिए होगी, जिसे वार्षिक/योगात्मक समीक्षा के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है;

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान को केवल निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जा सकता है;

- अंतर–और बहु–विषयक क्षेत्रों में परियोजना उनमुखी सहायता शैक्षिक/शोध कार्य करना;
- अतिरिक्त शैक्षिक/शोध कर्मचारी के वेतन और उपस्कर/पुस्तकालय संसाधनों और कार्यशील व्यय को पूरा करना;
- अंतर और/बहु–विषयक क्षेत्रों में संकाय विकास, सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना;

(v) यह अनुदान निम्नलिखित कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होगा:

- भवन निर्माण और/अथवा वास्तविक अवसंरचना विकास करने के लिये;
- एकल विषयक शैक्षिक/शोध/विस्तार कार्य हेतु सहायक संकाय सदस्य को सहायता प्रदान करने के लिये;

(vi) एक बार प्रस्ताव को अनुमोदित करने के पश्चात्, अनुदान का उपयोग प्रत्येक मामले में विशेषज्ञ समिति द्वारा तय किए गए विस्तृत बजट और कार्य योजना के अनुसार होगा;

अर्हता मानदण्डः

अनिवार्य

(i) चयनित क्षेत्रों/संकायों में अपने विभाग में उच्च स्तरीय स्नातकोत्तर, एम. फिल और पी.एच.डी. कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव हो;

(ii) तीन या अधिक विभागों को संबद्ध करने के लिये एक कार्य योजना तैयार करे। संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु उनके मध्य समझौता ज्ञापन निर्धारित करे तथा समन्वयनों का चयन करे;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एसएपी योजना के तहत डीएसए/सीएएस हेतु नवीन चयन करने वाला कम से कम एक भागीदार विभाग हो;

(iv) विभागों को कवर करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक एजेंसी (जैसे एनएएसी, एनबीए) द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करना तथा इसकी वैधता की अवधि के भीतर होगा;

(v) प्रत्येक विभागों साथ ही राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विद्वत निकायों/अकादमियों और/अथवा अन्य उत्कृष्ट संस्थाओं से कम से कम एक संकाय सदस्य होना चाहिए;

वांछितः

(i) छात्रों के परियोजना कार्य, निणांत/वाचस्पति उपाधि धारकों तथा प्रकाशनों के अभिलेख द्वारा अंतर तथा बहु विषयक पाठ्यचर्या में सक्षमता का प्रदर्शन किया हो;

(ii) चयनित क्षेत्रों/विषयों में संबंधित विभागों में गुणवत्तायुक्त शोध कार्य करने का अनुभव हो जिसका प्रमाण प्रकाशनों/पेटेन्टों द्वारा प्रकट हो;

वर्ष 2012–13 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत 89000000/– रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.4 नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना (एस.ए.पी.)

उदारीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बदले आर्थिक परिवेश और नई उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली से गुणवत्ता उत्पादों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 2001 के दौरान विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर विज्ञान और मानविकी में विभिन्न अंतर–विषयक क्षेत्रों संबंधी अध्ययन और अनुसंधान में ''उत्कृष्टता के नए केन्द्रों/संस्थानों की स्थापना '' नामक नई योजना आरंभ की गई थी।

वर्तमान में केवल 3 केन्द्र यथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे तथा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर चल रहे हैं।

5.5 विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.)

एसएपी कार्यक्रम की शुरूआत 1963 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध और शिक्षण में कुछ संभाव्यता वाले चुनिंदा विश्वविद्यालय विभागों को सुकर बनाने के लिए शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता और समूह कार्य की खोज को प्रोत्साहित करना है। पहला ऐसे कार्यक्रम को 'उच्च अध्ययन केन्द्र ' (सीएएस) के रूप में 1963 में आरंभ किया गया था। ऐसे कुछ केन्द्रों को यूएनडीपी/यूनेस्को से भी मान्यता और वित्तीय सहायता मिलती है। ''विशेष सहायता विभाग'' (डीएसए) और ''विभागीय शोध सहायता '' (डीआरएस) कार्यक्रम क्रमशः 1972 और 1977 में सीएएस हेतु फीडर विभागों के संवर्ग के लिए आरंभ किए गए थे।

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) स्तर

1. अनुसंधान सहायता विभाग (डीआरएस)
2. विशेष सहायता विभाग (डीएसए)
3. उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस)

उद्देश्य

विशेष सहायता कार्यक्रम (सैप) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :

क) उन विश्वविद्यालय विभागों की पहचान करना और सहायता देना, जो संबद्ध विषयों को मिलाकर, शैक्षिक विषयों में गुणवत्ता शिक्षण तथा शोध करने की क्षमता रखते हैं।

ख) कार्यक्रम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए और जिनमें समाज और उद्योग की अन्योन्यक्रिया हो।

ग) अच्छे शिक्षण के लिए शोध को उत्प्रेरक बनाना और अभिज्ञात बल दिये जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना।

घ) डीएसटी, सीएसआईआर, डीबीटी आदि शोध संगठनों से संपर्क रखना और अपनी विशेषज्ञता को नवाचारी रूप में उपयोग करना, ताकि विश्वविद्यालयों में शोध को समर्थन दिया जा सके।

ङ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करना।

च) शोध के निर्गम का राष्ट्र और समाज के विकास के लिए उपयोग में लाना।

छ) बल दिए जाने वाले चिन्हित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना और गुणवत्तायुक्त मानवीय अनुसंधान करना।

झ) नए/व्यापक क्षेत्र/क्षेत्रों की खोज करना और उनका संवर्धन तथा विकास करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों मे शोध की सहायता के लिए शोध संगठनों जैसे डीएसटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ आदि को समेकित कर नवीन रूप से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में अंतर–विषयक शोध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पात्रता

कोई विश्वविद्यालय/विभाग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत योग्य हैं और जिनमें गुणवत्तायुक्त शिक्षण और शोध की संभाव्यता है, एसएपी के अंतर्गत शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते

हैं। एसएपी के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र बनने के लिए विभाग में कम से कम एक आचार्य, दो सह–आचार्य और तीन सहायक आचार्य होने चाहिए।

कार्यक्रम की अवधि

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की अवधि विशिष्ट चरण के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीआरएस और डीएसए के उसी स्तर पर तीन अवधियों से अधिक (प्रत्येक पांच वर्ष) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/सीएएस जैसी भी स्थिति हो के स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार होता है। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर् महत्वपूर्ण सुधार होता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे अगले डीआरएस/सीएएस स्तर पर उन्नयन करने पर विचार कर सकता है। यदि विभाग के निष्पादन में डीआरएस/डीएसए के स्तर पर तीन अवधियों के लिए अनुदान प्राप्त करने और चरण–चार के लिए समीक्षा द्वारा सिफारिश करने के पश्चात् महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। अनुमोदित चरण/ अवधि के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अगले आगामी वर्ष की पहली अप्रैल होगी। विभाग को अगले वित्त वर्ष की पहली अप्रैल की अनुमोदन की तिथि से छह महीने अथवा जो भी पहले के भीतर निबंधन और शर्ते स्वीकार करनी होगी और कार्यक्रम कार्यान्वित करना होगा अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम के अनुमोदन को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सहायता का स्वरुप

कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों पर 5 वर्ष की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी :

कार्यकम/स्तर	विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (लाख रू.में)	गणित, सांख्यिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान (लाख रू.में)
सीएएस	150	100
डीएसए	100	75
डीआरएस	75	60

वित्तीय सहायता में निम्नवत सम्मिलित होगा:

- परियोजना अध्येता और अनुसंधान एसोशियेट का वेतन।
- व्यय की आवर्ती और अनावर्ती मदें।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर दो से छह महीनों की अवधि के लिए चिन्हित विदेशी विश्वविद्यालयें/शोध संस्थानों में एस.ए.पी. विभागों से एक वर्ष में दो अध्यापकों को भेजने के लिए एक स्पष्ट सहयोगात्मक शोध कार्यक्रम पर विचार कर सकता है।

प्रवेश हेतु अनुमोदन की प्रकिया

लघु सूचीबद्ध प्रस्तावों पर विषय प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाता है। समिति, संकीर्णता से इतर 2 अथवा 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अथवा ऐसे समूह क्षेत्रों को चिन्हित करती है जो विभाग में उत्कृष्टता पर आधारित न हो। समिति, संबंधित क्षेत्र से कार्यक्रम के समन्वयक और दो परामर्श समिति सदस्यों को भी चिन्हित करती है।

अनुदान जारी करना

प्रवेश समिति की सिफारिश के आधार पर, वित्तीय अनुमोदन/सहायता कतिपय निबंधन और शर्तों के साथ संबंधित विश्वविद्यालय के चयनित विभाग को संप्रेषित की जाती हैं।

विभागों की निगरानी/मूल्यांकन

एस.ए.पी. के अंतर्गत सहायता प्राप्त विभागों द्वारा की गई निगरानी/मूल्यांकन और प्रगति निष्पादन, उपलब्धियों की समीक्षा परामर्श समिति, मध्यवधि निगरानी और मूल्यांकन समिति और अंतिम समीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

एसएपी विभागों की मौजूदा स्थिति

1. **31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्याः**

स्तर/चरण	एसएपी–I (विज्ञान)	एसएपी–II (विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी–III (मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान और भाषा)	कुल
सीएएस	48	45	47	140
डीएसए	26	24	41	91
डीआरएस	182	202	259	643
कुल	**256**	**271**	**347**	**874**

2. वर्ष 2012–13 के दौरान समीक्षा किए गए विभागों की संख्या : 132

3. वर्ष 2012–13 के दौरान बंद कर दिए गए विभागों की संख्या : 11
(डीआरएसः2, डीएसएः1और सीएएसः1)

4. समान स्तर पर समीक्षा किए गए विभागों की संख्या : 101
(डीआरएसः11, डीएसएः1और सीएएसः19)

5. वर्ष 2012–13 के दौरान उन्नयन किए गए मौजूदा विभागों की संख्या : 18
(सीएएसः8, डीएसएः3)

6. वर्ष 2012–13 के दौरान आरंभ किए गए नए विभागों की संख्या : 69

7. 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार विभागों की संख्या : 932 विभाग

स्तर/चरण	एसएपी–I (विज्ञान)	एसएपी–II (विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी)	एसएपी–III (मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान और भाषा)	कुल
सीएएस	51	47	47	145
डीएसए	29	25	41	95
डीआरएस	190	240	262	692
कुल	**270**	**312**	**350**	**932**

8. वर्ष 2012–13 के दौरान हुआ व्यय : 633369341 रूपये।

9. वर्ष 2012–13 के दौरान किया गया आबंटन : 633369341 रूपये।

5.6 नवोन्मेषी कार्यक्रम – कुछ उभरते हुए एवं अर्न्तविषयक क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध

अर्न्तविषयक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पश्चात् एक वर्ष के स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर विशिष्ठ पाठ्यक्रमों को हेतु सहायता प्रदान करने तथा उसका संवर्धन करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए शिक्षा, शोध, अकादमिक उत्कृष्टता, सामाजिक विकास, तथा विविध विधाओं में शैक्षिक, राष्ट्रीय वैश्विक प्राथमिकताओं पर खरा उतरने वाले क्रियाकलापों को प्रभावित करने हेतु उत्कृष्ट नवीन विचारों तथा नवोन्मेषी प्रस्तावों को लागू किया जा सके तथा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों मे समूहगत/विभागीय अनुसंधान कार्य को बढावा देने के उद्धेश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्न्तविषयक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और शोध की योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सीमा रू. 60.00 लाख है–अनावर्ती (.40.00 लाख रू0 की सीमा) एवं वास्तविक आधार पर स्टॉफ सहित (यदि अनुमोदित हो तो) आवर्ती (20.00 लाख रू0 की सीमा) शामिल है। अनावर्ती के अन्तर्गत सहायता में उपकरणों, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, संगोष्ठियों, उपकरणों की मरम्मत आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा आवर्ती के अन्तर्गत कार्यचालन व्यय/आकस्मिक व्यय, उपभोज्य वस्तुएँ/शीशें के पदार्थ यात्रा एवं क्षेत्रीय भ्रमण, सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ एवं विजिटिंग/अतिथि संकाय हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं। नवोन्मेषी कार्यक्रम की अवधि पांच वर्ष है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–2017) 2012–13 के दौरान अनुमोदित, आवटित और प्रदत्त अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष	आबंटन (रूपये लाख में)	प्राप्त किये गये वास्तविक लक्ष्य			बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष–वार व्यय
				विश्वविद्यालय विभाग	महाविद्यालय	कुल	
1}*	नवोन्मेषी कार्यक्रम–अर्न्तविषयक तथा उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण और शोध	(2012-2013)	350.00 1150.00	27	41	68	467.15 (31) आर 2695.34 (35) एनआर
	कुल	**बारहवीं योजना 2012-2017**	**1500.00**	**27**	**41**	**68**	**3162.49**
2}**	एएसआईएचएसएस कार्यक्रम/ एएसआईएसटी कार्यक्रम	(2012-2013)	163.00 500.00	87	शून्य	87#	शून्य (31) आर 5.86 (35) एनआर
	कुल	**बारहवीं योजना 2012-2017**	**663.00**	**87**	**भान्य**	**87#**	**5.86**

**आयोग के दिनांक 10.5.2013 के निर्णय के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तुरंत प्रभाव से नवोन्मेषी कार्यक्रम की योजना बंद कर दी गई है।*

***आयोग द्वारा 11 और 12 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई 443वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एएसआईएचएसएस कार्यक्रम को एसएपी कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत केवल चालू विभागों को ही सहायता प्रदान की गई है।*

5.7 स्वायत्त महाविद्यालय

शिक्षा आयोग (1964–66) ने यह इंगित किया था कि शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता, हमारे देश के बौद्धिक परिवेश के विकास के लिए परम आवश्यक है। जब तक ऐसा परिवेश पैदा नहीं होगा तब तक उच्चतर शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता प्राप्त करना कठिन है। चूकि छात्र, शिक्षक तथा प्रबंधन उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करने में सह–भागीदार हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी उठाने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए शिक्षा आयोग (1964–66) ने महाविद्यालयों को स्वायत्तता की प्रदान करने की सिफारिश की थी। मूलतः महाविद्यालयों को स्वायत्तता ही अकादमिक उत्कृष्टता को वढ़ावा देने का एक माध्यम है।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएँ :

एक स्वायत महाविद्यालय को निम्नवत हेतु स्वतंत्रता होगी :–

- राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप प्रवेश हेतु नियम निर्धारित करना;
- विद्यार्थी के कार्य के मल्यांकन के लिए परीक्षा संचालन की विधियां तैयार करना तथा परीक्षा परिणाम को अधिसूचित करना;
- उच्च स्तर प्राप्त करने तथा अधिक सृजनात्मकता प्राप्त करने के लिए शिक्षा–प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना;
- स्वास्थ्यकर पद्धतियों यथा–समाज सेवा, विस्तार गतिविधि, व्यापक रूप से समस्त समाज के लाभ के लिए परियोजनाओं, ''नेबरहुड कार्यक्रमों'' आदि को बढ़ावा देना;
- स्थानीय जरूरतों के अनुकूल अपने अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण को निर्धारित एवं विहित करना, पाठ्क्रमों का पुनर्गठन करना तथा उनको पुन : डिजाइन करना।

स्वायत्त महाविद्यालय की योजना को वि0अ0आ0 द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना(1969–73) के दौरान शिक्षा आयोग(1964–66) की सिफारिशों के अनुपालन मे तैयार किया गया था।

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत सभी सहायता प्राप्त एंव गैर–सहायता प्राप्त एनएएसी/एनबीए प्रत्यायित महाविद्यालय स्वायत्तता दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। योजना की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों के अनुसार आरंभ में स्वायत्तता का दर्जा छह वर्षो के लिए दिया जाता है जिसे स्वायत्त कालेजों की कार्यप्रणाली की समीक्षा के आधार पर अगले छह वर्षो के लिए बढाया जायेगा।

आवेदन करने की प्रकियाः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वायत्तशासी दर्जा प्राप्त करने में इच्छुक पात्र महाविद्यालय से अकादमिक वर्ष के दौरान सितंबर/अक्तूबर में एक बार प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। अलग–अलग विश्वविद्यालय भी परिपत्र भेजकर महाविद्यालयों को आवेदन करने को कह सकते हैं।

आवेदन करने हेतु अर्हताः

वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 2(च) और 12 (ख) के तहत सभी महाविद्यालय जिन्हे स्थापित हुए कम से कम दस वर्ष हो गए हों, वे आवेदन करने के लिये पात्र हैं।

आयोग ने 10 सितम्बर, 2009 से प्रत्यायित महाविद्यालय के संबंध में दिशानिर्देशों को आशोधित किया, जो निम्नवत पठित हैं :–

बिना सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त करने वाले महाविद्यालय :– 10 वर्षों से स्थापित हो तथा एनएएसी/एनबीए द्वारा प्रत्यायित किये गये हों। इसके पश्चात् अप्रत्यायित महाविद्यालय स्वायत्तशासी दर्जे के लिये पात्र नहीं होंगे तथा मौजूदा महाविद्यालय से एक वर्ष के भीतर प्रत्यायन का दर्जा प्राप्त करने का कहा जायेगा।

इसके अलावा आयोग ने 4 मई, 2001 से स्वायत्तशासी 'महाविद्यालय' हेतु एनएएसी/एनबीए दिशानिर्देशों में संशोधन कर दिया है जो निम्नवत पठित हैं :–

आयोग ने निर्णय लिया कि जब तक एनएएसी की रिपोर्ट में कवर किये गये संघटक महाविद्यालय के नाम का साथ ही मूल विश्वविद्यालय के नाम का विशिष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो तब तक संघटक को स्वायत्त दर्जा प्राप्त करने के लिए एनएएसी द्वारा पृथक प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

इसके अलावा, आयोग ने 17.12.2012 से स्वायत्तशासी सी हेतु एनएएसी/एनबीए दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है जो निम्नवत पठित है:–

आयोग ने यह निर्णय लिया है कि एनएएसी द्वारा प्रत्यायित महाविद्यालय को न्यूनतम 'बी' ग्रेड का प्रत्यायन प्राप्त होना चाहिए। आयोग ने आगे यह निर्णय लिया कि इंजीनियरिंग/तकनीकी/प्रबंधन महाविद्यालय के मामले में नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने/स्वायत्तशासी दर्जा बढ़ाये जाने हेतु विचार करने के लिये कम से कम तीन पाठ्यक्रमों हेतु एनबीए प्रत्यायन प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया:

आयोग ने 19 मई, 2009 से स्वायत्तशासी महाविद्यालय को नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है, जो निम्नवत पठित हैं:

आयोग ने आगे नये प्रस्तावों हेतु मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा की तथा यह संकल्प पारित किया कि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकारों के नामितियों के साथ सभी नये मामलों के लिये एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये। छानबीन समिति की मौजूदा प्रक्रिया को समाप्त कर अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करने हेतु तत्स्थानिक निरीक्षण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये।

स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता:

1. योजना के तहत वि0अ0आ0 निम्नवत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

क्र. सं.	महाविद्यालय का स्वरूप	स्वायत्ता अनुदान राशि जिसका वह पात्र है (रूपये में)
1.	केवल स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश कराने वाले : (क) कला/विज्ञान/वाणिज्य–मात्र एकल संकाय (ख) कला/विज्ञान/वाणिज्य–एक से अधिक संकाय वाले	 900000/- 1500000/-
2.	स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर इन दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों की पेशकश कराने वाले महाविद्यालय: (क) एकल संकाय (ख) बहुल संकाय	 100000/- 2000000/-

2. यह निर्णय लिया गया कि जो स्वायत्तशासी महाविद्यालय क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करेंगे उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

मासविम/रक्षा मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च, 2013 के दौरान चुनिंदा शैक्षिक संस्थानों (स्वायत्तशासी महाविद्यालय) में अकादमिक वर्ष 2013–14 से क्रेडिट प्वाइंट के साथ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिये एक कार्यशाला आयोजित की।

स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय के अस्तित्व में आने के 10 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, उन्हें बिना कोई स्वायत्तशासी अनुदान प्रदान किये स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जायेगा। उन्हें अन्य महाविद्यालयों पर लागू समान प्रक्रिया से गुजरना होगा।

31.3.2013 की स्थिति के अनुसार 19 राज्यों में 80 विश्वविद्यालयों के 427 स्वायत्तशासी महाविद्यालय (अनुलग्न–1) थे।

अनुदान को जारी किया जानाः

स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के लिये ग्राह्य स्वायत्तशासी अनुदान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से जारी किया जा रहा है जो हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बंगलुरू तथा दिल्ली में स्थित है।

योजना का प्रभावी कार्यान्वयन तथा निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राप्त प्रतिप्राप्तियों के आधार पर समय–समय पर दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा संशोधन करता है।

स्वायत्तशासी दर्जे की समीक्षाः

पूर्व में, स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना, के निम्नवत उपबंधों के अनुसार समीक्षा की गई थीः

''संबद्ध विश्वविद्यालय तथा संबंधित राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तीन प्रतिनिधियों की एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति गठित की जायेगी जिनमें से एक प्रतिनिधि स्वायत्तशासी दर्जा प्रदत्त किये जाने के प्रथम तथा उत्तरवर्ती कार्यकाल को पूर्ण करने के पश्चात् स्वायत्तशासी दर्जे को बढ़ाये जाने के महाविद्यालय के प्रस्ताव की जांच करने हेतु समिति का आयोजक होगा।''

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 19 मई, 2009 से स्वायत्तशासी महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने हेतु आयोग के दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया जो निम्नवत पठित हैः–

''संयुक्त समिति के बजाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित कुछ विशेषज्ञों की संयुक्त समिति निम्नानुसार स्वायत्तशासी महाविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये महाविद्यालय का दौरा कर सकते हैंः''

(i) 3 विशेषज्ञ जिनमें से एक अध्यक्ष होगा।

(ii) संबद्ध विश्वविद्यालय का एक नामिति।

(iii) राज्य सरकार से एक नामिति।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी (सदस्य सचिव)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समीक्षा समिति स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किये जाने के 5वें तथा 6ठे वर्ष के बीच महाविद्यालय का दौरान कर सकती है। विश्वविद्यालय स्वायत्त दर्जा प्रदान किये जाने की अवधि के दौरान कम से कम एक बार अपने स्वयं की समीक्षा समिति को भेज सकती है जिसमें इसके सदस्य तथा राज्य सरकार के नामिति सम्मिलित हो।"

ऐसा आयोग द्वारा स्वायत्त दर्जे को बढ़ाये जाने के संबंध में मौजूदा अवधि की समाप्ति से पहले निर्णय लिये जाने के दृष्टिकोण से किया गया था।

आयोग ने 19 नवम्बर, 2009 से स्वायत्तशासी महाविद्यालय हेतु नया स्वायत्त दर्जा/स्वायत्त दर्जे के बढ़ाये जाने संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है, जो निम्नवत पठित हैं :–

आयोग को उपरोक्त मुद्दे पर मसविम से दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 का एक प्राप्त हुआ तथा उसने यह निर्णय लिया कि संबंधित राज्य सरकारों से किसी महाविद्यालय को नया स्वायत्त दर्जा प्रदान किये जाने और साथ ही किसी महाविद्यालय के स्वायत्तशासी दर्जे को बढ़ाये जाने से पूर्व अपने नामितियों को नामित करने का अनुरोध किया जाये। अगर राज्य सरकार पत्र जारी किये जाने में 90 दिनों के भीतर नामिति नहीं उपलब्ध कराती है तो उपरोक्त समितियां समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है।

आयोग ने 04 मई, 2011 से स्वायत्तशासी महाविद्यालय को स्वायत्त दर्जा दिये जाने हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा की जो कि निम्नवत पठित है:–

आयोग ने निर्णय लिया कि आगे से कोई भी महाविद्यालय जिसे स्वायत्तशासी दर्जा दिये जाने के पश्चात् लगातार तीन समीक्षाएं हुई हैं तथा विशेषज्ञ समिति द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं की गई हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दौरान करने वाली समितियों द्वारा आगे कोई समीक्षा नहीं की जानी चाहिये। तथापि, ऐसे महाविद्यालयों के शासी बोर्ड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक नामिति का होना अनिवार्य शर्त बनायी जानी चाहिए।

वर्ष 2012–13 के लिये देश भर के महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने/दर्जे को बढ़ाये जाने के संबंध में 86 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नया दर्जा/दर्जे को बढ़ाये जाने हेतु इन महाविद्यालयों का दौरान करने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

वर्ष 2012–13 के दौरान 13 महाविद्यालयों को नया स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया गया था जबकि 71 महाविद्यालयों के स्वायत्तशासी दर्जे को बढ़ाया गया था।

5.8 अकादमिक स्टॉफ कॉलेज (एएससी)

शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति 1986 ने एएससी योजना के तहत शिक्षकों के पेशेवर विकास हेतु एक वृहद कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया गया था। योजना को 1976–87 में आरंभ किया गया था। वर्तमान में देशभर में 66एएससी कॉलेज फैले हुए हैं। एएससी लगभग सभी राज्यों में चल रहे हैं तथा नये नियुक्त हुए व्याख्याताओं के लिये 4 माह के विशेष रूप से तैयार किये गये अभिविन्यास कार्यक्रम चला रहे हैं तथा कार्यरत शिक्षकों हेतु तीन माह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

अभिविन्यास का उद्देश्य युवा व्याख्याताओं में सामाजिक, बौद्धिक तथा नैतिक परिवेश के माध्यम से आत्मनिर्भरता की गुणवत्ता तथा आत्मक्षमता एवं विश्वास को जगाना है। अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक भारतीय समाज की समस्याओं के बारे में अवगत होता है तथा राष्ट्रीय विकास में वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इन समस्याओं के निराकरण में शिक्षा की भूमिका, उच्चतर शिक्षा नेतृत्व की भूमिका के बारे में अवगत होता है।

पुनश्चर्या पाठयक्रम सेवारत शिक्षकों को अपने साथियों के साथ अपने अनुभव साझा करने तथा एक–दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह विषय में नवीनतम विकास तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के बारे में अवगत कराने हेतु एक मंच होगा। संकाय हेतु ओ0पी0/आर0सी0 के अलावा एएससी वरिष्ठ संकाय यथा आचार्य और रीडरों के पेशेवर विकास के लिए विभिन्न विषयों में 2 से 6 दिनों के अल्पकालीन पाठयक्रम भी आयोजित करता है।

आयोग को मेजबान विश्वविद्यालयों/संस्थान को पाठ्यक्रम चलाने हेतु रिसोर्स व्यक्ति, भागीदारों, पुस्तकों, उपस्करों, कार्यचालन व्यय तथा अकादमिक स्टाफ कॉलेज स्टाफ के वेतन हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

वर्ष 2012–13 के दौरान किए गए बजट आबंटन के समक्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को जारी किए गए अनुदान, अनुमोदित किए गए पाठ्यक्रम तथा संचालित किये गये पाठ्यक्रम तथा लाभार्थियों की संख्या निम्नवत तालिका में दी गई है :–

बजट आबंटन (रूपये में)	जारी किया गया अनुदान (रूपये में)	अनुमोदित कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों की संख्या	संचालित कार्यक्रमो/पाठ्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
30.00 करोड	45.75 करोड	290. ओ.पी	240 ओ0पी0	लगभग 27460 शिक्षक **पुरूष – 16450 (लगभग)** अ0ज0 (15%) – 2467.50 अ0ज0जा0 (7.5%) – 1233.75 सामान्य (77.5%) – 12748.75 **महिलाएं – 11010 (लगभग)** अ0ज0 (15%) – 1651.50 अ0ज0जा0 (7.5%) – 825.75 सामान्य (77.5%) – 8532.75
		810-आर. सी.	780 आर0सी0	
		292 अल्पकालीन पाठ्यक्रम	250 अल्पकालीन पाठ्यक्रम	

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए बजट आबंटन के समक्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को जारी किए गए अनुदान, अनुमोदित किए गए पाठ्यक्रम तथा संचालित किये गये पाठ्यक्रम तथा लाभार्थियों की संख्या निम्नवत तालिका में दी गई है :–

बजट आबंटन (रूपये में)	जारी किया गया अनुदान (रूपये में)	अनुमोदित कार्यक्रम/पाठ्यक्रमों की संख्या	संचालित कार्यक्रमो/पाठ्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
137.80 करोड रुपये	193.04 करोड रुपये	1283 ओ.पी	ओ0पी0	लगभग 119838 शिक्षक **पुरूष – (लगभग)** अ0ज0 (15%) – 2467.50.50 अ0ज0जा0 (7.5%) – 1233.75 सामान्य (77.5%) – 12748.75 **महिलाएं – (लगभग)** अ0ज0 (15%) – 1651.50 अ0ज0जा0 (7.5%) – 825.75 सामान्य (77.5%) – 8532.75
		3961 -आर. सी.	आर0सी0	

5.9 राजभाषा (हिन्दी) को बढ़ावा देना

केन्द्र सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिन्दी को भारत संघ की सरकारी/कामकाजी भाषा घोषित किया और केन्द्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ''राजभाषा प्रकोष्ठ'' स्थापित करने का निर्देश दिया और इस प्रयोजनार्थ "राजभाषा प्रकोष्ठ" स्थापित करने का निदेश जारी किया गया।

राजभाषा अधिनियम के अनुपालन में वि.अ.आ. ने आरंभ में एक राजभाषा प्रकोष्ठ स्थापित किया था, जिसे वर्ष 1992 में एक पूर्ण राजभाषा अनुभाग बना दिया गया।

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सभी दस्तावेज (अमान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, समझौते, निविदा, संविदा सूचनाएं, संसदीय प्रश्न आदि) का हिन्दी भाषा में अनुवाद करना होगा।
- वर्ष 2012–13 के दौरान 25.09.2012, 26.12.2012 तथा 20.3.2013 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त राजभाषा समिति ने अब तक 27 केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा 1 सम विश्वविद्यालय का दौरा किया है तथा विश्वविद्यालय को राजभाषा का दैनिक पत्राचार में अधिकाधिक उपयोग करने के निदेश दिये हैं। समिति ने हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय का पुनः दौरा किया तथा उन्हें कार्यालयी कार्यों में हिन्दी भाषा का अधिकाधिक उपयोग करने के निदेश दिये गये।
- एक कर्मचारी को हिन्दी आशुलिपिक तथा छह अन्य कर्मचारियों को हिन्दी टंकक का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रक्रिया में, प्रत्येक श्रेणी से एक कर्मचारी को प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किये गये।
- हिन्दी के प्रयोग का प्रसार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक राजभाषा प्रकोष्ठ तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ हेतु प्रत्येक तीन पदों अर्थात् 1 हिन्दी अधिकारी, 1 हिन्दी अनुवादक तथा एक हिन्दी टंकक के पद को अनुमोदित किया गया जिसमें से 32 केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने राजभाषा प्रकोष्ठ को स्थापित कर दिया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट द्विभाषी है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न अनुभागों से समय–समय पर राजभाषा अनुभाग में प्राप्त सभी सामग्रियों का हिन्दी में अनुवाद किया गया, जैसेः–

    1. वार्षिक रिपोर्ट 2012–13
    2. वार्षिक लेखा 2012–13
    3. प्रशासनिक निविदा सूचना
    4. आर0टी0आई के तहत प्र्राप्त पत्र एवं जानकारियां
    5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010
    6. परिपत्र
    7. प्रशासन और विभिन्न अनुभागों से प्राप्त विज्ञापन

- वर्ष 2012–13 के दौरान, वि.अ.आ. में वि.अ.आ. कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईः

    ❖ समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता।

    ❖ समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता।

    ❖ 'एमटीएस समूह के कर्मचारियों' के लिए निबंध प्रतियोगिता।

    ❖ महिला कर्मचारियों के लिए निबंध प्रतियोगिता।

    ❖ समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता।

- समूह 'ग' और एमटीएस समूह के कर्मचारियों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता
- सभी कर्मचारियों के लिए प्रारूपण और टिप्पण प्रतियोगिता
- सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता
- 1–14 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया 11 सितम्बर, 2013 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।
- हिन्दी दिवस आयोजन और साथ ही पुरस्कार वितरण पर 194021 लाख रुपये व्यय हुआ।
- मासविम से प्राप्त सभी निदेशों तथा अनुदेशों का विधिवत् रूप से अनुपालन किया गया।

आयोग ने गैर–हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित 17 विश्वविद्यालय में हिन्दी विभागों की स्थापना/उन्नयन हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा इसके लिए प्रत्यक 'विश्वविद्यालय' जिसमें हिन्दी विभाग की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, एक प्रोफेसर तथा एक एसोशिएट प्रोफेसर तथा दो सहायक प्रोफेसर के पद का सृजन किया गया तथा संगोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए 50000/– रुपए की राशि अनुमोदित की गई।

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए 21.11.2012 को एक कार्यशाला आयोजित की गई।

5.10 द्विपक्षीय सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की ओर से भारत और अन्य देशों के बीच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों संबंधी उपबंधों का कार्यान्वयन कर रहा है।

चयन प्रक्रिया

चयन विशेषज्ञ समितियों द्वारा किये जाते हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 (2012–13) के दौरान प्रदत्त अनुदान

भारत तथा विदेशों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के आधार पर सहयोग किया जाता है। संपूर्ण योजना (2012–17) के लिये व्यय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान हुआ व्यय

सीईपी	: 17101908/–
सिंह–ओबामा	: 42767221/–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 31 देशों के साथ सक्रिय शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम एवं विभिन्न देशों के साथ 9 अन्य कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

वर्ष के दौरान, वि.अ.आ. ने विभिन्न देशों के 09 विदेशी स्कॉलरों की मेजबानी की और विभिन्न भारतीय संस्थानों में उनके कार्यक्रम की व्यवस्था की। इस अवधि के दौरान विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 63 भारतीय स्कॉलरों को विदेश भेजा गया।

वि.अ.आ. ने उच्चतर के क्षेत्र मे आपसी सहयोग के संबंध में विचारों के आदान–प्रदान पर निम्नलिखित विदेशी शिष्टमंडलों की आगवानी की :–

18.05.2012 – 7 सदस्यीय वियतनामी प्रतिनिधिमंडल

23.08.2012 – 4 सदस्यीय न्यूजीलैण्ड का प्रतिनिधिमंडल

26.09.2012 – 7 सदस्यीय कनाडायी प्रतिनिधिमंडल

आयोजित की गई कार्यशालाएं और जेडब्ल्यूजी बैठकें

आस्ट्रलिया के साथ 20.06.2012 को जेडब्ल्यूजी बैठक

4 से 5 जुलाई, 2012 को इजराईल के साथ कार्यशाला

1–2 अगस्त, 2012 को इजराईल के साथ जेडब्ल्यूजी बैठक

19.10.2012 को न्यूजीलैण्ड–भारत सम्मेलन

10.02.2012 को नारवे के साथ बैठक

➢ वि0अ0आ0–टैक मॉरीशस समझौता :

विअआ एवं तृतीय शिक्षा आयोग मारीशस के पाचंवे कॉन्सार्शियम समझौते (वर्ष 2011–2012) पर 04 मार्च को हस्ताक्षर किये गये। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ स्कालरों के आदान–प्रदान का भी उपबंध है।

विअआ एवं तृतीय शिक्षा आयोग मारीशस के पाचंवे कॉन्सार्शियम समझौते के अन्तर्गत वि0अ0आ0 द्वारा 21 भारतीय विद्वानों को मारीशस का दौरा करने के लिए नामित किया गया। 12 दौरे दीर्घकालीन तथा 9 अल्पकालीन थे।

➢ विदेशी भाषा शिक्षक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोगात्मक कार्यक्रम हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में संबंधित देश के मिशन तथा संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श के साथ की जाती है। किसी विश्वविद्यालय के लिए विदेशी भाषा के शिक्षक की व्यवस्था करते समय सामान्यतः यह सुनिश्चित किया जाता है कि विदेशी भाषा शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में उचित आधारिक संरचना हो।

इस अवधि के दौरान, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 22 विदेशी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। भाषा–वार शिक्षकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जर्मन–3, पुर्तगाली–2, स्पेनिश–10, हंगेरियाई–1, पश्तो–1, क्रोशियाई–1, बुल्गेरियाई–1, रोमानिया–1, चेक्–1, पोलिश–1.

➢ अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां

➢ जर्मन अकादमिक विनिमय सेवा (डीएएडी)

डीएएडी के अध्यक्ष प्रो. थियोडोर बरचेम और वि.अ.आ. के अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात के बीच 30.10.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(i) **वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम** :इस कार्यक्रम में दोनों देशों के 10 वैज्ञानिकों का मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विनिमय होगा और दोनों देश आपस में मिलकर विशिष्ट विषयों को चुनाव कर निर्णय लेगें। विनिमय की अवधि 2 सप्ताह से कम नहीं होगी और 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। इस अवधि के दौरान 4 मेजबान संस्थाओं का दौरा किया जा सकता है। प्रत्येक देश को अपने मेहमान वैज्ञानिकों का यात्रा खर्च वहन करना होगा।

(ii) **परियोजना आधरित व्यक्तिगत विनिमय कार्यक्रम (पीपीपी)** : जर्मन अकादमिक विनिमय कार्यक्रम (डीएएडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने नई दिल्ली में मुख्यतः मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए स्कॉलरों के वित्तपोषण के माध्यम से वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है। युवा पी.एच.डी और पोस्ट डाक्टोरल उपाधि धारक धारक वैज्ञानिकों और स्कॉलरों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) **दक्षिण–एशियाई संस्थान, हेडेलबर्ग** : जर्मनी पक्ष भारतीय वैज्ञानिकों को हैंडलबर्ग में दक्षिण–एशियाई संस्थान में काम करने हेतु दो–तीन माह की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक अवार्ड करता

➢ सामाजिक–वैज्ञानिक विनिमय कार्यकम के तहत भारतीय–फ्रांस सामाजिक वैज्ञानिक विनिमय कार्यकम

प्रत्येक वर्ष विआआ, भारत–फ्रांस समाज वैज्ञानिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों को पेरिस जाने के लिए नामित करता है ताकि ऐसे रिक्त स्थानों का लाभ उठाया जा सके जिनको कि फ्रेंच पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

➢ कॉमनवेल्थ अकॉदमिक स्टॉफ अध्येतावृत्तियां

प्रत्येक वर्ष, यूनाईटेड किग्डम, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि भारत में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रतिभावन संकाय सदस्य यूनाईटेड किग्डम के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकें।

वर्ष 2012 के लिए यूनाईटेड किग्डम राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा 80 अध्येतावृत्तियों की पेशकश की गई थी, तद्नुसार यूजीसी द्वारा अध्येतावृत्तियाँ के लिए 70 शिक्षकों को अनुशंसित किया गया था। इनमें से, यूनाईटेड किग्डम राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा अततः 28 स्कालरों को राष्ट्रमंडल अकादमिक स्टाफ अध्येतावृत्तियां 2012 के अन्तर्गत चयनित किया है।

➢ राष्ट्रमंडल स्पलिट सॉइट छात्रवृत्तियां

वर्ष 2012 के दौरान राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ, यूनाईटेड किग्डम में 14 ऐसे कनिष्ठ संकाय या छात्रों के लिए जो कि भारत में डॉक्टोरल उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं और जो यूनाईटेड किग्डम में एक वर्षीय पूर्णकालिक अध्ययन का लाभ उठाना चाहते हैं।

वर्ष 2012 के लिए वि.अ.आ. ने 14 स्कालर्स को नामांकित किया गया तथा यू.के. के राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय संघ द्वारा स्पलिट साइट स्कॉलरशिप 2012 के अन्तर्गत 09 (नौ) स्कालर्स का चयन किया गया।

➢ कलेक्शन ऑफ सोर्स मेटिरीयल स्कीम के अधीन शिक्षकों को विदेश में दौरा करने के लिए यात्रा अनुदान :

इस योजना के अधीन आयोग विश्वविद्यालय/कॉलेज शिक्षकों को स्रोत सामग्री एकत्र करने/ अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए शत–प्रतिशत आधार पर यात्रा अनुदान उपलब्ध कराता है। यह सहायता केवल उन्हीं स्कॉलरों को उपलब्ध कराई जाती है जिन्होंने विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम दो महीने के अनुरक्षण के लिए आश्वासन प्राप्त कर रखा है। वर्ष 2012 के दौरान, इस योजना के अधीन 2 स्कालरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

➢ इंडो–फिनलैंड सरकार छात्रवृत्तियाँ

फिनलैंड सरकार, फिनलैंड में उच्चतर शिक्षा संस्थान या सार्वजनिक अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान और शिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। वर्ष 2012 के लिए आयोग ने 10 भारतीय स्कॉलरों फिनलैंड के दौरे के लिए को नामांकित किया था। वर्ष 2012 में फिनलैंड दौरे के लिए फिनलैंड प्राधिकारियों द्वारा 10 में से 5 नामांकन स्वीकृत किए गए।

➢ इंडो–हंगेरियन ई.ई.पी. लघु/दीर्घ अवधि छात्रवृत्ति :

वर्ष 2012 के लिए, 24 भारतीय स्कॉलरों को (15 दीर्घ एवं 9 अल्पकालीन) हंगरी में जाकर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए तथा अपने प्रतिपक्षों के साथ विषयों पर अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में विचार–विमर्श करने हेतु नामांकित किया गया इनमें से वर्ष 2012–2013 के दौरान 11 दौरे सफल रहे।

वर्ष 2012–2013 के लिए भारतीय पक्ष को हंगरी प्राधिकरण द्वारा हंगरी स्कालरों के 2 नामांकन प्राप्त हुए। सभी दौरे सफल रहे।

➢ इंडो–बुलगेरियन सी.ई.पी. :

वि.अ.आ. ने 17 जुलाई से 06 अगस्त, 2012 तक सोफिया विश्वविद्यालय ''सेंट किलमिट ओहरीडीस्क'' तथा 01.08.2012 से 20. 08.2012 तक वेलीको के जो 'सैंट सिरिल और सैंट मेथोडियस' विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बुलगेरियन भाषा और संस्कृति पर आयोजित सम्मेलन में 4 स्कॉलरों को नामित किया किया गया था। सभी दौरे सफल रहे।

आरंभ किए गए नए कार्यक्रम

यूकेआईआईआरई

समझौते ज्ञापन का उद्देश्य, अप्रैल, 2011 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए ब्रिटेन भारत शिक्षा और शोध पहल (यूकेआईआरआई) के अंतर्गत कार्यकलापों के संयुक्त प्रचालन के संबंध में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच समझौता स्थापित करना है, और 16–08–2011 को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

यह समझौता ज्ञापन अगस्त, 2011 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ब्रिटिश काउंसिल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ही विस्तार है। पार्टियां निम्नवत पर सहमत हैंः–

- कार्यक्रम शीर्षक : यूकेआईईआरआई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग
- अवधि : 30 जनवरी, 2012 से 13 मार्च, 2016
- भागीदार :

➢ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों की ओर से तथा मासविम की सहायता से।

➢ नई दिल्ली स्थित यूकेआईईआरआई सचिवालय के माध्यम से ब्रिटिश काउंसिल (बीसी)।

20 संयुक्त शोध प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया तथा 18 परियोजनाओं हेतु 50 प्रतिशत अनुदान भी अनुमोदित किया गया। ब्रिटेन संस्थानों द्वारा एक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया तथा एक अन्य विचाराधीन है।

सिंह–ओबामा

भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच शैक्षिक भागीदारी को सुदृढ करने के लिए संयुक्त सिंह–ओबामा ज्ञान पहल कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थानों को सहायता प्रदान करने के तरीके पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आईसीसी) श्री अमृत खरे के बीच 19 मई, 2010 को चर्चा की गई थी।

आयोग सिद्धांत रूप में कार्यक्रम के लिए 25.00 करोड़ रु0 अदा करने के लिए सहमत हो गया है।

(i) सिंह–ओबामा 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल के तहत सामुदायिक महाविद्यालयों की योजना के कार्यान्सयन के संबंध में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल, 2012 तक अमरीका का दौरा करने के लिये मासविम द्वारा एक प्रतिनिधि मण्डल का गठन किया गया।

(ii) 6 से 7 फरवरी, 2013 को अशोका होटल, नई दिल्ली में सामुदायिक महाविद्यालयों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों से संयुक्त अनुसंघान प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। संवीक्षा उपरांत भारतीय पक्ष से 4 प्रस्तावों का चयन किया गया, जो निम्नवत हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	भारतीय भागीदार	आबंटन
1	उर्जा	प्रो0 ओ0एन0 श्रीवास्तव, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	1.50 करोड रूपये
2	धारणीय विकास	प्रो0 सुधीर मिश्रा सिविल विभाग, आईआईटी कानपुर	2.00 करोड रूपये
3	पर्यावरण	डा0 ई0वी0रामास्वामी निदेशक स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट सांइसेज एण्ड एडवांसड सेंटर ऑफ डेवलेपमेंट (एसीएसएसडी) महात्मा गांधी यूनीवर्सिटी, कोट्टायम	1.50 करोड रूपये
4	सामुदायिक विकास	डा0 अरूण कुमार सहायक आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग, आईआईटी, नई दिल्ली	2369000 रूपये

उपरोक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को 50 प्रतिशत अनुदान संस्वीकृत किया जा चुका है।

(iv) भारत से अमरीका में पोस्ट डाक्टारेट अध्ययन हेतु 300 रमन अध्येतावृत्तियां।

इस योजना के तहत अमरीका का दौरा करने के लिए 126 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

(iv) आई आई एम, कोजीकोड, में नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन करने के लिए सिद्वांत रूप में 49.00 लाख रूपये अनुमोदित किए गए हैं।

आस्ट्रेलिया

भारत और आस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की दिनांक 01.08.2011 को हुई बैठक में एआईईसी की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी :–

1. उच्चतर शिक्षा में सहयोग
2. भारत तथा आस्ट्रेलिया नालेज एक्सचेंज परियोजना
3. संस्थागत सहयोग
4. संयुक्त अनुसंधान

निम्नलिखित क्षेत्रों में मुख्य सदस्यों सहित एआईईसी सदस्यों द्वारा आपसी लाभ के प्राथमिकता वाले मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई थी:–

1.	छात्रों को जुटाना	श्री नजीब जंग
2.	कौशल एजेन्डा	श्री दिलीप चेनाय
3.	उच्चतर शिक्षा में संस्थागत सहयोग	प्रो0 रामाकृष्णन रामास्वामी
4.	गुणवत्ता आश्वासन	प्रो0 रंगनाथन
5.	अनुसंधान	प्रो0 दिनेश सिंह

छात्रों की मोबिलिटी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसे जेएमआई, नई दिल्ली को 40 लाख रुपए का वित्तपोषण प्रदत्त किया गया है जिसमें से 30.00 लाख रुपए जारी कर दिया गया है।

"आस्ट्रेलिया–इंडिया यूनिवर्सिटी शेडोईंग प्रोग्राम, 2012" के संबंध में एक संयुक्त विज्ञप्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त हुई।

आस्ट्रेलिया–इंडिया यूनिवर्सिटी शेडोईंग पॉयलट प्रोग्राम, 2012 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 5 भारतीय कुलपतियों को नामांकित किया गया था। कुलपतियों का ब्यौरा निम्नवत है। दौरे सफल रहे।

1. श्री नजीब जंग
2. प्रो0 दिनेश सिंह
3. प्रो0 मोहम्मद मियां
4. प्रो0 आर0 के0 काले
5. प्रो0 ए0एस0 बरार

जून, 2012 में, नई दिल्ली में जेडब्ल्यूजी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एआईईसी परियोजना के परियोजना लीड्स से उनके आस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ चर्चा उपरांत परियोजना की प्रगति पर एक प्रेजेन्टेशन करने का अनुरोध किया गया था।

भारतीय कुलपतियों के आस्ट्रेलिया दौरे पर भी निर्णय लिया गया था जो बाद में आयोजित किया जायेगा। 24–28 सितम्बर, 2012 के दौरान गुणवत्ता आश्वासन की आपसी मान्यता प्रदान करने के संबंध में एनएएसी के निदेशक प्रो. रंगनाथ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

5.11 शोध तथा शिक्षण हेतु मानव संसाधन के विकास के लिये राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा (नेट)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानविकी (इनमें भारतीय भाषाएँ एवं कुछ विदेशी भाषाएँ भी शामिल हैं), सामाजिक विज्ञानों कंप्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, अपराध विज्ञान तथा पर्यावरणीय विज्ञानों में व्यवसाय तथा अनुसंधान में प्रवेशार्थियों के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए लैक्चरारशिप एवं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर. एफ.) की पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है। देश में फैले 77 केन्द्रों और 78 विषयों (परीक्षा–एक के अलावा) में नेट आयोजित किया जाता है। विज्ञान के पांच मुख्य विज्ञान विषयों यथा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान तथा पृथ्वी, वायुमण्डलीय महासागरीय, ग्रह विज्ञान में भी परीक्षा केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सी.एस.आई. आर.) और वि.अ.आ. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है तथा यह परीक्षाएँ जून तथा दिसम्बर के महीनों में आयोजित की जाती हैं।

भारत सरकार की 22 जुलाई 1988 की अधिसूचना के माध्यम से कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.) अवार्ड की परीक्षा, 1984 से तथा लेक्चरार के लिये पात्रता परीक्षा, वर्ष 1989 से प्रारंभ हुई। जो इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित परीक्षाओं को जे.आर. एफ. हेतु वि.अ.आ.–सी.एस.आई.आर संयुक्त नेट परीक्षां दिसम्बर, 1990 से लेकर जून, 1995 तक आयोजित की गई। ऐसे प्रत्याशी जो शोध करना और विअआ से अध्येतावृत्ति प्रप्त करना चाहते हैं, वे विअआ–नेट के तहत कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी जिनकी योग्यता अधिक है तथा विअआ नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफ़ल जो जाते हैं –वे विअआ नेट परीक्षा में जे.आर.एफ. के लिए सफल हो जाते हैं–वे विअआ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। वे सहायक प्रोफेसर के पद के लिए भी पात्र माने जायेंगे। इसी प्रकार से ऐसे योग्यता वाले प्रत्याशी जो सी.एस. आई.आर– विअआ संयुक्त नेट परीक्षा को मुख्य विज्ञान विषयों में सफ़ल कर लेते हैं वे जे.आर.एफ. प्रदान किए जाने के पात्र माने जाएँगे। प्रत्येक परीक्षा में इस योजना के तहत विअआ 1200 अध्येतावृत्तियों का अवार्ड करता है। अध्येतावृत्ति अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध है।

वर्तमान में विअआ प्रत्येक विअआ–नेट विषयों में 3200 अध्येतावृत्तियों प्रदान कर रहा है। जून 2012 में विअआ–नेट परीक्षा में 5310 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र घोषित किया गया जबकि दिसम्बर, 2012 के दौरान हुई परीक्षा में 3669 प्रत्याशियों को जे.आर.एफ. के लिए पात्र माना गया। जून, 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा में प्रदत्त अध्येतावृत्तियों की संख्या कहीं अधिक थी। चूंकि आयोग द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुपूरक परिणामों की घोषणा की गई थी।

विषय–विशिष्ट, परीक्षा पत्र–III को दिसम्बर 2011 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा तक विवरणात्मक पद्धति के आधार पर आयोजित करवाया जा रहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा के पश्चात् इस परीक्षा पत्र के लिये वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति की अपनाया है।

नेट में निष्पादन

विअआ–नेट के तहत पंजीकरण करवाने वाले, परीक्षा मे बैठने वाले, लेक्चरशिप एवं कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति(जे.आर.एफ) परीक्षा में सफल हुये अभ्यर्थियों का ब्यौरा निम्नवत तालिका–1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका–I : वर्ष 2012–13 के दौरान पंजीकृत, परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का ब्यौरा

	विअआ–नेट	पंजीकृत	परीक्षा मे बैठे		परीक्षा में सफल हुए	
			संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत	संख्या	पंजीकृत का प्रतिशत
24 जून 2012	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	706994	571635	80.85	57889	10.13
	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ.)	434335	359056	82.67	5310	1.48
30 दिस. 2012	लैक्चरारशिप (जे.आर.एफ. सहित) हेतु पात्रता	778130	615136	79.05	39226	6.38
	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जे.आर.एफ)	489934	398007	81.24	3669	0.92

तालिका–II उन मुख्य विज्ञान विषयों को दर्शाती है जिसमें सीएसआईआर द्वारा सीएसआईआर–विअआ–नेट परीक्षा आयोजित की जाती है तथा तालिका–III जेआरएफ के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाता है। समन्वयन संस्थानों की सूची जिसके पात्र अभ्यर्थियों तथा सीएसआईआर– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट के माध्यम से व्याख्याता हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या को दर्शाता है। समन्वयक संस्थानों की सूची जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा आयोजित करती है तथा विषय जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा आयोजित की जाती है, क्रमशः परिशिष्ट–I तथा II में दिये गये हैं:–

तालिका–II: सीएसआईआर–विअआ–नेट संयुक्त परीक्षा के तहत कवर विज्ञान के विषय

क्र.सं.	विषय
1.	रसायन विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डलीय, महासागरीय, ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	भौतिक विज्ञान

तालिका–III: सीएसआईआर–विअआ–नेट संयुक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों का निष्पादन

सीएसआईआर–विअआ–नेट संयुक्त परीक्षा	परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या	
	विअआ–जेआरएफ	केवल लैक्चरारशिप हेतु
जून,2012	1300	3274
दिसम्बर, 2012	1200	3176

स्रोतः सीएसआईआर की आधिकारिक वेबसाईट अर्थात csirhrdg.res.in

वर्ष 2012—2013 के दौरान यूजीसी—एनईटी और एनईटी ब्यूरो के अन्य सभी कार्यकलापों के संचालन पर 305488054 रुपये का व्यय किया गया था। इसमें एनईटी ब्यूरो में तैनात नियमित वि0अ0आ0 कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

वंचित वर्गों को उपलब्ध कराई गई छूट/रियायत

(i) शुल्क

भारत सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समाज के सभी कमजोर वर्गों को वि0अ0आ0—नेट के लिए आवेदन करने हेतु शुल्क में काफी रियायत देता आ रहा है। जहां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 450 रुपये है तो वहीं भारत सरकार की नीति के अनुरुप अन्य पिछड़ा वर्ग के असम्पन्न वर्गों के उन के उम्मीदवारों के लिए यह केवल 225 रुपये है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग(पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारें को केवल 110 रुपये नाममात्र शुल्क देना होता है।

(ii) आयु (जे आर एफ के लिए)

सामान्य श्रेणी के लिए जे आर एफ में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। अ0ज0/अ0ज0जा0/अपिव (असंपन्न वर्ग)/पीडब्ल्यूडी श्रेणी और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है।

(iii) पात्रता की शर्तें (नेट हेतु)

1. सामान्य एंव अपिव (असंपन्न वर्ग) के अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 55% अंक (बिना पूर्णांकित किए)
2. अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी	निष्णांत उपाधि में 50% अंक (बिना पूर्णांकित किए)

(iv) अर्हक मानदण्ड (नेट हेतु)

अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने के लिए प्रश्न पत्र—I, II और III में अलग— अलग नीचे दिये गये न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं, जैसा कि निम्नवत तालिका—IV में दर्शाया गया है

तालिका—IV: अंतिम रूप से परिणाम तैयार करने हेतु विचार किये जाने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों का श्रेणी—वार ब्यौरा।

श्रेणी	अपेक्षित न्यूनतम अंक (प्रतिशत में)		
	प्रश्न पत्र—I	प्रश्न पत्र—II	प्रश्न पत्र—III
सामान्य	40 (40%)	40 (40%)	75 (50 %)
अपिव (असंपन्न)	35 (35%)	35 (35%)	67.5 (45 %) 68 तक पूर्णांकित
अजा/अजजा/पीडब्ल्यूडी	35 (35%)	35 (35%)	60 (40 %)

यह स्पष्ट है कि अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिये अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम है। यहां तक कि कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) हेतु परिणामों का संकलन करते हुए इस सिद्धांत को विचाराधीन रखा गया तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि वंचित वर्गों के लिये विषयवार अंतिम न्यूनतम पात्रता अंक सामान्य श्रेणी से कम हों।

(घ) पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये पहल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के अपने सतत् प्रयासों के तहत परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिकाधिक अंतरप्रतिक्रियात्मक एवं निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इन प्रयासों का निम्नवत पैराओं में खाका खींचा गया है।

(क) दिसम्बर, 2011 तक परीक्षा पत्र–III, विवरणात्मक था। जून 2012 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट परीक्षा से इसे वस्तुनिष्ठ बना दिया गया। इससे मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित होती है तथा परीक्षा पत्र का मूल्यांकन करने में पक्षपात की संभावना नहीं रहती है।

(ख) दिसम्बर, 2011 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा तक अभ्यर्थियों को अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं थी। खुलेपन की नीति के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों को अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी ओएमआर शीट को संशोधित किया ताकि शीट के साथ इसकी कार्बन रहित कॉपी भी रखी जा सके। अभ्यर्थी जून, 2012 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से ओएमआर की कार्बन रहित प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं।

(घ) जून, 2012 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर जनसाधारण की पहुंच में हैं चूंकि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी जिनके पास उत्तर, प्रश्न पत्र एवं उनके ओएमआर शीट की कार्बनरहित प्रतियां है, वे अपने उत्तर पत्र की जांच कर सकते हैं। प्रश्नों में विसंगतियों अथवा किन्हीं गलत उत्तर के संबंध में अभ्यर्थियों से प्रश्नों के उत्तर तथा प्रश्नपत्र को अपलोड करने के एक सप्ताह से भी अधिक समय तक ऑनलाइन फीडबैक आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विशेषज्ञ समितियों द्वारा पुनः जांच की जाती है तथा तदनुसार उत्तर को अद्यतन किया जाता है। अद्यतन किये गये उत्तर के आधार पर परिणाम तैयार किये जाते हैं।

(ङ) राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)

राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार की दिनांक 22.07.1988 की अधिसूचना के माध्यम से वि.अ.आ. ने राज्य सरकारों को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) कहा जाता था, को आयोजित करने की अनुमति प्रदान की ह, जिससे उन्हें विधिवत वि.अ.आ. द्वारा निर्धरित अवधि के लिए मान्यता दी गई। एस.ई.टी. का पैटर्न भी वि.अ.आ. द्वारा संचालित नेट परीक्षा जैसा है।

कुछ राज्यों के लैक्चरारशिप की पात्रता के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करने की प्रतिक्रिया में वि.अ.आ. ने अब तक केवल लैक्चरारशिप के लिए एस.ई.टी. के आयोजन के लिए निम्नलिखित राज्यों/समूहों को मान्यता प्रदान करने को अपनी संस्वीकृति दी है। एस.ई.टी. अभिकरणों के निष्पादन की वि.अ.आ. द्वारा आवधिक तौर पर विशेषज्ञों की सहायता से पुनरीक्षा की जाती है और निर्धारित अवधि के लिए उनके प्रत्यायन का नवीकरण किया जाता है। वि.अ.आ.–नेट ब्यूरो के प्रमुख, सेट अभिकरणों की विषय संचालन और आधुनिकीकरण समितियों के स्थायी सदस्य होते हैं, जिनका गठन परीक्षाओं को आयोजित करने और परिणामों को घोषित करने के समग्र पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाता है।

जो उम्मीदवार लैक्चरारशिप हेतु 1 जून, 2002 से पूर्व वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) मे उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें नेट परीक्षा में बैठने से छूट दे दी जाती है। जून, 2002 में या उसके बाद आयोजित होने वाली सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले

उम्मीदवार राज्य से संबंधित केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में लैक्चरार के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होगें जहां से उन्होंने सेट पास किया होगा। तथापि, ऐसे उम्मीदवार यदि वे ऐसा चाहें तो, नेट हेतु आवेदन करने के पात्र भी होंगे।

अब तक निम्नवत राज्यों/राज्य समूहों ने सेट का संचालन किया हैः–

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. छत्तीसगढ़
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू और कश्मीर
8. झारखण्ड
9. कर्नाटक
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र और गोवा
12. उत्तरपूर्व राज्य(असम अरूणचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
13. राजस्थान
14. तमिलनाडु
15. उत्तरांखण्ड
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

इन राज्यों में जिन राज्यों/राज्य समूहों ने वर्ष 2012–13 के दौरान सेट परीक्षा का आयोजन किया उनका ब्यौरा निम्नवत हैः

1) आन्ध्र प्रदेश
2) महाराष्ट्र और गोवा
3) उत्तरपूर्व राज्य (असम अरूणचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम)
4) राजस्थान
5) तमिलनाडु
6) उत्तरांखण्ड

सेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यय को सम्बंधित राज्यों की एजेन्सियों द्वारा वहन किया जाता है।

5.12 यात्रा अनुदान

यात्रा अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत मान्यता प्राप्त राज्य विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकों तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्षों एवं कुलपतियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्रों को प्रस्तुत करने तथा उन देशों में उच्चतर शिक्षा की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने हेतु महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के स्थायी शिक्षकों को वर्ष में अनुमोदित कुल मामलों की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ उपलब्ध है। शिक्षा अधिकारी/अवर सचिव के स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा आयोग के सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के प्राप्त करने के पात्र हैं। महाविद्यालय के शिक्षक/महाविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा उनकी अधिवर्षिता की आयु है तथा कुलपतियों एवं आयोग सदस्य पद पर नियुक्त होने चाहिये।

चयनित शिक्षकों को यात्रा, पंजीकरण शुल्क एवं प्रतिदिवस भत्ते एवं वीजा शुल्क आदि के लिये शत–प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षक को तीन वर्षों में एक बार इस इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति, आयोग सदस्यगण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिकारी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (असंपन्न वर्ग), महाविद्यालय के शिक्षक दो वर्षों में एक बार सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत यात्रा अनुदान हेतु सहायता के लिये आवेदन को सम्मेलन के आरंभ होने से प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र तथा सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकृति पत्र को दो माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदनों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विषय विशेषज्ञ की सिफारिशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार किया जाता है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या और हुए व्यय का ब्यौरा निम्नवत हैः

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्य	
2007-2008	12	263	-	0.96
2008-2009	2	317	1	2.29
2009-2010	5	728	-	3.69
2010-2011	5	590	-	3.62
2011-2012	1	858	-	3.57

वर्ष 2012–2013 के दौरान लाभार्थियों की संख्या और हुए व्यय का ब्यौरा निम्नवत हैः

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या			व्यय (करोड़ रुपये में)
	कुलपति	महाविद्यालय के शिक्षक/ पुस्तकालय अध्यक्ष	आयोग के सदस्य	
2012-2013	6	868	-	5.24

यूनेस्को कार्यक्रमः यूनेस्को द्वारा विश्व में विभिन्न सदस्य देशों में चलाये जाने वाले विभिन्न छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में परिपत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्राप्त होते हैं और इन्हें वि0अ0आ0द्वारा भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों के बीच परिचालित किया जाता है। उच्चतर शिक्षा का विकास और सदस्य देशों के बीच समन्वय से संबंधित यूनेस्को के कुछ मामलों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय वि0अ0आ0 की विचार/टिप्पणी आमंत्रित करता है जिसकी पेशकश वि0अ0आ0 द्वारा भली–भांति विचार करने/दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद दिया जा रहा है।

5.13 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र (आई.यू.सी.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (गगग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त निकायों के रूप में वर्ष 1984 से अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों (आई.यू.सी.) की स्थापना करता रहा है ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे अनुसंधानकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय रूप से अत्याधुनिक उपस्कर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें जो समान्यतया लागत कारक के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। अब तक, इसने मुख्यत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे छह केन्द्र स्थापित किए हैं। इन्टर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सैंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली (जो कि पूर्व में इस नाम से जाना जाता था) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, सन् 1984 में स्थापित किया जाने वाला इस तरह का पहला केन्द्र था। इन अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :

- जो विश्वविद्यालय आधारभूत अवसंरचना तथा अन्य निवेशों में भारी पूंजी लगाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सामान्य अत्याधुनिक केन्द्रीयकृत उपस्कर तथा सुविधाएं/सेवाएं उपलब्ध कराना।
- सम्पूर्ण देश में शिक्षकों तथा अनुसंधानकर्ताओं को सर्वोत्तम विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।
- अनुसंधानकर्ताओं तथा शिक्षण संकायों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य आधुनिक उपस्कर, अत्याधुनिक श्रेष्ठ पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्यूनीकेशन (सी.ई.सी), नई दिल्ली में मार्गदर्शन एवं समन्वय द्वारा विश्वविद्यालयों में स्थापित, विभिन्न मीडिया केन्द्रों के माध्यम से एक हजार से भी अधिक शैक्षिक फिल्में अथवा कार्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। देश में प्रथम देशव्यापी कक्षा (सीडब्ल्यू सी आर) कार्यक्रम दूरदर्शन से 15 अगस्त, 1984 को प्रारंभ हुआ।

अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र तथा उनके विशिष्ट उद्धेश्य निम्नवत तालिका मे दिए गए हैंः

क्र.स.	नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
1)	अंतर्विश्वविद्यालय ऐक्सीलरेटर केन्द्र, (आईयूएसी)	1984	ऐक्सीलरेटर परक अनुसंधान
2)	अंतर्विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी केन्द्र, (आईयूएसी) पुणे–411007	1988	खगोल विज्ञान में अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक यंत्रीकरण
3)	वि0अ0आ0–डीएई, वैज्ञानिक अनुसंधान कंसोर्टियम, इंदौर–452001	1989	आणविक ऊर्जा विभाग की सुविधाओं का उपयोग
4)	राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) बंगलूरू–560010	1994	उच्चतर ज्ञान अर्जन निजी तथा सार्वजनिक संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करना

क्र.स.	नाम	स्थापना का वर्ष	उद्देश्य
5)	सूचना तथा पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (इन्फिलबनैट) अहमदाबाद–380009	1991	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की नेटवर्किंग
6)	शैक्षिक संचार का कंसोर्टियम, अरूण आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली–110067	1993	टेलीविजन के माध्यम से देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम प्रसारित करना। वर्तमान में, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 10दृश्य–श्रव्य अनुसंधान केन्द्र तथा 7 शैक्षणिक मीडिया अनुसंधान केन्द्र स्थापित हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान, प्रदत्त योजनागत एवं गैर–योजनागत अनुदान का बजटीय आबंटन, अनुदान को जारी किये जाने का ब्यौरा निम्नवत है:

क. अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	योजनागत		गैर–योजनागत	
		बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान	बजटीय आबंटन	जारी किया गया अनुदान
1	आईयूसीएए, पुणे	2400.00	2400.00	1556.20	1556.20
2	आईयूएसी, नई दिल्ली	3000.00	3000.00	2067.20	2067.20
3	यूजीसी–डीएई–सीएसआर, इंदौर	500.00	500.00	1362.40	1362.40
4	नैक बंगलुरू	101.91	101.91	502.86	502.86
5	इंफ्लिबनेट, अहमदाबाद	-	-	468.65	468.64
6	सीईसी, नई दिल्ली@	621.13	350.00	405.00	405.00

@तीन नए मीडिया केन्द्रों के लिए 271.13 लाख रूपये जारी किए गए।

ख. राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र

(लाख रू में)

क्र.स.	केन्द्र का नाम	स्थापना का वर्ष	योजना	
			बजट आवंटन	जारी अनुदान
1.	वेस्ट्रन रीजनल इंस्ट्रूमेन्टेशन सेन्टर (डब्ल्यूआरआईसी), मुम्बई	1977	---	---
2.	क्रिस्टल ग्रोथ सेन्टर,अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1982	40.92	40.92
3.	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईआईएएस), शिमला	1991	75.00	75.00
4.	एमएसटी राडार एप्लीकेशन, एसवी विश्वविद्यालय, तिरूपति,	1990	52.50	52.50

ग. इंफ्लिबनेट की योजनाएं

(रूपये लाख में)

क्र.स.	केन्द्र का नाम	योजना	
		बजट आवंटन	जारी अनुदान
1.	विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजीटल रिपोजटरी	1045.00	1045.00
2.	शोध प्रबंध का डिजीटाईजेशन	696.02	696.02
3.	विश्वविद्यालय के ग्रथालयों का स्वचालन*	195.60	195.60

घ. नैक प्रत्यायन/पुनर्प्रत्यायन का दर्जा

वर्ष 2012–2013 के दौरान नैक प्रत्यायित/पुनर्प्रत्यायित संस्थान

संस्थान का नाम	प्रत्यायन	पुनर्प्रत्यायन
विश्वविद्यालय	4	14
महाविद्यालय	510	275

अब तक प्रत्यायित संस्थानों की कुल संख्याः

संस्थान का नाम	प्रत्यायित/पुनर्प्रत्यायित
विश्वविद्यालय	179
महाविद्यालय	5156

विश्वविद्यालय–वार ब्यौरा (ग्रेड–वार)

क्र.सं.	राज्य	क	ख	ग	कुल
1	आन्ध्र प्रदेश	10	8	0	14
2	अरूणाचल प्रदेश	0	1	0	1
3	असम	0	4	0	4
4	बिहार	0	2	1	3
5	छत्तीसगढ़	0	2	0	2
6	दिल्ली	6	1	0	7
7	गोवा	0	1	0	1
8	गुजरात	0	9	0	9
9	हरियाणा	2	1	0	3
10	हिमाचल प्रदेश	0	2	0	2
11	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	2

5.14 वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (सी.ए.एस.)

वर्ष 2012–2013 की अवधि के दौरान वृत्ति (कैरियर) उन्नति योजना (कैस) के अधीन रीडर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके भारत में चल रहे समस्त मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में 'कैस' के अधीन रीडर से आचार्य के पद पर प्रोन्नति की चयन प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। यह व्यवस्था, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रयोजन निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णरूप से पालन करें। रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात 2012–13 के दौरान, वृत्ति उन्नति योजना के तहत रीडर से आचार्य के पद पर पदोन्नति की चयन प्रक्रिया की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 100 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत 160 रिर्पोटों को संसाधित कर दिया गया है तथा संबधित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से अवगत करवा दिया गया है।

5.15 वि0अ0आ0 स्वामी प्रणवानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार, वि0अ0आ0 हरिओम आश्रम न्यास राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वेद व्यास संस्कृत राष्ट्रीय पुरस्कार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय हरिओम आश्रम न्यास, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती तथा वेद व्यास संस्कृत पुरस्कार हरिओम आश्रम न्यास नादियाड तथा स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, निदेशक योग सोसायटी ऑफ अमेरिका द्वारा प्रदत्त निधि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुरस्कार प्रदान करने के लिये राशि प्राप्त होती है। यह पुरस्कार उत्कृष्ठ वैज्ञानिकों/विद्वानों को दिये जाते हैं। प्रत्येक अर्वाड का मूल्य 50,000/– रुपए होता है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंश 40,000/– रुपए होता है।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय हरिओम आश्रम न्यास अवार्ड निम्नवत है:

(क) भौतिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु सर सीवी रमन पुरस्कार।

(ख) अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान हेतु होमी जे. भामा पुरस्कार।

(ग) सैद्धान्तिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु मेघानंद साहा पुरस्कार।

(घ) जीव विज्ञान में अनुसंधान हेतु जगदीश चन्द्र बोस पुरस्कार।

(ङ.) विज्ञान एवं समाज के बीच अंतर संबंध हेतु उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक/वैज्ञानिक पुरस्कार।

(ii) विज्ञान में अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती पुरस्कार

(क) शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार।

(ख) अर्थशास्त्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार।

(ग) पर्यावरणीय विज्ञान तथा पारिस्थितिकीय विज्ञान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार।

(घ) राजनीतिक विज्ञान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार।

(ङ.) सामाजिक विज्ञान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती पुरस्कार।

(iii) वि0अ0आ0 राष्ट्रीय वेद व्यास संस्कृत पुरस्कार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्कृत में गुणवत्तायुक्त शिक्षण/अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए और उत्कृष्ट शिक्षकों को अभिलक्षित करने के लिए तथा उनके द्वारा अनुसंधान/नवाचारों/नए कार्यक्रमों तथा संस्कृत भाषा के संवर्द्धन के लिए वि.अ.आ. वेद व्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। पुरस्कार की राशि 1,00,000/– रूपये है।

उपरोक्त पुरस्कार केवल वर्ष 2007 तक ही पुरस्कार विजेताओं को दिए गए हैं।

6 अनुसंधान को प्रोत्साहन

6.1 शिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं : वृहद एवं लघु

सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी, नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके पसंद के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है।

उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं

योजना के तहत मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा साहित्य, विशुद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी भेषज, चिकित्सा, कृषि विज्ञान आदि के उभरते हुए क्षेत्रों में उच्च स्तर के अनुसंधान करने वाले पृथक शिक्षकों को बिक्री सहायता मुहैया करवाई जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं/योजना का प्रभावः

योजना का उद्देश्य अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के प्रभाव के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से उद्घाटित होता है कि:–

1. इससे शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना को विकसित करने तथा शिक्षकों को ज्ञान की नयी सीमाओं से परिचित करवाने में मदद मिली है।
2. सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंताओं के अनेक मुद्दों का समाधान किया गया तथा इससे शिक्षकों को प्रख्यात जनरलों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों को प्रकाशित करने में मदद मिली जिनका विश्वभर में एक प्रभाव है।
3. इससे शोध में जुटे छात्रों को विभिन्न अत्याधुनिक तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत उपस्करों की समलाई करने में प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिली। इस योजना के तहत अनेक छात्रों ने वाचस्पति उपाधियां प्राप्त की है।

लाभार्थियों की संख्या (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, छात्र, महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि) सहित लक्षित समूह की कवरेज

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या

विज्ञान – 5573, मानविकी और सामाजिक विकास – 3740

पात्रताः

ऐसे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्थायी/नियमित, कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) तथा 12(ख) के तहत शामिल किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान की अधिकतम सीमा (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि)

विज्ञानः

वृहद परियोजनाएं –12.00 लाख रूपये   लघु परियोजनाएं –2.00 लाख रूपये

मानविकीः

वृहद परियोजनाएं –10.00 लाख रूपये　　　　लघु परियोजनाएं –1.50 लाख रूपये

अवधि

विज्ञानः

वृहद परियोजनाएं –03 वर्ष　　　　लघु परियोजनाएं – 02 वर्ष

मानविकीः

वृहद परियोजनाएं –02 वर्ष　　　　लघु परियोजनाएं – 1½ वर्ष

चयन प्रक्रिया

ऐसी समितियाँ जिनमें विषय विशेषज्ञ होते हैं उनकी मदद से प्रस्तावों की छानबीन की जाती है तथा लघु सूचीबद्ध किए गए प्रस्तावों का पुनः एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मुख्य शोधकर्ता के साथ बैठक में बातचीत कर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

- **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान प्रदत्त अनुदान**

  विज्ञान – 275.35 करोड़ रुपए　　　　**मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान** – 101.03 करोड़ रुपए

- **वर्ष 2012–13 के दौरान प्रदत्त अनुदान**

  विज्ञान – 176.28 करोड़ रुपए　　　　**मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान** – 47.05 करोड़ रुपए

  (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार अनुदान जारी किया गया था।)

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान केवल **ऑनलाइन पद्धति** से ही परियोजना प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है तथा वर्ष 2013–14 के लिये विज्ञान और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए 700 परियोजनाओं का लक्ष्य है।

एमआरपी योजना के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना दिशानिर्देशों को आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

1. लघु परियोजनाओं को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सीधे ही विकास अनुदान द्वारा पूरा किया जायेगा।
2. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान परियोजनाओं का कार्यकाल भी 2 वर्ष के बजाय 3 वर्ष का होगा।
3. कार्यकाल में किसी भी प्रकार की वृद्धि अनुमेय नहीं होगी।
4. विज्ञान में अनुदान की अधिकतम सीमा 20.00 लाख रुपए तथा मानविकी में 15 लाख रुपए होगी।
5. सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिये मानदेय 12,000/– रुपए प्रतिमाह के बजाय 18,000/– रुपए प्रतिमाह होगा।
   - मुख्य शोधकर्ता को परियोजना से कम से कम दो अनुसंधान पत्र प्रकाशित करने होंगे।
   - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा/मध्यवर्ती/अंतिम अभिमुख बैठकें आयोजित करने के लिए विषय से संबद्ध विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाती है।

6.2 शिक्षकों के लिए शोध अवार्ड

शोध अवार्ड योजना विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के स्थायी शिक्षकों को शिक्षण संबंधी उत्तरदायित्वों को त्यागकर अपने संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्र में पूर्णकालीन स्वतंत्र अनुसंधान करने का एक अवसर प्रदान करता है। विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी को एक साथ लेते हुए प्रत्येक दूसरे वर्ष 100 स्लाटों के लिए चयन किया जाता है।

अब, आयोग ने इस योजना में आशोधन कर दिया है तथा आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाओं तथा शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा 50 वर्ष होगी। आवार्ड की अवधि दो वर्ष होगी। किसी विशेष अपवादस्वरूप अवधि को विषय के विशेषज्ञ की सिफारिश पर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा। आयोग ने आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु अनुसंधान अनुदान को बढ़ाकर मानविकी भाषाओं तथा सामाजिक विज्ञान के लिये 2.00 लाख तथा विज्ञान और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी हेतु 3.00 लाख रुपए कर दिया है।

वर्ष 2012–14 के लिए आमंत्रित किये गये आवेदन के लिए चयन प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2012–13 के दौरान 7.35 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

6.3 एमिरेटस अध्येतावृत्तियाँ

''एमिटेटस अध्येतावृत्ति'' की योजना विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक अवसर प्रदान करती है जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान उत्कृष्ट शोध सक्षमता का प्रदर्शन किया तथा अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य जारी रखना चाहते हैं।

इस योजना के तहत अवार्डी (अधिवर्षिता प्राप्त) 70 वर्ष तक की आयु तक दो वर्षों की अवधि (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है) के लिए कार्य कर सकते हैं।

इस योजना के तहत उपलब्ध सहायता का स्वरूप निम्नवत हैः–

1. इस योजना के तहत किसी एक अवधि के दौरान विज्ञान विषय के लिए 100 स्लॉट तथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिये 100 स्लॉट (कुल दो सौ स्लॉट) उपलब्ध है। योजना के तहत निम्नवत हेतु सहायता उपलब्ध हैः
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 20,000 प्रतिमाह की दर पर दो वर्षों (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है) के लिये मानदेय।
3. 50,000 करोड़ रूपये का आकस्मिक अनुदान (अव्यपगत) का उपयोग, सचिव सहायता, यात्रा जो कि देश में ही हो तथा जो कि शोध परियोजना के संबंध में हो–लेखन सामग्री, ड़ाक सामग्री, उपभोज्य, पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ एवं उपस्कर के लिए किया जा सकता है। तथापि, आकस्मिता अनुदान से खरीदी गयी पुस्तकें तथा जनरल एवं उपस्कर आदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति होंगे।
4. अवार्ड प्राप्तकर्ता के अनुमोदित अनुसंधान कार्य के साथ जुड़े स्थानों पर वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की अनुमति है जिसकी अनुमति उस संस्थान द्वारा जहाँ वह परियोजना कार्य किया जा रहा है, दी जानी चाहिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनापत्ति होनी आवश्यक है। परन्तु इसके लिए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

वर्ष 2012–13 के दौरान 3.13 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

6.4 अनुसंधान कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/परिसंवाद और सम्मेलन

महाविद्यालयों में शोध संगोष्ठियां/सम्मेलन तथा कार्यशालाएं

योजना के तहत, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सम्मेलनों कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं तथा छात्रों को सुविधाएं प्रदान करके उनके ज्ञान अनुभव तथा अनुसंधान को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान कर महाविद्यालयों में उच्च स्तरों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सभी पात्र महाविद्यालय आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 70000 रूपये से 150000 रूपये की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2012–13 के दौरान महाविद्यालयों में शोघ संगोष्ठियां/सम्मेलन तथा कार्यशालाओं की इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा महाविद्यालयों के अनुमोदित प्रस्तावों तथा प्रदत्त अनुदानों का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012–13 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्ताव की संख्या	2012–2013 के दौरान प्रदत्त अनुदान (लाख रूपये में) (नये और चालू)		2007–2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
				सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे. का. बंगलूरू	933	681	314.89	0.00	1004.51	0.00
2.	वि.अ.आ. म.क्षे. का. भोपाल	231	218	270.13	0.00	854.22	0.00
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का.गुवाहाटी	284	232	268.17	0.00	610.10	0.00
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	844	628	690.01	0.00	1260.10	0.00
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	370	291	205.22	0.00	529.56	0.00
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	722	643	448.90	0.00	1802.25	0.00
7.	एनआरसीबी	0	0	47.00	0.00	533.00	0.00
	कुल	**3384**	**2693**	**2244.32**	**0.00**	**6593.74**	**0.00**

6.5 विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) एवं शोध एशोसियेटशिप (आरए)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर आयोग विज्ञान, मानविकी, तथा सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में भारतीय विश्वविद्यालयों में एम. फिल/पी.एच.डी. करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों से कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु 20 अभ्यर्थियों का चयन करता है। अध्येतावृत्ति 4 वर्ष (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है) की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :

क. विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति

अध्येतावृत्ति	12,000/–रू. प्रतिमाह की दर से 14,000/–रू. प्रतिमाह की दर से	प्रथम दो वर्षों के लिए शेष अवधि के लिए
आकस्मिकता अनुदान	10,000./– प्रतिवर्ष की दर से 12,000.00 रू. प्रतिवर्ष की दर से 25,000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से 20,500/–रू. प्रतिवर्ष की दर से	मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए विज्ञान के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान की शेष अवधि के लिए विज्ञान हेतु शेष अवधि के लिए
विभागीय	3000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से	प्रति जे.आर.एफ. सहायता
विकलॉग भत्ता/सहायक	2000/–रू. प्रतिवर्ष की दर से	प्रति जे.आर.एफ. सहायता
आवास किराया भत्ता	संबद्ध संस्थान के निर्धारित नियमानुसार	

इस अध्येतावृत्ति के लिए व्यय को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान हेतु कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति में सम्मिलित किया गया है।

ख. विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर आयोग विज्ञान, मानविकी, तथा सामाजिक विज्ञान के किसी विषय में भारतीय विश्वविद्यालयों में पोस्ट डाक्टोरल शोध करने के इच्छुक विदेशी नागरिकों से प्राप्त आवेदनों से कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति हेतु 7 (निर्धारित अध्येतवृत्तियां) अभ्यर्थियों का चयन करता है। अध्येतावृत्ति 4 वर्ष (जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है) की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी। अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :

अध्येतावृत्ति	16,000/- रू. प्रतिमाह की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
आकस्मिक	30,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एसोसिएशिप का 10 प्रतिशत	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)
आवास भत्ता	संबधित संस्थान के नियमानुसार	4 वर्ष के लिए (निर्धारित)

6.6 भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ

विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में भारतीय नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृतियाँ(जेआरएफ)

इस योजना का मुख्य लक्ष्य विद्वानों को उच्च शोध एवं अध्ययन करने के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे भाषाएं एवं विज्ञान सहित विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान में एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रियाँ प्राप्त कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जे.आर.एफ उपलब्ध कराता है। इस अध्येतावृत्ति की कुल अवधि **5** वर्ष है। इस अध्येतावृत्ति का पैटर्न निम्नवत है :–

अध्येतावृत्ति	प्रारंभ में दो वर्ष के लिए 16,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि के लिए 18,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	जे आर एफ (2 वर्ष) एस आर एफ.(3 वर्ष)
आकस्मिक–क	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 10,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 20,500/-रू. प्रतिमाह की दर से	मानविकी और सामाजिक विज्ञान

आकस्मिक–ख	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 12,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 25000/-रू. प्रतिमाह की दर से	विज्ञान
विभागीय सहायता	3,000/- रू. प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से मेजबान संस्था को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए	
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन प्रत्यार्शियों के लिए 2,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	
आवास किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियमानुसार	

वर्ष 2012–13 के दौरान, विज्ञान एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में जे.आर.एफ. पर **190.02 करोड़ रू0** की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयेत्तर संस्थानों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में **69.81 करोड रू.** की राशि व्यय की गई। जेआरएफ योजना के तहत लगभग 8800 स्लॉट हैं। वर्तमान में, 32000 (लगभग) स्कॉलर जे. आर.एफ के तहत एमफिल/पीएचडी अध्ययन कर रहे हैं।

6.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृतियां

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अ.जा. एवं अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित करने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौपा और वित्तपोषित किया गया है जिसके लिए प्रति वर्ष 2667 स्लॉट उपलब्ध कराये गये हैं अर्थात् अ.जा.के लिए 2000 तथा अ.ज.जा. के लिए 667 स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। अ.जा. के अभ्यर्थियों के लिए 01 अप्रैल, 2010 से स्लॉटों की संख्या 1333 से बढाकर 2000 कर दी गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना। केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों के लिए विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान जिसमें भाषाएं एवं इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी शामिल की गई हैं उन विषयों में एम.फिल./पी.एच.डी. करने के उद्देश्य से उच्च शोध एवं अध्ययन करने के लिए 2667 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां उपलब्ध कराना हैं। इस अध्येतावृत्ति की अवधि पाँच वर्ष की है।

विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञान, एंव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	प्रारम्भिक दो वर्षों तक के लिए 16,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक के लिए 18,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	आर.जी.एन.जे.आर.एफ. (2 वर्ष) आर.जी.एन.जे.आर.एफ. (3 वर्ष)

अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत् है :–

आकस्मिक (क)	प्रारम्भिक दो वर्षों तक 10,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक 20,5000/-रू. प्रतिमाह की दर से	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान
आकस्मिक (ख)	प्रारम्भिक दो वर्ष तक 12,000/-रू. प्रतिमाह की दर से शेष अवधि तक 25,000/-रू. प्रतिमाह की दर से	विज्ञान, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी
विभागीय सहायता	3000/-रू. प्रति वर्ष की दर से, प्रति छात्र–की दर से मेजबान संस्थान को दी जायेगी	सभी विषयों में
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक विकलांग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों को 2000/-रू. प्रतिमाह की दर से	सभी विषयों में
आवास किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थाओं के नियमानुसार	सभी विषयों में

वर्ष 2012–13 के दौरान, योजनागत अनुदान के तहत (अ0ज0 अभ्यर्थियों हेतु) पर **571207643 करोड़ रू0** तथा **180376141 करोड़ रू0** (अ0ज0जा0 अभ्यर्थियों हेतु) की राशि व्यय की गई।

6.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

योजना का उद्देश्य ऐसे अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्टोरल डिग्री प्राप्त कर ली है तथा जिन्होंने शोध पत्र प्रकाशित कर लिया है उनके लिये उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में उच्च शोध करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति की योजना को आरम्भ किया गया है। इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष उनके लिए 100 स्लॉट उपलब्ध करवा रहा है।

इस अध्येतावृत्ति का स्वरुप निम्नवत है:

क्र.सं.	मद	अध्येतावृत्ति की संशोधन–पूर्व दर		अध्येतावृत्ति की संशोधित दर	
		अध्येतावृत्ति की दर	अध्येतावृत्ति की अवधि	अध्येतावृत्ति की दर	अध्येतावृत्ति की अवधि
1.	अध्येतावृत्ति	16,000/- रू. प्रतिमाह की दर से	दो वर्ष	प्रारम्भिक दो वर्षों तक **25,000**/- रू. प्रतिमाह की दर से तीसरे वर्ष के पश्चात् **30000/-** रू. प्रतिमाह की दर से	पांच वर्ष
2.	आकस्मिक	30000/- रू. प्रतिवर्ष की दर से	दो वर्ष	पांच वर्षों तक **50,000**/-रू. प्रतिवर्ष की दर से	पांच वर्ष
3.	विभागीय सहायता	मेजबान संस्था को पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति का 10 प्रतिशत	दो वर्ष	–	पांच वर्ष
4.	सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/-रू. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से	दो वर्ष	शारीरिक रूप से विकलॉग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/-रू. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से	पांच वर्ष
5.	आवास किराया भत्ता	विश्वविद्यालय के नियमानुसार		विश्वविद्यालय के नियमानुसार	

रिपोर्टिंग वर्ष 2012–13 के दौरान **14710766 रूपये** की राशि व्यय की गई।

6.9 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े अभ्यार्थियों के लिए यह योजना अ.जा./अ.ज.जा. प्रत्याशियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों मे स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि के

आधार पर इन छात्रवृत्तियों की अवधि 2/3 वर्ष की है। अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों के प्रत्याशियों के लिए स्लॉटों की संख्या 1000 प्रति वर्ष है।

एम.टेक.छात्र	5,000/-रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक व्यय	15,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से
अन्य पाठ्यक्रमों के लिए	3,000/-रू. प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक व्यय	10,000/-रू. प्रतिवर्ष की दर से

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, **57206602 रूपये** का योजनागत व्यय किया गया।

6.10 शोध वैज्ञानिक (संशोधन–पूर्व)

शोध वैज्ञानिक योजना को वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था तथा इसका लक्ष्य विशिष्ट योग्यता वाले वैज्ञानिको को विज्ञान, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी एवं मानविकी तथा समाज विज्ञान के तीन स्तरों पर में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था:

1. व्याख्याता शोध वैज्ञानिक 'क'
2. रीडर शोध वैज्ञानिक 'ख'
3. आचार्य शोध वैज्ञानिक 'ग'

वर्तमान में योजना के तहत विभिन्न संस्थानों में 69 अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यरत हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान इन अनुसंधान वैज्ञानिकों के वेतन तथा आकस्मिता पर **5.39 करोड रूपये** का भुगतान किया गया।

6.11 महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

इस योजना का उद्देश्य पी.एच.डी उपाधि धारक बेरोजगार महिलाओं जिनका अंशकालीन आधार पर विज्ञान और भाषा सहित मानविकी तथा समाज विज्ञान विषय मे शोध की ओर रूझान है, उन्हें अनुसंधान कार्य का सुअवसर प्रदान करना है।

अध्येतावृत्ति की राशि निम्नवत है :

अध्येतावृत्ति	18000रू0 प्रतिमाह की दर से तथा दो वर्ष पश्चात 20000रू0 प्रतिमाह की दर से नए से। *आयोग की 4 अगस्त 2009 को आयोजित बैठक मे मद संख्या 4.09 द्वारा यथा निर्णित, संशोधित किया गया। 25000 रू0 प्रतिमाह की दर से दो वर्ष पश्चात 30000 रू0 प्रतिमाह की दर से नए से।
आकस्मिक अनुदान	5 वर्षों के लिए 50,000 रू. प्रतिवर्ष की दर से
विभागीय सहायता	मेज़बान संस्थान के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप का 10 प्रतिशत
सहायक/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग एवं दृष्टिहीन प्रत्याशियों के लिए 2,000/-रू. प्रतिमाह (निर्धारित) की दर से

वर्ष 2011–12 के दौरान प्रकाशित किये गये विज्ञापन द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छानबीन समिति द्वारा आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया गया है और इटरफेस बैठक आयोजित की गई है तथा आगे की कार्यवाही हेतु मिसिल प्रक्रियाधीन है।

योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष **100 स्लॉट** उपलब्ध हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान 5.39 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

6.12 एमई/एमटेक/एम.फार्मा में गेट–अर्हता प्राप्त छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–गेट/जीएपीएटी अर्हता प्राप्त एमई/एम.टेक/एम. फार्मा पाठ्यक्रमों और समेकित दोहरी उपाधि पाठ्यक्रम के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को लागू कर रहा है। योजना का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा को जारी रखने हेतु मेधावी युवा स्नातक उपाधि प्राप्त छात्रों को आकर्षित करने में मदद करना है।

योजना के आरंभ से तकनीकी कार्यक्रमों को चलाने वाले विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष 1200 छात्रवृत्तियों के लिये दावा प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय सहायता का स्वरूपः

अध्येतावृत्ति	8000 रू0 प्रतिमाह की दर से
आकस्मिक अनुदान	5000 रू0 प्रतिवर्ष की दर से

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गेट/जीएपीएटी अर्हता प्राप्त एमई/एम.टेक/एम. फार्मा हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को बंद कर दिया है। आयोग की 10 मई, 2013 को आयोजित 493वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2013 से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली ऐसी योजना का कार्यान्वयन करेगा।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–13 के दौरान **112358876** रुपए का व्यय हुआ है।

6.13 एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

सरकार द्वारा महिलाओं के स्तर को उठाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें लडकियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा मूलभूत शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाना शामिल है। इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के लिए किया गया व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति की जाये विशेषकर के ऐसी लड़कियों के मामले में जो कि अपने–अपने परिवारों में एकमात्र बालिका शिशु हैं।

इस योजना के उद्देश्य गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एकमात्र बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए समर्थन तथा छोटे परिवार के मानदण्ड महत्व को पहचान प्रदान करना।

योजना स्नातकोत्तर शैक्षिक सत्र 2005–07 से आरंभ की गयी थी। अपने माता–पिता की एकल बालिका संतान जिससे नियमित पूर्णकालिक, निष्णांत पाठ्यक्रम (गैर–पेशेवर पाठ्यक्रम) के प्रथम वर्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, यह छात्रवृत्ति पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की किशोरी छात्राएँ पात्र हैं। सभी पात्र किशोरी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्तियों की कोई अधिकतम संख्या नहीं है।

ऐसे विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/संस्थान जो कि विअआ अधिनियम के धारा 2(च) एवं 12(ख) के अन्तर्गत शामिल हैं, उन संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा यदि प्रवेश प्राप्त किया गया है तो वहाँ पर छात्राओं से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, कोई शिक्षण शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की राशि 2,000 रू.प्रतिमाह दो वर्षों के लिए ही होगी (एक वर्ष में 10 माह के लिए) अर्थात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए।

स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार लाभान्वित छात्राओं की संख्या निम्नवत् है :

2005-07	1360
2006-08	1067
2007-09	1200
2008-10	1200
2009-11	1538
2010-12	2299
2011-13	1803

एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अवार्डियों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र –वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार 2011–2013
1.	आन्ध्र प्रदेश	142
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	31
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	दिल्ली	45
7.	गोवा	4
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	7
10.	हिमाचल प्रदेश	1
11.	जम्मू और कश्मीर	0
12.	झारखण्ड	8
13.	कर्नाटक	76
14.	केरल	491
15.	मध्य प्रदेश	4
16.	महाराष्ट्र	59
17.	मणिपुर	5

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार 2011–2013
18.	मेघालय	9
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैण्ड	0
21.	ओडीशा	11
22.	पंजाब	17
23.	राजस्थान	5
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	291
26.	त्रिपुरा	10
27.	उत्तरांखण्ड	6
28.	उत्तर प्रदेश	22
29.	पश्चिम बंगाल	502
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
31.	चण्डीगढ	22
32.	दादर और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	22
	कुल	1803

रिपोर्टाधीन वर्ष 2012–13 के दौरान **26680763** रुपए का व्यय किया गया है।

6.14 स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में रैंक–धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति

एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए लिए प्रतिभावान लड़के एवं लड़कियों को स्नातकोत्तर शिक्षा पद्धति शिक्षा हेतु आकर्षित किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में समुचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाये। इसीलिए वि0अ0आ0 ने विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर श्रेष्ठता छात्रवृत्ति को प्रस्तावित किया तथा स्नातक स्तर पर सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों के लिए ऐसी छात्रवृत्ति प्रस्तावित की है।

उस छात्रवृत्ति की अवधि 2 वर्ष होगी ताकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र जो स्नातक स्तर के छात्र हैं वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अनुसरण कर सकें। बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.काम इनमें सामान्य एवं ऑनर्स पाठ्यक्रमों में, संपूर्ण विश्वविद्यालय (न कि महाविद्यालय) में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ताओं को, सभी सम्बंद्ध विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा रैंक संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। अवार्डधारक देश के किसी भी उच्चतर अभिगम संस्थान में किसी भी विशिष्टता के क्षेत्र में अपना स्नातकोत्तर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

इस योजना के निम्न लक्ष्य हैं :

- प्रतिभा का संवर्धन एवं उसका पोषण करना।
- ऐसे छात्र जिन्होने स्नातक स्तर पर विशिष्ट निष्पादन किया है ऐसे मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाये ताकि वे स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन का अनुसरण कर सके।
- स्नातकोत्तर में सामान्य एव ऑनर्स दोनों श्रेणियों में आधारगत विषयों में अध्ययन को प्रोन्नत करना।
- समस्त देश में सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अकादमिक श्रेष्ठता का तैयार करना।

पात्रता :

स्नातक स्तर के ऐसे शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता जो प्रथम या द्वितीय शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता हैं तथा जो किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जिन्हें प्रवेश प्राप्त हो चुका है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस प्रकार के अवार्ड प्राप्तकर्ताओं को ही अपनी योग्यता के परिणाम को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तथापि, इस छात्रवृत्ति को स्नातकपूर्व स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर प्रदान किया जाएगा।

योजना ऐसे छात्रों पर लागू है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त राज्य/सम विश्वविद्यालय और स्वायत्त अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्णकालीन निष्णात डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर डिग्री के छात्रों को ही उपलब्ध है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्रों की आयु सीमा 30 वर्ष है। छात्रवृत्ति हेतु दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रथम शैक्षिक वर्ष के दौरान सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 3000 होगी। छात्रवृत्ति की अवधि केवल दो वर्ष की ही होगी। किसी भी स्थिति में इस छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्षो से आगे विस्तारित नहीं की जायेगी।

केवल उन सबद्ध विश्वविद्यालयों से रैंक होल्डरों पर विचार किया जाएगा जहां कम से कम 100 छात्र/और सम विश्वविद्यालयों/ स्वायत्त/गैर–संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 25 छात्र स्नातक पूर्व स्तर पर परीक्षा में बैठे।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अवार्ड धारक को रू. 2,000/– प्रतिमाह की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात् एक वर्ष में 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विषयों से स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों की पहचान की गई है :

स्नातकपूर्व स्तर पर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार/वर्ष–वार अवार्ड–धारकों का ब्यौरा

विश्वविद्यालयों के प्रथम स्थान प्राप्तकर्ताओं के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार अवार्ड–धारकों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार 2011–2013
1.	आन्ध्र प्रदेश	10
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	37

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्नातकोत्तर अकादमिक सत्रवार 2011–2013
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	0
6.	दिल्ली	14
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	12
9.	हरियाणा	1
10.	हिमाचल प्रदेश	0
11.	जम्मू और कश्मीर	1
12.	झारखण्ड	1
13.	कर्नाटक	14
14.	केरल	112
15.	मध्य प्रदेश	4
16.	महाराष्ट्र	9
17.	मणिपुर	2
18.	मेघालय	6
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैण्ड	0
21.	ओडीशा	30
22.	पंजाब	3
23.	राजस्थान	4
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	50
26.	त्रिपुरा	5
27.	उत्तरांखण्ड	2
28.	उत्तर प्रदेश	20
29.	पश्चिम बंगाल	29
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
31.	चण्डीगढ	1
32.	दादर और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	3
	कुल	**375**

6.15 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियाँ

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (एमओएमए) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वर्ष 2009–10 से मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को लागू करने का कार्य सौपा गया है।

इस योजना का उद्धेश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों उच्चतर अध्ययन जैसे एम.फिल. एवं पी.एच.डी. जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) एवं धारा 3 के अर्न्तगत मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान कवर हैं। इस योजना के अन्तर्गत अध्येतावृत्ति धारकों को एमओएमए शोध अध्येताओं के नाम से जाना जायेगा। इस अध्येतावृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष 756 स्लॅाट उपलब्ध हैं।

अध्येतावृत्तियां, पी.एच.डी. और एम.फिल. कार्यक्रम के साथ समेकित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हैं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमों के अनुसार प्रवेश प्वाईंट आधार होगा। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नवत होगी :–

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम समय सीमा	जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. की ग्राहयता	
		जे.आर.एफ.	एस.आर.एफ.
पी.एच.डी.	5 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
एम.फिल.+पी.एच.डी	2+3वर्ष	2वर्ष	3 वर्ष

इन जे.आर.एफ. एवं एस.आर.एफ. अध्येतावृत्तियों की दरें समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्येतावृत्तियों के समरूप होंगी वर्तमान में यह दरें निम्नवत हैं :–

अध्येतावृत्ति	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए 16,000/- रु0 की दर से (जे.आर.एफ) शेष कालावधि के लिए 18,000/- रु0 की दर (एस.आर.एफ.)
मानविकी, समाज विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए आकस्मिक दर	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10,000/-रु0 की दर से शेष तीन वर्षों के लिए 20,500/-रु0 की दर से प्रतिवर्ष
विज्ञान के लिए आकस्मिक दर	प्रारंम्भिक 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 12,000/- रु0 की दर से शेष तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 25,000/- रु0 की दर से
विभागीय सहायता	मेजबान संस्थान के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवर्ष 3000/-रु0 प्रतिछात्र की दर से
सहायक/रीडर की सहायता	शारीरिक निशक्त एवं दृष्टि–बाधित प्रत्याशियों के लिए 2,000/- रु0 प्रतिमाह की दर से
आवास किराया भत्ता	विश्वविद्यालय/संस्थान के नियमों के अनुसार

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत अब तक चयनित अभ्यर्थियों की राज्य और समुदाय–वार संख्या

मूल राज्य	भारत सरकार के अनुसार–स्लाटों का आबंटन						वर्ष 2012–13 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या					
	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बुद्व	पारसी	कुल	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बुद्व	पारसी	कुल
आन्ध्र प्रदेश	25	6	0	0	0	31	26	8	0	0	0	34
अरुणाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	4	0	1	0	1	0	2
असम	30	3	0	0	0	33	30	5	0	0	0	35

मूल राज्य	भारत सरकार के अनुसार–स्लाटों का आबंटन						वर्ष 2012–13 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की संख्या					
	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बुद्ध	पारसी	कुल	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बुद्ध	पारसी	कुल
बिहार	50	0	0	0	0	50	55	0	0	0	0	55
छत्तीसगढ़	3	3	0	0	0	6	3	1	0	0	0	4
गोवा	X	X	X	X	X	4	1	1	0	0	0	2
गुजरात	17	3	0	0	1	21	17	3	0	0	0	20
हरियाणा	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12
हिमाचल प्रदेश	X	X	X	X	X	4	1	0	0	1	0	2
जम्मू और कश्मीर	27	0	0	0	0	27	30	0	0	0	0	30
झारखंड	15	6	0	0	0	21	17	6	0	0	0	23
कर्नाटक	25	3	0	3	0	31	26	3	0	3	0	32
केरल	28	22	0	0	0	50	29	23	0	0	0	52
मध्य प्रदेश	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15
महाराष्ट्र	38	6	0	22	1	67	42	4	0	23	0	69
मणिपुर	X	X	X	X	X	4	1	2	0	0	0	3
मेघालय	X	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6
मिजोरम	X	X	X	X	X	4	0	1	0	0	0	1
नागालैंड	0	6	0	0	0	6	0	7	0	0	0	7
ओड़िशा	3	3	0	0	0	6	3	3	0	0	0	6
पंजाब	3	0	56	0	0	59	3	0	56	0	0	59
राजस्थान	18	0	3	0	0	21	20	0	3	0	0	23
सिक्किम	X	X	X	X	X	4	0	1	0	1	0	2
तमिलनाडु	14	14	0	0	0	28	17	16	0	0	0	33
त्रिपुरा	X	X	X	X	X	4	0	2	0	0	0	2
उत्तर प्रदेश	114	0	3	3	0	120	121	0	3	3	0	127
उत्तराखंड	X	X	X	X	X	4	1	1	0	0	0	2
पश्चिम बंगाल	75	3	0	3	0	81	77	3	0	0	0	80
अंडमान और निकोबार	X	X	X	X	X	4	0	0	0	3	0	3
चंडीगढ़	X	X	X	X	X	4	0	0	0	0	0	0
दादर एवं नगर हवेली	X	X	X	X	X	4	0	0	0	1	0	1
दमन एवं दीव	X	X	X	X	X	4	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	6	3	0	0	0	9	8	3	0	0	0	11
लक्षद्वीप	X	X	X	X	X	4	0	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	X	X	X	X	X	4	1	0	0	0	0	1
कुल योग	**544**	**100**	**74**	**36**	**2**	**756**	**544**	**100**	**74**	**36**	**0**	**754**

X = राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चार अध्येतावृत्तियों में कोई समुदाय–वार विभाजन नहीं होगा। सभी आवेदनों को एक साथ पूल करके निर्णय लिया जायेगा।

6.16 भारतीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक शोध करने के लिए अधिकारप्राप्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

शोध में उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विज्ञान के स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान घटकों सहित अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा आपूर्ति, जल आपूर्ति, सुरक्षा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, कार्य करने हेतु मेज एवं अपेक्षित अन्य अवसरंचना के सुदृढ करने के लिए,विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विभागों को विकास अनुदान उपलब्ध करवाता है।

एसएपी विभागों, स्वायत्त महाविद्यालयों उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों, गैर–एसएपी विभागों, एनएएसी प्रत्यायित महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>योजना का नाम</th><th colspan="3">अनुमानित परिणाम</th><th>वास्तविक परिणाम</th><th>महाविद्यालय/विभागों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एसएपी (सीएएस/डीएसए/सीएएस) के अंतर्गत अवसंरचना विकास</td><td colspan="3">डीआरएस हेतु
• प्रथम किस्तः 20 लाख रूपये
• दूसरी और तीसरी किस्तः 20 लाख रूपये
डीएसए/सीएएस हेतु
• प्रथम किस्तः 20 लाख रूपये
• दूसरी और तीसरी किस्तः 30 लाख रूपये</td><td>डीआरएस हेतु
13.40 करोड रू0</td><td>डीआरएस हेतु
65 विभाग</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2.</td><td rowspan="6">गैर–सैप विभाग</td><td colspan="3">गैर–सैप (पी0एच0डी0 प्रस्तुत किए जाने पर)
• प्रथम किस्तः</td><td rowspan="6">गैर–सैप हेतु
0.50 करोड रूपये</td><td rowspan="6">गैर–सैप हेतु
5 विभाग</td></tr>
<tr><td>संकाय सदस्यों की संख्या</td><td>पिछले 5 वर्षो के दौरान प्रदत्त पी0एच0डी0 की संख्या</td><td>संस्तुत अवसंरचनात्मक अनुदान (राशि रू0 में)</td></tr>
<tr><td>5 और अधिक</td><td>10 और अधिक</td><td>10 लाख</td></tr>
<tr><td>10 और अधिक</td><td>20 और अधिक</td><td>15 लाख</td></tr>
<tr><td>15 और अधिक</td><td>25 और अधिक</td><td>25 लाख</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर इतनी ही राशि द्वितीय किस्त के रूप मे संस्वीकृत की जा चुकी है</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>उत्कृष्ता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय</td><td colspan="3">सीपीई हेतु
• प्रथम किस्तः विज्ञान विभाग हेतु 5.00 लाख रूपये
• दूसरी और तीसरी किस्तः विज्ञान विभाग हेतु 6.00 लाख रूपये</td><td>14.42 करोड रूपये</td><td>36 महाविद्यालय</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>स्वायत्त महाविद्यालय</td><td colspan="3">स्वायत्त महाविद्यालयों हेतु
• प्रथम किस्तः 10 लाख रूपये
• दूसरी और तीसरी किस्तः 20 लाख रूपये</td><td>1.50 करोड रूपये</td><td>8 महाविद्यालय</td></tr>
</table>

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित परिणाम	वास्तविक परिणाम	महाविद्यालय/विभागों की संख्या
5.	एनएएसी महाविद्यालय	एकमुश्त प्रयोगशालाओं को सुदृढ करने हेतु 10 लाख रू0 का अनुदान पुरानी पद्धति के अनुसार न्यूनतम बीबी++स्तर तथा नई पद्धति के अनुसार न्यूनतम बी स्तर के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को जारी किया गया है। ● एकमुश्त अनुदानः 10.00 लाख रू0	0.40 करोड रूपये	4 महाविद्यालय
	कुल		**30.22**	**118**

अवसंरचना अनुदान

(करोड रूपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-2013
1.	डीआरएस	13.40
2.	गैर–सैप	0.50
3.	सीपीई	14.42
4.	स्वायत्त महाविद्यालय	1.50
5.	एनएएसी महाविद्यालय	0.50
	कुल	**30.32**

6.17 नेटवर्किंग शोध केन्द्रः समर–विंटर स्कूल

नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रः ग्रीष्मकालीन–शीतकालीन विद्यालय स्थापित नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्र के उद्धेश्य निम्नवत हैः–

1. समय–समय पर चर्चा, कार्यशाला तथा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन विद्यालयों के माध्यम से संकाय तथा अनुसंधान स्कॉलरों का अनुसंधान प्रशिक्षण तथा कौशल विकास।
2. संकाय एवं विभागों को उनके अनुंसधान कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें परामर्श प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण।
3. महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिए अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से अनुसंधानकर्ताओं को आमंत्रित करना तथा उन्हें सुविधा प्रदान करना।
4. अन्य संस्थानों/अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त अनुसंधान सूचना उपलब्ध करवाने के लिए विभाग की सूचना संसाधन सुविधा में वृद्धि करना।
5. विभाग के भीतर अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना तथा अन्य अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि करना तथा उसका निर्माण।

बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत नेटवर्किंग अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए एसएपी के तहत **4** विभागों को अनुमोदित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2012–13 के दौरान अब तक 4 विभागों को **4.00 करोड रूपये** की राशि जारी की गई है।

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-2013
1.	नेटवर्किंग रिसोर्स केन्द्र	4.00 करोड रूपये

6.18 एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना

लिंगगत न्याय करने के उद्बेश्य से बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत कवर विभागों में शोध करने के लिए एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना की पेशकश की जा रही है। यह अध्येतावृत्तियां को अन्य बीएसआर कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध मौजूदा अध्येतावृत्तियों के अतिरिक्त अध्येतावृत्तियों उपलब्ध माना जाता है। **आज तक 09 अभ्यर्थियों की नियुक्त की जा चुकी हैं।अब तक 0.27 लाख रू0 की राशि जारी की जा चुकी है।**

क्र.सं.	योजना का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	एकल बालिका अध्येतावृत्ति योजना	-	-	-	-	0.09	-	0.018

6.19 डॉ. डी.एस.कोठारी पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियाँ

प्राक्कथन

पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान युवा शोधकर्त्ताओं के अकादमिक/शोध कैरियर को आरंभ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सक्षमकारी कदम है। यह डॉक्टोरल स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा निदेशित छात्र से विशेष रूप से अकादमिक क्षेत्र मे नेतृत्व की स्थिति में एक स्वतंत्र शोधकर्त्ता के रूप में एक **परिवर्तन** का चरण होता है।पोस्ट–डॉक्टोरल के रूप में कार्य करने से उन्हे नए कौशल प्राप्त करने, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का अवसर प्राप्त होता है साथ ही अंतर–विषयगत क्षेत्रों मे कदम रखने का एक माध्यम प्राप्त होता है।

पात्रता

वे प्रत्याशी जिन्होंने या तो पी.एच.डी उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा जिन्होंने अपना पी.एच.डी के लिये शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। चयन होने के बाद, ऐसे प्रत्याशी जो पी.एच.डी कर चुके हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट–डॉक्टोरल फ़ैलोशिप अवार्ड कर दी जायेगी। ऐसे प्रत्याक्षी जिन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है उन्हें औपचारिक रूप से उन्हें पी.एच.डी का अवार्ड होने तक एक "ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति" (वृत्तिका में बहुत थोड़ी सी कमी) अवार्ड की जायेगी।

वित्तीय सहायता

	नियमित अध्येतावृत्ति	ब्रिजिंग अध्येतावृत्ति
प्रथम वर्ष का अनुदानः	28000 रू0 प्रतिमाह	22000 रू0 प्रतिमाह
द्वितीय वर्ष का अनुदानः	29000 रू0 प्रतिमाह	
तृतीय वर्ष का अनुदानः	30000 रू0 प्रतिमाह	
आकस्मिता	100000रू0 प्रतिवर्ष (01.04.2012 से प्रभावी)	
आवास किराया भत्ताः	प्रत्येक चयनित पीडीएफ को आवास किराया भत्ता ग्राहय है।	

- **आज तक 962 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जा चुकी है और 452 पीडीएफ नियुक्त हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान अब तक 16.74 करोड रू0 की राशि जारी की जा चुकी है।**

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-13
1.	पीडीएफ	16.74 करोड रू0

6.20 विज्ञान विषयों में मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृतियां

प्राक्कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बीएसआर योजना के तहत विज्ञान विषयों में मेधावी छात्रों के लिए अनुसंधान अध्येतावृतियां ऐसे छात्रों के लिए है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना मे पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से पी.एच.डी.कार्यक्रम मे पंजीकरण हेतु चयनित है। प्रवेश के पश्चात पीएचडी मे पंजीकरण होगा।

उद्देश्य

बीएसआर योजना का उद्धेश्य मेद्यावी छात्रों को उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे विज्ञान विषयों में पी. एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर सकें।

पात्रता

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चिन्हित उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालयों /उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्रों अथवा उच्च अध्ययन केन्द्रों तथा विशेष सहायता वाले विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना मे पहले ही दी गई प्रक्रिया के माध्यम से नियमित प्रवेश प्रक्रिया द्वारा किसी विश्वविद्यालय मे पीएचडी कार्यक्रम में पंजीकरण करने हेतु चयनित हैं। प्रवेश के पश्चात पीएचडी मे पंजीकरण होगा।

वित्तीय सहायताः

गैर–गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रथम दो वर्षों के लिए 14,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से। अगले तीन वर्षों के लिए 16,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)।
आकस्मिक	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से; और
	अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)।
गेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी	
अध्येतावृत्ति राशि	प्रथम दो वर्षों के लिए 16,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से। अगले तीन वर्षों के लिए 18,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)।
आकस्मिक	प्रथम दो वर्षों के लिए 12,000.00 रू. प्रतिमाह की दर से। अगले तीन वर्षों के लिए 25,000.00 रू प्रतिमाह की दर से (01.04.2010 से)।
आवास किराया भत्ताः	सभी किस्तो के लिए विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार

- **आज तक सैप/गैर–सैप विभागों के 6754 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जा चुकी है और 4694 जेआरएफ नियुक्त हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान अब तक 54.87 करोड रू0 की राशि जारी की जा चुकी है।**

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-13
1.	आरएफएसएमएस/बीएसआर अध्येतावृत्ति	54.87करोड रू0

6.21 ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज : विश्वविद्यालयों के शोध एवं शिक्षण संसाधनों में वृद्धि हेतु पहल

ऑपरेशन फ़ैकल्टी रीचार्ज को आरंभ किया गया है जिसके तहत 1000 संकाय के पदों का सृजन किया जा रहा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विज्ञापन द्वारा भरा जा सकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जेएनयू में एक प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा चुकी है जिसमे प्रो0 आर0पी0गांधी राष्ट्रीय समन्वयक तथा प्रो0 सुदेश नागिया सहायक समन्वयक नियुक्त किये गये हैं। फ़ैकल्टी रीचार्ज कार्यक्रम के पोर्टल का विमोचन दिनांक 09 जून, 2011 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय द्वारा किया गया। संकाय सदस्यों का चयन प्रकियाधीन है। **वर्श 2012–2013 के दौरान काई अनुदान जारी नहीं किया गया।**

6.22 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेधावी शिक्षक, जो राज्य के विष्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के समीप हैं, बुनियादी विज्ञान अनुसंधान में अनुसंधान जारी रखने का अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से रिपोर्टाधीन अवधि में ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येता'' नामक योजना शुरू की है। योजना का मुख्य उद्धेश्य सेवानिवृत्ति के समीप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेधावी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के तीन अतिरिक्त वर्ष बाद तक सार्थक शोष कार्य को जारी रखना तथा युवा शोधकर्ताओं एवं पीएचडी छात्रों के लिए निगरानीकर्ता की भूमिका निभाना है।

पात्रता मानदंड

- विश्वविद्यालयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर।
- नामचीन जर्नलों में कम से कम 15 अनुसंधान प्रकाशन होना चाहिए तथा मूलभूत विज्ञान में 15 पीएचडी या अपने कैरियर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 10 जिसमें से 5 पिछले दस वर्षों में पूरा होना चाहिए।
- पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधि प्राप्त प्रधान अन्वेषक के रूप में अनुसंधान परियोजनाओं को चलाने/प्रायोजित करने का प्रमाण।
- यह योजना संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की अपनी आयु से एक या दो वर्ष पूर्व उन शिक्षकों पर लागू है।
- आवेदक के पास अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए जो सेवानिवृत्ति की तारीख से होगी।
- विभाग/स्कूल/विश्वविद्यालय को आवेदन पत्र में शपथ देना होगा कि आवेदक को निम्नवत सुविधा प्रदान की जायेगी – (i) अध्येतावृत्ति कार्य को करने के लिए आवश्यक प्रयोगशाला अवसंरचना तथा प्रशासनिक सहायता और (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति अवार्ड के लिए चयनित होने पर अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए कम से कम दो वृत्तिका।

वित्तीय सहायता

- अध्येतावृत्ति में 30,000 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा जो पेंशन और/या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अतिरिक्त है।
- आकस्मिक निधि प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये है जिसमें से 50,000 रूपये की धनराशि का उपयोग अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

- अवार्ड प्राप्तकर्ता को विश्वविद्यालय के साथ अध्येतावृत्ति में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शपथपत्र देना होगा तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा द्विवर्षीय प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य जारी रखने वाले 31 आचार्यो को 1.79 करोड रूपये की राशि जारी की गई।

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-13
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति	1.79 करोड रू0

6.23 बीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत ''शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान''

शिक्षकों को एकमुश्त अनुदान देने का प्रयोजन अपने विशिष्टता प्राप्त क्षेत्र में शोध जारी रखना है। न्यूनतम पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

- सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व कम से दो वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
- आवेदन की तारीख तक सेवावधि के दौरान कम से कम 15 पीएचडी प्रस्तुत किया हो और पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 पीएचडी हो।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधि प्राप्त कम से कम पांच प्रायोजित अनुसंधान परियोजनों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और/या उद्योग से प्राप्त निधि का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
- वर्तमान में चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाएं और पीएचडी 'उम्मीदवार' का ब्यौरा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विशिष्ट योजना हेतु''एकमुश्त अनुदान हेतु अनुरोध के साथ अनुदान के उपयोग हेतु एक पृष्ठ में औचित्य।

''एकमुश्त अनुदान'' योजना के अंतर्गत एक शिक्षक को शोध कार्य करने के लिए सात लाख रूपये प्रदान किये जाते है। अनुदान का उपयोग छोटे उपकरणों, रसायनों, आकस्मिकता और क्षेत्र कार्य के लिए किया जा सकता है।

विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शोध कार्य कर रहे 37 शिक्षकों को 2.59 करोड रूपये की राशि जारी की गई।

क्र.सं.	योजना का नाम	2012-13
1.	एकमुश्त अनुदान	2.59 करोड रू0

6.24 भर्ती हुए नये संकाय सदस्यों हेतु 'स्टार्ट–अप' अनुदान

इस योजना के तहत, ऐसे सभी शिक्षक जो सहायक आचार्य के पद पर नये भर्ती हुए हों और जो पी0एच0डी0 धारक हों और जिनके अनुमोदित/उद्धृत जर्नलों में कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हों। सहायक आचार्य को विश्वविद्यालय की विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए मूलभूत विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के समक्ष विभाग/विश्वविद्यालयों में पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह माह के भीतर की अवधि के दौरान आवेदन करना होगा और वह वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। 177 नये भर्ती हुए संकाय सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

क्र.सं.	योजना का नाम	2012–13
1.	स्टार्ट–अप अनुदान	10.62 करोड़ रूपये

7 लिंगगत तथा सामाजिक समानता

7.1 भारतीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महिला अध्ययन का विकास

कार्यक्रम/योजना की एतिहासिक पृष्ठभूमि

विशेष बल इस बात पर दिया गया है कि हेतु तथा जाति/वर्ग/धर्मगत सीमाओं से परे तथा जातिगत एवं व्यवसायगत दृष्टि से परे क्षेत्रगत क्रियाओं से जुड़ी परियोजनाओं को कार्यवाही, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं ज्ञान की में वृद्धि की जाए तथा इस प्रयोजनार्थ परामर्श प्रदान करने, भागीदारी तथा क्लस्टर तैयार करने के साथ–साथ अभिविन्यास तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं पर नये सिरे से बल दिया गया। अधिकाधिक लोगों तथा अधिकाधिक संगठनों को इस नेटवर्क से जोड़ने पर भी बल दिया गया ताकि इस नवीन उभरते हुए विषय पर बल दिया जा सके साथ ही इसकी मुख्य उद्धेश्य एवं गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके।

उद्धेश्य और मुख्य विशेषताएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं योजना अवधि से ही देश में महिलाओं के अध्ययन संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, सुदृढ़ किया है और दिशा प्रदान की है। आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधि में विश्वविद्यालय प्रणाली में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने महिला अध्ययन में महिलाओं के अध्ययन शिक्षण शोध और क्षेत्रीय कार्य में विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

लाभार्थियों की संख्या सहित लक्षित समूह की कवरेज

वर्तमान में, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों अर्थात् 82 विश्वविद्यालयों और 77 कॉलेजों में कुल 159 महिला अध्ययन केन्द्र है।

पात्रता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12 (ख) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान महिला अध्ययन संबंधी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान की अधिकतम सीमा

ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष (प्रथम चरण) 5.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, 8.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष (द्वितीय चरण), 12.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष (तृतीय चरण) और प्रतिवर्ष 20.00 लाख रुपए (उच्चाध्ययन केन्द्र) प्राप्त करने का पात्र है। जबकि किसी कॉलेज में प्रत्येक केन्द्र प्रतिवर्ष (प्रथम चरण) में 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष (द्वितीय चरण) और प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए (तृतीय चरण) में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

महिला अध्ययन की योजना संबंधी स्थायी समिति के निवेदन पर वर्ष 2011–12 के दौरान विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता में संशोधन (01.09.2012 से) किया गया है जो निम्नवत है:–

	आवर्ती	अनावर्ती
प्रथम चरण	रुपए 30,20,740/-	रुपए 5,00,000/-
द्वितीय चरण	रुपए 43,90,740/-	रुपए.5,00,000/-
तृतीय चरण	रुपए 64,38,880/-	रुपए 5,00,000/-
उच्चाध्ययन केन्द्र	रुपए 72,66,000/-	रुपए 10,00,000/-

अवधि

योजना योजना दर योजना आधार पर जारी है।

अपनाई जाने वाली विकास रणनीति को दर्शाते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य और भावी कार्य योजना

आयोग के समक्ष लगभग 80 महिला अध्ययन केन्द्र खोलने के प्रस्ताव लंबित हैं। जब कभी भी स्थायी समिति की बैठक आयोजित होगी है तो प्रस्ताव विचार हेतु समिति के समक्ष रखे जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मौजूदा केन्द्रों और बारहवीं योजना (2013–14 से 2016–17) के दौरान यदि किसी केन्द्र को मान्यता प्रदान की गई है तो नए केन्द्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

7.2 महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु विशेष योजना

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महाविद्यालयों में छात्रावासों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने वर्ष 1995–96 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण की विशेष योजना लागू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त के लिए उपयुक्त महाविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली वित्तीय सहायता शत–प्रतिशत आधार पर उपलब्ध होगी, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार होगी:

महिलाओं का नामांकन	गैर–महानगरों के संबंध में धनराशि (लाख रुपए में)	महानगरों शहरों के संबंध में धनराशि (लाख रुपए में)
(क) 250 तक	40	80.00
(ख) 251 से 500 तक	60	100.00
(ग) 500 से अधिक	80	120.00

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आबंटन/अधिकतम सीमा से ऊपर जितना व्यय होगा, उसका वहन संस्थानों द्वारा अपने संसाधनों से करना होगा, जसके लिए संबंधित संस्थान द्वारा स्पष्ट संकेत एवं आश्वासन उपलब्ध करना होगा।इन दिशानिर्देशों के अधीन किए गए आबंटन/अधिकतम सीमा से अधिक लागत उपरिव्यय होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसी वृद्धि की लागत को उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी।

वर्ष 2012–13 के दौरान महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्यूरो द्वारा भुगतान किये गए अनुदान की राशि का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012–2013 के दौरान सहायता प्रदत्त महाविद्यालयों की संख्या (नये और चालू)	1.4.2012 से 31.03.2013 तक प्रदत्त अनुदान (नये और चालू)		2007 से 2012 तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान	
			सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35	सामान्य अनुदान सहायता–31	पूंजीगत परिसंपत्तियां–35
1.	वि.अ.आ. द.प.क्षे.का. बंगलूरू	166	0.00	3173.09	0.00	12633.08
2.	वि.अ.आ. म.क्षे.का. भोपाल	58	0.00	1168.67	0.00	8802.85
3.	वि.अ.आ. उ.पू.क्षे.का. गुवाहाटी	206	0.00	4138.52	0.00	10218.51
4.	वि.अ.आ. प.क्षे. का. पुणे	231	0.00	3604.11	0.00	8578.79
5.	वि.अ.आ. द.पू.क्षे. का. हैदराबाद	104	0.00	1910.67	0.00	13136.35
6.	वि.अ.आ. पू.क्षे. का. कोलकाता	165	0.00	3554.34	0.00	16703.75
7.	एनआरसीबी	80	0.00	2279.00	0.00	7524.00
	कुल	**1010**	**0.00**	**18498.4**	**0.00**	**77597.33**

7.3 उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता का निर्माण

विश्वभर में विशेषकर प्रबंधन में महिला शिक्षाविदों का विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व काफी कम है और वहां पुरूष संस्कृति व्याप्त है। जैसे–जैसे महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है पुरूषों के प्रतिनिधित्व में काफी कमी आती है। यद्यपि भारी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ने को तैयार चूंकि गत कुछ देशकों में काफी संख्या में महिला शिक्षाविदों को भर्ती किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस लिंग बाधा को हटाने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उच्च प्रशासनिक पद धारण करने के लिए व्यापक स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

एकमात्र उद्देश्य महिला शिक्षकों, बेहतर लिंग संतुलन हेतु उच्च शिक्षा प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रशासकों और कर्मचारियों, महिलाओं को समानता और विविधता को मान्यता प्रदान करने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को संवेदनशील बनाना और उच्चतर शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु महिलाओं को प्रशासनिक रूप से सक्षम बनाने के क्षेत्र को सुकर बनाना है।

35 संवेदनशील बनाने/जागरूकता पैदा करने/प्रोत्साहन देने (एसएएम), 3 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) और इस योजना के अंतर्गत 2012–13 के दौरान 9 प्रबंधन कौशल उन्नयन पाठ्यक्रम (एमएसईएम) कार्यशालाएं आयोजित की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12 (ख) के अंतर्गत कवर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

रहने–ठहरने की लागत में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2009–10 से प्रत्येक कार्यशाला में बजट में वृद्धि की गई है। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और समाघात अध्ययन हेतु कार्यशाला को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तपोषण का संशोधित पैर्टन निम्नवत है:

कार्यशाला का प्रकार	महानगर (रूपये)	गैर–महानगर (रूपये)
संवेदनशील बनाना/जागरूकता पैदा करना/अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) आवासीय कार्यशालाएँ	5,65,475/-	5,32,675/-
संवेदनशील बनाना/जागरूकता पैदा करना/अभिप्रेरणा (एस.ए.एम.) गैर–आवासीय कार्यशालाएँ	2,26,600/-	2,23,300/-
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) कार्यशाला	8,85,720/-	8,32,810/-
प्रबंधन कौशल उन्नयन मॉड्यूल (एमएसईएम) कार्यशाला	9,16,575/-	8,76,975/-
पुनश्चर्या कार्यशालाएं	7,54,893/-	

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात वर्ष 2012–17 के दौरान 3.83 करोड रूपये का अनुदान प्रदत्त किया गया।

7.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना

पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में अ.जा.एवं अनु.ज.जा. के सर्वाधिक वंचित वर्गों हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि उन्हें मात्र नौकरियाँ प्रदान उपलब्ध कराई जाएं ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, बल्कि इसका लक्ष्य यह है कि उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हो ताकि वे समाज की मुख्य धारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्यों में इस आरक्षण को उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के उद्देष्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अजा./ अजजा. प्रकोष्ठ को स्थापित किया गया है तथा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए उच्चतर शिक्षा में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई है।

आयोग ने "विश्वविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. प्रकोष्ठों की स्थापना" की योजना वर्ष 1983 में आरंभ की थी :

उद्देश्य

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अ.जा./अ.ज.जा. से संबद्ध आरक्षण नीति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी सुनिश्चित करना।
- शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर प्रवेषों एवं नियुक्तियों आदि के लिए नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में आँकड़े एकत्र करना:और
- ऐसे अनुवर्ती कदम उठाए जाएं जिनके द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयता मिले, जिन लक्ष्यों को इस उद्देश्य के लिए विहित किया गया है।
- विश्वविद्यालयों कॉलेजों में आरक्षण नीति का निरंतर कार्यान्वयन निगरानी और मूल्यांकन करना और भारत सरकार की नीति और कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु योजना उपाय करना।

विशेष प्रकोष्ठ के कृत्य

- भारत सरकार और आयोग के निर्णयों को परिचालित करना और निर्धारित तिथि तक नियत प्ररूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम–वार प्रवेश संबंधी जानकारी वार्षिक आधार पर नियमित रूप से एकत्र करना और जहां कभी आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- भारत सरकार के आदेशों और आयोग के निर्णयों को परिचालित करना और निर्धारित तिथि तक नियत फार्म में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों में इन समुदायों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी एकत्र करना और जहां कहीं आवश्यकता हो अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आयोग द्वारा नई नीतियां तैयार करने अथवा मौजूदा नीति में संशोधन करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारत सरकार के आदेशों के संबंध में रिपोर्ट और जानकारी एकत्र करना।
- उपर्युक्त एकत्र की गई जानकारी का विश्लेषण करना और मानव संसाधन विकास विभाग/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यथा आवश्यक प्राधिकरण को भेजने के लिए रिपोर्ट और सार संकल्प तैयार करना।
- विश्वविद्यालयों/कालेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों संबंधी प्रवेश, भर्ती, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करना।
- संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालय में अनुमोदित योजना का उपचारात्मक प्रशिक्षण के कार्यकरण की निगरानी करना।
- विश्वविद्यालय मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों और कर्मचारियों की शिकायतों हेतु जनशिकायत समाधान प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करना है और उनकी शैक्षणिक तथा साथ ही प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय/कॉलेज में विभिन्न पदों हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों हेतु विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को रोजगार हेतु रजिस्टर का रख–रखाव करना।

- आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित इन दो समुदायों को उच्चतर शिक्षा में समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों की देखरेख करता है और प्रकोष्ठ को कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जाता है।
- यदि निर्धारित तिथि तक आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त होने तक योजनागत अथवा गैर–योजनागत अनुदान को रोकने का अधिकार है। इसलिए विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को यथा अपेक्षित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।
- लाभार्थी विश्वविद्यालयो की संख्या : 127 (विश्वविद्यालय/सम विश्वविद्यालय तथा आईयूसी)

पात्रता

योजना के अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो धारा 2(च) के अंतर्गत आते हैं और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता और अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। योजना केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है।

योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप

विशेष प्रकोष्ठ, योजना अवधि के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने वाले प्रकोष्ठों के कार्यकरण की अवधि हेतु पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। बारहवीं योजना के दौरान योजना के अंतर्गत केवल केन्द्रीय वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (आयोग की दिनांक 4.5.2013 को हुई 493वीं बैठक में लिया गया निर्णय)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान की अधिकतम सीमा

वित्तीय सहायता की मदे	पदों की संख्या	अनुदान की राशि
क) अनावर्ती अपेक्षित अनुषंगी उपकरणों के रूप में कंम्प्यूटर के साथ प्रिन्टर, प्रोजेक्टर		2,00,000/-रूपये
ख) आवर्ती (केवल केन्द्र द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय हेतु)		
i) रीडर/उप–रजिस्ट्रार के वेतनमान मे समन्वयक ग्रेड –1	1	
ii) अनुभाग अधिकारी	1	
iii) सांख्यिकीय अधिकारी	1	
iv) कंम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाला आशुलिपिक/ डाटा एन्ट्री आपरेटर	1	
v) चपरासी	1	
vi) आकस्मिता		1,00,000/-रूपये (प्रति वर्ष)

7.5 निशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत के संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि समस्त व्यक्तियों को गुणवत्ता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सम्मान प्राप्त हो तथा संविधान अन्तर्निहित तौर से यह आदेश करता है कि निशक्त व्यक्तियों समस्त व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज बने। पिछले कुछ वर्षों से निशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में काफी बडा एवं सकारात्मक परिवर्तन आया है। ऐसा अनुभव किया गया है कि ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो कि आवश्यकताओं से ग्रस्त हैं यदि उनको समान सुवसर एवं प्रभावी पुर्नवास उपायों को उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो वे जीवन का अधिक श्रेष्ठ रूप से निर्वाह कर सकते हैं।

"निशक्त व्यक्ति अधिनियम", 1995 इस बात का संकेत करता है कि पृथक रूप से शारीरिक क्षमता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच होनी चाहिए। जहाँ तक उच्चतर शिक्षा का संबंध है, इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कि पृथक रूप वाली योग्यताओं से युक्त व्यक्ति, विशिष्ट शिक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों और सम–विश्वविद्यालयों को समस्त नीति–विषयक निर्णयों से अवगत कराया जाता रहा है जिनमें कि निशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रवेश एवं रोज़गारों के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण नीतियाँ भी शामिल हैं। (दाखिले तथा रोजगार में निशक्त व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण) इसके अतिरिक्त, इस विषय में आयोग के स्तर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं तथा जो दिशानिर्देश जारी हुए हैं, उन्हें भी कार्यान्वयन के लिए समस्त विश्वविद्यालयों को जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 को भी विश्वविद्यालयों को परिपत्र द्वारा प्रेषित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया था कि वे उनमें शामिल प्रावधानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करें।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियो के हित के लिए योजनाएं भी क्रियांन्वित कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने 2 समितियों का गठन किया है जो निम्नवत है:

1. निशक्त विद्यार्थियों और शिक्षकों से संबंधित नियमों, योजनाओं और प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करना। 8 अगस्त, 2012, 17 सितम्बर, 2012, 28 अक्तूबर, 2012, 11 दिसम्बर, 2012, 18 जनवरी, 2013 और 9 फरवरी, 2013 को समिति की 6 बैठकें आयोजित हुई थी।
2. विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में निशक्त व्यक्तियों को रोजगार और प्रवेश हेतु आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी निगरानी करना।

8 प्रासंगिक तथा मूल्य आधारित शिक्षा

8.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरंभ करना

स्नातक स्तर पर व्यवसायिक कार्यक्रम आठवीं योजना (1994–95) के दौरान आरम्भ किए गए थे जिन्हें शिक्षा/जीविको–मुखी कार्यक्रम/जीविकोन्मुखी पाठ्यक्रम को जीविको–मुखी की संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष (2003–04) में पुनः तैयार किया गया है।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले स्नातकों के पास ज्ञान, कौशल और सामान्य रूप से पारिश्रमिक क्षेत्र में लाभकारी रोजगार और विशेषकर स्वरोजगार हेतु अभिरूचि हो जिससे कि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों में दबाव को कम किया जा सके। ये पाठ्यक्रम परम्परागत बी.ए., बी.काम और बी.एस.सी. डिग्री के समानान्तर चलाए जाते हैं। पाठ्यक्रम सार्टिफिकेट/डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा के रूप में पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थी जिनका चयन परम्परागत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी. के समानांतर कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम : इस पाठ्यक्रम में 20 क्रेडिट होंगे। प्रत्एक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे के कार्यभार होंगे जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/ परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण को सौपा जाना चाहिए।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम : इस पाठ्यक्रम में 40 क्रेडिट होंगे (जिसमें कि 20 ऐसे क्रेडिट सम्मिलित होंगे जो कि प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के दौरान अर्जित किए गए होंगे) प्रत्येक क्रेडिट के अन्तर्गत 15 घंटे का कार्यभार होगा जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य तौर पर क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य/ प्रशिक्षण के लिए सौंपे जाने चाहिए।

उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम : यह पाठ्यक्रम 60 क्रेडिट का होगा (जिसमें कि प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 40 क्रेडिट होंगे) प्रत्येक क्रेडिट में 15 घंटे का कार्यभार होगा, जिसमें से 8 क्रेडिट अनिवार्य रूप से क्षेत्रगत कार्य/परियोजना कार्य के लिए दिये जायेंगे।

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सफल विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं।

अध्ययन कराए जाने वाले पाठ्यक्रम अंतर–विषयक स्वरूप के हैं। विद्यार्थी को न केवल अपनी मुख्य विद्या से संबंधित बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण की स्वतंत्रता होगी अर्थात किसी विज्ञान को विद्यार्थी अपने अध्ययन के साथ–साथ कार्यक्रम अययन का पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकता है और कला पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को विज्ञान पत्रकारिता में पाठ्यक्रम अध्ययन करने का विकल्प है।

जीविको–मुखी पाठ्यक्रम की योजना के अंतर्गत (अजा/अजजा आदि सहित) ग्यारहवीं योजना के दौरान 2172 महाविद्यालय और 30 विश्वविद्यालय लाभान्वित हुए है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों को छोड़कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जीविकोन्मुखी पाठ्यक्रम की योजना के कार्यान्वयन के पात्र है।

मानविकी और वाणिज्य विद्याओं में 5 वर्षों के लिए 7 लाख प्रति पाठ्यक्रम एक मुश्त मूल राशि(सीड मनी) प्रदान की जाती है।

(i) विज्ञान विधा के पॉच वर्षों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 10 लाख रुपए की **एक मुश्त** मूल राशि दी जाती है।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय बहु–प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उच्च डिप्लोमा का चयन कर सकते हैं। महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अधिकतम तीन पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को निम्नलिखित ''एड–ऑन कोस'' पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान करता हैः–

(i) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (पांच वर्ष के लिए छह माह की अवधि)

(ii) डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पांच वर्ष के लिए एक वर्ष अवधि)

(iii) उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पांच वर्ष के लिए एक वर्ष अवधि)

ग्यारहवीं योजना (वर्ष 2007–13) के दौरान 200.30 करोड़ रुपए का कुल अनुदान दिया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान 14. 00 करोड़ रुपए का कुल अनुदान किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि बाजार में अत्यधिक मांग वाले और कौशलो–मुखी पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

8.2 विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्र

आयोग, वर्ष 2012–2013 के दौरान स्थापित किए गए 53 चिन्हित क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों सहित 8 केन्द्रों को सहायता मुहैया करवा रहा है । यह केन्द्र मुख्यतः किसी दिए गए क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं । ऐसे देशों तथा क्षेत्रों पर बल दिया जाता है जिनके साथ भारत के अंतरंग तथा प्रत्यक्ष कूटनीतिक संबंध हैं ।

विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन केंद्रों को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- क्षेत्रों के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत विशिष्टियों को संपूर्ण रूप से समझने को बढ़ावा देना और नीति नियामकों, विशेषतः भारत की अर्थव्यवस्था रणनीति और राजनीतिक महत्त्व के नीति नियामकों को आलोचनात्मक जानकारी देना।
- उपनिवेशवाद के बाद के समाज के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र अध्ययनों के वैकल्पिक प्रतिमानों को बढ़ावा देना।
- धर्म और अन्य मुद्दों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगदान देना।
- अंतर्क्षेत्रीय प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योजनागत और गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, क्षेत्र अध्ययन केंद्र स्थापित करने के पात्र हैं।

इस परियोजना–मोड के अधीन प्रायोगिक प्रयोजनाओं के रूप में नए केंद्रों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। परियोजना–मोड में शत–प्रतिशत आधार पर निम्नलिखित सहायता दी जाती है:

अनावर्ती (कार्यालय फर्नीचर, पुस्तक तथा पत्रिकाओं, फील्ड कार्य, प्रचालनात्मक व्यय, प्रकाशन, संकाय सदस्य और विचारगोष्ठी/संगोष्ठी/सम्मेलन के लिए)	**15.00 लाख रु.**
आवर्ती	**एक संकाय सदस्य** (एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर/प्रलेखन अधिकारी) **दो अनुसंधान एसोसिएट/परियोजना एसोसिएट या परियोजना अध्येता**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में इस केंद्र की निगरानी की जाती है और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर पांच वर्ष के लिए वित्तीय आबंटन किया जाता है।

वर्तमान में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 52 क्षेत्र अध्ययन केंद्र चल रहे हैं।

वर्ष 2007–2008 से 2011–2012(पांच वर्षों) तथा 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नानुसार केन्द्रों (वर्ष वार) सहायता प्रदान की:

अनुदान अवधि	राशि (लाख रु. में)
2007-08	181.11
2008-09	371.31
2009-10	35.51(पांच वर्ष)
2010-11	107.94
2011-12	150.06
2011-13	544.79 (प्रथम वर्ष)

8.3 विश्वविद्यालयों में सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्रों की स्थापना

प्रस्तावना

सामाजिक बहिष्करण से केवल तनाव, हिंसा और विघटन ही पैदा नहीं होता है अपितु इससे समाज में असमानता और सुविधावंचन भी पैदा होता है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कुछ समुदायों को विकास के लाभ लेने के मामले में सुव्यवस्थित बहिष्करण का अनुभव होता है। सामाजिक बहिष्करण एक एक जटिल और बहु–आयामी संकल्पना है, जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी और स्वेच्छा से प्रवास जैसी मैक्रो–आर्थिक नीतियों के परिणामतः इस व्यवस्था से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलापों से वंचित रखा जाता है। बहिष्करण के जिस मुख्य स्थान का अध्ययन किया जा सकता है, उसे भली–भांति समझा जा सकता है और इसका अनुभव किया जा सकता है, वे हैं हमारे विश्वविद्यालय जो समाज के लिए आदर्श होने चाहिए और आदर्श रूप में कार्य कर सकते

हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्करण के मुद्दे पर किए जाने वाले अनुसंधानों को सहायता देने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से और नीतिगत महत्त्व के रूप में किया जाएगा। इन योजनाओं के अनुसरण के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्देश्य

क) जाति/अध्यात्मक/धर्म पर आधारित बहिष्करण और समावेशन की भेदभावूर्ण संकल्पना।

ख) भेदभाव और बहिष्करण की प्रकृति और इसकी गत्यात्मकता की भली–भांति समझ का विकास करना।

ग) बहिष्करण और समावेशन की संकल्पना और समस्या संबंधी भेदभाव।

घ) अनुभव के स्तर पर भेदभाव की समझ विकसित करना।

ङ) इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाना और बहिष्करण तथा भेदभाव की समस्या को समाप्त करना।

कार्य

- ➢ एम.ए. और एम.फिल स्तरों पर ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, जिनमें सामाजिक बहिष्करण अध्ययन में पूर्ण एम.फिल और यहां तक कि एम.ए. कार्यक्रम हो।
- ➢ एम.फिल और पीएच.डी. संबंधी पर्यवेक्षण करना।
- ➢ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य सहित अनुभव संबंधी अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययनों और नीति/ कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए डॉटा बैंक की समय–अनुसूची तैयार करना।
- ➢ सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए सामाजिक–आर्थिक आंकड़ों पर आधारित विस्तृत ठोस विश्लेषण करना।
- ➢ सामाजिक बहिष्करण की थीम पर सम्मेलन, संगोष्ठी और विचारगोष्ठियां आयोजित करना।
- ➢ संकाय और छात्रों के अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- ➢ प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।
- ➢ अतिथि संकाय को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों, विशेषतः युवा छात्रों तक पहुंच बनाना।
- ➢ सामाजिक बहिष्करण से निपटने में लगे सिविल समाज के संगठन के साथ संपर्क स्थापित करना।
- ➢ राजनीतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।

लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या : 35 विश्वविद्यालय

पात्रता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अधीन आने वाले विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय इस योजना के अधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

योजना के तहत वित्तीय सहायता का स्वरूप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवर्ती और अनावर्ती मदों के लिए केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु चयनित विश्वविद्यालयों को शत–प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता देता है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान की अधिकम सीमा

	वित्तीय सहयता की मद		अनुदान राशि
(क)	**अनावर्ती (एकमुश्त अनुदान)**		
	उपस्कर (जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स, फोटोकापियर और इनवर्टर शामिल हैं)		5.00 लाख रुपये
(ख)	**आवर्ती (प्रतिवर्ष)**		
(1)	शिक्षण और अनुसंधान संकाय		वास्तविक व्यय के अनुसार
क)	आचार्य–सह–निदेशक (16400–22000 रूपये)	1	
ख)	रीडर–सह–उप निदेशक (12000–18300 रूपये)	2	
ग)	व्याख्याता–सह–सहायक निदेशक (8000–13500 रूपये)	3	
घ)	रिसर्च एसोशियेट (12000+ मकान किराया भत्ता)	2	
(2)	शिक्षणेत्तर स्टॉफ		
क)	अनुसंधान सहायक (5000–9000 रूपये)	2	
ख)	पेशेवर सहायक (5500–9000 रूपये)	1	
ग)	डाटा एंट्री आपरेटर (4000–6000 रूपये)	2	
घ)	पुस्तकालय सहायक (2650–4000 रूपये)	1	
ङ)	अटेन्डेन्ट (2650–4000 रूपये)	1	
(3)	भाड़ा सेवाएं		1.00 लाख रुपये
(4)	पुस्तक और पत्रिकाएं		1.50 लाख रुपये
(5)	आकस्मिक व्यय		5.00 लाख रुपये

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदत्त अनुदान (2012–2017)

2012–2013	496.00	15 विश्वविद्यालयों के संबंध में जारी अनुदान

इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों के **35** केंद्रों को स्थापित किया है (वर्ष 2006–07 में **13** और 2007–08 मे **22**)

8.4 युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन

भारत में अनेक बुद्धिजीवी और महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने क्रान्तिकारी और उत्कृष्ठ विचारों और कार्यों से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने स्वदेशी विचार विकसित किए और भारत को सांस्कृतिक और नैतिक पहचान प्रदान की। शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके विचारों और कार्यों और अध्ययन शोध और क्षेत्र आधारित विस्तार सेवा कार्यक्रमों के सृजनात्मक कार्यों से परिचित कराने की आवश्यकता है।

भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों की योजना (विशेष अध्ययन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1983 में आरंभ की गई थी।

योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को महान चिंतकों और सामाजिक नेताओं/सुधारकों के विचारों और सोच से अवगत कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष अध्ययन हेतु केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान 'भारत के युगप्रवर्तक सामाजिक चिंतकों' संबंधी योजना के अंतर्गत 501 अध्ययन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। बारहवीं योजना अवधि में इन केन्द्रों को जारी रखने संबंधी निर्णय लेने के लिए समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था। ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को देय, यदि कोई हो तो, अनुदान की प्रतिपूर्ति की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत कवर सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 7,50,000 रुपए का आवृति अनुदान और प्रतिवर्ष 3,00,000 रुपए अनवर्ती अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

बारहवीं योजना (2012–17) में 3.83 करोड़ रुपए के अनुदान का भुगतान किया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बारहवीं योजना 2013–14 से 2016–17 के दौरान नए अनुमोदन 197 अध्ययन केन्द्रों और 189 मौजूदा अध्ययन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन केन्द्रों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया गया था।

8.5 जीवनपर्यन्त अध्ययन और विस्तार कार्यक्रम

देश से निरक्षरता के उन्मूलन का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आंरम्भ करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1978 से उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में अनेक कार्यक्रम नामतः राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (एनएईपी 1978–1983), प्रौढ़ सतत् शिक्षा कार्यक्रम (एनएईपी 1983–1990), भारत सरकार के 16/20 सूत्रीय कार्यक्रम (1983 से 1989), क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण कार्यक्रम (एवीएपी 1989–1992), संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम (टीएलसीपी 1992–1997), और नौवीं और दसवीं योजना में विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रौढ़

सतत् केन्द्रों/विभागों को शामिल कर प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार और पहुंच (एसीईईएफओ 1997–2002 और 2002–2007) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया है। इन संस्थानों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को शामिल कर साक्षरता–पश्च–सतत् शिक्षा, लोगों के लिए विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विधिक साक्षरता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न केवल पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान चालू किये गये कार्यक्रमों को जारी रखने की योजना थी बल्कि उन्हें समेकित एवं विस्तार देने कर भी योजना थी ताकि नए विश्वविद्यालयों तथा चुनिंदा महाविद्यालयों को भी कवर किया जा सके। पूर्व में आरंभ किये गये विभिन्न नामों से आरंभ किये गये कार्यक्रम यथा प्रौढ शिक्षा, सतत् शिक्षा, विस्तार,जनसंख्या शिक्षा, छात्र परामर्श, रोजगार सेवा,तथा ई–लर्निंग को जीवनपर्यन्त अध्ययन कार्यक्रम के नाम से दोबारा तैयार तथा विकसित किया गया ताकि उनका तेजी से बदलते वैश्विक ज्ञान के परिवेश के साथ तारतम्य बिठाया जा सके। चूंकि जीवनपर्यन्त अध्ययन कार्यक्रम हाल की शैक्षिक नीतियों का मूलभूत उद्धेश्य बन गया है जिसकी आमतौर पर सामाजिक– आर्थिक विकास को हासिल करने के एक माध्यम तथा ज्ञान आधारित समाज को बढावा देने के लिये वकालत की जाती है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र को सहायता प्रदान की।

वर्ष 2012–2013 के दौरान जीवनपर्यन्त अध्ययन तथा विस्तार कार्यक्रम के तहत 71 विश्वविद्यालय लाभान्वित हुए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत कवर सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

आवृति अनुदान के रूप मे प्रतिवर्ष 10,00,000 रुपए और अनावर्ती अनुदान के रूप मे प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए प्राप्त करने के पात्र हैं। यह स्कीम योजना दर योजना आधार पर जारी है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2012–17) प्रदत्त अनुदानः 2.31 करोड रूपये।

8.6 मानव अधिकार शिक्षा योजना (एचआरई)

संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एचआरई योजना को वर्ष 1985में आरंभ किया गया था। अधिकारों के हनन का सुधार केवल उस स्थिति में ही संभव हो सकता है यदि विशेष सुविधाओं को प्राप्त करने वाले लोगों का ध्यान उनके ऐसे कर्त्तव्यों की ओर आकर्षित किया जाए जो कि हाशिए पर स्थित वर्गों की प्रति अपेक्षित हैं तथा क्रमशः हाशिए पर स्थित ऐसे समस्त वर्गों को अधिकारों की शिक्षा से शिक्षित करके ही उन्हें शनै–शनैः सशक्त बनाया जा सकता है। ऐसे समस्त स्तरों पर मानव अधिकार शिक्षा, कुछ अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित हो पाएगी, जैसे कि लिंग समानता जाति एवं समुदायों के संबंधों, बहुसंख्यक–अल्पसंख्यक के परस्पर संघर्ष की स्थिति में, अगड़ों–पिछड़ों वर्गों की दुविधा एवं उत्तर–दक्षिण का प्रभुत्व/सामर्थ्य संबंध। संक्षेप में, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को पुर्नगठित करके ही समस्त संबंधों को मानवीकृत एवं अनुशसनबद्ध किया जा सकता है।

(i) इनका एक उद्देश्य होगा वह यह होगा कि ऐसे मूल्यों के प्रति जागरूकता एवं प्रतिबद्धता का सृजन करना, जिन मूल्यों के द्वारा व्यक्तिपरक निजी स्वार्थ का सामूहिक एवं सर्वसाधारण के कल्याण की भावनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है।

(ii) ऐसे मूल्य सार्वभौमिक एवं आपेक्षित हैं तथा जो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित हो चुके हैं उन पर विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। वर्तमान सार्वभौमिकी से युक्त परन्तु फिर भी विखण्डित इस विश्व में सर्वतोमुखी मूल्यों की खोज का अतिरिक्त महत्व हो जाता है।

(iii) कोई भी ऐसा मूल्य जैसे कि अनेकतावाद, समस्त धर्मों के प्रति आदर की भावना, वैज्ञानिक विचारधारा, विशालता संयुक्त विचारधारा, सार्वजनिक तौर पर तर्कपूर्ण बने रहना, जो ऐसी समस्त विचारणाएं हैं तथा जो कि भारतीय परम्पराओं का एक अंश बहुत काल तक रही है। उन्हें धारणीय बनाया जाये एवं प्रोन्नत किया जाएगा।

इस बात को मान्यता देना आवश्यक है कि विकास संबंधी आवश्यकताएँ तथा निष्पक्षता के साथ–साथ ही गतिशील रहनी चाहिए। किसी भी स्तर पर भौतिक विकास द्वारा मानवों को सुख–समृद्धि नहीं पहुँचाई जा सकती यदि वह विकास, मानवीय जीवन सम्मान नहीं करता है अथवा मानवीय स्तर पर जो समभाव्यता हो सकती है इसकी सम्पूर्ण रूपेण प्राप्ति नहीं कर लेता। मानव, विकास का केन्द्र बिन्दु है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12ख के अंतर्गत कवर सहायता प्राप्त सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(i)	आधारभूत पाठ्यक्रम	2.50 करोड रूपये	
(ii)	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	4.00 करोड रूपये	
(iii)	स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम अर्थात् बी.ए. अथवा बी.ए. (ऑनर्स)	5.50 करोड रूपये	
(iv)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	7.00 लाख रूपये	
(v)	स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम.ए. / एल.एल.एम.) पाठ्यक्रम	10.00 लाख रूपये	
(vi)	परिसंवाद –विश्वविद्यालय	1.50 लाख रूपये	महाविद्यालय 75000 रू0
(vii)	संगोष्ठियाँ–विश्वविद्यालय	2.00 लाख रूपये	महाविद्यालय 1.00 लाख रूपये
(viii)	कार्यशालाएँ –विश्वविद्यालय	2.50 लाख रूपये	महाविद्यालय 1.50 लाख रूपये

उत्कृष्टता के नोडल केन्द्रों का संवर्धन

दो केन्द्रों को अनुमोदित किया गया:

1. टाटा इंस्टीटयूट ऑफ बाम्बे
2. हैदराबाद विश्वविद्यालय

इन क्रियाकलापों को निम्नवत अनुपात मे आरंभ करने के लिए 10.00 लाख रू0 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा:

(ii) शोध : अधिकतम अनुदान का 25 प्रतिशत।

(iii) शिक्षण : अधिकतम अनुदान का 25 प्रतिशत।

संगोष्ठियाँ /सम्मेलन/कार्यशालाएँ आदि का आयोजन: अधिकतम अनुदान का 25 प्रतिशत।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नवत पाठयमक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

(i) आधारभूत पाठ्यक्रम (5 वर्ष के लिए 2–3 माह की अवधि)

(ii) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (5 वर्ष के लिए 3–6 माह की अवधि)

(iii) स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम अर्थात् बी.ए. अथवा बी.ए. (ऑनर्स) (5 वर्ष के लिए 6–9 माह की अवधि)

(iv) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (5 वर्ष के लिए 9–12 माह की अवधि)

(v) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम (एम.ए./एल.एल.एम.) पाठ्यक्रम (5 वर्ष के लिए 9–12 माह की अवधि)

(vi) संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ (वर्ष मे एक बार)

(vii) उत्कृष्टता के नोडल केन्द्रों का संवर्धन (पहले ही दो केन्द्रों को अनुमोदित किया जा चुका है)

योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नवत क्रियाकलापों हेतु सहायता प्रदान की जाती है:

क) शोध

ख़) शिक्षण

ग) संगोष्ठियाँ /सम्मेलन/कार्यशालाएँ आदि का आयोजन करने के लिए

इन क्रियाकलापों को निम्नवत अनुपात मे आरंभ करने के लिए 10.00 लाख रू0 का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाएगाः

(i) शोध : अधिकतम अनुदान का 25 प्रतिशत।

(ii) शिक्षण : अधिकतम अनुदान का 25 प्रतिशत।

(iii) संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आदि का आयोजनः अधिकतम अनुदान का 50 प्रतिशत।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2012–13) प्रदत्त अनुदान

वर्ष 2012–13 के दौरान योजना के तहत 4.11 करोड रूपये का कुल अनुदान प्रदान किया गया।

9 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकियों का समेकन

9.1 विश्वविद्यालयों हेतु कम्प्यूटर केंद्रों की स्थापना/उन्नयन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में प्रौद्योगिकी विकास के साथ अनेक सामान्य तथा साथ ही विशेष योजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की सहायता करना। तदनुसार, यह वर्ष 1970 से (क) अनुसंधान और प्रशिक्षण; (ख) प्रत्येक क्षेत्र/विषय के कम्प्यूटर का अनुप्रयोग प्रोग्रामरों (ग) स्नातकोत्तर स्तर पर कतिपय विधाओं में एमसीए/एमएससी (कम्प्यूटर विज्ञान) प्रोग्रामरों तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग पत्रों के विकास हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है।

मौजूदा योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे प्रशासन, वित्त, भर्ती और विश्वविद्यालयों आदि में कंप्यूटरों केंद्रों के प्रोन्नयन के साथ–साथ शिक्षण, अनुसंधान और अन्य संबंधित क्रियाकलापों की संवृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय सुविधा के रूप में कंप्यूटर केंद्रों को स्थापित कर सकें।

आईसीटी मे नवीन विकास के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना में संशोधन किया है। मोबाइल उपकरण और वैयक्तिक डिजिटल सहायता सहित ग्रिड कंप्यूटिंग, वाई–फाई, तीव्र गति इंटरनेट (ब्रॉडबैंड) कनेक्टिविटी जैसी हाल ही की कुछ रूझानों में भारतीय भाषाओं आदि में यूनिकोड का विकास करने को इस योजना में शामिल किया गया है।

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कर्मचारीवृंदों आदि की नियुक्ति के लिए वास्तविक आधार पर अनावृति अनुदान और आवृति अनुदान के रूप में 70 लाख रुपए तक की सहायता उन विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई थी जहां कोई कम्प्यूटर केन्द्र नहीं है अथवा बिना किसी वित्तीय सहायता के 2–3 वर्षों की अवधि में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अनावृति शीर्ष और अनावृति अनुदान के अंतर्गत पहली बार सहायता प्रदान करने के पश्चात पांच वर्ष पूरे करने के पश्चात् कम्प्यूटर केन्द्र के उन्नयन के लिए दूसरी बार 50 लाख रुपए की अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है।

ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना (2012–13) के दौरान विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन हेतु आवंटन और अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

वित्त वर्ष	आबंटित बजट	जारी अनुदान	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या
2007-2008	100.00	76.67	19 विश्वविद्यालय
2008-2009	552.00	551.52	20 विश्वविद्यालय
2009-2010	1000.00	179.14	6 विश्वविद्यालय
2010-2011	500.00	399.20	16 विश्वविद्यालय
2011-2012	500.00	4.60	01 विश्वविद्यालय
2012-2013	500.00	519.40	15 विश्वविद्यालय
कुल	**3152.00**	**1730.53**	

9.2 मौजूदा और नए प्रबंधन विभागों के उन्नयन हेतु विकास सहायता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा की बढ़ती वैश्विक चुनौतियों को पूरा करने के लिए गुणात्मक शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और प्रबंधन में परामर्श प्रदान करने हेतु मौजूदा और नए प्रबंधन विभाग के उन्नयन हेतु विकास सहायता प्रदान करता है।

योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत अधिसूचित विश्वविद्यालय/प्रबंधन विभाग/संस्थान इसके पात्र है। स्व वित्तपोषण कार्यक्रम हेतु सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

वे विश्वविद्यालय/संस्थान जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है। अनावृति अनुदान के रूप में 40 लाख रुपए तक और आवृति अनुदान के रूप में 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन विभागों को मौजूदा विभागों के उन्नयन हेतु जिन्होंने विगत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता प्राप्त नहीं की है अनावृति अनुदान के रूप में 30 लाख रुपए और आवृति अनुदान के रूप में 20 लाख रुपए की एक बारगी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

योजना के अंतर्गत आवंटन और अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

वित्त वर्ष	आबंटित बजट	जारी अनुदान	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या
2007-2008	100.00	59.52	6
2008-2009	7.00	6.49	3
2009-2010	1000.00	15.00	1
2010-2011	300.00	237.00	9
2011-2012	-	-	-
2012-2013	300.00	192.00	8
कुल	**1107.00**	**510.01**	

महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना की योजना हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के लेखों का निपटान।

दसवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेटवर्क संसाधन केन्द्र की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता प्राप्त महाविद्यालय/दसवीं पंचवर्षीय योजना के लेखों के निपटान के संबंध में जारी अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रूपये में)

वित्त वर्ष	आबंटित बजट	जारी अनुदान	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या
2007-2008	5000.00 (सभी वि0अ0आ0 योजनाएं)	2.55	9
2008-2009	4100.00 (सभी वि0अ0आ0 योजनाएं)	20.59	24

वित्त वर्ष	आबंटित बजट	जारी अनुदान	लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या
2009-2010	2900.00 (सभी वि0अ0आ0 योजनाएं)	2.71	11
2010-2011	500.00 (सभी वि0अ0आ0 योजनाएं)	0.75	7
2011-2012	5245.44 (सभी वि0अ0आ0 योजनाएं)	22.55	20
कुल		**49.15**	**71**

9.3 स्नातकोत्तर विषयों हेतु ई–विषयवस्तु पाठ्यक्रम को तैयार करना

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमई–आईसीटी) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 'किसी भी समय किसी भी स्थान पर' पद्धति पर सभी विद्यार्थियों को लाभ हेतु शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया में आईसीटी की प्रक्रिया के लाभ हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पित की गई है इसका आदर्श वाक्य "टू प्रोवॉइड कनेक्टिविटी अप टू द लास्ट माइल" है। एनएमई–आईसीटी का उद्देश्य देश में मौजूदा 600 विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रत्येक विभागों को कम्प्यूटर अवसंरचना और संपर्क प्रदान करना है। भविष्य में संस्थानों/विभागों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

एनएमई–आईसीटी डिजीटल असमानता अर्थात उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में उन शहरी और ग्रामीण शिक्षकों/विद्यार्थियों को शिक्षण और विद्यार्थियों के प्रयोजन हेतु कम्प्यूटर उपकरणों के प्रयोग के कौशल में अंतर को पाटने और उनका सशक्तीकरण करने का उद्देश्य है जो अभी तक डिजिटल क्रान्ति से अनछुए रहे हैं और ज्ञान संबंधी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। यह उनके लिये शिक्षण और ज्ञान हेतु आईसीटी ढांचे के बेहतर उपयोग को सुकर बनाएगा।

एनएमई–आईसीटी का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सभी विधाओं और विषयों में उच्च गुणवत्ता ई–विषयवस्तु के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है। एनएमई–आईसीटी के अंतर्गत परियोजना को मुख्यतः निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) ई–विषयवस्तु विकास (ख) अवसंरचना विकास (ग) सामाजिक प्रभाव

प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कवर शीर्षक व्यापक नहीं है बल्कि सूचनापरक है।

(क) ई–विषयवस्तु विकास (सभी चारों वर्गों सहित)
- (i) शिक्षण और मूल्यांकन हेतु आईसीटी पद्धति
- (ii) मॉडयूल तैयार करना
- (iii) प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं

ई–पीजी पाठशाला : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईसीटी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 29 सितम्बर, 2011 की सूचना सं. एफ.बी.13/2011 टीएल के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर 77 विषयों में ई–विषयवस्तु को तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान सहायता देता है। विषय–वस्तु और इसकी गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक होने के कारण, सामाजिक विज्ञान, कला, ललित कला और मानविकी, प्राकृतिक और गणित विज्ञान और भाषायी और भाषाओं की सभी विधाओं के विभिन्न विषयों में उच्चगुणवत्ता पाठ्यक्रम आधारित, पारस्परिक विषय–वस्तु के सृजन का प्रस्ताव है। ई–विषयवस्तु समर्पित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा साथ ही साक्षात पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी।

- स्नातकोत्तर स्तर पर 77 विषयों में ई–कंटेंट विकसित करना।
- ई–कंटेंट सृजन में विषय के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर छात्रों और सहयोगियों को ई–कंटेंट उपलब्ध कराना।
- छात्रों और सहयोगियों के बीच ई–कंटेंट के उपयोग को बढ़ावा देना।
- इन्फ्लीबनेट केन्द्र में स्थापित एससीओआरएम अनुपालन करने वाले डिजीटल भंडार के माध्यम से ई–कंटेंट की मुक्त पहुंच उपलब्ध कराना।
- सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के बिना सृजनात्मक रूप से ई–शिक्षण सामग्री विकसित करना।
- मॉडल, प्रयोग, उदाहरणों और जांच सूची के माध्यम से ई–शिक्षण विषयवस्तु सृजन किए जाने के संदर्भ में और उपयोगी प्रस्तुतीकरण के अन्वेषण को सुकर बनाना।
- आईसीटी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई–विषयवस्तु को विकसित करना।
- आंतरिक परिचालन हेतु एकरूपता बनाए रखना और उचित मानकों का अनुपालन करना।

वित्तपोषण

प्रायोगिक परियोजना के वित्तपोषण की सीमा 7 लाख रुपए अथवा विस्तृत परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक है, प्रदान की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वित्तपोषण संबंधी दिशानिर्देश परामर्शस्वरूप के हैं। तथापि, विशेष मामलों में उच्चतम न्यायालय विवेक का प्रयोग करते हुए औचित्य के साथ इन दिशानिर्देशों में परिवर्तन कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन दिशानिर्देशों की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

आवंटन – 5.00 करोड़ रुपए

व्यय – शून्य

ई–विषयवस्तु को विकास करने का कार्य इनफिलिबनेट गांधीनगर को सौंपा गया है। कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2012–13 के दौरान इनफिलिबनेट केन्द्र गांधीनगर को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

की गई प्रगति निम्नवत है:–

I. इनफिलिबनेट सर्वर द्वारा ई–विकसित ई–विषयवस्तु प्रदान करने के लिए ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को अनुकूल बनाना और स्थापित करना;
II. चर्चा मंच सहित प्रशासनिक कार्य और वित्तीय रिपोर्ट के प्रबंधन हेतु ई–पाठशाला प्रबंधन व्यवस्था;
III. एनएमई–आईसीटी के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता हेतु परियोजना प्रस्तुतीकरण के ई–विषयवस्तु विकास हेतु दिशानिर्देश;
IV. विषयवस्तु लेखकों हेतु दिशानिर्देश;
V. सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करना;
VI. अनेक विषय आधारित कार्यशालाएं आयोजित करना जहां संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को पाठ्यक्रम तैयार करने में भागीदारी को अंतिम रूप दिया जा सके।

10 संचालन और कार्यक्षमता में सुधार

10.1 संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहन

उच्चतर शिक्षा को समर्थन देने के लिए तथा विश्वविद्यालयों के विकास में समाज की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने, ''संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन'' की योजना को 11वीं योजना के दौरान भी लागू किए जाने का निर्णय लिया है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

- समाज की भागीदारी /योगदान द्वारा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु संसाधनों को जुटाना के लिए प्रेरित करना।
- विश्वविद्यालय के विकास में समाज की भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया का विकास करना।
- विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से मिलने वाले संसाधनों के प्रवाह को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना।
- राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विश्वविद्यालय द्वारा न केवल उद्योगों बल्कि सरकार एवं अन्य निकायों को भुगतान के आधार पर तथा जनसाधारण को परामर्श प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देना, जो कि अपनी विकास संबंधी गतिविधियों में समाज को भी शामिल करते हैं।

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विश्वविद्यालय/संस्थान, अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं :–

- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- ऐसे विश्वविद्यालय, जो कि अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) में सम्मिलित हैं तथा वि.अ.आ. से योजनागत अथवा गैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- ऐसे संस्थान जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय माना गया है तथा जो संस्थान वि0अ0आ0 से योजनागत/ग़ैर–योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।
- वि.अ.आ. अधिनियम की धारा 12(गगग) के तहत स्थापित किए गए अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र।

सहायता का स्वरूप

शिक्षा के तेजी से बदलते परिदश्य में, विश्वविद्यालयों को विकास के साथ यदि कदम से कदम मिलाकर चलना है,तो उन्हें अपने संसाधन आधार को विस्तृत करना होगा तथा उच्चतर शिक्षा में समाज द्वारा भागीदारी करने के लिए अपने आंतरिक आधारों को गतिशील करना होगा। विश्वविद्यालय ऐसे ब्राहय संसाधनों को भागीदारी /योगदान/परामर्श द्वारा गतिशील बना सकते हैं। विश्वविद्यालय निधियो को प्रत्येक नागरिक अथवा प्रवासी भारतीय नागरिकों अथवा भूतपूर्व छात्र संघों, सार्वजनिक एवं परिवार

न्यासों, औद्योगिक/वाणिज्य संघों, सहकारी समितियों, व्यवसायिक संघों, कार्मिकों के संघ/सहयोगी संस्थाएँ, नगर निगम निकायों/पंचायतों/संसद सदस्यों/पार्षद की निधियों से प्राप्त राशि द्वारा जुटा सकते हैं।

निम्नलिखित चिन्हित मदों हेतु समाज द्वारा भागीदारी प्राप्त कर विश्वविद्यालय जुटायी गई निधि से एक कायिक निधि का सृजन कर सकते हैं :–

- भवनों का निर्माण (कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, छात्रों के छात्रावास, चिकित्सालय आदि);
- मौजूदा पुराने भवन का नवीकरण;
- उपकरणों की खरीद;
- छात्र/स्टाफ के लिए सुविधाएँ (कैन्टीन, क्रीड़ास्थल, व्यायामशाला आदि) ;
- पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद;
- संस्थागत क्रियाकलापों के विकास के लिए कायिक निधि;
- छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कायिक निधि को विकसित करना;
- विस्तार से जुड़ी गतिविधियों, संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ/शोध कार्य का सीधे परियोजनाओं द्वारा वित्तपोषण अथवा किसी कायिक निधि के विकास के माध्यम से वित्तपोषित।
- पीठों की स्थापना;
- नवोन्मेषी एवं शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें अनुसंधान एवं विस्तार कार्य भी सम्मिलित है;
- ऐसा अन्य कोई मद/परियोजना जिसको पूर्व में ही वि0अ0आ0 को सूचित किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंशदान की सीमा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंशदान का 25 प्रतिशत होगा जो कि अधिकतम 50.00 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा।

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य एवं सम विश्वविद्यालयों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:

राज्य विश्वविद्यालय

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त योजना के तहत 2 राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई तथा प्रोत्साहन स्वरूप 17.30 लाख रुपए के अनुदान उपलब्ध कराए गए। ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष 2012–13 के दौरान जारी की गई राशि (रुपये में)
1	तमिलनाडु डॉ0 अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	413870
2	बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड सांईस यूनीवर्सिटी शिबपुर (प0ब0)	1316480

सम विश्वविद्यालय

वर्ष 2012–13 के दौरान उपरोक्त योजना के तहत 24 सम विश्वविद्यालयों को 214.57 लाख रू0 का अनुदान जारी किया गया।

वर्ष 2012–2013 के परिशिष्टों की सूची

क्र.सं	वर्ष 2012–2013 के परिशिष्टों की सूची
1.	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार जिन केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय, संस्थानों को राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया है एवं ऐसे संस्थान जिन्हें समविश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गयी है उनकी राज्यवार सूची।
2.	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा 12 (ख) के अंतर्गत शामिल किए गए ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों की सूची जोकि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
3.	वर्ष 1984–85 से लेकर 2012–2013 तक भारतवर्ष में छात्रों के नामांकन में अभिवृद्धि।
4.	वर्ष 2012–2013 में विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों का राज्यवार नामांकन
5.	वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालयों के तहत महाविद्यालयों एवं संबद्ध कालेजों में छात्रों का स्तरवार नामांकन।
6.	वर्ष 2012–2013 में संकायवार छात्रों का नामांकन।
7.	वर्ष 2008–09 से 2012–2013 के मध्य कॉलेजों की संख्या में हुई वृद्धि तथा वर्ष 2011–2012 के दौरान राज्यवार कॉलेजों की संख्या।
8.	वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों एवं विश्वविद्यालयों के तहत महाविद्यालयों में पद के अनुसार अध्यापन स्टॉफ की संख्या एवं वितरण।
9.	वर्ष 2012–2013 के दौरान संबद्ध कॉलेजों में पद के अनुसार अध्यापन स्टाफ की संख्या एवं वितरण।
10.	वर्ष 2010–2011 एवं 2011–2012 के दौरान संकायवार प्रदान की गई एम.फिल. एवं डॉक्टरेट (पीएच.डी.) डिग्रियों की संख्या।
11.	वर्ष 2012–2013 के दौरान संकायवार महिला नामांकन।
12.	1997–98 से लेकर 2012–2013 तक वर्षवार महिला कॉलेजों की संख्या।
13.	वर्ष 2012–2013 के दौरान ऐसे सम विश्वविद्यालयों की सूची जिन्हें योजनागत, गैर–योजनागत एवं नियत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है।
14.	वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्तकर्ता दिल्ली के कॉलेज एवं छात्रावास एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कॉलेजों की सूची।
15.	दिनांक 31.03.2013 तक स्वायत्तशायी कॉलेजों की राज्यवार सूची।
16.	वर्ष 2012–2013 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची।
17.	वर्ष 2012–2013 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा के विषयों की सूची।
18.	वर्ष 2012–2013 के लिए सी.एस.आई.आर. – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान के विषयों की सूची।
19.	वर्ष 2012–2013 के दौरान भारतवर्ष में होने वाली यू.जी.सी.–नेट परीक्षा के केन्द्रों की सूची।
20.	वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए गैर–योजनागत अनुदान (प्रमुख शीर्ष–वार) का विवरण।
21.	वर्ष 2012–2013 के दौरान सामान्य योजनागत, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी एवं धारा (III) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को प्रदान किये गए अनुदान (प्रमुख शीर्ष के अनुसार) का विवरण।

परिशिष्ट-I

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय, राज्य, राज्य निजी विश्वविद्यालय, संस्थान जिन्हें राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया है एवं समविश्वविद्यालयों संस्थानों की राज्यवार सूची।

(क)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	
क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद–500046	1974
2.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500032	1998
3.	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्युजेस यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500007	1973 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय वि0वि0)
	अरूणाचल प्रदेश	
4.	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	1985 (वर्ष 2007 से केन्द्रीय वि0वि0)
	असम	
5.	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर–788011	1994
6.	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर–784028	1994
	बिहार	
7.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, फणीश्वरनाथ रेणु, हिन्दी भवन, छज्जुबाग, पटना–1	2009
8.	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर,डीटी, नालन्दा बिहार (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010
	छत्तीसगढ़	
9.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर–495009(राज्य वि0वि0 से केन्द्रीय वि0वि0 में परिवर्तित)	1983 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय वि0वि0)
	गुजरात	
10.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात,प्लाट न0 95/1,सेक्टर–2ए गाँधीनगर–3820007, गुजरात	2009
	हरियाणा	
11.	सेन्ट्रल युनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट कालेज, सेक्टर–14, महरौली रोड, गुड़गाँव	2009
	हिमाचल प्रदेश	
12.	सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	2009

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	जम्मू और कश्मीर	
13.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, कुरेशी मंजिल, 50–नसीमाबाद, सदरबाल, श्रीनगर–190006	2009
14.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू	2009
	झारखण्ड	
15.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, स्टेट गेस्ट हॉउस, राँची–9, झारखण्ड	2009
	कर्नाटक	
16.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, द्वितीय तल, कर्या सौधा, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा–585106,कर्नाटक	2009
	केरल	
17.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, एस0पी0–16/375,श्रीकर्याम, पो0बा0,–त्रिवेन्द्रम–695017, केरल	2009
	मध्य प्रदेश	
18.	डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर–470003 (राज्य वि0वि0 से केन्द्रीय वि0वि0 में परिवर्तित)	1946 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय वि0वि0)
19.	द इन्दिरा गाँधी नेशनल ट्राईबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश	2008
	महाराष्ट्र	
20.	महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	1997
	मणिपुर	
21.	सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल–795004	1993
22.	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल–795003	1980 (वर्ष 2005 से केन्द्रीय वि0वि0)
	मेघालय	
23.	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग–793022	1973
	मिजोरम	
24.	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आईज़ौल–796012	2000
	नागालैण्ड	
25.	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड–797001	1994
	ओड़ीशा	
26.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, कैम्प कार्यालय,–28/6 बेटिन पाल रोड एक्सटेन्शन, पी0ओ0–कालीघाट, कोलकाता–700026	2009
	पंजाब	
27.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब,पो0बा0–55, भटिन्डा, पंजाब	2009
	राजस्थान	
28.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कमरा न02007,मुख्य भवन, सचिवालय,जयपुर, राजस्थान–302005	2009

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	सिक्किम	
29.	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	2007
	तमिलनाडु	
30.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, केयर ऑफ कलेक्टरेट अनेक्सी, तिरूवारूर–610001, तमिलनाडु	2009
31.	इन्डियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600119	2008
	त्रिपुरा	
32.	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला–799130	1987
	उत्तर प्रदेश	
33.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़–202002	1920
34.	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद–211002	1887
35.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ –226025	1996
36.	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी–221005	1916
	उत्तराखण्ड	
37.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर–246174(राज्य वि0वि0 से केन्द्रीय वि0वि0 में परिवर्तित)	1973 (वर्ष 2009 से केन्द्रीय वि0वि0)
	पश्चिम बंगाल	
38.	विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शान्तिनिकेतन–731235	1951
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	
39.	दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली–110007	1922
40.	इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली–110068	1985
41.	जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली–110025	1988
42.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली–110067	1969
43.	साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सी.आर.एस. लैंग्वेज लैब बिल्डिंग, ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिकल सांइसेज, जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली–110067। (केन्द्रीय अधिनियम के तहत स्थापित)	2010
	पुदुचेरी	
44.	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी–605014	1985

नोट : *तीन विश्वविद्यालय नामतः (एक) सेन्ट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल,मणिपुर(दो) इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली और (तीन) इंडियन मेरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई–600119, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित नहीं है चूंकि इन्हें सीधे ही भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।*

(ख) 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500030	1964
2.	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, नागार्जुन नगर, गुंटूर – 522510	1976
3.	अदिकवि नन्या यूनिवर्सिटी, जया कृष्णपुरम, राजामुन्द्री – 533105 आन्ध्र प्रदेश *	2006
4.	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम – 530003	1926
5.	दामोदरम संजीवैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (फोरमेली ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ) पैलेस लेआउट, पेडावालटियार, विशाखापत्तनम – 530017 आन्ध्र प्रदेश(स्टेट यूनिवर्सिटी)*	2008
6.	डा. एन.टी.आर यूनिवर्सिटी, ऑफ हेल्थ साइंसेज (फोरमेली ए.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज) विजयवाड़ा – 520008 (स्टेट यूनिवर्सिटी)*	1986
7.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500033	1982
8.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एतचेरिया – 532410 श्रीकाकुलम*	2010
9.	द्रविड़यन यूनिवर्सिटी, कुप्पम – 517425	1997
10.	डा. वाई.एस.आर. हार्टीकल्चलर यूनिवर्सिटी, पी.ओ. बॉक्स नं. 7, वेंकटारमण्णगपडम, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट – 536101, आन्ध्र प्रदेश*	2011
11.	जवाहर लाल नेहरू वास्तुशिल्प एवं फाइन आर्टस यूनिवर्सिटी, महावीर मार्ग, मासाब टैंक, हैदराबाद–500028*	2008
12.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	2008
13.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500072	1972
14.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा	2008
15.	काकतीया यूनिवर्सिटी, वारंगल – 506009	1976
16.	कृष्णा यूनिवर्सिटी, आन्ध्र जातीय कालासाला, कैम्पस, राजूपेटा, मछलीपट्टनम– 521001*	2008
17.	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, पनगल, नलगोण्डा– 500803, आन्ध्र प्रदेश (पहले इस विश्वविद्यालय का नाम नलगोण्डा विश्वविद्यालय था)	2008
18.	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्ट्डीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद– 500027	1999
19.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500007	1918
20.	पालामुरू यूनिवर्सिटी, अयप्पा कॉम्पलेक्स, पुलिस मुख्यालय के सामने, महबूब नगर–509001 आन्ध्र प्रदेश*	2008
21.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500004	1985
22.	रायलसीमा यूनिवर्सिटी, करनूल – 518002*	2008
23.	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आफ नालेज टेकनोलाजीज़, हैदराबाद*	2011
24	सतवाहन यूनिवर्सिटी, ज्योतिनगर, करीमनगर – 505001*	2008
25.	श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तापुर – 515003	1981

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
26.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517502	1983
27.	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति – 517507	1954
28.	श्री वेंकटेश्वरा वेदिक यूनिवर्सिटी, पुरुन्देरादास कॉम्पलेक्स, परकासम रोड़, तिरूपति*	2006
29.	श्री वेंकटेश्वरा वैटेरीनरी यूनिवर्सिटी, एडमिन ऑफिस, रीजनल लाइब्रेरी, बिल्डिंग, तिरूपति – 517502*	2005
30.	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीटयूट आफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति – 517507*	1993
31.	तेलंगना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद – 503002*	2006
32.	विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, नेल्लोर – 524003*	2008
33.	योगी वेमाना यूनिवर्सिटी, वेमानापुरम, कदप्पा – 516003	2006
	असम	
34.	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट – 785013	1968
35.	असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को–ऑपरेटिव मेनेजमेंट, शिवसागर, गुवाहाटी, असम*	2010
36.	असम साइंसेज एण्ड टैक्नोलोजी यूनिवर्सिटी, काहीलीपारा, गुवाहाटी – 19 असम*	2011
37.	बोडोलैण्ड यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़, पोओ रंगालीखेटा, कोकराजजर, 783370, बीटीसी, असम*	2009
38.	कॉटलैण्ड कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी, पान बाजार, गुवाहाटी, असम (राज्य विश्वविद्यालय)	2011
39.	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़ – 786004	1965
40.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी – 781014	1948
41.	कृष्ण कान्त हैन्डीक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी– 781006*	2007
42.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एण्ड जूडीसियल अकादमी, एनइजेओटीआई बिल्डिंग, बी.के. काकाटी रोड़, भोलानाथ मंदिर पथ, उलूबेरी, गुवाहाटी – 781007, असम*	2012
	बिहार	
43.	आर्यभटट नालेज यूनिवर्सिटी, 8, ऑफिस पोलो रोड़, पटना – 800001*	2008
44.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर – 842001	1952
45.	बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबोर, भागलपुर, 813210, बिहार*	2010
46.	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा – 852113	1993
47.	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल स्टडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना–800001	2006
48.	जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा 841301	1995
49.	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008	1961
50.	ललित नारायन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा – 846008	1972
51.	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया – 824234	1962
52.	मौलाना मजहारूल हक अरेबिक एण्ड पर्शियन यूनिवर्सिटी, 3 पोलो रोड़, पटना – 800001 (बिहार)*	2004

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
53.	नालन्दा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना – 800001*	1995
54.	पटना यूनिवर्सिटी, पटना – 800005	1917
55.	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर – 848125	1970
56.	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर – 812007	1960
57.	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा – 802301	1994
	छत्तीसगढ़	
58.	आयुष एवं हेल्थ सांइसिज यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, जी.ई. रोड़, रायपुर, छत्तीसगढ़ (स्टेट यूनिवर्सिटी)*	2008
59.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, जिला – बस्तर*	2008
60.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़*	2011
61.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द टेक्निकल, यूनिवर्सिटी, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर–8, भिलाई 490009 (सी.जी.)*	2004
62.	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर – 492001	2003
63.	इन्दिरा गाँधी कृषि यूनिवर्सिटी, रायपुर – 492006	1987
64.	इन्दिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ – 491881	1956
65.	कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*	2004
66.	पण्डित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर – 492010	1964
67.	पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (ओपन) यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़*	2004
68.	सरगूजा यूनिवर्सिटी, अम्बिकापुर*	2008
	गोवा	
69.	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा – 403206	1985
	गुजरात	
70.	आणंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आणंद*	2004
71.	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर – 364002	1978
72.	सेंटर फॉर एनवार्यमेन्टल प्लानिंग एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड़, नरवरंगापुरा, अहमदाबाद – 380009 (गुजरात)*	2005
73.	चिल्ड्रन्स यूनिवर्सिटी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षण सांकुल, सेक्टर – 20, गांधीनगर, गुजरात*	2009
74.	धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, कॉलेज रोड़, नाडियाड – 387001 (गुजरात) (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में बदला गया)	2000
75.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदनगर – 380003*	1995
76.	गुजरात एग्रीकल्वर यूनिवर्सिटी, सरदार क्रूशीनगर, बनसकाँथा – 385506	1972
77.	गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर – 361008	1968
78.	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर – 382007	2003

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
79.	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद – 380009	1950
80.	गुजरात टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जेएसीपीसी बिल्डिंग, एन.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैम्पस, नवरंगापुरा, अहमदाबाद, गुजरात*	2007
81.	गुजरात फोरेन्सिक साईंस यूनिवर्सिटी, सैक्टर 18/ए, नियर पुलिस भवन, गाँधीनगर – 382007 गुजरात*	2008
82.	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, यूनिवर्सिटी रोड़, पाटन – 384265	1986
83.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गर्वमेंट कॉलेज कैम्पस, नियम महात्मा मंदिर, जी–4, सेक्टर – 15, गांधीनगर, 382016, गुजरात*	2010
84.	क्रान्तिगुरू श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, सीएस–60, जुबली ग्राउंड, भुज–कच्छ – 370001*	2004
85.	महाराजा सायाजीरॉव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोढ़रा – 390002	1949
86.	रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, न्यू मेंटर कारनर, मेघनीनगर, अहमदाबाद – 380016, गुजरात*	2011
87.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर – 388120	1955
88.	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट – 360005	1955
89.	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत – 395007	1965
90.	श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, ता. वेरवल, जिला जूनागढ़– 362265 (गुजरात)*	2005
91.	स्वर्णिम गुजरात स्पोर्टस, यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 19, पुनीत वेन रोड़, नियम सुविधा केन्द्र, पीटीसी बिल्डिंग कैम्पस, गांधीनगर, 382019, गुजरात*	2011
	हरियाणा	
92.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलॉ, सोनीपत, हरियाणा	2006
93.	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	2003
94.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार – 125004	1970
95.	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरूथल, हरियाणा	2006
96.	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा	2008
97.	गुरू जम्भेश्वर यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार– 125001	1995
98.	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र– 136119	1956
99.	लाला लाजपत राय यूनिविर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, हिसार– 125004, हरियाणा*	2010
100.	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक – 124001	1976
101.	वाईएमसीए यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद – 121006, हरियाणा*	2009
	हिमाचल प्रदेश	
102.	डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी– 173230	1986
103.	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला – 171005	1970
104.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर – 176062	1978

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
105.	हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल यूनिवर्सिटी, गर्वमेंट पॉलीटेक्नीक, बारू, हमीरपुर डिस्ट्रिक, हिमाचल प्रदेश*	2010
	जम्मू और कश्मीर	
106.	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड़, चुन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*	2005
107.	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर – 190006	1949
108.	शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, श्रीनगर – 191121	1982
109.	श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू – 180004	2004
110.	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एवेन्यू, अवानटीपोरा, पुलवामा–192122 (जम्मू और कश्मीर)	2005
111.	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मूतवी 180006	1968
	झारखण्ड	
112.	बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राँची – 834006	1980
113.	कोल्हन यूनिवर्सिटी, चाइबासा, वेस्ट सिंहभूमि (झारखण्ड)*	2007
114.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज इन ला, पोलीटैक्नीक कैम्पस, बीआईटी, मेसरा, रांची–835217 झारखण्ड	2010
115.	नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, मादीनीनगर, पलामू – 822101*	2007
116.	राँची यूनिवर्सिटी, राँची – 834001	1960
117.	सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, दुमका – 814101	1992
118.	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग – 825301	1993
	कर्नाटक	
119.	बैंगलोर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर – 560056	1964
120.	दावनगिरी यूनिवर्सिटी, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 कर्णाटक (राज्य विश्वविद्यालय)	2009
121.	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा – 585106	1980
122.	कन्नड यूनिवर्सिटी, हम्पी, बेलारी डिस्ट्रिक्ट, कमालपुरा – 583276	1992
123.	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़ – 580003	1949
124.	कर्नाटक स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर – 586101 (कर्णाटक)	2004
125.	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शंकरघट्टा – 577451	1987
126.	कर्नाटक वेट्रिनेरी, एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसिज यूनिवर्सिटी, नन्दीनगर, पीबी नं. 6, बीदर–585401 (कर्नाटक)*	2004
127.	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, हुबली*	2009
128.	कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर – 570006*	1996
129.	कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, बैंगलोर – 580018*	2011
130.	कर्णाटक फोकलोर यूनिवर्सिटी, 2/106, केएएसएसआईए बिल्डिंग, तीसरा तल, 17वां क्रास, मागडी छोर्ड रोड़, विजयनगर, बैंगलोर – 460040, कर्नाटक*	2011

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
131.	केएसजीएच म्यूजिक एण्ड परर्फामिंग आर्टस यूनिवर्सिटी, एलजेबी रोड़, नियर अशोक सर्कल, लक्ष्मीपुरम, मैसूर – 570004, कर्नाटक*	2009
132.	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर – 574199	1980
133.	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर – 570005	1916
134.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर– 560072	1992
135.	राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी, बैंगलोर– 560041*	1994
136.	रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी, विद्यासंगम, एनजी–4, पीबी हाइवे, बेलागावी – 591156, कर्नाटक*	2010
137.	तुमकुर यूनिवर्सिटी, टुमकुर, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड़, तुमकुर–572101 कर्नाटक*	2005
138.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बैंगलोर– 560065	1964
139.	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़ – 580005	1986
140.	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाम– 590010*	1999
141.	विजयनगर श्रीकृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, जनाना सागर कैम्पस, विनयका नगर, कोन्टोमेटी, बेल्लारी– 583104 कर्नाटक*	2010
	केरल	
142.	कालीकट यूनिवर्सिटी, तिरछी पालारी, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट, कोझीकोड – 673635	1968
143.	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची– 682022	1971
144.	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर– 670562	1997
145.	केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, थ्रीसूर – 680656	1972
146.	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूवन्नतपुरम – 695034	1937
147.	केरल यूनिवर्सिटी आफ फिशरीज एण्ड ओशन स्टडीज, पनागढ़, कोच्ची – 682506(राज्य विश्वविद्यालय) *	2011
148.	केरल यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज,थ्रिसूर – 680596 केरल *	2011
149.	केरल यूनिवर्सिटी आफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंस, पोकोट लाकीदी पीओ, वायनाड, केरल (राज्य विश्वविद्यालय) *	2011
150.	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम – 686560	1983
151.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांसड् लीगल स्टडीज (एन.यू.ए.एल.एस.) कालोर, कोच्चि – 682017, केरल*	2009
152.	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी – 683574	1994
	मध्य प्रदेश	
153.	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा – 486003	1968
154.	अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, एम.पी. भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी कैम्पस, कोलोर मार्ग, भोपाल – 462016 मध्य प्रदेश*	2011
155.	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल – 462026	1970
156.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर– 452001	1964

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
157.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482004	1964
158.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर – 474011	1964
159.	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट – 485331, डिस्ट्रिक्ट सतना	1993
160.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर– 482001*	1995
161.	एम.पी.भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी, भोपाल– 462016	1995
162.	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, भोपाल– 462039*	1993
163.	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन*	2008
164.	ननाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सिविल लाइन, जबलपुर– 482001 मध्य प्रदेश* (पूर्व मे इसका नाम मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय था)	2009
165.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल	1999
166.	राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एण्ड आर्टस यूनिवर्सिटी, महादाजी चौक, अचलेश्वर मार्ग, ग्वालियर, 474009, मध्य प्रदेश*	2009
167.	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल – 462036	2004
168.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001	1957
169.	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़ ग्वालियर,–474002, मध्य प्रदेश*	2009
170.	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन – 456010	1957
	महाराष्ट्र	
171.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद – 431004	1958
172.	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे– 402103	1992
173.	डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला– 444104	1969
174.	गोडवाना यूनिवर्सिटी, एमआईडीसी रोड कॉम्पलेक्स, गढ़चिरोली, 422605, महाराष्ट्र*	1994
175.	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर– 441106	1997
176.	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरि–415712	1972
177.	महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी, सेमीनारी हिल्स, नागपुर–440006*	2002
178.	महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, नासिक– 422013*	2000
179.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी – 413722	1968
180.	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, परभानी– 431402	1983
181.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई – 400032	1857
182.	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव– 425001	1991
183.	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे– 411007	1949

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
184.	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती– 444602	1983
185.	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर – 416004	1962
186.	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई – 400020	1951
187.	शोलापुर यूनिवर्सिटी, शोलापुर पुणे रोड़, केगांव, शोलापुर –413255	2004
188.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नादेंड – 431606	1995
189.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक – 440001	1990
190.	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर – 422222 (एमएस)	1923
	ओड़ीशा	
191.	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर – 760007	1967
192.	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, राउरकेला*	2003
193.	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर – 596019	1999
194.	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपेडा, डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज – 757003, भुबनेश्वर	1999
195.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स–28, कटक – 753001 ओड़ीशा	2008
196.	उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, भुबनेश्वर – 751003	1962
197.	रावेनशाह यूनिवर्सिटी, कटक – 753003,	2005
198.	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी, सम्भलपुर – 768019 – 752003	1967
199.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	1981
200.	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुबनेश्वर 751004	1943
201.	उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, भुबनेश्वर – 751009*	1999
202.	वीर सुरेन्द्र सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पी.ओ. बुरला इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट सम्बलपुर, ओडीशा (स्टेट यूनिवर्सिटी)	2009
	पंजाब	
203.	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिक्ल साइंसेज, सादीक रोड़, फरीदकोट – 151203	2002
204.	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर – 143005	1969
205.	गुरू अंगददेव वेटि्रनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004	2005
206.	गुरू रविदास यूनिवर्सिटी, जोधमल, होशियारपुर, पंजाब*	2010
207.	पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004	1962
208.	पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर – 141011*	1998
209.	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला – 147002	1962
210.	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला – 147001	2006

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	राजस्थान	
211.	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर – 342011	1962
212.	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा – 324010	1987
213.	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, उदयपुर – 313001*	2000
214.	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर – 305009	1987
215.	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर – 313001	1962
216.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर – 342004	2004
217.	राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बीकानेर – 334006	1987
218.	राजस्थान आयूर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर *	2004
219.	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, 2–2ए, झालना डोंगरी, जयपुर (राजस्थान)*	1998
220.	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर – 302004	1947
221.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, बी–1, सवाई मानसिंह रोड़, (एसएमएस अस्पताल के सामने) जयपुर*	2005
222.	राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एण्ड एनीमल साइंसेज, बीकानेर, राजस्थान*	2010
223.	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, नेशनल हाइवे नं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर, राजस्थान* (फोरमेली यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर, 23, सिविल लाइन्स, बीकानेर	2003
224.	राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी, अखेलगढ़, राउतभाटा रोड़, कोटा*	2006
225.	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा (राजस्थान)	2003
	तमिलनाडु	
226.	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, अलगपा नगर, कराईकुडी – 630003	1985
227.	अन्ना यूनिवर्सिटी, गुंडई, चेन्नई – 600025*#	1978
228.	अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर– 608002	1919
229.	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर – 641046	1982
230.	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, त्रिचुरापल्ली – 620024	1982
231.	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600005	1857
232.	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई – 625021	1965
233.	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली – 627012	1992
234.	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोदाईकनाल – 624102	1984
235.	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम – 636011	1998
236.	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर– 613005	1981
237.	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर – 641003	1971

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
238.	तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन कैम्पस, गुंडई, चेन्नई – 600025*	2004
239.	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028	1998
240.	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032	1989
241.	तमिलनाडु नेशनल लॉ स्कूल, नवालूर, कुट्टापट्टू, श्रीरंगम तालुक, त्रिचुरापल्ली – 620009, तमिलनाडु*	2012
242.	तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आठवां तल, ईवीए सम्पत, मालीगई, कॉलेज रोड, चेन्नई*	2005
243.	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई– 600051	1990
244.	थ्रिवल्लुवर यूनिवर्सिटी, फोर्ट, वेल्लोर – 632004*	2003
245.	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कामराजर सलाई, चेन्नई – 600005*	2008
	उत्तर प्रदेश	
246.	बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी – 284128	1975
247.	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर – 208002	1974
248.	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर – 208024	1965
249.	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ –250005	1965
250.	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर – 273009	1957
251.	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद – 224001	1975
252.	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर – डी–1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड़ स्कीम, लखनऊ	2005
253.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा – 282004	1927
254.	गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, डिस्ट्रिक्ट– गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. – 201308*	2002
255.	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी यूनिवर्सिटी, 619, इंदिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*	2010
256.	किंग जार्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ – 226003*	2004
257.	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ – 226007	1921
258.	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली – 243006	1975
259.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी – 221002	1974
260.	महामाया टैक्नीकल यूनिवर्सिटी, सी–22, सेक्टर–62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301*	2010
261.	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद – 224229	1974
262.	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी– 221002	1958
263.	सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ – 250110 (उत्तर प्रदेश)*	2004
264.	यू.पी. किंग जार्जस यूनिवर्सिटी ऑफ डेन्टल साइंस, लखनऊ – 226003 (उ.प्र.)*	2004
265.	यू.पी. राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, 17, महर्षि दयानन्द मार्ग, (थार्नहिल रोड़) इलाहाबाद – 211001* (उत्तर प्रदेश)*	2004

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
266.	उत्तर प्रदेश टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, सीतापुर रोड़, लखनऊ – 226021*	2001
267.	उत्तर प्रदेशविकलांग उद्धार, डॉ. शकुन्तला मिश्रा यूनिवर्सिटी, मोहन रोड़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश*	2008
268.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर – 222002	1987
	उत्तराखण्ड	
269.	दून यूनिवर्सिटी, कैम्पस ऑफिस, 388/2, इंदिरा नगर, देहरादून	2005
270.	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, पंतनगर– 263145	1960
271.	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल– 263001	1973
272.	उत्तराखण्ड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, 7–ए, पलसान्त वेली, राजपुर रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड*	2009
273.	उत्तराखण्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, हरिद्वार– 249401 (उत्तरांचल)	2005
274.	उत्तराखण्ड टैक्निकल यूनिवर्सिटी, ए–12, सरस्वती विहार, लवर अघोवाला, पोस्ट–धालानवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड	2008
275.	उत्तराखण्ड ओपन यूनिवर्सिटी, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, तीनपानी बाई पास रोड़, इंडस्ट्रियल इस्टेट, हल्द्वानी – 263139 (नैनीताल) उत्तराखण्ड (राज्य विश्वविद्यालय) *	2005
	पश्चिम बंगाल	
276.	आलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल*	2007
277.	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया – 741252	1974
278.	वर्द्धमान यूनिवर्सिटी, राजबाती, वर्द्धमान– 713104	1960
279.	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता – 700073	1857
280.	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता– 700032	1955
281.	गौर बंग यूनिवर्सिटी, रविन्द्र एवेन्यू, मालदा कॉलेज कैम्पस, पो.ऑ. एवं जिला –मालदा– 732101*	2007
282.	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी– 741235	1960
283.	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, राजा राम मोहनपुर, दार्जलिंग– 734430	1962
284.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता– 700020*	1997
285.	प्रेजीडेंसी यूनिवर्सिटी, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता– 700073, पश्चिम बंगाल	2010
286.	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता– 700050	1962
287.	सिद्धो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी, परिबेस भवन, 10ए, ब्लॉक – एलए, सेक्टर–3, साल्ट लेक, कोलकाता– 700098*	2010
288.	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, शिवपुर, हावड़ा– 711103 (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	2004
289.	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर–3, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता	2004
290.	द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डीडी–36, सेक्टर–1, साल्ट लेक, कोलकाता– 700064*	2004
291.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, जिला –कूच बिहार– 736165*	2001

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
292.	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर– 721102	1981
293.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड फिशरीज साइंसेज, बेलगाचिया, कोलकाता– 700037*	1995
294.	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, बीएफ–142, साल्ट लेक, कोलकाता– 700091	2001
295.	वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी, बरसात गर्वमेंट कॉलेज, एनेक्सी बिल्डिंग, 10 केएनसी रोड़, कोलकाता– 700124*	2007
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
296.	भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आईआईटी कैम्पस प्लॉट नं. 13, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली – 110075	2007
297.	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)	2009
298.	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली– 110006	1998
299.	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नियर गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली – 110020	2008
300.	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली	2008
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़	
301.	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़– 160014	1947

* (वि.अ.आ. अधिनिनियम 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केन्द्रीय/वि.अ.आ. द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिये अपात्र घोषित)

निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों का तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 के अधिनियम सं. 20 के माध्यम से निरसन कर दिया गया था। निम्नलिखित विश्वविद्यालय उनके समक्ष उल्लिखित अवधि के लिए वैध है:–

(क) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, चेन्नई (19.06.2010 से 01.08.2012)

(ख) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, तिरूचिरापल्ली (19.06.2010 से 01.08.2012)

(ग) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, कोयम्बटूर (19.06.2010 से 01.08.2012)

(घ) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, तिरूनेलेवल्ली (19.06.2010 से 01.08.2012)

(ड.) अन्ना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलाजी, मदुरई (19.06.2010 से 01.08.2012)

(ग) राज्य निजी विश्वविद्यालय

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	अरूणाचल प्रदेश	
1.	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, एनएच–52, नामसाई, जिला लोहित, अरूणाचल प्रदेश	2012
2.	दि इंदिरा गांधी टेक्नॉलोजी एण्ड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जीरो, अरूणाचल प्रदेश	2012
3.	वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी, एटानगर, अरूणाचल प्रदेश	2012
	असम	
4.	असम डॉन बोस्को यूनिवर्सिटी, अजारा, गुवाहाटी	2009
5.	असम डॉउनटाउन यूनिवर्सिटी, शंकर महादेव पथ, गांधी नगर, पानीखेती, गुवाहाटी – 781036	2011
6.	दि असम काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम	2012
	छत्तीसगढ़	
7.	डॉ. सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी, कारगी रोड़, कोटा, बिलासपुर	2009
8.	आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी, एनएच–6, रायपुर–भिलाई रोड़, ग्राम–छोरहा, आरआई सर्कल, अहीवारा, धामधा, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़	2011
9.	आईटीएम यूनिवर्सिटी, पीएच नं. 137, उपावाड़ा, नया रायपुर, जिला–रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़	2012
10.	कलिंगा यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़	2011
11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, पोस्ट मंगला, बिलासपुर – 495001	2009
12.	मैट्स (एम.ए.टी.एस.) यूनिवर्सिटी, अरंग खारोरा हाइवे, ग्राम पंचायत, गुल्लू, ग्राम – गुल्लू, तहसील–अरांग, जिला – रायपुर	2009
	गुजरात	
13.	अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, एएफएस बंगला – 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380009	2010
14.	एयूआरओ यूनिवर्सिटी ऑफ हास्पिलेलीटी एण्ड मेनेजमेंट, सूरत, गुजरात	2011
15.	केलारेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	2009
16.	चरोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, छंगा – 388421, जिला – आनन्द	2009
17.	धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी, गाँधीनगर, पोस्ट बॉक्स नं. 4, गांधी नगर, 382007	2004
18.	गणपत यूनिवर्सिटी, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया हाइवे, जिला मेहसाणा – 382711	2006
19.	इन्डस यूनिवर्सिटी, इंदूज कैम्पस, रणचारदा, वाया–थालटेज, अहमदाबाद – 382115 – गुजरात	2012
20.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय कैम्पस, सेक्टर 15/23, गाँधीनगर	2007
21.	नवरचना यूनिवर्सिटी, वसना–भयली रोड़, वडोदरा – 391410, गुजरात (यह विश्वविद्यालय सामान्य अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, हमने गुजरात राज्य सरकार से इसके विशिष्ट अधिनियम की प्रति भेजने को कहा है)	2010
22.	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, सरखेज, गांधीनगर हाइवे, ग्राम छोरीडी, अहमदाबाद	2004
23.	पं. दीनदयाल पेट्रोलियम युनिवर्सिटी, रायसेन में, जिला गाँधीनगर – 382009	2007

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
24.	आर.के. यूनिवर्सिटी, राजकोट–भावनगर हाइवे, कस्तूरबाधाम, राजकोट, गुजरात	2011
25.	राय यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात	2009
26.	यूकेए तारसाडिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली–महुआ रोड़, जिला–सूरत, गुजरात	2011
	हरियाणा	
27.	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मनेसर, जिला – गुड़गाँव – 122413, हरियाणा	2010
28.	अंसल यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव, हरियाणा	2012
29.	एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, पलवल रोड़, सोहना, गुड़गाँव – 122103, हरियाणा	2010
30.	बाबा मस्त नाथ यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा	2012
31	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी, गुड़गाँव	2009
32.	एमवीएन यूनिवर्सिटी, पलवल, हरियाणा	2012
33.	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय,, सादोपुर, जिला – अम्बाला, हरियाणा	2011
34.	एनआईआईएलएम यूनिवर्सिटी, 9केएम मीलेस्टोन, एनएच–65, कैथल – 136027, हरियाणा	2009
35.	ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत	2009
	हिमाचल प्रदेश	
36.	एपीजे (अलख प्रकाश गोयल) यूनिवर्सिटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	2012
37.	अरनी यूनिवर्सिटी, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	2009
38.	बददी यूनिवर्सिटी इमर्जिंग साइंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बड्डी, जिला – सोलन	2009
39.	बरहा विश्वविद्यालय, वीपीओ – वाकनाघाट, तहसील – कांडाघाट, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश	2011
40.	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	2012
41.	चितकारा यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कल्लूझण्डा (बरोतीवाला), जिला सोलन – 174103	2009
42.	एटरनल यूनिवर्सिटी, बारू साहिब हिमाचल	2009
43.	आईईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी, बाडी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	2012
44.	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडीए एजुकेशन हब, कालूजिहिन्दा, पीओ मंधाला, वाया बारोतीवाला, बाडी, जिला – सोलन, हिमाचल प्रदेश – 174103	2009
45.	इन्डस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हारोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश– 174103	2010
46.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, जिला सोलन – 173215	2002
47.	महर्षि मरकण्डेश्वर यूनिवर्सिटी, कुमारहाटी, सुल्तानपुर रोड़, सोलन – 173229, हिमाचल प्रदेश	2010
48.	महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, अटल शिक्षा कुंज, जिला – सोलन – 174103, हिमाचल प्रदेश	2013
49.	मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	2009
50.	शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयोटेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट साइंसेज, सोलन	2009
51.	श्री साईं यूनिवर्सिटी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	2011

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	झारखण्ड	
52.	झारखण्ड राय यूनिवर्सिटी, झारखण्ड	2012
53.	साई नाथ यूनिवर्सिटी, रांची, झारखण्ड	2012
54.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रेंड एमरेल्ड बिल्डिंग, रोड़ नं. 1 और 2 के बीच में अशोक नगर, राँची – 834202, झारखण्ड	2009
	कर्नाटक	
55.	अलायन्स यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, (कर्नाटक)	2010
56.	अजीम प्रेमजी, यूनिवर्सिटी, 134, दोधकनेली, विप्रो कारपोरेट ऑफिस के बाद, सर्जापुर रोड़, बंगलूरू, कर्नाटक	2011
	मेघालय	
57.	सी.एम.जे. यूनिवर्सिटी, शिलांग (मेघालय)	2010
58.	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पी.ओ. एरियामाइल, मैचकोगरे, टूरा, वेस्ट गारो हिल्स, मेघालय	2010
59.	मार्टिन लूथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, के.आई.पी.ए. कांफ्रेस सेंटर, सेन्ट्रल वार्ड, शिलांग – 793001	2009
60.	टेक्नोग्लोबल यूनिवर्सिटी, अनीता मैंसन बिष्णुपुर, लॉसोहटन रोड़ शिलांग – 793004	2009
61.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चौथा तल, नियर सुंदरी होटल, सरकुलर रोड़, टूरा बाजार, टूरा – 794001	2009
62.	यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मेघालय	2009
63.	यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेंट, शिलांग, मेघालय	2011
64.	विलियम कैरे यूनिवर्सिटी, जोराम विला, बोम्पलाइड रोड़, शिलांग – 793001, मेघालय	2011
	मिजोरम	
65.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी सलेम वेंग, चाल्टलांग, आइज़ौल–798012, मिजोरम	2009
	मध्य प्रदेश	
66.	ए.के.एस. यूनिवर्सिटी, सतना, मध्य प्रदेश	2011
67.	एआईएसईसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल – चिकलोड रोड़, नियर बंगरसिया चौराहा, भोपाल, मध्य प्रदेश	2011
68.	एमिटी यूनिवर्सिटी, महाराजपुर डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2011
69.	आईटीएम यूनिवर्सिटी, आईटीएम कैम्पस, सिथोली रेलवे स्टेशन के सामने, एनएच–75, झांसी रोड़, ग्वालियर – 474001, मध्य प्रदेश	2011
70.	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, एबी रोड़, राघोगढ़, जिला गुना–473226, मध्य प्रदेश	2010
71.	ओरियेन्टल यूनिवर्सिटी, रेवती रेंज गेट नं. 1 के सामने, सानवेर रोड़, पीओ बॉक्स नं. 311, विजयनगर पी.ओ., इंदौर – 452010, मध्य प्रदेश	2011
72.	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल – 462037	2011
73.	आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, बाई–पास रोड़, नियम आरजीपीसी कैम्पस, भोपाल, मध्य प्रदेश	2011
74.	स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी, सागर, मध्य प्रदेश	2011

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	नागालैण्ड	
75.	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा – 797111, नागालैण्ड	2009
76.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सुपर मार्केट काम्प्लेक्स के पीछे, नियर सीजीएम, बीएसएनएल ऑफिस, दीमापुर – 797112, नागालैण्ड	2009
	ओड़ीशा	
77.	सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, विलेज आलूरी नगर, वाया उपालाडा, पारालखमुण्डी – 761221 गाजापट्टी, ओड़ीशा	2010
78.	श्री श्री यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओड़ीशा	2009
	पंजाब	
79.	आदेश यूनिवर्सिटी, एनएच–7, बरनाला रोड़, भटिंडा, पंजाब	2012
80.	चण्डीगढ़ यूनिवर्सिटी, घारवान, मोहाली – 140413, पंजाब	2012
81.	चितकारा यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–पटियाला नेशनल हाइवे, (एनएच–64), विलैज –झांसला, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब – 140401	2010
82.	डी.ए.वी. यूनिवर्सिटी, जालन्धर–पठानकोट नेशनल हाइवे – 44, विलैज, सरमस्तपुर, जालन्धर, पंजाब	2013
83.	गुरू काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी सावो, जिला – भटिंडा, पंजाब	2011
84.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर–लुधियाना जी.टी. रोड़, नियर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला – कपूरथला, पंजाब – 144002	2005
85.	श्री गुरू ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ साहिब – 140406, पंजाब	2011
	राजस्थान	
86.	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, एनएच–11सी, कान्त कालवार, जयपुर – 303002	2009
87.	भगवन्त यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नं. 87, सीकर रोड़, अजमेर – 305001	2008
88.	कैरियर प्वांइट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	2012
89.	डॉ. के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी, प्लॉट–1, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–2, नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान – 304021	2010
90.	गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान	2011
91.	होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर – 302029, राजस्थान	2011
92.	आईसीएफएआई, यूनिवर्सिटी, खसरा नं. 505/1, गांव जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर – 302031, राजस्थान	2011
93.	जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	2012
94.	जे.के. लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी, लालिया का वास, पी.ओ. महापुर, अजमेर रोड़, जयपुर – 302026, राजस्थान	2011
95.	जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, विलैज रामपुरा, तहसील चाकसु, जयपुर	2009
96	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर	2009
97.	ज्योति विद्यापीठ वीमेन्स यूनिवर्सिटी, वेदन्त ज्ञान वैली विलैज, झरना माहाला, जबनेर, लिंक रोड़, एनएच–8, जयपुर	2008
98.	जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, नारनादी झांवर रोड़, जोधपुर – 342001	2009

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
99.	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	2012
100.	महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, आफ मेडिकल सांईसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड़, जयपुर – 302022	2011
101.	महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी, एसपी–2 और 3, कान्त कालवार, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, ताला मोड़, एनएच–1, आचरोल, जयपुर	2009
102.	मनीपाल यूनिवर्सिटी, वाटिका इनफोटेक यूनिवर्सिटी, नियर जीवीके टोल प्लाजा, जयपुर–अजमेर एक्सप्रेस वे, पोस्ट थिकारा, जयपुर – 302026, राजस्थान	2011
103.	मेवाड़ यूनिवर्सिटी, चितौड़गढ़, राजस्थान	2008
104.	एन.आई.आई.टी. यूनिवर्सिटी, नीमराना, राजस्थान	2010
105.	एन.आई.एम.एस. यूनिवर्सिटी, शोभानगर, जयपुर – 303001	2008
106.	पेसेफिक अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी (पी.ए.एच.ई.आर.) पेशिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड़, प्रतापनगर एक्सटेंशन, उदयपुर – 313003	2010
107.	पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, रामचन्द्रापुर, सीतापुर एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	2012
108.	प्रताप यूनिवर्सिटी, सुन्दरपुर, (चांदवाजी) आमरे–दिल्ली–मुम्बई हाइवे, जयपुर, राजस्थान	2011
109.	राफेल्स यूनिवर्सिटी, जैपनीज जोन, नेशनल हाइवे – 8, नीमराना – 201705, राजस्थान	2011
110.	संगम यूनिवर्सिटी, भीलवाड़ा, राजस्थान	2012
111.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरेवाला यूनिवर्सिटी, चुदेला, जिला –झूँझुनूं	2009
112.	श्रीधर यूनिवर्सिटी, पिलानी, चिरावा रोड़, पिलानी, राजस्थान – 333031	2010
113.	सिंधानिया यूनिवर्सिटी, पचेरीबारी, झूँझुनूं, राजस्थान	2008
114.	सर पदमपत सिंहानिया यूनिवर्सिटी, भतेवार, उदयपुर – 313601	2009
115.	सनराईज यूनिवर्सिटी, बागड़ राजपूत, तहसील – रामगढ, अलवर, राजस्थान	2011
116.	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, महल जगतपुर, जयपुर, राजस्थान	2009
117.	यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेंट, जयपुर, राजस्थान	2012
118.	विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 36, एनआरआई रोड़, सीसायावास, जगतपुर, जयपुर– 3030012 राजस्थान (पूर्व में वीआईटी यूनिवर्सिटी)	2012
	सिक्किम	
119.	इस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट, जोरेथांग	2007
120.	सिक्किम – मनीपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिक्ल एण्ड टेक्नोलॉजिकल सांइसेज, गंगटोक – 737101	1998
121.	द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड फाइनेन्शियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आई.सी.एफ.ए.आई.), सिक्किम	2009
122.	विनायक मिशन्स सिक्किम यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 438, एन–312, संग फाटक रोड, मिडल तदांग, पी0ओ0 दारागाओरा, तदांग, ईस्ट सिक्किम– 237102	2009
	त्रिपुरा	
123.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, अगरतला, त्रिपुरा – 799001	2006

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	उत्तर प्रदेश	
124.	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	2009
125.	बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, 55 बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2010
126.	जी.एल.ए. यूनिवर्सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश	2010
127.	गलगोटिया यूनिवर्सिटी, 1, नॉलेज पार्क, फेस–2, ग्रेटर नोएडा–201306, उत्तर प्रदेश	2011
128.	आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड़ मुरादाबाद – 244102, उत्तर प्रदेश	2010
129.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, कुर्सी रोड़, लखनऊ – 226026 (उत्तर प्रदेश)	2004
130.	इनवर्टिस यूनिवर्सिटी, इनवर्टिस गांव, बरेली–लखनऊ नेशनल हाइवे–24, बरेली – 243123 (उत्तर प्रदेश)	2010
131.	जगतगुरू रामभद्राचार्य हैण्डीकेप्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट धाम –210204	2002
132.	मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	2009
133.	मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर, उत्तर प्रदेश	2009
134.	मोनाद यूनिवर्सिटी, कासमाबाद, पीओ–पिलखुआ, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश	2010
135.	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नं. 1, सेक्टर–17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	2010
136.	शारदा यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	2009
137.	शिव नाडर यूनिवर्सिटी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	2011
138.	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हरदोई, देवा–लखनऊ बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश	2012
139.	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, एनएच–24, राजाबापुर, गजरौला, जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश	2011
140.	स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, दिल्ली–हरिद्वार बाईपास रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश	2008
141.	तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद	2008
142.	दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील–बेहट, सहारनपुर–247001, उत्तर प्रदेश	2012
	उत्तराखण्ड	
143.	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शक्तिपुंज, हरिद्वार – 249411	2005
144.	डीआईटी यूनिवर्सिटी, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	2013
145.	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट हाउस, देहरादून – 248002, उत्तराखण्ड	2011
146.	हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी, शीशमबाडा, पीओ–शेरपुर, वाया शहसपुर, देहरादून – 248197 उत्तराखण्ड	2009
147.	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, माक्कवाला ग्रीन्स, मसूरी डाइवर्जन रोड़, देहरादून – 248009, उत्तराखण्ड	2013
148.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), सी–1/103, इंदिरा नगर, देहरादून – 248006, उत्तराखण्ड	2005
149.	यूनिवर्सिटी ऑफ पंतजलि, पंतजलि योगपीठ, हरिद्वार	2009
150.	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्ट्डीज, बिल्डिंग नं. 7, स्ट्रीट नं. 1, वसंत विहार एंक्लेव, देहरादून – 284006 (उत्तराखण्ड)	2004
	पश्चिम बंगाल	
151.	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम–4, सेक्टर–4, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकाता–700091, पश्चिम बंगाल	2012

(घ) राज्य विधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थान		
क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज	1990
	बिहार	
3.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1992
	जम्मू और कश्मीर	
4.	शेरे–कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1990
	उत्तर प्रदेश	
5.	संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज	1983

(ङ) सम विश्वविद्यालय संस्थान

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट (जी.आई.टी.ए.एम.), विशाखापत्तनम	2007
2.	आई.सी.एफ.ए.आई. फाउंडेशन फॉर हॉयर एजूकेशन, हैदराबाद	2008
3.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, हैदराबाद	2001
4.	कोनेरू लक्ष्मैया एजूकेशन फाउंडेशन, गुंटूर	2009
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	1987
6.	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम, अनन्तापुर	1981
7.	विगनांस फाउंडेशन फॉर साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च, वाडलामुडी, गुंटूर	2008
	अरूणाचल प्रदेश	
8.	नार्थ इर्स्टन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, ईटानगर	2005
	बिहार	
9.	बिहार योगभारती, मूँगेर	2000
10.	नव नालान्दा महाविहार, नालान्दा	2006
	चण्डीगढ़	
11.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़	2003
	गुजरात	
12.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1963
13.	सुमनदीप विद्यापीठ, पिपरिया, वडोदरा	2007
	हरियाणा	
14.	लिंगया यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2009
15.	महर्षि मार्कण्डेश्वर, अम्बाला	2007
16.	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद	2008
17.	नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गाँव	2002
18.	नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल	1989
	झारखण्ड	
19.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मिसरा, राँची	1986
20.	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	1968
	कर्नाटक	
21.	बी.एल.डी.ई. यूनिवर्सिटी, बीजापुर	2008
22.	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बंगलूरू	2008

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
23.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलोर	1985
24.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, बंगलोर	2005
25.	जैन यूनिवर्सिटी, बंगलोर	2008
26.	जगतगुरू श्री शिवाराथ्रिश्वरा यूनिवर्सिटी, मैसूर	2008
27.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बंगलोर	2002
28.	के.एल.ई. अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, बेलगाम	2006
29.	मनीपाल अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, मनीपाल	1993
30.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो सांइसेज, बंगलोर	1994
31.	एन.आई.टी.टी.ई. यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
32.	श्री देवराज अर्स अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, कोलार	2007
33.	श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, जिला टुमकुर	2008
34.	स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	2002
35.	येनपोया यूनिवर्सिटी, मंगलोर	2008
	केरल	
36.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, तिरूअनन्तापुरम	2008
37.	केरल कलामण्डलम, चेरूथुरूथि	2006
	मध्य प्रदेश	
38.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर	2001
39.	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर	1995
40.	पं0 द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्ट्यिूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजायन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, जबलपुर	2009
	महाराष्ट्र	
41.	भारती विद्यापीठ, पुणे	1996
42.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज् एजूकेशन, मुम्बई	1989
43.	डी. वाई. पाटिल एजूकेशनल सोसायटी, कोल्हापुर	2005
44.	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नागपुर	2005
45.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	1990
46.	डॉ0 डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, पुणे	2003
47.	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पुणे	1993
48.	होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुम्बई	2005
49.	इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, मुम्बई	1996
50.	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टैक्नोलॉजी, पुणे	1999

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
51.	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलॉजी, मुम्बई	2008
52.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़, मुम्बई	1985
53.	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, सतारा	2005
54.	एम.जी.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुम्बई	2006
55.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्डीज, मुम्बई	2003
56	पदमश्री डॉ0 डी.वाई पाटिल विद्यापीठ, मुम्बई	2002
57.	प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अहमदनगर	2003
58.	सिम्बायोसिस इंटरनेशनल एजूकेशन सेंटर, पुणे	2002
59.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई	2002
60.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज, मुम्बई	1964
61.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	1987
	ओड़ीशा	
62.	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	2002
63.	शिक्षा "ओ" अनुसंधान, भुवनेश्वर	2007
	पंजाब	
64.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एल.आई.ई.टी.), संगरूर	2007
65.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, पटियाला	1985
	राजस्थान	
66.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	1983
67.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड सांइस, पिलानी	1964
68.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन, सरदार शहर, जिला चूरू	2002
69.	आई.आई.एस. यूनिवर्सिटी, जयपुर	2009
70.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, नागपुर	1991
71.	जर्नाधन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	1987
72.	एल.एन.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, जयपुर	2006
73.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एण्ड रिसर्च, लक्ष्मनगढ़, जिला सीकर	2004
	तमिलनाडु	
74.	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग, चेन्नई	2007
75.	अमृत विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बटूर	2003
76.	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर	1988
77.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2002

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
78.	बी.एस. अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2008
79.	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई	2006
80.	चेतिनद अकादमी ऑफ रिसर्च एण्ड एजूकेशन (के.ए.आर.ई.), काँचीपुरम	2008
81.	डॉ0 एम.जी.आर. एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	2003
82.	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट	1976
83.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस(हिट्स), काँचीपुरम	2008
84.	कलाशलिंगम अकादमी ऑफ रिसर्च एचड हायर एजूकेशन, श्रीविलिपुत्तूर	1988
85.	करपागम आकदमी ऑफ हायर एजूकेशन, कोयम्बटूर	2008
86.	कारूण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज, कोयम्बटूर	2004
87.	मीनाक्षी अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2004
88.	नूरूल इस्लाम सेंटर फार हायर एजूकेशन, कन्याकुमारी	2008
89.	पेरियार मनिअमाई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, थंजावुर	2007
90.	पुनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, थंजावुर	2008
91.	राजीव गाँधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरेम्बुदूर	2008
92.	एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2002
93.	सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2001
94.	सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड टैक्निकल साइंसेज, चेन्नई	2005
95.	षणमुगा आर्टस साइंस टैक्नोलॉजी एण्ड रिसर्च अकादमी, थंजावुर	2001
96.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, काँचीपुरम	1993
97.	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई	1994
98.	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चेन्नई	2008
99.	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वेल्लोर	2001
100.	वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी एण्ड एडवान्स्ड स्टडीज(विस्टास), चेन्नई	2008
101.	वेलटेक रंगाराजन डॉ0 शगुन्थला आर. एण्ड डी. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, चेन्नई	2008
102.	विनायक मिशन्स रिसर्च फाउन्डेशन, सलेम	2001
	उत्तर प्रदेश	
103.	भारतखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ	2000
104.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्टडीज, वाराणसी	1988
105.	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	1981
106.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, इलाहाबाद	2000
107.	इंडियन वेट्नेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर	1983

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष
108.	जे.पी. इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टैक्नोलॉजी, नोयडा	2004
109.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	2008
110.	सैम हिग्निबोटम इंस्टि्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसिज, इलाहाबाद	2000
111.	शोबित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मेरठ	2006
112.	संतोष यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद	2007
	उत्तराखण्ड	
113.	ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, देहरादून	2008
114.	फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	1991
115.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1962
116.	एच.आई.एच.टी. यूनिवर्सिटी, देहरादून	2007
	पश्चिम बंगाल	
117.	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेलूर मठ, जिला हावड़ा	2005
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	
118.	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली	1958
119.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	2002
120.	इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भगवानदास रोड, नई दिल्ली	2004
121.	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एण्ड बाइलियरी सांइसिज, नई दिल्ली	2009
122.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली	1989
123.	नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंसर्वेशन एण्ड म्यूजिकोलॉजी, जनपथ, नई दिल्ली	1989
124.	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली	2006
125	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जनकपुरी, नई दिल्ली	2002
126	स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली	1979
127.	श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	1987
128	टी.ई.आर.आई. स्कूल ऑफ एडवान्स स्टडीज, लोदी रोड, नई दिल्ली	1999
	पुदुचेरी (संघ शासित प्रदेश)	
129.	श्री बालाजी विद्यापीठ, पिल्लैयार्कुप्पम	2008

परिशिष्ट-II

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे राज्य विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं

राज्य विश्वविद्यालय की सूची जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ख) के अन्तर्गत शामिल किया गया है और जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
	आन्ध्र प्रदेश
1.	आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500030
2.	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम – 530003
3.	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, नागार्जुन नगर, गुंटूर – 522510
4.	द्रविड़यन यूनिवर्सिटी, कुप्पम – 517425
5.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जुबली हिल्स, हैदराबाद – 500033
6.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500072
7.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा
8.	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर
9.	काकतीया यूनिवर्सिटी, वारंगल – 506009
10.	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, पनगल, नलगोण्डा – 500803, आन्ध्र प्रदेश (पहले इस विश्वविद्यालय का नाम नलगोण्डा विश्वविद्यालय था)
11.	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्ट्डीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हैदराबाद– 500027
12.	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद – 500007
13.	पोट्टी श्रीरामुलू तेलगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500004
14.	श्री कृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तापुर – 515003
15.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति – 517502
16.	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति – 517507
17.	श्री वेंकटेश्वरा इस्टीटयूट आफ मेडीकल साइंसेज, तिरूपति – 517507
18.	तेलंगना यूनिवर्सिटी, निजामाबाद – 503002*

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
19.	योगी वेमाना यूनिवर्सिटी, वेमानापुरम, कदप्पा – 516003
	असम
20	असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहट – 785013
21.	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रुगढ़ – 786004
22.	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी – 781014
	बिहार
23	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर – 842001
24	भूपेन्द्र नारायन मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा – 852113
25	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल स्टडीज़ कैम्पस, गांधी मैदान, पटना – 800001
26	जय प्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा 841301
27	के.एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा – 846008
28	ललित नारायन मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा – 846008
29	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया – 824234
30	पटना यूनिवर्सिटी, पटना – 800005
31	राजेन्द्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, समस्तीपुर – 848125
32	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर – 812007
33	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा – 802301
	छत्तीसगढ़
34	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सिविल लाइन, रायपुर – 492001
35	इन्दिरा गाँधी कृषि यूनिवर्सिटी, रायपुर – 492006
36	इन्दिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ – 491881
37	पण्डित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर – 492010
	गोवा
38	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा – 403206
	गुजरात
39	महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी, भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर – 364002
40	धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, कॉलेज रोड़, नाडियाड – 387001 (गुजरात) (सम विश्वविद्यालय से राज्य विश्वविद्यालय में बदला गया)
41	गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार क्रूशीनगर, बनसकाँथा – 385506
42	गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर – 361008

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
43	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अट्टालिका एवेन्यू, नालेज कॉरीडोर, कोबा, गाँधीनगर – 382007
44	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद – 380009
45	हेमचन्द्र आचार्य नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पी.बी. नम्बर 21, यूनिवर्सिटी रोड़, पाटन – 384265
46	महाराजा सायाजीरॉव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोढ़रा – 390002
47	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर – 388120
48.	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट – 360005
49.	वीर नारमद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत–395007
	हरियाणा
50	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलॉ, सोनीपत, हरियाणा
51	चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा
52	चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार – 125004
53	दीनबन्धु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मुरूथल, हरियाणा
54	पं. भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज, रोहतक, हरियाणा
55	गुरू जम्भेश्वर यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार– 125001
56	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र– 136119
57	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक – 124001
58	वाईएमसीए यूनिविर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, फरीदाबाद–121006, हरियाणा
	हिमाचल प्रदेश
59	डॉ. वाई.एस. परमार युनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फॉरेस्टरी यूनिवर्सिटी, नौनी– 173230
60	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला – 171005
61	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पालमपुर – 176062
	जम्मू और कश्मीर
62	बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, राजौरी कैम्प ऑफिस, बाईपास रोड़, चुन्नी हिम्मत के सामने, जम्मू*
63	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मूतवी 180006
64	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर – 190006
65	शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, श्रीनगर – 191121
66	श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी, कैम्प ऑफिस : 27 ए/डी, गांधीनगर, जम्मू – 180004
	झारखण्ड
67	बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राँची – 834006
68	राँची यूनिवर्सिटी, राँची – 834001

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
69	सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, दुमका – 814101
70	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग – 825301
	कर्नाटक
71	बंगलूरू यूनिवर्सिटी, बंगलूरू – 560056
72	दावनगिरी यूनिवर्सिटी, शिवगंगोत्री, दावनगिरी – 577002 कर्नाटक (राज्य विश्वविद्यालय)
73	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा – 585106
74	कन्नड यूनिवर्सिटी, हम्पी, बेलारी डिस्ट्रिक्ट, कमालपुरा – 583276
75	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़ – 580003
76	कर्नाटक स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी, बीजापुर – 586101 (कर्नाटक)
77	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शंकरघट्टा – 577451
78	मैंगलोर यूनिवर्सिटी, मैंगलोर – 574199
79	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर – 570005
80	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरू–560072
81	तुमकुर यूनिवर्सिटी, टुमकुर, प्रथम तल, डा. बी.आर. अम्बेडकर भवन, एमजी रोड़, तुमकुर – 572101 कर्नाटक*
82	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलूरू– 560065
83	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, धारवाड़ – 580005
	केरल
84	कालीकट यूनिवर्सिटी, तिरछी पालारी, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट, कोझीकोड – 673635
85	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची– 682022
86	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर– 670562
87	केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, थ्रीसूर – 680656
88	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूवन्नतपुरम – 695034
89	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, कोट्टायम – 686560
90	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी – 683574
	मध्य प्रदेश
91	अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा – 486003
92	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल – 462026
93	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर– 452001
94	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482004
95	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर – 474011

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
96	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट – 485331, डिस्ट्रिक्ट सतना
97	एम.पी.भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी, भोपाल– 462016
98	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भादभादा रोड, बारकेरी कलां, भोपाल
99	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल – 462036
100	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर – 482001
101	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन – 456010
	महाराष्ट्र
102	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद – 431004
103	डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे– 402103
104	डॉ, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला– 444104
105	कवि कुलगुरू कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर– 441106
106	कोंकण कृषि विद्यापीठ दपोली, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरि–415712
107	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी – 413722
108	मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, परभानी– 431402
109	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई – 400032
110	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव– 425001
111	पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे– 411007
112	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती– 444602
113	शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर – 416004
114	श्रीमती नाथीबाई दमोदर थाकरसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई – 400020
115	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नादेंड – 431606
116	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक – 440001
117	दि राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर – 422222 (एमएस)
	ओड़ीशा
118	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर – 760007
119	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर – 596019
120	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पीओ बॉक्स–28, कटक – 753001 ओड़ीशा
121	नार्थ ओडीशा यूनिवर्सिटी, बारीपेडा, डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज – 757003, भुवनेश्वर
122	ओडीशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, भुवनेश्वर – 751003
123	रावेनशाह यूनिवर्सिटी, कटक – 753003,

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
124	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी, सम्भलपुर – 768019 – 752003
125	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी
126	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर 751004
127	वीर सुरेन्द्र सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पी.ओ. बुरला इंजीनियरिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट सम्बलपुर, ओडीशा
	पंजाब
128	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिक्ल साइंसेज, सादीक रोड़, फरीदकोट – 151203
129	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर – 143005
130	गुरू अंगद देव वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004
131	पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना – 141004
132	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला – 147002
133	द राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला – 147001
	राजस्थान
134	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर – 342011
135	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा – 324010
136	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर – 305009
137	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर – 313001
138	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर – 342004
139	राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बीकानेर – 334006
140	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर – 302004
141	यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा (राजस्थान)
	तमिलनाडु
142	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, अलगपा नगर, कराईकुडी – 630003
143	अन्ना यूनिवर्सिटी, गुंडई, चेन्नई – 600025*#
144	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर– 608002
145	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर – 641046
146	भारथीदासन यूनिवर्सिटी, त्रिचुरापल्ली – 620024
147	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600005
148	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई – 625021
149	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली – 627012
150	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडाईकनाल – 624102

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
151	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम – 636011
152	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर– 613005
153	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर – 641003
154	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई – 600028
155	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी अन्ना सलाई, चेन्नई – 600032
156	तमिलनाडु वेट्रिनेरी एण्ड एनीमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, चेन्नई– 600051
	उत्तर प्रदेश
157	बुंदेलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी – 284128
158	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, कानपुर – 208002
159	छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर – 208024
160	चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ –250005
161	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर – 273009
162	डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद – 224001
163	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा – 282004
164	डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर – डी–1, एल.डी. 'ए', कानपुर रोड़ स्कीम, लखनऊ
165	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ – 226007
166	एम.जे.पी. रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली – 243006
167	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी – 221002
168	नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, फैजाबाद – 224229
169	सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी– 221002
170	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर – 222002
	उत्तराखण्ड
171	दून यूनिवर्सिटी, कैम्पस ऑफिस, 388/2, इंदिरा नगर, देहरादून
172	जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एण्ड टैक्नोलॉजी, पंतनगर– 263145
173	कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल– 263001
	पश्चिम बंगाल
174	बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नादिया – 741252
175	वर्द्धमानयूनिवर्सिटी, राजबाती, वर्द्धमान– 713104
176	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता – 700073

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
177	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता– 700032
178	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी– 741235
179	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, राजा राम मोहनपुर, दार्जलिंग– 734430
180	प्रेजीडेंसी यूनिवर्सिटी, 86/1 कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता– 700073, पश्चिम बंगाल
181	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता– 700050
182	द बंगाल इंजीनियरिंग एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी, शिवपुर, हावड़ा– 711103 (डीम्ड यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटी में परिवर्तित)
183	द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस, एनयूजेएस भवन, 12 एलबी ब्लॉक, सेक्टर–3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता
184	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर– 721102
185	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, बीएफ–142, साल्ट लेक, कोलकाता – 700091
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
186	दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद दौलतपुर, बवाना रोड़, दिल्ली (राज्य विश्वविद्यालय)
187	गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली– 110006
188	इन्द्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नियर गोविन्दपुरी मेट्रो स्टेशन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस–3, नई दिल्ली – 110020
189	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली
190	भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आईआईटी कैम्पस प्लॉट नं. 13, सेक्टर–9, द्वारका, नई दिल्ली–110075
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चण्डीगढ़
191	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़– 160014

परिशिष्ट-III

1984–85 से 2012–2013 तक समग्र भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि

वर्ष	कुल नामांकन	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	प्रतिशतता
1984-85	3404096	96447	2.9
1985-86	3605029	200933	5.9
1986-87	3757158	152129	4.2
1987-88	4020159	263001	7.0
1988-89	4285489	265330	6.6
1989-90	4602680	317191	7.4
1990-91	4924868	322188	7.0
1991-92	5265886	341018	6.9
1992-93	5534966	532939	5.6
1993-94	5817249	282283	5.1
1994-95	6113929	296680	5.1
1995-96	6574005	460076	7.5
1996-97	6842598	268593	4.1
1997-98	7260418	417820	6.1
1998-99	7705520	445102	6.1
1999-2000	8050607	345087	4.5
2000-01	8399443	348836	4.3
2001-02	8964680	565237	6.7
2002-03	9516773	552093	6.2
2003-04	10201981	685208	7.2
2004-05	11038543	836562	8.2
2005-06	12043050	1004507	9.1
2006-07	13163054	1120004	9.3
2007-08	14400381	1237327	9.4
2008-09	15768417	1368036	9.5
2009 -10	17243352	1474935	9.4
2010-11	18670050	1426698	8.3
2011-12*	20327478	1657428	8.9
2012-13*	21501154	1173676	5.8

* अनन्तिम आंकड़े

कवरेजः विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से संम्बद्ध नियमित पाठयक्रमों के आकडें (बहुकला संस्थानों, अन्य डिप्लोमा प्रदान करने वाली अन्य उच्चतर शिक्षा की अनौपचारिक प्रणालियों को छोडकर)

परिशिष्ट-IV

2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों का राज्यवार नामांकन*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	2014324	801091	39.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	20495	7599	37.08
3.	असम	304471	146833	48.23
4.	बिहार	1033946	398408	38.53
5.	छत्तीसगढ़	385939	143379	37.15
6.	दिल्ली	298724	138480	46.36
7.	गोवा	27792	16760	60.31
8.	गुजरात	1126391	490478	43.54
9.	हरियाणा	514755	223118	43.34
10.	हिमाचल प्रदेश	147646	74812	50.67
11.	जम्मू और कश्मीर	213161	102154	47.92
12.	झारखण्ड	440437	177383	40.27
13.	कर्नाटक	1074652	502941	46.80
14.	केरल	512445	298430	58.24
15.	मध्य प्रदेश	1191799	448834	37.66
16.	महाराष्ट्र	2457257	1076786	43.82
17.	मणिपुर	50589	23202	45.86
18.	मेघालय	47224	25414	53.82
19.	मिजोरम	16901	8082	47.82
20.	नागालैण्ड	23611	11948	50.60
21.	उड़ीसा	587083	240433	40.95
22.	पंजाब	519650	257274	49.51
23.	राजस्थान	1350685	530550	39.28
24.	सिक्किम	12241	5008	40.91
25.	तमिलनाडु	2038682	1002956	49.20

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिलाओं की प्रतिशतता
26.	त्रिपुरा	46224	20079	43.44
27.	उत्तर प्रदेश	3365847	1428778	42.45
28.	उत्तराखण्ड	306221	135014	44.09
29.	पश्चिम बंगाल	1242786	506391	40.75
30.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4151	2387	57.50
31.	चण्डीगढ़	67235	33867	50.37
32.	दादरा एवं नगर हवेली	2120	996	46.98
33.	दमन एवं द्वीप	949	561	59.11
34.	लक्षद्वीप	429	175	40.79
35.	पुदुचेरी	54292	25802	47.52
	कुल	21501154	9306403	43.28

***अनन्तिम**

परिशिष्ट-V

2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों का स्तर–वार नामांकन*

क्र.सं.	स्तर	विश्वविद्यालय विभाग/ विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय	सम्बद्ध कॉलेज	कुल (कुल जोड़ का प्रतिशत)	सम्बद्ध कॉलेजों में प्रतिशतता
1.	स्नातक	1939170	16530509	18469679 (85.90)	89.50
2.	स्नातकोत्तर	722023	1889643	2611666 (12.15)	72.35
3.	शोध	139079	41495	180574 (0.84)	22.98
4.	डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र	143724	95511	239235 (1.11)	39.92
	कुल जोड़	**2943996**	**18557158**	**21501154 (100.00)**	**86.31**

* अनन्तिम

नोट : शोध में एम.फिल. और पी.एच.डी. शामिल हैं।

परिशिष्ट-VI

संकायवार* : छात्रों का नामांकन : 2012–2013

क्र.सं.	संकाय	कुल नामांकन	कुल की प्रतिशतता
1.	कला	8157308	37.94
2.	विज्ञान	3992007	18.56
3.	वाणिज्य/प्रबंधन	3762003	17.50
4.	शिक्षा	741905	3.45
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	3333165	15.50
6.	औषधि विज्ञान	752277	3.50
7.	कृषि विज्ञान	103013	0.48
8.	पशु विज्ञान	29325	0.14
9.	विधि	400815	1.86
10.	अन्य	229336	1.07
	कुल	**21501154**	**100.00**

* अनन्तिम

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा आदि सम्मिलित है।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित है।

चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, नर्सिंग, भेषज, जन स्वास्थ्य/समाजिक निवारक औषधि, युनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु चिकित्सा संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-VII

वर्ष 2012–2013 के दौरान महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या एवं वर्ष 2008–2009 से वर्ष 2012–2013 तक महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2008–2009 (यूसी+एसी)	2009–2010 (यूसी+एसी)	2010–2011* (यूसी+एसी)	2011–2012* (यूसी+एसी)	2012–2013* (यूसी+एसी)	वर्ष 2008–2009 से 2012–13 के दौरान हुई वृद्धि
1.	आंध्र प्रदेश	3648	3985	4066	4550	4881	1233
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	16	16	17	17	1
3.	असम	481	486	507	507	571	90
4.	बिहार	671	653	653	706	695	24
5.	छत्तीसगढ़	508	619	641	681	696	188
6.	गोवा	46	54	54	60	60	14
7.	गुजरात	1420	1818	1836	1849	2020	600
8.	हरियाणा	851	850	902	976	992	141
9.	हिमाचल प्रदेश	270	309	344	348	349	79
10.	जम्मू एवं कश्मीर	260	322	322	314	362	102
11.	झारखण्ड	188	224	231	231	239	51
12.	कर्नाटक	2765	2924	3078	3370	3454	689
13.	केरल	947	928	1063	1063	1250	303
14.	मध्य प्रदेश	1871	2008	2236	2364	2406	535
15.	महाराष्ट्र	3849	4329	4631	4836	4862	1013
16.	मणिपुर	75	76	76	80	85	10
17.	मेघालय	64	64	64	69	69	5
18.	मिजोरम	28	28	28	28	28	0
19.	नागालैण्ड	51	54	55	58	60	9
20.	उड़ीसा	840	1076	1100	1117	1134	294
21.	पंजाब	569	853	852	978	1004	435
22.	राजस्थान	1456	2347	2412	2753	2791	1335
23.	सिक्किम	13	14	15	15	15	2

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2008–2009 (यूसी+एसी)	2009–2010 (यूसी+एसी)	2010–2011* (यूसी+एसी)	2011–2012* (यूसी+एसी)	2012–2013* (यूसी+एसी)	वर्ष 2008–2009 से 2012–13 के मध्य हुई वृद्धि
24.	तमिलनाडु	1337	2204	2267	2410	2605	1268
25.	त्रिपुरा	32	33	39	40	47	15
26.	उत्तर प्रदेश	2181	3818	3859	4440	4787	2606
27.	उत्तराखण्ड	279	360	360	413	413	134
28.	पश्चिम बंगाल	889	841	889	896	942	53
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	4	6	6	6	6	2
30.	चण्डीगढ़	21	25	25	27	27	6
31.	लक्षद्वीप	1	3	3	3	3	2
32.	दमन एवं दीव	4	3	4	4	4	0
33.	दिल्ली	234	240	240	240	240	6
34.	दादरा एवं नागर हवेली	3	4	4	4	4	1
35.	पुदुचेरी	82	86	86	86	86	4
	कुल	**25954**	**31660**	**32964**	**35539**	**37204**	**11250**

* अनन्तिम :यू.सी.: यूनिवर्सिटी कॉलेज; ए.सी. : सम्बद्ध कॉलेज

परिशिष्ट-VIII

वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों** में पद के अनुसार शिक्षण से जुड़े कर्मचारिवृंदों की संख्या एवं उनका संवितरण

वर्ष	प्रोफेसर*	उपाचार्य/एसोशिएट प्रोफेसर/व्याख्याता (चयनित ग्रेड)	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	ट्यूटर/निदर्शक	कुल
2012-13	28587 (17.22)	39251 (23.65)	18348 (11.06)	72348 (43.59)	7430 (4.48)	165964 (100.00)

** ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सम्मिलित हैं जोकि प्रोफेसरों के समतुल्य हैं।*

*** अनन्तिम*

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकडें कुल कर्मचारिवृंदों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता है।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/विजिटिंग अध्यापक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि सहायक आचार्य/व्याख्याता में सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-IX

वर्ष 2012–2013 के दौरान सम्बद्ध महाविद्यालयों** में पदानुसार शैक्षणिक कर्मचारिवृंदों की संख्या एवं उनका संवितरण

वर्ष	प्रोफेसर*	उपाचार्य/एसोशिएट प्रोफेसर/व्याख्याता (चयनित ग्रेड)	व्याख्याता (वरिष्ठ वेतनमान)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	ट्यूटर/निदर्शक	कुल
2012-13	56667 (7.21)	177733 (22.62)	91386 (11.63)	441070 (56.12)	19019 (2.42)	785875 (100.00)

* *ऐसे प्रधानाध्यापक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक सम्मिलित हैं जोकि प्रोफेसरों के समतुल्य हैं।*

** *अनन्तिम*

टिप्पणी : (क) लघु कोष्ठकों में दिए गए आँकड़ें कुल कर्मचारिवृंदों की तुलना में संवर्गों की प्रतिशतता है।

(ख) अंशकालिक/तदर्थ/अनुबंधात्मक/विजिटिंग अध्यापक/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आदि सहायक आचार्य/व्याख्याता में सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-X

वर्ष 2010–2011 एवं 2011–2012 के दौरान प्रदान की गयी एम.फिल. एवं डॉक्टरेट (पीएच.डी.) डिग्रियों की संकायवार संख्या

क्र.सं.	संकाय	2010–2011		2011–2012*	
		एम.फिल.	पी.एच.डी.	एम.फिल.	पी.एच.डी.
1	कला	4739	4998	5843	5642
2	विज्ञान	4449	5271	3874	5607
3	वाणिज्य/प्रबंधन	1549	1259	1780	1305
4	शिक्षा	483	645	520	617
5	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	46	1682	38	2098
6	औषधि विज्ञान	47	601	137	617
7	कृषि विज्ञान	75	586	96	564
8	पशु विज्ञान	24	162	19	194
9	विधि	17	223	42	159
10	अन्य	1045	666	1342	828
	कुल जोड़	**12474**	**16093**	**13691**	**17631**

*****_अनन्तिम आकंड़े_

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा आदि सम्मिलित है।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में विद्या वरिधि एवं वाचस्पति सम्मिलित हैं।

चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, नर्सिंग, भेषज, जन स्वास्थ्य/समाजिक निवारक औषधि, युनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

नोट : वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के आंकड़े क्रमशः 400 और 452 विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं।

परिशिष्ट-XI

संकायवार* : महिला नामांकन: 2012—2013

क्र.सं.	संकाय	महिला नामांकन	महिला नामांकन की कुल प्रतिशतता
1.	कला	3969715	42.66
2.	विज्ञान	1775319	19.07
3.	वाणिज्य/प्रबंधन	1504335	16.16
4.	शिक्षा	442656	4.76
5.	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी	982277	10.55
6.	औषधि विज्ञान	391057	4.20
7.	कृषि विज्ञान	27812	0.30
8.	पशु विज्ञान	8073	0.09
9.	विधि	115296	1.24
10.	अन्य	89863	0.97
	कुल जोड़	9306403	100.00

* अनन्तिम

कला संकाय में मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा आदि सम्मिलित है।

विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षा संकाय में शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विद्या वरिधि एवं वाचस्पति आदि सम्मिलित हैं।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संकाय में कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी एवं वास्तुकला आदि सम्मिलित है।

चिकित्सा संकाय में आयुर्वेद, दंत चिकित्सा, होम्योपैथी, नर्सिंग, भेषज, जन स्वास्थ्य/समाजिक निवारक औषधि, युनानी, तिबिया, भौतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं सिद्ध चिकित्सा आदि सम्मिलित हैं।

कृषि संकाय में बागवानी, रेशम उत्पादन एवं वानिकी आदि सम्मिलित हैं।

पशु चिकित्सा संकाय में मत्स्य पालन, डेयरी विज्ञान, पशु विज्ञान आदि सम्मिलित हैं।

अन्य में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संगीत, प्रदर्शन/दृश्य कला, पत्रकारिता एवं जनसंचार, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक कार्य आदि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट-XII

वर्ष 1997—1998 से वर्ष 2012—2013 तक महिला महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	महिला महाविद्यालयों की संख्या
1997-1998	1260
1998-1999	1359
1999-2000	1503
2000-2001	1578
2001-2002	1756
2002-2003	1824
2003-2004	1871
2004-2005	1977
2005-2006	2071
2006-2007	2208
2007-2008	2360
2008-2009	2565
2009-2010	3612
2010-2011 *	3982
2011-2012 *	4266
2012-2013*	4386

* अनन्तिम एवं महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेजों सहित।

परिशिष्ट-XIII

वर्ष 2012–2013 के दौरान योजनागत, गैर–योजनागत एवं नियत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे 24 समविश्वविद्यालयों की सूची

	योजनागत एवं गैर–योजनागत (शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)
1	अविनाशलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फॉर वीमेन, कोयम्बटूर–641043 (तमिलनाडु)
2	दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा – 282005(उत्तर प्रदेश)
3	गाँधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गाँधीग्राम, डिडिगुल–624302 (तमिलनाडु)
4	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014 (गुजरात)
5	*गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404 (उत्तरांचल) **
6	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति–517507(आंध्र प्रदेश)
7	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110016
8	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, सियान ट्राम्बे रोड, मुम्बई–400088 (महाराष्ट्र)
	योजनागत एवं नियत अनुरक्षण अनुदान
9	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062
10	*श्री चन्द्रशेखरेन्द्रा सरस्वती विश्व महाविद्यालय, एनाथूर, काँचीपुरम –631552 (तमिलनाडु)
	केवल योजनागत अनुदान
11	बनस्थली विद्यापीठ, पी0ओ0 बनस्थली विद्यापीठ–304022(राजस्थान)
12	*बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी विद्या विहार –333031(राजस्थान)
13	*बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी , मेसरा, राँची –835215 (झारखण्ड)
14	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्तन स्ट्डीज, सारनाथ, वाराणसी –221007(उ0प्र0)
15	डेक्कन कॉलेज पोस्ट–ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे–411006, (महाराष्ट्र)
16	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनामिक्स, शिवाजी नगर, डेक्कन जिमखाना, बीएमसीसी रोड, पुणे–4110006 (महाराष्ट्र)
17	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुम्बई–400019(महाराष्ट्र)
18	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनुन–341306 (राजस्थान)
19	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, प्रशान्ति, निलायम,–515134, अनन्तापुर जिला (आन्ध्र प्रदेश)
20	*तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे–411037 (महाराष्ट्र)**
21	*थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, थापर टैक्नोलॉजी कैम्पस, पोस्ट बैग न0 32, पटियाला–147004 (पंजाब)

22	चेन्नई मेथमेटिकल इंस्टीटयूट, हाई सिपकाट आई0टी0 पार्क, पादर पोस्ट सिरूसेरी–603103(तमिलनाडु)(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकमुश्त विशेष अनुदान प्राप्त किया)
23	इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ लॉ , भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकमुश्त विशेष अनुदान प्राप्त किया)
24	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द एजूकेशनल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट,वेल्लूर मठ, हावडा, प0 बंगाल–711202 (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकमुश्त विशेष अनुदान प्राप्त किया)

*वि0अ0आ0 ने अवधि के दौरान उपरोक्त छह मानित विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनागत आवंटन नहीं करने का निर्णय लिया चूँकि मॉडरेशन समिति ने यह नोट किया की कुछ मानित वि0वि0 को वि0अ0आ0 से योजनागत आवंटन तो प्राप्त हो रहा था तथा वे स्व–वित्तपोषित पाठयक्रम की पेशकश कर रहे थे। तथापि, उन्हें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कुछ तदर्थ अनुदान संस्वीकृत किया गया था। आयोग ने मानित विश्वविद्यालयों को वित्तपोषित करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने के हेतु एक समिति का गठन किया। इन छह मानित विश्वविद्यालयों को बारहवीं पंचवर्षीय योजनागत आवंटन नहीं किया गया है।

**आयोग ने अपनी दिनांक 22.12.2011 और 13.02.2012 को हुई बैठक में टन्डन समिति की श्रेणी "ग" के तहत आने वाले मानित विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास अनुदान संस्वीकृत नहीं करने का निर्णय लिया है।

परिशिष्ट-XIV

वर्ष 2012–2013 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली स्थित महाविद्यालयों एवं छात्रावासों तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों की सूची

क.	वि0अ0आ0 द्वारा सहायता प्राप्त दिल्ली महाविद्यालयों की सूची
श्रेणी 1: दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान)	
1	कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्ट्डीज
2	देशबन्धु कॉलेज* (दिवसीय)
3	दयाल सिंह कॉलेज (दिवसीय)
4	किरोडी मल कॉलेज*
5	मिरान्डा हाउस*
6	रामलाल आनन्द कॉलेज (दिवसीय)
श्रेणी 2 : सांध्यकालीन महाविद्यालय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्रदान किया जा रहा है।)	
7	दयाल सिंह कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
8	रामानुजम कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
9	मोतीलाल नेहरू कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
10	पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (न्यास)
11	रामलाल आनन्द कॉलेज (विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित)
12	शहीद भगत सिंह कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
13	श्याम लाल कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
14	सत्यवती कोएजूकेशनल कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
15	श्री अरबिन्दो कॉलेज (दिल्ली प्रशासन)
16	जाकिर हुसैन कॉलेज (न्यास)
श्रेणी 3: दिल्ली प्रशासन के अधीनस्थ महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एवं 5 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है।)	
17	भारती कॉलेज
18	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड कामर्स
19	विवेकानन्द कॉलेज
20	गार्गी कॉलेज*
21	कालिन्दी कॉलेज*

22	कमला नेहरू कॉलेज*
23	लक्ष्मीबाई कॉलेज*
24	मैत्रेय कॉलेज*
25	मोतीलाल नेहरू कॉलेज* (दिवसीय)
26	राजधानी कॉलेज*
27	सत्यवती कोएज्यूकेशनल कॉलेज* (दिवसीय)
28	शहीद भगत सिंह कॉलेज*(दिवसीय)
29	शिवाजी कॉलेज*
30	श्यामा प्रसाद मुखुर्जी कॉलेज फॉर वूमेन*
31	श्री अरबिन्दो कॉलेज* (दिवसीय)
32	स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज*
श्रेणी 4: न्यास द्वारा प्रबन्धित महाविद्यालय (95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एवं 5 प्रतिशत न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है।)	
33	श्री गुरू गोबिन्द सिंह कॉलेज ऑफ कामर्स
34	इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनोमिक्स
35	लेडी इरविन कॉलेज
36	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
37	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
38	जाकिर हुसैन कॉलेज (दिवसीय)
39	आत्माराम सतानधर्म कॉलेज*
40	दौलतराम कॉलेज*
41	हंसराज कॉलेज*
42	हिन्दू कॉलेज*
43	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वूमेन*
44	जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय*
45	जीसस एण्ड मेरी कॉलेज*
46	लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन*
47	माता सुन्दरी कॉलेज फॉर वीमेन*
48	पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज* (दिवसीय)
49	रामजस कॉलेज*
50	श्यामलाल कॉलेज* (दिवसीय)
51	एस.जी.टी.बी. खालसा कॉलेज* (दिवसीय)
52	श्री गुरू नानक देव खालसा कॉलेज
53	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज*

ख.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे दिल्ली महाविद्यालयों के छात्रावासों की सूची।**
1	दौलतराम कॉलेज
2	हंसराज कॉलेज
3	हिन्दू कॉलेज
4	इन्द्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन
5	किरोड़ी मल कॉलेज
6	लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन
7	लेडी इरविन कॉलेज
8	मिरान्डा हाउस
9	रामजस कॉलेज
10	सेंट स्टीफेन्स कॉलेज
11	श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स
12	जाकिर हुसैन कॉलेज (दिवसीय)
ग.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों की सूची।**
1	आर्य महिला डिग्री कॉलेज, वाराणसी, (यू.पी.)
2	डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, वाराणसी, (यू.पी.)
3	वसन्त कन्या महाविद्यालय, कामच्छा, वाराणसी, (यू.पी.)
4	वसन्त कॉलेज फॉर वीमेन, राजघाट फोर्ट, वाराणसी, (यू.पी.)
घ.	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केवल योजनागत अनुदान प्राप्त कर रहे महाविद्यालयों की सूची।**
1	आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज
2	भगिनी निवेदिता कॉलेज
3	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लॉइड साइंस
4	केशव महाविद्यालय
5	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लॉइड साइंस फॉर वीमेन
6	महाराज अग्रसेन कॉलेज
7	भीमराव अम्बेडकर कॉलेज
8	दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन
9	दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज
10	अदिती महाविद्यालय
11	सुखदेव कॉलेज फॉर एप्लाईड सांईसेज

*ऐसे विस्तारित महाविद्यालय जिनमें 1000 से अधिक छात्र नामांकित हैं वे शत–प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं और 1000 से कम छात्रों के मामले में 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करते हैं।

परिशिष्ट-XV

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित 427 स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
	आन्ध्र प्रदेश	
1	अन्ध्रा विश्वविद्यालय	15
2.	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय	13
3,	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी,	18
4	श्री कृष्णा देवराय विश्वविद्यालय	01
5	काकतीया विश्वविद्यालय	02
6	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	04
7	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, अनंतपुर	06
8	जवाहर लाल नेहरू टैक्नालॉजिकल यूनिवर्सिटी, काकीनाडा	05
9	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति	03
10	कृष्णा विश्वविद्यालय, मछलीपट्टनम	02
11	रायलसीमा विश्वविद्यालय, करनूल	03
	उप—योग	**72**
	छत्तीसगढ़	
1	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	04
2	पं0 रविशंकर विश्वविद्यालय	06
	उप—योग	**10**
	गुजरात	
1	भावनगर यूनिवर्सिटी	01
2	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी	01
	उप—योग	**02**
	हिमाचल प्रदेश	
1	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी	05
	उप—योग	**05**

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
	झारखण्ड	
1	राँची यूनिवर्सिटी	05
	उप–योग	**05**
	नागालैण्ड	
1.	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी	01
	उप–योग	**01**
	कर्नाटक	
1	बैंगलोर यूनिवर्सिटी	11
2	मैसूर यूनिवर्सिटी	07
3	मैंगलोर यूनिवर्सिटी,	07
4	कर्नाटक यूनिवर्सिटी,	02
5	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी	02
6	विश्वेश्वरैया टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,	17
7	रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी	02
8	दावानगेरे यूनिवर्सिटी	01
	उप–योग	**49**
	मध्यप्रदेश	
1	ए.पी.सिंह यूनिवर्सिटी,	04
2	बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी,	06
3	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी	08
4	डा0 हरि सिंह गौड यूनिवर्सिटी	03
5	जीवाजी यूनिवर्सिटी	03
6	रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी	07
7	विक्रम यूनिवर्सिटी	02
8	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, भोपाल	01
	उप–योग	**34**
	महाराष्ट्र	
1	एस0एन0डी0टी0 वूमेन यूनिवर्सिटी	01
2	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी	02
3	शिवाजी यूनिवर्सिटी,	03

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
4	पूणे यूनिवर्सिटी	05
5	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी,	02
6	मुम्बई यूनिवर्सिटी	06
7	संत गाडगे बाबा अमरावती युनिवर्सिटी	04
8	राष्ट्रसंत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी,	03
	उप–योग	**26**
	ओड़ीशा	
1	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी	06
2	सम्भलपुर यूनिवर्सिटी,	08
3	उत्कल यूनिवर्सिटी,	16
4	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी,	03
5	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी,	02
6	बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी,	02
	उप–योग	**37**
	राजस्थान	
1	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान	02
2	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी	01
	उप–योग	**03**
	तमिलनाडु	
1	भरथियार यूनिवर्सिटी	21
2	भारथीदासन यूनिवर्सिटी	21
3	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी	02
4	मद्रास यूनिवर्सिटी,	25
5	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी,	25
6	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी,	08
7	पेरियार यूनिवर्सिटी,	05
8	अलगप्पा यूनिवर्सिटी,	01
9	अन्ना यूनिवर्सिटी,	29
10	थ्रिवल्वुवर यूनिवर्सिटी,	08
11	तमिलनाडु स्टेट फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी	01

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
12	तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी, चेन्नई	07
	उप–योग	**153**
	पुदुचेरी	
1	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी	02
	उप–योग	**02**
	उत्तर प्रदेश	
1	इलाहाबाद यूनिवर्सिटी	01
2	यू.पी. टेक्नीकल यूनिवर्सिटी,लखनउ	01
3	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी,	01
4	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनउ	01
5	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	01
6	डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	01
7	गौतम बुद्ध टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लखनउ	05
	उप–योग	**11**
	पश्चिम बंगाल	
1	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता,	04
2	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलॉजी, कोलकाता	03
	उप–योग	**07**
	उत्तराखण्ड	
1	एच0एन0बी0 गढवाल यूनिवर्सिटी,श्रीनगर	01
2	उत्तराखण्ड टैक्निकल यूनिवर्सिटी, देहरादून	03
	उप–योग	**04**
	बिहार	
1	बी0एन0मण्डल यूनिवर्सिटी, माधेपुरा	01
	उप–योग	**01**
	पंजाब	
1	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	01
2	पंजाब टैक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर	01
3	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	01
	उप–योग	**03**

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	स्वायत्त विश्वविद्यालयों की संख्या
	जम्मू और कश्मीर	
1	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू	01
2	यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर	01
	उप–योग	**02**
	कुल	**427**

राज्यों की संख्या	:	19
विश्वविद्यालयों की संख्या	:	80
महाविद्यालयों की संख्या	:	427

परिशिष्ट-XVI

वर्ष 2012–2013 के दौरान अकादमिक स्टॉफ कॉलेजों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
	आन्ध्र प्रदेश
1)	आन्ध्र यूनिवर्सिटी वाल्टेयर, विशाखापत्नम
2)	यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद
3)	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
4)	श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरूपति
5)	जवाहर लाल नेहरू टैक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
6)	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
	असम
7)	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी
	बिहार
8)	बी.आर.ए. बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर, बिहार
9)	पटना यूनिवर्सिटी, बारीपत, दरियापुर, पटना
	छत्तीसगढ़
10)	पं० रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर
11)	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, जी.जी.यू. कैम्पस, बिलासपुर
	दिल्ली
12)	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली
13)	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
14)	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
	गोवा
15)	गोवा यूनिवर्सिटी, तेलेंगाव, प्लेटेयो, गोवा
	गुजरात
16)	गुजरात यूनिवर्सिटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद
17)	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट
18)	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात
	हरियाणा
19)	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
20)	बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत
21)	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, हिसार
	हिमाचल प्रदेश
22)	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला
	झारखण्ड
23)	राँची यूनिवर्सिटी, मोराबादी कैम्पस, राँची
	जम्मू और कश्मीर
24)	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू
25)	यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर, हजरतबल, श्रीनगर
	कर्नाटक
26)	बंगलूरू यूनिवर्सिटी, बंगलोर
27)	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़
28)	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, मैसूर
	केरल
29)	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कालीकट
30)	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, करियावट्टम
31)	कन्नूर यूनिवर्सिटी, कन्नूर
	मध्य प्रदेश
32)	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
33)	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर
34)	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
35)	लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजूकेशन, ग्वालियर
	महाराष्ट्र
36)	डॉ0 बी.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
37)	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, विद्या नागरी, मुम्बई
38)	नागपुर यूनिवर्सिटी, अम्बाविहार, नागपुर
39)	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, गनेशखिण्ड, पुणे
40)	संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती
	मणिपुर
41)	मणिपुर यूनिवर्सिटी, कॉंचीपुर, इम्फाल
	मेघालय
42)	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग

क्र.सं.	राज्य / विश्वविद्यालय
	मिजोरम
43)	मिजोम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल
	ओड़ीशा
44)	उत्कल यूनिवर्सिटी, वानी विहार, भुवनेश्वर
45)	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, ज्योति विहार, सम्बलपुर
	पुदुचेरी
46)	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, लॉसपेट, पाण्डिचेरी
	पंजाब
47)	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर
48)	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़
49)	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
	राजस्थान
50)	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर
51)	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर
52)	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर
	तमिलनाडु
53)	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर
54)	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली
55)	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेपक, चेन्नई
56)	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, पलकालाई नगर, मदुराई
	उत्तर प्रदेश
57)	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़
58)	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद
59)	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
60)	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर
61)	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ
	उत्तरांखण्ड
62)	कुमायूँ यूनिवर्सिटी, नैनीताल
	पश्चिम बंगाल
63)	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान
64)	यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता
65)	जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता
66)	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिलीगुड़ी, दार्जलिंग

परिशिष्ट-XVII

वर्ष 2012–2013 के दौरान वि0अ0आ0–नेट विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय कोड	विषय का नाम
1	01	अर्थशास्त्र
2	02	राजनीति विज्ञान
3	03	दर्शनशास्त्र
4	04	मनोविज्ञान
5	05	समाज विज्ञान
6	06	इतिहास
7	07	मानव विज्ञान
8	08	वाणिज्य
9	09	शिक्षा शास्त्र
10	10	सामाजिक कार्य
11	11	रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन
12	12	गृह विज्ञान
13	14	लोक प्रशासन
14	15	जनसंख्या अध्ययन
15	16	संगीत
16	17	प्रबंधन
17	18	मैथिली
18	19	बंगला
19	20	हिन्दी
20	21	कन्नड़ भाषा
21	22	मलयालम भाषा
22	23	उड़िया भाषा
23	24	पंजाबी भाषा
24	25	संस्कृत भाषा

क्र.सं.	विषय कोड	विषय का नाम
25	26	तमिल भाषा
26	27	तेलुगू भाषा
27	28	उर्दू भाषा
28	29	अरबी भाषा
29	30	अंग्रेजी
30	31	भाषा विज्ञान
31	32	चीनी भाषा
32	33	डोगरी भाषा
33	34	नेपाली भाषा
34	35	मणिपुरी भाषा
35	36	असमिया भाषा
36	37	गुजराती भाषा
37	38	मराठी भाषा
38	39	फ्रेंचभाषा
39	40	स्पेनिश भाषा
40	41	रूसी भाषा
41	42	फारसी भाषा
42	43	राजस्थानीभाषा
43	44	जर्मन भाषा
44	45	जपानी भाषा
45	46	प्रौढ़ शिक्षा/अनुवर्ती शिक्षा/एण्ड्रागोगी/अनौपचारिक शिक्षा
46	47	शारीरिक शिक्षा
47	49	अरबी संस्कृति तथा इस्लामिक अध्ययन
48	50	भारतीय संस्कृति
49	55	श्रम कल्याण/कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/श्रम तथा समाज कल्याण/मानव संसाधन प्रबंधन
50	58	विधि शास्त्र
51	59	पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान
52	60	बौद्ध, जैन, गाँधी तथा शांति अध्ययन

क्र.सं.	विषय कोड	विषय का नाम
53	62	धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन
54	63	जन संचार तथा पत्राचार
55	65	कला प्रदर्शन – नृत्य, नाटक, मंच
56	66	म्यूजियोलॉजी एण्ड कंर्जवेशन
57	67	आर्कियोलॉजी
58	68	अपराध विज्ञान
59	70	जनजातीय तथा प्रादेशिक भाषा/साहित्य
60	71	लोक साहित्य
61	72	तुलनात्मक साहित्य
62	73	संस्कृत परंपरागत विषय(ज्योतिष / सिद्धांत ज्योतिष/नव्य व्याकरण/व्याकरण/मीमांसा/नव्य न्याय/सांख्य योग/तुलनात्मक दर्शन/शुक्ल यजुर्वेद/मध्व वेदांत/धर्मशास्त्र/साहित्य/पुराण इतिहास/अगम/अद्वैत वेदांत)
63	74	महिला अध्ययन
64	79	दृश्य कला (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग/ शिल्प/ग्राफिक्स/अप्लाइड आर्ट/कला का इतिहास)
65	80	भूगोल
66	81	सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य
67	82	फॉरेंसिक विज्ञान
68	83	पालि भाषा
69	84	कश्मीरी भाषा
70	85	कोंकणी भाषा
71	87	कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग
72	88	इलेक्ट्रानिक विज्ञान
73	89	पर्यावरण विज्ञान
74	90	अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय अध्ययन
75	91	प्राकृत भाषा
76	92	मानव अधिकार तथा कर्तव्य
77	93	पर्यटन प्रशासन तथा प्रबंधन
78	94	बोडो भाषा

परिशिष्ट-XVIII

वर्ष 2012–13 के दौरान सी.एस.आई.आर,–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित विज्ञान विषयों की सूची

क्र.सं.	विषय
1.	रासायनिक विज्ञान
2.	पृथ्वी, वायुमण्डल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान
3.	जीव विज्ञान
4.	गणित विज्ञान
5.	शारीरिक विज्ञान

परिशिष्ट-XIX

वर्ष 2012–2013 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा हेतु समन्वयकर्त्ता संस्थानों की सूची

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
01	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़–202 002
02	यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद–211 002
03	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम–530 003
04	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर–791 112
05	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी–221 005
06	बंगलूरू यूनिवर्सिटी, बंगलूरू–560 056
07	एम.पी.भोज ओपन यूनिवर्सिटी, शिवाजी नगर, भोपाल–462 016
08	बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर–760 007
09	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर–641 046
10	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली–620 024
11	यूनिवर्सिटी ऑफ वर्द्धमान, वर्द्धमान–713 104
12	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता–700 073
13	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, कोझीकोड–673 635
14	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ–250 005
15	छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर–208 024
16	कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, कोच्ची–682 022
17	गुरू गोबिन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय,नई दिल्ली–110075 (जून 2012 में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा हेतु)
18	किरोडी मल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,नई दिल्ली–110007 (दिसम्बर 2012 में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा हेतु)
19	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर–452 001

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
20	डॉ0 बी.एस.ए. मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद–431 004
21	गौहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी–781 014
22	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा–403 203
23	दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर–273 009
24	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद–380 009
25	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा–585 106
26	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर–143 005
27	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला–171 005
28	यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू तवी–180 006
29	जय नारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर–342 001
30	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर–474 011
31	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़–580 003
32	यूनिवर्सिटी ऑफ काश्मीर, श्रीनगर–190 006
33	यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, तिरूअनन्तपुरम–695 034
34	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र–132 119
35	यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ–226 007
36	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा–390 002
37	यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई–600 005
38	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई–625 021
39	मंगलोर यूनिवर्सिटी, मंगलोर–574 199
40	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल–795 003
41	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर–313 001
42	यूनिवर्सिटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई–400 032
43	नार्गाजुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर–522 510
44	नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर–440 001

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
45	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जलिंग–734 430
46	नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग–793 022
47	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद–500 007
48	पं0 रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर–492 010
49	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़–160 014
50	पटना यूनिवर्सिटी, पटना–800 005
51	यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे–411 007
52	यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर–302 004
53	राँची यूनिवर्सिटी, राँची–834 008
54	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर–482 001
55	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर–246 174
56	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर–768 019
57	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र–360 005
58	श्री वेंकेटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरूपति–517 502
59	तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर–812 007
60	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला–799 004
61	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर–751 004
62	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा–282 004
63	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर–305 009
64	मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम, पो0 बाक्स नं0 190, आइज़ौल–796 012
65	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, पो0 बाक्स नं0 341, लुमानी, कोहिमा–797 001
66	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समुह, पोर्ट ब्लेयर–744 104
67	डॉ0 अवधेशप्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा–486 003
68	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर–788 001 असम
69	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़–786 004

केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम
70	सिक्किम यूनिवर्सिटी, 6 माइल, सामदुर, पी.ओ. तडोंग–737 102
71	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर–784 028
72	महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर, राजस्थान
73	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक–124 001
74	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला–147 002
75	यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, काफोर्ड हाल, मैसूर–570 005
76	दून विश्वविद्यालय, मोथारावाला रोड, केदारपुर, पो0आ0 अजाबपुर कलान,देहरादून
77	कुमांउ विश्वविद्यालय,नैनीताल–263001
78	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी–605014

(क्रम संख्या 75 से 77 तक संस्थानों को दिसम्बर, 2010 की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–नेट परीक्षा से शामिल किया गया है)

परिशिष्ट–XX

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत (मुख्य शीर्षवार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		ईएमएमआरसी एवं सीईसी			सीईसी के अलावा आईयूसी(एस)			सम–विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान		
			क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 07		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	मु.का.									
		क्षे.का.									
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.									
		क्षे.का.									
3	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	मु.का.									
		क्षे.का.									
4	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.									
		क्षे.का.									
5	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.									
		क्षे.का.									
6	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.									
		क्षे.का.									
7	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	3.84	8.96	19.21						
		क्षे.का.									
8	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	मु.का.									
		क्षे.का.									
9	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.									
		क्षे.का.									
10	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.									
		क्षे.का.									
11	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मु.का.									
		क्षे.का.									
12	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.									
		क्षे.का.									
13	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	मु.का.									
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

दिल्ली के महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान			बीएचयू महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान			केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान			योग			समग्र योग (पेंशन + गैर–वेतन + वेतन)
क्षेत्रक 08 (i)			क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09						
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
						8170.09	2650.00	51876.75	8170.09	2650.00	51876.75	62696.84
									0.00	0.00	0.00	0.00
						3255.55	1125.00	13546.13	3255.55	1125.00	13546.13	17926.68
									0.00	0.00	0.00	0.00
						235.00	550.00	1609.03	235.00	550.00	1609.03	2394.03
									0.00	0.00	0.00	0.00
						83.88	450.00	990.22	83.88	450.00	990.22	1524.10
									0.00	0.00	0.00	0.00
						9264.26	3100.00	51388.80	9264.26	3100.00	51388.80	63753.06
									0.00	0.00	0.00	0.00
						5588.24	4800.00	23245.05	5588.24	4800.00	23245.05	33633.29
									0.00	0.00	0.00	0.00
						456.64	354.17	3157.19	460.48	363.13	3176.40	4000.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
						73.20	300.00	846.42	73.20	300.00	846.42	1219.62
									0.00	0.00	0.00	0.00
						204.81	500.00	2125.50	204.81	500.00	2125.50	2830.31
									0.00	0.00	0.00	0.00
						1053.01	1850.00	11880.75	1053.01	1850.00	11880.75	14783.76
									0.00	0.00	0.00	0.00
						1352.40	1650.00	15992.09	1352.40	1650.00	15992.09	18994.49
									0.00	0.00	0.00	0.00
						2937.70	3007.25	14735.68	2937.70	3007.25	14735.68	20680.63
									0.00	0.00	0.00	0.00
						64.88	450.00	800.24	64.88	450.00	800.24	1315.12
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 07		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
14	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.	16.39	38.25	81.95						
		क्षे.का.									
15	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.									
		क्षे.का.									
16	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल	मु.का.									
		क्षे.का.									
17	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.									
		क्षे.का.									
18	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.									
		क्षे.का.									
19	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पाण्डिचेरी	मु.का.									
		क्षे.का.									
20	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.									
		क्षे.का.									
21	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	मु.का.									
		क्षे.का.									
22	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	21.17	49.39	105.84						
		क्षे.का.									
23	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.									
		क्षे.का.									
24	विश्वभारती शान्ति निकेतन	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**41.40**	**96.60**	**207.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**41.40**	**96.60**	**207.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	सम विश्वविद्यालय										
1	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन, कोयम्बटूर	मु.का.							298.02	392.78	3012.45
		क्षे.का.									
2	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	मु.का.							92.19	199.02	1573.61
		क्षे.का.									
3	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.							295.47	436.66	2929.70
		क्षे.का.									
4	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.							171.17	388.10	2279.30
		क्षे.का.									
5	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.							177.51	530.06	2122.84
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 08 (i)			क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09			योग			समग्र योग
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
						468.28	318.75	3146.58	484.67	357.00	3228.53	4070.20
									0.00	0.00	0.00	0.00
						166.92	450.00	1378.93	166.92	450.00	1378.93	1995.85
									0.00	0.00	0.00	0.00
						182.79	750.00	4019.76	182.79	750.00	4019.76	4952.55
									0.00	0.00	0.00	0.00
						265.36	650.00	3977.65	265.36	650.00	3977.65	4893.01
									0.00	0.00	0.00	0.00
						1409.41	1592.08	10603.36	1409.41	1592.08	10603.36	13604.85
									0.00	0.00	0.00	0.00
						365.82	1100.00	5271.20	365.82	1100.00	5271.20	6737.02
									0.00	0.00	0.00	0.00
						103.52	600.00	1721.34	103.52	600.00	1721.34	2424.86
									0.00	0.00	0.00	0.00
						106.47	600.00	2035.00	106.47	600.00	2035.00	2741.47
									0.00	0.00	0.00	0.00
						484.59	500.00	2740.88	505.76	549.39	2846.72	3901.87
									0.00	0.00	0.00	0.00
						185.50	450.00	1809.68	185.50	450.00	1809.68	2445.18
									0.00	0.00	0.00	0.00
						2681.83	908.75	11410.66	2681.83	908.75	11410.66	15001.24
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39160.15**	**28706.00**	**240308.89**	**39201.55**	**28802.60**	**240515.89**	**308520.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39160.15**	**28706.00**	**240308.89**	**39201.55**	**28802.60**	**240515.89**	**308520.04**
									298.02	392.78	3012.45	3703.25
									0.00	0.00	0.00	0.00
									92.19	199.02	1573.61	1864.82
									0.00	0.00	0.00	0.00
									295.47	436.66	2929.70	3661.83
									0.00	0.00	0.00	0.00
									171.17	388.10	2279.30	2838.57
									0.00	0.00	0.00	0.00
									177.51	530.06	2122.84	2830.41
									0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 07		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
6	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.							6.26	22.41	771.33
		क्षे.का.									
7	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	मु.का.							85.08	452.80	1147.46
		क्षे.का.									
8	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, काँचीपुरम	मु.का.							0.11	0.40	6.49
		क्षे.का.									
9	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.							131.29	267.64	1340.80
		क्षे.का.									
10	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज, मुम्बई	मु.का.							427.51	1195.50	3979.23
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1684.61**	**3885.37**	**19163.21**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र										
1	कन्सोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली	मु.का.	72.33	126.93	282.65						
		क्षे.का.									
2	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.का.				56.24	131.22	281.18			
		क्षे.का.									
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.का.				99.18	741.75	1726.27			
		क्षे.का.									
4	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे	मु.का.				38.91	466.18	1051.12			
		क्षे.का.									
5	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलौर	मु.का.				12.57	150.64	339.65			
		क्षे.का.									
6	यूजीसी डी.ए.ई कन्सोर्शियम फॉर साइन्टिफक रिसर्च, इन्दौर	मु.का.				34.06	408.12	920.22			
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**72.33**	**126.93**	**282.65**	**240.95**	**1897.91**	**4318.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**72.33**	**126.93**	**282.65**	**240.95**	**1897.91**	**4318.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राज्य विश्वविद्यालय										
	आन्ध्र प्रदेश										
1	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	9.23	21.53	46.13						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**9.23**	**21.53**	**46.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**9.23**	**21.53**	**46.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 08 (i)			क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09			योग			समग्र योग
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
									6.26	22.41	771.33	800.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									85.08	452.80	1147.46	1685.34
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.11	0.40	6.49	7.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									131.29	267.64	1340.80	1739.73
									0.00	0.00	0.00	0.00
									427.51	1195.50	3979.23	5602.24
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1684.61**	**3885.37**	**19163.21**	**24733.19**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
									72.33	126.93	282.65	481.91
									0.00	0.00	0.00	0.00
									56.24	131.22	281.18	468.64
									0.00	0.00	0.00	0.00
									99.18	741.75	1726.27	2567.20
									0.00	0.00	0.00	0.00
									38.91	466.18	1051.12	1556.20
									0.00	0.00	0.00	0.00
									12.57	150.64	339.65	502.86
									0.00	0.00	0.00	0.00
									34.06	408.12	920.22	1362.40
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313.28**	**2024.85**	**4601.08**	**6939.21**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313.28**	**2024.85**	**4601.08**	**6939.21**
									9.23	21.53	46.13	76.89
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.23**	**21.53**	**46.13**	**76.89**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.23**	**21.53**	**46.13**	**76.89**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 07		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	गुजरात										
1	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	12.08	28.18	60.40						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**12.08**	**28.18**	**60.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**12.08**	**28.18**	**60.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	जम्मू और कश्मीर										
1	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	35.67	37.43	109.65						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**35.67**	**37.43**	**109.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**35.67**	**37.43**	**109.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कर्नाटक										
1	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	12.21	28.50	61.06						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**12.21**	**28.50**	**61.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**12.21**	**28.50**	**61.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	केरल										
1	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	24.97	17.94	64.36						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**24.97**	**17.94**	**64.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**24.97**	**17.94**	**64.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	मध्य प्रदेश										
1	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, सागर	मु.का.	17.04	39.76	85.20						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**17.04**	**39.76**	**85.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**17.04**	**39.76**	**85.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	महाराष्ट्र										
1	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	मु.का.	16.73	39.03	83.64						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**16.73**	**39.03**	**83.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**16.73**	**39.03**	**83.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 08 (i)			क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09			योग			समग्र योग
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
									12.08	28.18	60.40	100.66
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.08**	**28.18**	**60.40**	**100.66**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.08**	**28.18**	**60.40**	**100.66**
									35.67	37.43	109.65	182.75
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.67**	**37.43**	**109.65**	**182.75**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.67**	**37.43**	**109.65**	**182.75**
									12.21	28.50	61.06	101.77
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.21**	**28.50**	**61.06**	**101.77**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.21**	**28.50**	**61.06**	**101.77**
									24.97	17.94	64.36	107.27
								0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.97**	**17.94**	**64.36**	**107.27**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.97**	**17.94**	**64.36**	**107.27**
									17.04	39.76	85.20	142.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.04**	**39.76**	**85.20**	**142.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.04**	**39.76**	**85.20**	**142.00**
									16.73	39.03	83.64	139.41
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.73**	**39.03**	**83.64**	**139.41**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16.73**	**39.03**	**83.64**	**139.41**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 07		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	पंजाब										
1	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	5.70	13.31	28.51						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**5.70**	**13.31**	**28.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**5.70**	**13.31**	**28.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राजस्थान										
1	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	19.00	44.34	95.00						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**19.00**	**44.34**	**95.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**19.00**	**44.34**	**95.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	तमिलनाडु										
1	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	3.24	7.56	16.20						
		क्षे.का.									
2	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	36.98	28.28	97.88						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**40.22**	**35.84**	**114.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**40.22**	**35.84**	**114.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	समग्र योग	**मु.का.**	**192.85**	**305.85**	**748.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल		**192.85**	**305.85**	**748.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		**41.40**	**96.60**	**207.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1684.61**	**3885.37**	**19163.21**
	अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल आईयूसी		**72.33**	**126.93**	**282.65**	**240.95**	**1897.91**	**4318.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		**192.85**	**305.85**	**748.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल		**306.58**	**529.38**	**1237.69**	**240.95**	**1897.91**	**4318.43**	**1684.61**	**3885.37**	**19163.21**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 08 (i)			क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09			योग			समग्र योग
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
									5.70	13.31	28.51	47.52
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.70**	**13.31**	**28.51**	**47.52**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.70**	**13.31**	**28.51**	**47.52**
									19.00	44.34	95.00	158.34
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.00**	**44.34**	**95.00**	**158.34**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.00**	**44.34**	**95.00**	**158.34**
									3.24	7.56	16.20	27.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									36.98	28.28	97.88	163.14
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.22**	**35.84**	**114.08**	**190.14**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.22**	**35.84**	**114.08**	**190.14**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192.85**	**305.85**	**748.05**	**1246.75**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192.85**	**305.85**	**748.05**	**1246.75**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39160.15**	**28706.00**	**240308.89**	**39201.55**	**28802.60**	**240515.89**	**308520.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1684.61**	**3885.37**	**19163.21**	**24733.19**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313.28**	**2024.85**	**4601.08**	**6939.21**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192.85**	**305.85**	**748.05**	**1246.75**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39160.15**	**28706.00**	**240308.89**	**41392.29**	**35018.67**	**265028.23**	**341439.19**

परिशिष्ट–XX (जारी...)

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त गैर–योजनागत (मुख्य शीर्षवार) अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		ईएमएमआरसी एवं सीईसी			सीईसी के अलावा आईयूसी(एस)			सम–विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान		
			क्षेत्रक 04			क्षेत्रक 05			क्षेत्रक 07		
			पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
1	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.									
		क्षे.का.									
2	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालय										
1	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.		39.11	31.78	106.34					
		क्षे.का.									
	कुल	मु.का.	39.11	31.78	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		39.11	31.78	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आईयूसी		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		39.11	31.78	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		39.11	31.78	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपये में)

दिल्ली महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान			बीएचयू महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान			केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान			योग			समग्र योग (पेंशन + गैर–वेतन + वेतन)
क्षेत्रक 08 (i)			क्षेत्रक 08 (ii)			क्षेत्रक 09						
पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	पेंशन	गैर–वेतन	वेतन	
			366.14	70.00	2308.66				366.14	70.00	2308.66	2744.81
									0.00	0.00	0.00	0.00
20489.95	2381.59	91499.12				413.06	250.00	4884.40	20903.01	2631.59	96383.52	119918.12
									0.00	0.00	0.00	0.00
20489.95	**2381.59**	**91499.12**	**366.14**	**70.00**	**2308.66**	**413.06**	**250.00**	**4884.40**	**21269.15**	**2701.59**	**98692.18**	**122662.93**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20489.95	**2381.59**	**91499.12**	**366.14**	**70.00**	**2308.66**	**413.06**	**250.00**	**4884.40**	**21269.15**	**2701.59**	**98692.18**	**122662.93**
									39.11	31.78	106.34	177.23
									0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.11**	**31.78**	**106.34**	**177.23**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.11**	**31.78**	**106.34**	**177.23**
20489.95	**2381.59**	**91499.12**	**366.14**	**70.00**	**2308.66**	**413.06**	**250.00**	**4884.40**	**21269.15**	**2701.59**	**98692.18**	**122662.93**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.11**	**31.78**	**106.34**	**177.23**
20489.95	**2381.59**	**91499.12**	**366.14**	**70.00**	**2308.66**	**413.06**	**250.00**	**4884.40**	**21308.26**	**2733.38**	**98798.52**	**122840.16**

परिशिष्ट–XX

सारांश (गैर–योजनागत) 2012-2013

(लाख रुपये में)

विवरण	(लाख रुपये में)							
	प्रशासनिक प्रभार	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	सीईसी से इतर अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र	सम विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	दिल्ली महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	बीएचयू महाविद्यालयों को संघटित अनुदान	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संघटित अनुदान	कुल
	1	4	5	7	8 (i)	8 (ii)	9	
विश्वविद्यालय								
केन्द्रीय विश्वविद्यालय		345.00					308175.04	308520.04
समविश्वविद्यालय				24733.19				24733.19
अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र		481.91	6457.30					6939.21
राज्य विश्वविद्यालय		1246.75						1246.75
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान								0.00
कुल	**0.00**	**2073.66**	**6457.30**	**24733.19**	**0.00**	**0.00**	**308175.04**	**341439.19**
महाविद्यालय								
दिल्ली महाविद्यालय					114370.66			114370.66
बी.एच.यू. महाविद्यालय						2744.81		2744.81
केन्द्रीय विश्वविद्यालय							5547.46	5547.46
राज्य महाविद्यालय		177.23						177.23
कुल		**177.23**	**0.00**	**0.00**	**114370.66**	**2744.81**	**5547.46**	**122840.16**
समग्र योग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)		**2250.89**	**6457.30**	**24733.19**	**114370.66**	**2744.81**	**313722.50**	**464279.34**
विश्वविद्यालेत्तर								
प्रशासनिक प्रभार (मुख्यालय)	5825.37							5825.37
प्रशासनिक प्रभार (क्षेत्रीय केन्द्र)	487.05							487.05
समग्र योग	**6312.42**	**2250.89**	**6457.30**	**24733.19**	**114370.66**	**2744.81**	**313722.50**	**470591.76**

परिशिष्ट–XXI

परिशिष्ट–XXI

वर्ष 2012–13 के दौरान विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय													
1	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	मु.का.	2275.99	9990.45	1530.00	46.68			1304.09	41.46		179.90	64.54	
		क्षे.का.												
2	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	281.17	1654.20	146.25	13.80			180.58	1.55		75.65	37.85	
		क्षे.का.												
3	असम विश्वविद्यालय, सिलचर	मु.का.	1590.31	1910.05	904.50				66.37	0.00		38.07	16.58	
		क्षे.का.												
4	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	मु.का.	641.99	3914.47	670.00	121.89	334.00		84.55	69.75		15.74	1.50	
		क्षे.का.												
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	1400.85	12889.43	730.00	19.29			1796.08	1948.35		294.34	136.95	
		क्षे.का.												
6	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना	मु.का.	178.95	1211.25	710.00				23.75	0.00		4.27	2.50	
		क्षे.का.												
7	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर	मु.का.	253.75	2411.25	510.00				22.44	0.00		5.58		
		क्षे.का.												
8	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, गुड़गॉव	मु.का.	42.82	2011.25	510.00				15.21	0.00				
		क्षे.का.												
9	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश	मु.का.	353.75	1011.25	1210.00				35.85	0.00		3.36	1.10	
		क्षे.का.												
10	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, जम्मू	मु.का.	237.83	2442.03	410.00									
		क्षे.का.												
11	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर	मु.का.	94.80	733.18	122.50				0.30	0.00				
		क्षे.का.												
12	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, राँची	मु.का.	254.68	3811.25	1010.00				2.39	0.00		10.05	7.70	
		क्षे.का.												
13	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, त्रिवेन्द्रम	मु.का.	425.35	3911.25	1060.00				4.44	0.00				
		क्षे.का.												
14	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा	मु.का.	182.34	2013.65	385.00				9.20	0.00		18.49	7.30	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
6.55											3813.22	10096.45	1530.00	15439.67
											0.00	0.00	0.00	0.00
											551.21	1693.60	146.25	2391.06
											0.00	0.00	0.00	0.00
											1694.75	1926.63	904.50	4525.88
											0.00	0.00	0.00	0.00
											864.17	4319.72	670.00	5853.89
											0.00	0.00	0.00	0.00
67.52											3578.08	14974.73	730.00	19282.81
											0.00	0.00	0.00	0.00
											206.97	1213.75	710.00	2130.72
											0.00	0.00	0.00	0.00
											281.77	2411.25	510.00	3203.02
											0.00	0.00	0.00	0.00
											58.03	2011.25	510.00	2579.28
											0.00	0.00	0.00	0.00
											392.96	1012.35	1210.00	2615.31
											0.00	0.00	0.00	0.00
											237.83	2442.03	410.00	3089.86
											0.00	0.00	0.00	0.00
											95.10	733.18	122.50	950.78
											0.00	0.00	0.00	0.00
											267.12	3818.95	1010.00	5096.07
											0.00	0.00	0.00	0.00
											429.79	3911.25	1060.00	5401.04
											0.00	0.00	0.00	0.00
											210.02	2020.95	385.00	2615.97
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
15	सेंट्रल यूनि0 ऑफ उड़ीसा, कालीघाट	मु.का.	10.00	2011.25	510.00				2.33	0.00				
		क्षे.का.												
16	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिन्डा	मु.का.	286.15	2411.25	410.00				0.00	0.00		6.43	6.15	
		क्षे.का.												
17	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर	मु.का.	810.00	8211.25	2010.00				8.37	0.00		4.79	2.50	
		क्षे.का.												
18	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु थ्रिरुवरूर	मु.का.	510.22	7519.89	2010.00									
		क्षे.का.												
19	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	2478.39	4750.28	1948.75	25.24			1966.89	149.93		198.09	100.15	
		क्षे.का.												
20	डॉ0 एच.एस. गौर विश्वविद्यालय, सागर	मु.का.	149.46	1245.45	245.00				98.78	1.55		21.52	9.05	
		क्षे.का.												
21	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी, बिलासपुर	मु.का.	731.82	5563.92	1020.00				33.44	47.28		92.36	64.84	
		क्षे.का.												
22	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	236.39	5028.35	1120.00	11.70			24.38	20.15		24.89	3.15	
		क्षे.का.												
23	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मु.का.	883.73	6678.24	1230.00	7.51			605.79	348.97		85.69	46.05	
		क्षे.का.												
24	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	मु.का.							20.07	0.00		5.63	0.73	
		क्षे.का.												
25	इंदिरा नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकण्टक	मु.का.	752.90	8807.50	1520.00				4.50	0.00		1.98	3.50	
		क्षे.का.												
26	इंडियन मेरीटाईम यूनीवर्सिटी,तमिलनाडु	मु.का.												
		क्षे.का.												
27	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	मु.का.	646.28	6214.78	1685.00	28.14			466.48	37.98		147.25	81.15	
		क्षे.का.												
28	जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	1178.76	1047.40	198.75				2583.37	18.60		88.35	37.20	
		क्षे.का.												
29	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	मु.का.	608.05	2632.85	1020.00				75.97	10.85		7.44	4.03	
		क्षे.का.												
30	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.	2246.41	1877.49	1237.93	3.43			211.20	4.27		82.35	37.33	
		क्षे.का.												
31	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	174.03	3941.02	1030.00	4.38			103.35	2.71		4.85	2.90	
		क्षे.का.												
32	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल	मु.का.	1863.83	3905.92	1065.00				84.05	28.68		18.90	7.40	
		क्षे.का.												
33	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.	167.48	412.76	103.75				0.00	0.00		16.30	1.85	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
											12.33	2011.25	510.00	2533.58
											0.00	0.00	0.00	0.00
											292.58	2417.40	410.00	3119.98
											0.00	0.00	0.00	0.00
											823.16	8213.75	2010.00	11046.91
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.78	29.76	0.00						511.00	7549.65	2010.00	10070.65
											0.00	0.00	0.00	0.00
31.00											4699.61	5000.35	1948.75	11648.72
											0.00	0.00	0.00	0.00
											269.75	1256.05	245.00	1770.80
											0.00	0.00	0.00	0.00
			5.19	5.81	0.00						862.81	5681.85	1020.00	7564.66
											0.00	0.00	0.00	0.00
											297.36	5051.65	1120.00	6469.01
											0.00	0.00	0.00	0.00
25.19			5.36	5.81	0.00						1613.28	7079.07	1230.00	9922.35
											0.00	0.00	0.00	0.00
											25.70	0.73	0.00	26.43
											0.00	0.00	0.00	0.00
											759.38	8811.00	1520.00	11090.38
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
40.81											1328.96	6333.90	1685.00	9347.86
											0.00	0.00	0.00	0.00
68.33			13.56	7.75	0.00						3932.38	1110.95	198.75	5242.08
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	24.80	0.00						691.47	2672.53	1020.00	4384.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
20.50			5.27	5.81	0.00						2569.17	1924.90	1237.93	5732.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
75.00			0.00	22.32	0.00						361.62	3968.95	1030.00	5360.57
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	22.94	0.00						1966.78	3964.93	1065.00	6996.71
											0.00	0.00	0.00	0.00
											183.78	414.61	103.75	702.14
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
34	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.	558.08	611.46	153.75	11.90			450.70	5.43		42.82	14.95	
		क्षे.का.												
35	पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी, पाण्डिचेरी	मु.का.	1289.61	4533.97	1605.00				345.19	75.18		229.26	149.29	
		क्षे.का.												
36	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.	386.27	3714.56	66.25	14.70			279.00	209.25		8.65	2.60	
		क्षे.का.												
37	सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक	मु.का.	2172.60	2206.32	1304.50				18.45	0.00				
		क्षे.का.												
38	तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर	मु.का.	2608.14	4201.09	956.75				61.14	47.74		57.44	44.85	
		क्षे.का.												
39	द इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	357.50	3522.50	820.00				145.10	0.00		8.52	8.30	
		क्षे.का.												
40	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.	662.03	846.62	367.00	4.02			9.10	15.50		26.31	9.50	
		क्षे.का.												
41	विश्वभारती शान्ति निकेतन	मु.का.	160.07	383.60	83.75				105.66	0.00		73.17	31.90	
		क्षे.का.												
	कुल	मु.का.	30142.78	142194.66	33629.43	312.69	334.00	0.00	11248.57	3085.16	0.00	1898.42	945.39	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र योग		30142.78	142194.66	33629.43	312.69	334.00	0.00	11248.57	3085.16	0.00	1898.42	945.39	0.00
	सम विश्वविद्यालय													
1	अविनाशलिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन, कोयम्बटूर	मु.का.	109.47	143.25	0.00				24.10	0.00		72.64	14.25	
		क्षे.का.												
2	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली	मु.का.	77.57	129.05	0.00	29.08			61.00	58.71		58.05	31.20	
		क्षे.का.												
3	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक0,मेसरा, राँची	मु.का.	371.33	11.03	0.00				2.17	65.10		93.70	53.49	
		क्षे.का.												
4	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक0 एण्ड साइंस, पिलानी	मु.का.	62.61	79.13	0.00	0.95			25.02	38.75		24.36	18.05	
		क्षे.का.												
5	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉयर तिब्बत स्ट्डीज, वाराणसी	मु.का.	29.00	49.00	0.00							0.89	0.00	
		क्षे.का.												
6	चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टिट्यूट, सिरूसेरी (तमिलनाडु)	मु.का.	0.00	95.80	0.00									
		क्षे.का.												
7	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, आगरा	मु.का.	413.39	101.34	0.00				61.43	16.28		41.90	13.70	
		क्षे.का.												
8	डेक्कन कालेज पोस्टग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट,पुणे	मु.का.	28.08	40.00	0.00				10.18	0.00		2.81	1.75	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
											1063.50	631.83	153.75	1849.08
											0.00	0.00	0.00	0.00
19.87			4.24	5.81	0.00						1888.17	4764.25	1605.00	8257.42
											0.00	0.00	0.00	0.00
											688.62	3926.41	66.25	4681.28
											0.00	0.00	0.00	0.00
											2191.05	2206.32	1304.50	5701.87
											0.00	0.00	0.00	0.00
											2726.72	4293.68	956.75	7977.15
											0.00	0.00	0.00	0.00
											511.12	3530.80	820.00	4861.92
											0.00	0.00	0.00	0.00
											701.46	871.62	367.00	1940.08
											0.00	0.00	0.00	0.00
5.49											344.39	415.50	83.75	843.64
											0.00	0.00	0.00	0.00
360.27	0.00	0.00	34.41	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43997.14	146690.02	33629.43	224316.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360.27	0.00	0.00	34.41	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43997.14	146690.02	33629.43	224316.59
9.05											215.26	157.50	0.00	372.76
											0.00	0.00	0.00	0.00
											225.71	218.96	0.00	444.67
											0.00	0.00	0.00	0.00
											467.20	129.61	0.00	596.81
											0.00	0.00	0.00	0.00
											112.94	135.93	0.00	248.87
											0.00	0.00	0.00	0.00
											29.89	49.00	0.00	78.89
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	95.80	0.00	95.80
											0.00	0.00	0.00	0.00
11.70											528.41	131.31	0.00	659.72
											0.00	0.00	0.00	0.00
											41.06	41.75	0.00	82.81
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
9	गांधीग्राम रूरल इंस्टिट्यूट, डिन्डीगुल	मु.का.	106.95	112.54	0.00	8.00			45.99	58.51		88.50	38.88	
		क्षे.का.												
10	गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स, पुणे	मु.का.	44.00	74.00	0.00							2.60	1.10	
		क्षे.का.												
11	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	मु.का.	48.00	86.00	0.00				7.03	0.00		1.91	0.80	
		क्षे.का.												
12	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.	107.98	1052.00	0.00				34.91	0.00		17.30	1.20	
		क्षे.का.												
13	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर	मु.का.	287.16	118.46	0.00				261.47	408.02				
		क्षे.का.												
14	इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूसा, नई दिल्ली	मु.का.										2.90	0.00	
		क्षे.का.												
15	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	मु.का.	10.47	18.78	0.00				22.16	48.83		80.28	89.44	
		क्षे.का.												
16	इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुम्बई	मु.का.	932.63	118.68	0.00				85.88	0.00		9.21	22.75	
		क्षे.का.												
17	जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनुन, राजस्थान	मु.का.	57.83	103.28	0.00				14.95	0.00		6.90	2.50	
		क्षे.का.												
18	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	मु.का.	161.99	171.00	0.00	122.19	565.50		123.26	0.00		79.42	43.30	
		क्षे.का.												
19	जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	मु.का.	6.35	0.00	0.00	19.52			6.69	0.00				
		क्षे.का.												
20	रामाकृष्ण मिशन एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, कोलकाता	मु.का.	40.00	250.00	0.00				12.94	0.00				
		क्षे.का.												
21	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	मु.का.	53.57	86.00	0.00				63.57	0.00		13.37	3.25	
		क्षे.का.												
22	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	मु.का.	62.49	102.06	0.00				55.99	0.00				
		क्षे.का.												
23	श्री सत्य सांई इंस्टिट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, अनन्तपुर	मु.का.	96.31	143.00	0.00				27.27	0.00		1.16	1.15	
		क्षे.का.												
24	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सांइसिज, मुम्बई	मु.का.	841.23	689.76	0.00	4.57			81.43	18.21				
		क्षे.का.												
25	थापर इंस्टिट्यूट ऑफ इंजि0 एण्ड टेक्नोलॉजी, पटियाला	मु.का.	53.91	36.43	0.00				11.22	22.48		86.21	89.67	
		क्षे.का.												
26	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भवन, पुणे	मु.का.	1.56	2.69	0.00				7.21	34.10		1.66	0.25	
		क्षे.का.												
	कुल	मु.का.	4003.90	3813.24	0.00	184.32	565.50	0.00	1045.86	768.99	0.00	685.75	426.72	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
27.40											276.86	209.93	0.00	486.79
											0.00	0.00	0.00	0.00
33.47											80.07	75.10	0.00	155.17
											0.00	0.00	0.00	0.00
											56.94	86.80	0.00	143.74
											0.00	0.00	0.00	0.00
											160.18	1053.20	0.00	1213.38
											0.00	0.00	0.00	0.00
											548.63	526.48	0.00	1075.11
											0.00	0.00	0.00	0.00
											2.90	0.00	0.00	2.90
											0.00	0.00	0.00	0.00
											112.91	157.04	0.00	269.95
											0.00	0.00	0.00	0.00
			5.35	35.57	0.00	3.50	46.50	0.00			1036.57	223.50	0.00	1260.07
											0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	11.29	0.00							79.68	117.07	0.00	196.75
											0.00	0.00	0.00	0.00
7.75											494.61	779.80	0.00	1274.41
											0.00	0.00	0.00	0.00
9.46											42.02	0.00	0.00	42.02
											0.00	0.00	0.00	0.00
											52.94	250.00	0.00	302.94
											0.00	0.00	0.00	0.00
											130.51	89.25	0.00	219.76
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	10.54	0.00						118.49	112.60	0.00	231.09
											0.00	0.00	0.00	0.00
						3.50	46.50	0.00			128.24	190.65	0.00	318.89
											0.00	0.00	0.00	0.00
84.34			3.10	0.00	0.00	12.00	88.00	0.00			1026.67	795.97	0.00	1822.64
											0.00	0.00	0.00	0.00
											151.34	148.57	0.00	299.91
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.94	5.81	0.00						11.36	42.85	0.00	54.21
											0.00	0.00	0.00	0.00
183.17	0.00	0.00	9.39	51.93	0.00	19.00	192.29	0.00	0.00	0.00	6131.40	5818.66	0.00	11950.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	अंतर–विश्वविद्यालय केन्द्र													
1	कन्सोर्शियम फॉर एजूकेशन कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली	मु.का.	32.85	45.90					113.15	158.10				
		क्षे.का.												
2	इन्फ्लिबनेट सेंटर, अहमदाबाद	मु.का.	3297.22	4.39					0.00	743.50				
		क्षे.का.												
3	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली	मु.का.	269.50	405.00					946.49	1395.00				
		क्षे.का.												
4	इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एण्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, पुणे	मु.का.	226.60	313.40					781.40	1078.60				
		क्षे.का.												
5	एन.ए.ए.सी. राजाजी नगर, बंगलूरू	मु.का.	16.05	12.58					55.88	42.43				
		क्षे.का.												
6	वि.अ.आ. डी.ए.ई कन्सोर्शियम फॉर साइन्टिफक रिसर्च, इन्दौर	मु.का.	59.00	54.00					201.00	186.00				
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**3901.22**	**835.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2097.92**	**3603.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**3901.22**	**835.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2097.92**	**3603.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राज्य विश्वविद्यालय													
	आंध्र प्रदेश													
1	आर्चाय नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	मु.का.	163.63	159.12					62.41	0.00		87.64	15.30	
		क्षे.का.												
2	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.	304.53	506.24		32.14			274.52	146.47		210.73	54.12	
		क्षे.का.												
3	ए.एन.जी. रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.							5.27	0.00		3.86	2.00	
		क्षे.का.												
4	द्रविड़ियन यूनिवर्सिटी	मु.का.	66.72	108.96					11.80	10.66		24.16	11.53	
		क्षे.का.												
5	जवाहर लाल टेक0, हैदराबाद	मु.का.	252.35	404.18					81.66	47.66		29.50	12.00	
		क्षे.का.												
6	काकातीय यूनिवर्सिटी, वारंगल	मु.का.	239.36	188.04					67.53	24.80		116.35	36.10	
		क्षे.का.												
7	नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ	मु.का.	63.46	63.24								2.33	0.00	
		क्षे.का.												
8	ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	861.97	945.05					797.92	1982.45		224.64	78.20	
		क्षे.का.												
9	पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	85.63	80.63					6.28	0.00		14.83	7.00	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
											146.00	204.00	0.00	350.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
			11357.10	15.11	0.00	10.00	0.00	0.00			14664.32	763.00	0.00	15427.32
											0.00	0.00	0.00	0.00
											1215.99	1800.00	0.00	3015.99
											0.00	0.00	0.00	0.00
											1008.00	1392.00	0.00	2400.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
											71.93	55.00	0.00	126.93
											0.00	0.00	0.00	0.00
											260.00	240.00	0.00	500.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	11357.10	15.11	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17366.24	4454.00	0.00	21820.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	11357.10	15.11	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17366.24	4454.00	0.00	21820.24
			1.28	5.04	0.00	1.54	0.00	0.00			316.50	179.46	0.00	495.96
											0.00	0.00	0.00	0.00
107.71											929.62	706.82	0.00	1636.44
											0.00	0.00	0.00	0.00
											9.13	2.00	0.00	11.13
											0.00	0.00	0.00	0.00
			14.88	5.04	0.00						117.56	136.18	0.00	253.74
											0.00	0.00	0.00	0.00
			4.15	7.75	0.00						367.67	471.59	0.00	839.26
											0.00	0.00	0.00	0.00
											423.24	248.94	0.00	672.18
											0.00	0.00	0.00	0.00
											65.79	63.24	0.00	129.03
											0.00	0.00	0.00	0.00
20.81											1905.34	3005.70	0.00	4911.04
											0.00	0.00	0.00	0.00
											106.75	87.63	0.00	194.37
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
10	श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	मु.का.	307.83	426.42					23.38	0.00		44.43	8.80	
		क्षे.का.												
11	श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति	मु.का.	166.09	249.10		31.51			18.22	3.88		45.78	11.15	
		क्षे.का.												
12	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	405.50	205.32		22.80			308.74	8.99		209.66	58.51	
		क्षे.का.												
13	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	1.99	0.75								3.17	0.75	
		क्षे.का.												
14	जेएनटीयू अनंतपुर	मु.का.	25.59	20.61								8.87	3.10	
		क्षे.का.												
15	योगी वेमन्ना विश्वविद्यालय, कडप्पा	मु.का.	13.42	27.66					6.21	0.00		65.33	30.37	
		क्षे.का.												
16	तेलंगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद	मु.का.										8.33	6.25	
		क्षे.का.												
17	जेएनटीयू काकीनाडा	मु.का.	127.47	211.69								4.79	5.10	
		क्षे.का.												
18	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, गोलकुण्डा	मु.का.	16.20	0.00										
		क्षे.का.												
19	दामोदरन संजीवैयया नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी, विशाखापत्तनम	मु.का.	0.00	56.25										
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**3101.75**	**3653.25**	**0.00**	**86.44**	**0.00**	**0.00**	**1663.93**	**2224.90**	**0.00**	**1104.40**	**340.28**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**3101.75**	**3653.25**	**0.00**	**86.44**	**0.00**	**0.00**	**1663.93**	**2224.90**	**0.00**	**1104.40**	**340.28**	**0.00**
	असम													
1	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़	मु.का.	161.77	556.21		6.45			96.13	69.75		92.23	41.17	
		क्षे.का.												
2	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	मु.का.	300.69	570.84					118.74	37.98		86.96	39.73	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**462.46**	**1127.05**	**0.00**	**6.45**	**0.00**	**0.00**	**214.87**	**107.73**	**0.00**	**179.19**	**80.90**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**462.46**	**1127.05**	**0.00**	**6.45**	**0.00**	**0.00**	**214.87**	**107.73**	**0.00**	**179.19**	**80.90**	**0.00**
	बिहार													
1	बी.एन. मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	मु.का.	80.63	81.13								0.75	0.18	
		क्षे.का.												
2	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	मु.का.	184.56	174.80					53.72	1.55		7.03	0.00	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
2.26			5.81	5.81	0.00						383.71	441.03	0.00	824.74
											0.00	0.00	0.00	0.00
											261.59	264.12	0.00	525.71
											0.00	0.00	0.00	0.00
22.48			8.45	7.75	0.00						977.61	280.57	0.00	1258.19
											0.00	0.00	0.00	0.00
											5.16	1.50	0.00	6.66
											0.00	0.00	0.00	0.00
											34.46	23.71	0.00	58.17
											0.00	0.00	0.00	0.00
											84.96	58.03	0.00	142.99
											0.00	0.00	0.00	0.00
											8.33	6.25	0.00	14.58
											0.00	0.00	0.00	0.00
											132.27	216.79	0.00	349.06
											0.00	0.00	0.00	0.00
											16.20	0.00	0.00	16.20
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	56.25	0.00	56.25
											0.00	0.00	0.00	0.00
153.25	0.00	0.00	34.57	31.39	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6145.88	6249.82	0.00	12395.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153.25	0.00	0.00	34.57	31.39	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6145.88	6249.82	0.00	12395.70
7.75											364.33	667.13	0.00	1031.46
											0.00	0.00	0.00	0.00
8.04			7.13	7.75	0.00						521.56	656.29	0.00	1177.85
											0.00	0.00	0.00	0.00
15.79	0.00	0.00	7.13	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.89	1323.42	0.00	2209.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.79	0.00	0.00	7.13	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.89	1323.42	0.00	2209.31
											81.38	81.31	0.00	162.68
											0.00	0.00	0.00	0.00
											245.31	176.35	0.00	421.66
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.	86.25	116.75					3.61	0.00		0.07	0.00	
		क्षे.का.												
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	176.92	357.42										
		क्षे.का.												
5	एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	110.63	111.13					12.68	0.00		5.42	0.30	
		क्षे.का.												
6	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	मु.का.	123.98	132.33					2.81	69.75				
		क्षे.का.												
7	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मु.का.	121.03	109.98					196.00	1.55		14.30	8.40	
		क्षे.का.												
8	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	मु.का.	110.63	118.13					13.03	0.00		5.22	2.70	
		क्षे.का.												
9	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मु.का.	65.62	87.83					2.26	0.00		1.58	0.30	
		क्षे.का.												
10	चाणक्या नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी	मु.का.	262.50	262.50										
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**1322.73**	**1551.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284.12**	**72.85**	**0.00**	**34.37**	**11.88**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**1322.73**	**1551.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284.12**	**72.85**	**0.00**	**34.37**	**11.88**	**0.00**
	छत्तीसगढ़													
1	हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	मु.का.	64.10	201.55										
		क्षे.का.												
2	इन्दिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	71.23	205.81					7.91	0.00				
		क्षे.का.												
3	पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	161.30	109.03					71.33	1.55		34.21	23.50	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**296.63**	**516.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79.23**	**1.55**	**0.00**	**34.21**	**23.50**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**296.63**	**516.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79.23**	**1.55**	**0.00**	**34.21**	**23.50**	**0.00**
	दिल्ली													
1	गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रपस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	मु.का.	84.89	81.12					27.83	27.90		66.49	38.07	
		क्षे.का.												
2	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली	मु.का.	57.15	54.40					7.60	0.00				
		क्षे.का.												
3	भारत रत्न डॉ बी0आर0 अम्बेडकर यूनीवर्सिटी, दिल्ली	मु.का.							13.45	0.00				
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
3.88											93.81	116.75	0.00	210.56
											0.00	0.00	0.00	0.00
											176.92	357.42	0.00	534.33
											0.00	0.00	0.00	0.00
											128.73	111.43	0.00	240.15
											0.00	0.00	0.00	0.00
											126.79	202.08	0.00	328.87
											0.00	0.00	0.00	0.00
											331.33	119.93	0.00	451.26
											0.00	0.00	0.00	0.00
											128.88	120.83	0.00	249.71
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						70.74	93.17	0.00	163.91
											0.00	0.00	0.00	0.00
											262.50	262.50	0.00	525.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
3.88	0.00	0.00	1.28	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.38	1641.75	0.00	3288.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.88	0.00	0.00	1.28	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1646.38	1641.75	0.00	3288.13
											64.10	201.55	0.00	265.65
											0.00	0.00	0.00	0.00
											79.13	205.81	0.00	284.94
											0.00	0.00	0.00	0.00
			7.98	7.75	0.00						274.82	141.83	0.00	416.65
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7.98	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.05	549.18	0.00	967.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	7.98	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.05	549.18	0.00	967.24
			0.00	0.78	0.00						179.20	147.86	0.00	327.06
											0.00	0.00	0.00	0.00
											64.75	54.40	0.00	119.15
											0.00	0.00	0.00	0.00
											13.45	0.00	0.00	13.45
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	कुल	**मु.का.**	**142.04**	**135.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.88**	**27.90**	**0.00**	**66.49**	**38.07**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**142.04**	**135.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.88**	**27.90**	**0.00**	**66.49**	**38.07**	**0.00**
	गुजरात													
1	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	मु.का.	149.38	306.48					2.05	0.00		34.77	7.30	
		क्षे.का.												
2	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	196.50	150.02					66.29	1.55		39.37	4.00	
		क्षे.का.												
3	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा (कच्छ)	मु.का.	403.31	292.77		18.25			89.64	45.35		164.21	78.00	
		क्षे.का.												
4	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	मु.का.	104.08	124.99					20.23	0.00		19.09	6.14	
		क्षे.का.												
5	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ	मु.का.	485.05	340.64		3.88			131.30	76.72		85.35	37.65	
		क्षे.का.												
6	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	210.13	362.62					42.90	1.55		34.72	17.76	
		क्षे.का.												
7	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.	187.61	151.20					5.61	0.00		19.65	5.85	
		क्षे.का.												
8	धर्मसिंह देसाई यूनीवर्सिटी, नडीयाड	मु.का.	0.22	7.74								0.60	1.39	
		क्षे.का.												
9	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,	मु.का.	67.59	78.32										
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**1803.87**	**1814.77**	**0.00**	**22.13**	**0.00**	**0.00**	**358.03**	**125.18**	**0.00**	**397.75**	**158.08**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**1803.87**	**1814.77**	**0.00**	**22.13**	**0.00**	**0.00**	**358.03**	**125.18**	**0.00**	**397.75**	**158.08**	**0.00**
	गोवा													
1	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	189.20	138.14		15.94			71.25	57.35		16.04	9.83	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**189.20**	**138.14**	**0.00**	**15.94**	**0.00**	**0.00**	**71.25**	**57.35**	**0.00**	**16.04**	**9.83**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**189.20**	**138.14**	**0.00**	**15.94**	**0.00**	**0.00**	**71.25**	**57.35**	**0.00**	**16.04**	**9.83**	**0.00**
	हरियाणा													
1	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत	मु.का.	88.22	97.46					35.65	62.00		10.06	6.67	
		क्षे.का.												
2	चौ0 चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हरियाणा, हिसार	मु.का.							22.88	0.00		7.50	4.88	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.41	202.26	0.00	459.67
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.41	202.26	0.00	459.67
											186.19	313.78	0.00	499.97
											0.00	0.00	0.00	0.00
											302.16	155.57	0.00	457.73
											0.00	0.00	0.00	0.00
13.97											689.39	416.12	0.00	1105.51
											0.00	0.00	0.00	0.00
7.75											151.15	131.13	0.00	282.28
											0.00	0.00	0.00	0.00
10.54											716.12	455.01	0.00	1171.13
											0.00	0.00	0.00	0.00
1.55						6.71	6.71	0.00			296.01	388.63	0.00	684.64
											0.00	0.00	0.00	0.00
20.00											232.86	157.05	0.00	389.91
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.78	26.66	0.00						1.60	35.79	0.00	37.39
											0.00	0.00	0.00	0.00
			2.06	37.28	0.00						69.65	115.60	0.00	185.25
											0.00	0.00	0.00	0.00
53.81	0.00	0.00	2.84	63.94	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	2645.13	2168.68	0.00	4813.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.81	0.00	0.00	2.84	63.94	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	2645.13	2168.68	0.00	4813.81
40.84											333.27	205.32	0.00	538.59
											0.00	0.00	0.00	0.00
40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.27	205.32	0.00	538.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.27	205.32	0.00	538.59
			1.28	5.04	0.00						135.21	171.17	0.00	306.38
											0.00	0.00	0.00	0.00
											30.38	4.88	0.00	35.26
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	दीन बन्धु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी	मु.का.	109.77	105.71					23.41	60.45		50.84	43.85	
		क्षे.का.												
4	गुरू जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	मु.का.	105.63	140.59					145.51	37.98		87.85	64.65	
		क्षे.का.												
5	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	मु.का.	370.94	314.53		31.24			203.89	5.43		91.93	40.26	
		क्षे.का.												
6	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	मु.का.	174.58	484.21		14.63			306.82	145.70		194.45	112.02	
		क्षे.का.												
7	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.	78.07	89.06					2.07	0.00		49.45	15.22	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**927.20**	**1231.56**	**0.00**	**45.87**	**0.00**	**0.00**	**740.23**	**311.55**	**0.00**	**492.08**	**287.55**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**927.20**	**1231.56**	**0.00**	**45.87**	**0.00**	**0.00**	**740.23**	**311.55**	**0.00**	**492.08**	**287.55**	**0.00**
	हिमाचल प्रदेश													
1	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	मु.का.	230.19	547.02					582.59	15.35		13.11	4.80	
		क्षे.का.												
2	आई.आई.टी. एडवांस्ड स्टडीज, शिमला	मु.का.							0.00	58.13				
		क्षे.का.												
3	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	मु.का.										31.63	6.90	
		क्षे.का.												
4	वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टीकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, नौनी	मु.का.										26.19	8.10	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**230.19**	**547.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**582.59**	**73.48**	**0.00**	**70.93**	**19.80**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**230.19**	**547.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**582.59**	**73.48**	**0.00**	**70.93**	**19.80**	**0.00**
	जम्मू और कश्मीर													
1	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	मु.का.	210.78	312.45		6.08			352.83	81.57		54.71	22.45	
		क्षे.का.												
2	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	264.28	2008.75		20.50			187.49	1.55		99.52	41.87	
		क्षे.का.												
3	शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्वर सांईस एण्ड टेकनोलाजी, श्रीनगर	मु.का.	28.93	0.00								27.81	0.70	
		क्षे.का.												
4	श्री माता वैष्णों देवी यूनिवर्सिटी, कटरा	मु.का.	70.07	156.26					8.33	0.00		23.39	13.30	
		क्षे.का.												
5	बाबा गुलामशाह बादशाह यूनीवर्सिटी	मु.का.	63.19	63.15										
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
			2.08	49.84	0.00						186.10	259.85	0.00	445.95
											0.00	0.00	0.00	0.00
											338.99	243.22	0.00	582.20
											0.00	0.00	0.00	0.00
2.90											700.90	360.21	0.00	1061.11
											0.00	0.00	0.00	0.00
			8.26	7.75	0.00						698.74	749.68	0.00	1448.41
											0.00	0.00	0.00	0.00
			2.08	43.44	0.00						131.67	147.72	0.00	279.39
											0.00	0.00	0.00	0.00
2.90	**0.00**	**0.00**	**13.70**	**106.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2221.98**	**1936.72**	**0.00**	**4158.71**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.90	**0.00**	**0.00**	**13.70**	**106.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2221.98**	**1936.72**	**0.00**	**4158.71**
12.03											837.92	567.17	0.00	1405.09
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	58.13	0.00	58.13
											0.00	0.00	0.00	0.00
											31.63	6.90	0.00	38.53
											0.00	0.00	0.00	0.00
											26.19	8.10	0.00	34.29
											0.00	0.00	0.00	0.00
12.03	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**895.74**	**640.30**	**0.00**	**1536.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12.03	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**895.74**	**640.30**	**0.00**	**1536.04**
19.72											644.13	416.47	0.00	1060.60
											0.00	0.00	0.00	0.00
20.54			4.33	7.75	0.00						596.67	2059.92	0.00	2656.58
											0.00	0.00	0.00	0.00
											56.74	0.70	0.00	57.44
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						103.06	174.60	0.00	277.66
											0.00	0.00	0.00	0.00
											63.19	63.15	0.00	126.34
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
	कुल	**मु.का.**	**637.26**	**2540.61**	**0.00**	**26.58**	**0.00**	**0.00**	**548.65**	**83.12**	**0.00**	**205.43**	**78.32**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**637.26**	**2540.61**	**0.00**	**26.58**	**0.00**	**0.00**	**548.65**	**83.12**	**0.00**	**205.43**	**78.32**	**0.00**
	झारखण्ड													
1	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.	240.21	228.20					30.61	1.55		47.28	17.28	
		क्षे.का.												
2	सिद्धू कान्हू मुरुमू यूनिवर्सिटी, दुमका	मु.का.	75.63	256.13					2.05	0.00				
		क्षे.का.												
3	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	मु.का.	100.40	275.58					26.10	0.00		4.70	1.70	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**416.24**	**759.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58.76**	**1.55**	**0.00**	**51.98**	**18.98**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**416.24**	**759.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58.76**	**1.55**	**0.00**	**51.98**	**18.98**	**0.00**
	कर्नाटक													
1	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	मु.का.	272.94	203.68		32.49			225.83	31.78		103.97	41.86	
		क्षे.का.												
2	देवानगिरी यूनीवर्सिटी, देवानगिरी	मु.का.	150.07	470.13										
		क्षे.का.												
3	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	मु.का.	160.99	271.61					38.23	0.00		93.01	25.16	
		क्षे.का.												
4	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, हम्पी	मु.का.	69.79	68.25		14.78			37.96	0.00		6.68	1.60	
		क्षे.का.												
5	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	मु.का.	317.92	684.19		29.39			274.51	1838.69		112.96	20.70	
		क्षे.का.												
6	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बीजापुर	मु.का.	135.50	206.17		3.88			2.56	0.00		4.54	1.25	
		क्षे.का.												
7	कर्नाटक स्टेट लॉ यूनीवर्सिटी,हुबली	मु.का.	0.00	56.25										
		क्षे.का.												
8	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शिमोगा	मु.का.	110.35	122.18					3.38	0.00		58.19	14.46	
		क्षे.का.												
9	मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	मु.का.	122.32	158.09		19.13			52.72	76.73		27.07	13.85	
		क्षे.का.												
10	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	231.16	200.67					216.85	42.93		109.13	53.86	
		क्षे.का.												
11	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर	मु.का.	62.50	70.00					2.05	0.00		0.50	0.30	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
40.27	0.00	0.00	5.61	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1463.79	2714.84	0.00	4178.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.27	0.00	0.00	5.61	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1463.79	2714.84	0.00	4178.63
											318.10	247.03	0.00	565.13
											0.00	0.00	0.00	0.00
											77.68	256.13	0.00	333.80
											0.00	0.00	0.00	0.00
											131.20	277.28	0.00	408.48
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98	780.43	0.00	1307.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98	780.43	0.00	1307.41
											635.23	277.31	0.00	912.54
											0.00	0.00	0.00	0.00
											150.07	470.13	0.00	620.19
											0.00	0.00	0.00	0.00
											292.23	296.77	0.00	588.99
											0.00	0.00	0.00	0.00
											129.22	69.85	0.00	199.07
											0.00	0.00	0.00	0.00
			8.03	15.50	0.00						742.81	2559.08	0.00	3301.89
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						147.75	212.46	0.00	360.20
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	56.25	0.00	56.25
											0.00	0.00	0.00	0.00
											171.92	136.64	0.00	308.56
											0.00	0.00	0.00	0.00
4.84											226.08	248.67	0.00	474.74
											0.00	0.00	0.00	0.00
15.00											572.15	297.47	0.00	869.61
											0.00	0.00	0.00	0.00
17.83											82.88	70.30	0.00	153.18
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
12	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 सांइसिज, बंगलौर	मु.का.										13.79	3.20	
		क्षे.का.												
13	तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर	मु.का.	9.21	6.25								12.82	11.65	
		क्षे.का.												
14	रानीचेन्नमा यूनीवर्सिटी, बेलागामी	मु.का.	0.00	56.25										
		क्षे.का.												
15	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 सांइसिज, धारवाड़	मु.का.							10.94	0.00		15.29	1.95	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**1642.76**	**2573.70**	**0.00**	**99.66**	**0.00**	**0.00**	**865.02**	**1990.12**	**0.00**	**557.96**	**189.84**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**1642.76**	**2573.70**	**0.00**	**99.66**	**0.00**	**0.00**	**865.02**	**1990.12**	**0.00**	**557.96**	**189.84**	**0.00**
	केरल													
1	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	236.46	209.33					82.08	36.43		37.75	9.60	
		क्षे.का.												
2	कोच्ची यूनिवर्सिटी ऑफ सांइस एण्ड टेक0, कोच्ची	मु.का.	220.54	196.12		18.41			87.95	22.48		58.97	9.58	
		क्षे.का.												
3	कन्नूर यूनिवर्सिटी	मु.का.	167.79	177.82					69.20	24.80		8.66	4.35	
		क्षे.का.												
4	केरल एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.							2.43	0.00				
		क्षे.का.												
5	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	415.39	171.60					644.31	23.44		98.75	16.35	
		क्षे.का.												
6	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.	154.93	119.61					173.55	30.61		53.30	20.06	
		क्षे.का.												
7	श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, कलाडी	मु.का.	168.39	314.41					63.62	0.00		23.77	15.86	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**1363.49**	**1188.88**	**0.00**	**18.41**	**0.00**	**0.00**	**1123.13**	**137.76**	**0.00**	**281.20**	**75.80**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**1363.49**	**1188.88**	**0.00**	**18.41**	**0.00**	**0.00**	**1123.13**	**137.76**	**0.00**	**281.20**	**75.80**	**0.00**
	मध्य प्रदेश													
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	मु.का.	104.38	145.61					4.10	0.00				
		क्षे.का.												
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	182.44	125.16		13.64			17.98	0.00		9.06	0.00	
		क्षे.का.												
3	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, सागर	मु.का.	122.00	105.33					84.62	1.55		9.36	14.01	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
											13.79	3.20	0.00	16.99
											0.00	0.00	0.00	0.00
											22.03	17.90	0.00	39.93
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	56.25	0.00	56.25
											0.00	0.00	0.00	0.00
											26.22	1.95	0.00	28.17
											0.00	0.00	0.00	0.00
37.67	**0.00**	**0.00**	**9.31**	**20.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3212.38**	**4774.20**	**0.00**	**7986.58**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
37.67	**0.00**	**0.00**	**9.31**	**20.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3212.38**	**4774.20**	**0.00**	**7986.58**
7.75			6.15	7.75	0.00						370.19	263.10	0.00	633.29
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.28			5.35	7.75	0.00						391.51	235.92	0.00	627.43
											0.00	0.00	0.00	0.00
			2.14	10.85	0.00						247.78	217.82	0.00	465.60
											0.00	0.00	0.00	0.00
											2.43	0.00	0.00	2.43
											0.00	0.00	0.00	0.00
7.75											1166.20	211.39	0.00	1377.59
											0.00	0.00	0.00	0.00
			5.81	5.81	0.00						387.59	176.09	0.00	563.68
											0.00	0.00	0.00	0.00
			9.79	5.04	0.00						265.57	335.31	0.00	600.88
											0.00	0.00	0.00	0.00
15.78	**0.00**	**0.00**	**29.24**	**37.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2831.27**	**1439.64**	**0.00**	**4270.91**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.78	**0.00**	**0.00**	**29.24**	**37.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2831.27**	**1439.64**	**0.00**	**4270.91**
											108.48	145.61	0.00	254.08
											0.00	0.00	0.00	0.00
											223.11	125.16	0.00	348.27
											0.00	0.00	0.00	0.00
											215.98	120.89	0.00	336.87
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
4	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.	178.90	380.94					8.95	0.00		21.20	7.45	
		क्षे.का.												
5	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	70.63	71.13					4.10	0.00		6.46	1.85	
		क्षे.का.												
6	नेशनल लॉ इन्स्टिट्यूट, भोपाल	मु.का.	64.00	283.95										
		क्षे.का.												
7	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	163.37	144.28					107.34	2.80		21.22	13.50	
		क्षे.का.												
8	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.	138.45	531.75										
		क्षे.का.												
9	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मु.का.	71.50	72.00								2.64	5.50	
		क्षे.का.												
	कुल	मु.का.	1095.66	1860.13	0.00	13.64	0.00	0.00	227.08	4.35	0.00	69.93	42.31	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र–योग		1095.66	1860.13	0.00	13.64	0.00	0.00	227.08	4.35	0.00	69.93	42.31	0.00
	महाराष्ट्र													
1	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	139.52	155.92		14.22			39.62	72.08		44.37	14.77	
		क्षे.का.												
2	डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर टेक0 यूनिवर्सिटी, लोनेरे	मु.का.	91.42	73.86								47.86	20.60	
		क्षे.का.												
3	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	मु.का.	228.06	467.54		16.19			152.02	22.48		46.32	20.65	
		क्षे.का.												
4	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.का.	292.68	237.19					92.52	26.85		8.31	1.80	
		क्षे.का.												
5	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	210.29	153.55					26.11	31.00		98.32	30.85	
		क्षे.का.												
6	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	मु.का.	570.50	266.40		32.03			1015.58	83.84		132.38	50.18	
		क्षे.का.												
7	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.	212.77	162.17					137.42	1.55		51.85	47.92	
		क्षे.का.												
8	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.का.	195.53	177.75		34.03			9.09	17.83		24.76	6.00	
		क्षे.का.												
9	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	मु.का.	246.23	185.87		18.70			116.00	184.11		134.14	88.82	
		क्षे.का.												
10	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड़	मु.का.	104.50	187.72					15.49	20.15		18.39	21.25	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
7.75											216.79	388.39	0.00	605.18
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.25											81.43	72.98	0.00	154.40
											0.00	0.00	0.00	0.00
											64.00	283.95	0.00	347.95
											0.00	0.00	0.00	0.00
											291.93	160.58	0.00	452.51
											0.00	0.00	0.00	0.00
											138.45	531.75	0.00	670.20
											0.00	0.00	0.00	0.00
											74.14	77.50	0.00	151.64
											0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1414.30**	**1906.79**	**0.00**	**3321.09**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1414.30**	**1906.79**	**0.00**	**3321.09**
4.51											242.25	242.77	0.00	485.02
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						140.56	99.50	0.00	240.06
											0.00	0.00	0.00	0.00
											442.59	510.66	0.00	953.25
											0.00	0.00	0.00	0.00
48.92											442.42	265.85	0.00	708.27
											0.00	0.00	0.00	0.00
											334.73	215.40	0.00	550.13
											0.00	0.00	0.00	0.00
			10.77	7.75	0.00	7.50	0.00	0.00			1768.76	408.17	0.00	2176.93
											0.00	0.00	0.00	0.00
											402.04	211.64	0.00	613.68
											0.00	0.00	0.00	0.00
14.01											277.43	201.57	0.00	479.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
20.52			7.18	7.75	0.00						542.77	466.55	0.00	1009.32
											0.00	0.00	0.00	0.00
											138.38	229.12	0.00	367.50
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
11	सोलापुर यूनिवर्सिटी, नादेंड	मु.का.	0.00	250.00										
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**2291.50**	**2317.95**	**0.00**	**115.18**	**0.00**	**0.00**	**1603.85**	**459.89**	**0.00**	**606.71**	**302.84**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**2291.50**	**2317.95**	**0.00**	**115.18**	**0.00**	**0.00**	**1603.85**	**459.89**	**0.00**	**606.71**	**302.84**	**0.00**
	ओड़ीशा													
1	बरहामपुर यूनिवर्सिटी, बरहामपुर	मु.का.	131.80	349.24					11.75	25.03		14.90	8.50	
		क्षे.का.												
2	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.	68.20	67.50		4.13			1.28	0.00		4.49	1.95	
		क्षे.का.												
3	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपाड	मु.का.	68.05	68.46					7.35	0.00		12.52	5.15	
		क्षे.का.												
4	रवेनशॉ यूनिवर्सिटी, कटक	मु.का.	74.36	352.46					29.74	0.00		42.09	24.83	
		क्षे.का.												
5	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	175.33	154.09					68.69	6.44		18.56	3.45	
		क्षे.का.												
6	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	मु.का.	79.58	86.62					2.79	27.13				
		क्षे.का.												
7	उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर	मु.का.										17.89	7.20	
		क्षे.का.												
8	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	मु.का.	144.63	135.20					54.08	48.05		46.78	18.75	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**741.95**	**1213.58**	**0.00**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**175.69**	**106.65**	**0.00**	**157.24**	**69.83**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**741.95**	**1213.58**	**0.00**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**175.69**	**106.65**	**0.00**	**157.24**	**69.83**	**0.00**
	पंजाब													
1	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	मु.का.	576.45	1033.29					894.67	2079.48		152.64	73.45	
		क्षे.का.												
2	पंजाब एग्रीकलचर यूनिवर्सिटी, लुधियाना	मु.का.	1.74	0.00					64.00	0.00		228.16	56.98	
		क्षे.का.												
3	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	मु.का.	12063.24	345.73		0.57			967.99	233.19		123.05	46.03	
		क्षे.का.												
4	गुरू अंगद देव वेटनरी एण्ड एनिमल साइंस, पंजाब	मु.का.										59.18	25.45	
		क्षे.का.												
5	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	274.30	480.14		18.29			294.67	58.51		120.07	67.58	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
											0.00	250.00	0.00	250.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
87.96	0.00	0.00	19.23	20.54	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4731.94	3101.21	0.00	7833.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87.96	0.00	0.00	19.23	20.54	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4731.94	3101.21	0.00	7833.15
											158.46	382.78	0.00	541.23
											0.00	0.00	0.00	0.00
											78.10	69.45	0.00	147.55
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						89.20	78.65	0.00	167.85
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						147.46	382.33	0.00	529.79
											0.00	0.00	0.00	0.00
											262.58	163.98	0.00	426.56
											0.00	0.00	0.00	0.00
											82.37	113.75	0.00	196.12
											0.00	0.00	0.00	0.00
											17.89	7.20	0.00	25.09
											0.00	0.00	0.00	0.00
											245.50	202.00	0.00	447.50
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.56	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.56	1400.13	0.00	2481.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.56	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.56	1400.13	0.00	2481.69
			7.08	7.75	0.00						1630.84	3193.97	0.00	4824.81
											0.00	0.00	0.00	0.00
											293.90	56.98	0.00	350.88
											0.00	0.00	0.00	0.00
											13154.85	624.96	0.00	13779.81
											0.00	0.00	0.00	0.00
											59.18	25.45	0.00	84.63
											0.00	0.00	0.00	0.00
11.02											718.35	606.24	0.00	1324.59
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
6	राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला	मु.का.	72.70	144.19								0.50	0.50	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**12988.43**	**2003.35**	**0.00**	**18.86**	**0.00**	**0.00**	**2221.33**	**2371.19**	**0.00**	**683.60**	**269.99**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**12988.43**	**2003.35**	**0.00**	**18.86**	**0.00**	**0.00**	**2221.33**	**2371.19**	**0.00**	**683.60**	**269.99**	**0.00**
	राजस्थान													
1	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	185.09	567.44		23.94			110.18	3.10		46.27	7.35	
		क्षे.का.												
2	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.	115.50	120.77					35.79	1.55		8.70	2.50	
		क्षे.का.												
3	मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.	142.45	306.17		14.73			150.88	0.00		31.82	17.09	
		क्षे.का.												
4	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	401.92	299.20					1444.47	18.76		161.28	28.23	
		क्षे.का.												
5	कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	मु.का.							15.56	0.00				
		क्षे.का.												
6	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	मु.का.	64.00	64.00								3.70	0.50	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**908.96**	**1357.57**	**0.00**	**38.67**	**0.00**	**0.00**	**1756.89**	**23.41**	**0.00**	**251.77**	**55.67**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**908.96**	**1357.57**	**0.00**	**38.67**	**0.00**	**0.00**	**1756.89**	**23.41**	**0.00**	**251.77**	**55.67**	**0.00**
	तमिलनाडु													
1	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराई कुडी	मु.का.	165.07	156.61		16.29			56.10	72.46		82.53	32.00	
		क्षे.का.												
2	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	469.15	387.20		1.76			110.56	314.43		120.89	82.93	
		क्षे.का.												
3	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्ना मलाई नगर	मु.का.	500.68	262.52					62.38	140.66		609.14	205.83	
		क्षे.का.												
4	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	408.42	335.56		20.08			181.44	2.28		69.73	41.05	
		क्षे.का.												
5	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	288.43	182.78					45.38	26.35		131.81	45.35	
		क्षे.का.												
6	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	406.03	170.96		4.35			278.27	44.56		142.74	30.30	
		क्षे.का.												
7	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	447.98	205.66		18.42			433.36	177.86		154.22	77.67	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
			0.78	27.90	0.00						73.98	172.59	0.00	246.57
											0.00	0.00	0.00	0.00
11.02	0.00	0.00	7.86	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15931.10	4680.17	0.00	20611.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02	0.00	0.00	7.86	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15931.10	4680.17	0.00	20611.28
5.68											371.17	577.89	0.00	949.06
											0.00	0.00	0.00	0.00
											159.99	124.82	0.00	284.81
											0.00	0.00	0.00	0.00
											339.88	323.26	0.00	663.14
											0.00	0.00	0.00	0.00
22.94											2030.61	346.18	0.00	2376.79
											0.00	0.00	0.00	0.00
											15.56	0.00	0.00	15.56
											0.00	0.00	0.00	0.00
											67.70	64.50	0.00	132.20
											0.00	0.00	0.00	0.00
28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.91	1436.65	0.00	4421.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2984.91	1436.65	0.00	4421.56
											319.99	261.07	0.00	581.07
											0.00	0.00	0.00	0.00
											702.35	784.56	0.00	1486.91
											0.00	0.00	0.00	0.00
6.97											1179.17	609.01	0.00	1788.18
											0.00	0.00	0.00	0.00
8.05											687.71	378.89	0.00	1066.60
											0.00	0.00	0.00	0.00
			8.91	7.75	0.00						474.54	262.23	0.00	736.77
											0.00	0.00	0.00	0.00
19.14											850.52	245.83	0.00	1096.34
											0.00	0.00	0.00	0.00
4.52											1058.52	461.19	0.00	1519.71
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
8	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	154.84	174.86					123.05	113.54		56.00	16.20	
		क्षे.का.												
9	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडाईकनाल	मु.का.	233.74	181.28		14.24			1.00	0.00		8.91	7.35	
		क्षे.का.												
10	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	मु.का.	138.05	114.26					33.92	0.00		84.73	33.00	
		क्षे.का.												
11	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वमहाविद्यालय, कांचीपुरम	मु.का.												
		क्षे.का.												
12	तमिल यूनिवर्सिटी, थंजावुर	मु.का.	84.93	172.03					23.29	27.90		10.69	2.00	
		क्षे.का.												
13	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	8.55	12.33					7.86	37.20		198.13	56.65	
		क्षे.का.												
14	तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी	मु.का.	63.20	68.97								3.42	1.60	
		क्षे.का.												
15	तमिलनाडु फीजीकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस यूनिवर्सिटी	मु.का.	0.00	56.03										
		क्षे.का.												
16	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	0.94	0.00								2.50	0.05	
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**3370.01**	**2481.04**	**0.00**	**75.13**	**0.00**	**0.00**	**1356.60**	**957.25**	**0.00**	**1675.44**	**631.97**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**3370.01**	**2481.04**	**0.00**	**75.13**	**0.00**	**0.00**	**1356.60**	**957.25**	**0.00**	**1675.44**	**631.97**	**0.00**
	उत्तर प्रदेश													
1	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	97.28	118.02					2.89	0.00		9.78	4.42	
		क्षे.का.												
2	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	140.57	208.38					92.29	0.00		16.14	2.90	
		क्षे.का.												
3	छ0 शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.	89.84	69.87								5.76	1.30	
		क्षे.का.												
4	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	145.62	92.12					192.62	1.55		70.72	24.85	
		क्षे.का.												
5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	123.09	100.25					34.01	0.00				
		क्षे.का.												
6	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	204.50	184.86					3.62	0.00		11.06	1.50	
		क्षे.का.												
7	जगद्गुरू रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी फॉर हैन्डीकेप्पड	मु.का.	210.41	274.10					4.10	0.00		0.54	0.00	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
50.00			6.01	7.75	0.00						389.91	312.35	0.00	702.26
											0.00	0.00	0.00	0.00
											257.90	188.63	0.00	446.52
											0.00	0.00	0.00	0.00
			3.26	10.85	0.00						259.96	158.11	0.00	418.06
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
			4.57	0.00	0.00						123.48	201.93	0.00	325.41
											0.00	0.00	0.00	0.00
											214.53	106.18	0.00	320.71
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.78	20.15	0.00						67.40	90.72	0.00	158.12
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	56.03	0.00	56.03
											0.00	0.00	0.00	0.00
											3.43	0.05	0.00	3.48
											0.00	0.00	0.00	0.00
88.68	**0.00**	**0.00**	**23.54**	**46.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6589.39**	**4116.77**	**0.00**	**10706.16**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
88.68	**0.00**	**0.00**	**23.54**	**46.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6589.39**	**4116.77**	**0.00**	**10706.16**
			6.08	7.75	0.00						116.03	130.19	0.00	246.21
											0.00	0.00	0.00	0.00
											249.00	211.28	0.00	460.28
											0.00	0.00	0.00	0.00
											95.60	71.17	0.00	166.77
											0.00	0.00	0.00	0.00
10.85											419.81	118.52	0.00	538.33
											0.00	0.00	0.00	0.00
											157.11	100.25	0.00	257.36
											0.00	0.00	0.00	0.00
											219.17	186.36	0.00	405.53
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						216.33	279.14	0.00	495.46
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
8	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	193.18	343.39					1321.89	21.52		103.58	30.70	
		क्षे.का.												
9	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.का.	82.81	70.63								0.48	0.25	
		क्षे.का.												
10	एम.जे.पी रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	102.94	91.56					5.63	0.00		20.86	8.62	
		क्षे.का.												
11	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	86.50	68.50					13.97	0.00		3.23	0.55	
		क्षे.का.												
12	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	97.36	168.89								12.93	6.87	
		क्षे.का.												
13	चन्द्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री0 एण्ड टेक्नालाजी, कानपुर	मु.का.							4.10	0.00				
		क्षे.का.												
14	डॉ0 राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी	मु.का.	45.00	45.00										
		क्षे.का.												
15	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनीवर्सिटी	मु.का.	0.00	250.00										
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**1619.09**	**2085.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1675.13**	**23.07**	**0.00**	**255.07**	**81.96**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**1619.09**	**2085.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1675.13**	**23.07**	**0.00**	**255.07**	**81.96**	**0.00**
	उत्तरांचल (उत्तराखण्ड)													
1	जी.बी. पंत एग्री0 यूनिवर्सिटी, पंतनगर	मु.का.	8.41	2.00					81.37	0.00		13.60	4.65	
		क्षे.का.												
2	कुँमाऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	मु.का.	213.80	148.46					152.62	84.68		45.51	16.85	
		क्षे.का.												
3	दून यूनिवर्सिटी, देहरादून	मु.का.	94.52	200.18					3.10	30.23		14.34	8.20	
		क्षे.का.												
4	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	मु.का.	0.00	56.25										
		क्षे.का.												
	कुल	**मु.का.**	**316.73**	**406.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237.08**	**114.90**	**0.00**	**73.45**	**29.70**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र–योग		**316.73**	**406.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237.08**	**114.90**	**0.00**	**73.45**	**29.70**	**0.00**
	पश्चिम बंगाल													
1	बंगाल इंजी0 एण्ड साइंस यूनिवर्सिटी	मु.का.	335.80	312.32					1.46	0.00		39.86	17.40	
		क्षे.का.												
2	बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	मु.का.							2.07	0.00		5.62	0.50	
		क्षे.का.												

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
7.75											1626.40	395.61	0.00	2022.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
											83.29	70.88	0.00	154.17
											0.00	0.00	0.00	0.00
											129.43	100.18	0.00	229.60
											0.00	0.00	0.00	0.00
											103.70	69.05	0.00	172.75
											0.00	0.00	0.00	0.00
											110.29	175.76	0.00	286.05
											0.00	0.00	0.00	0.00
											4.10	0.00	0.00	4.10
											0.00	0.00	0.00	0.00
											45.00	45.00	0.00	90.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	250.00	0.00	250.00
											0.00	0.00	0.00	0.00
18.60	0.00	0.00	7.36	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3575.25	2203.36	0.00	5778.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.60	0.00	0.00	7.36	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3575.25	2203.36	0.00	5778.61
											103.37	6.65	0.00	110.02
											0.00	0.00	0.00	0.00
											411.93	249.99	0.00	661.92
											0.00	0.00	0.00	0.00
			0.78	27.90	0.00						112.74	266.50	0.00	379.24
											0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00	56.25	0.00	56.25
											0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.78	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.04	579.39	0.00	1207.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.78	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.04	579.39	0.00	1207.43
						19.38	19.38	0.00			396.50	349.09	0.00	745.59
											0.00	0.00	0.00	0.00
											7.69	0.50	0.00	8.19
											0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3			क्षेत्रक 4		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	वर्द्धमान यूनिवर्सिटी, वर्द्धमान	मु.का.	172.41	304.37					135.02	220.90		60.96	30.25	
		क्षे.का.												
4	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	790.08	538.12		19.64			773.93	89.82		138.84	38.05	
		क्षे.का.												
5	जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	475.36	410.70		31.24			445.72	211.31		127.32	63.11	
		क्षे.का.												
6	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	मु.का.	318.32	267.14					62.31	24.41		57.90	33.81	
		क्षे.का.												
7	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	मु.का.	198.49	130.14		20.11			155.62	30.23		33.09	20.10	
		क्षे.का.												
8	रविन्द्र भारती यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	129.42	135.67					31.84	27.90		19.12	5.00	
		क्षे.का.												
9	वेस्ट बंगाल नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ ज्यूरीडीशियल, कोलकाता	मु.का.	63.87	154.21								3.45	2.00	
		क्षे.का.												
10	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	178.17	148.09		15.61			40.12	30.23		24.92	25.62	
		क्षे.का.												
11	प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी	मु.का.	288.13	396.48					10.77	39.53		17.73	6.45	
		क्षे.का.												
12	वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता	मु.का.	174.94	165.76								12.37	8.55	
		क्षे.का.												
	कुल	मु.का.	3124.98	2962.98	0.00	86.59	0.00	0.00	1658.85	674.32	0.00	541.20	250.84	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	समग्र–योग		3124.98	2962.98	0.00	86.59	0.00	0.00	1658.85	674.32	0.00	541.20	250.84	0.00

समग्र–योग	मु.का.	38993.12	34467.81	0.00	673.69	0.00	0.00	17551.22	9950.04	0.00	7806.42	3067.93	0.00
	क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		38993.12	34467.81	0.00	673.69	0.00	0.00	17551.22	9950.04	0.00	7806.42	3067.93	0.00

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग	30142.78	142194.66	33629.43	312.69	334.00	0.00	11248.57	3085.16	0.00	1898.42	945.39	0.00
समविश्वविद्यालयों का कुल योग	4003.90	3813.24	0.00	184.32	565.50	0.00	1045.86	768.99	0.00	685.75	426.72	0.00
विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थानों का कुल योग	14.19	1238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6614.80	0.00	0.00	245.17	128.22	0.00
अंतरविश्वविद्यालयों केन्द्रों का कुल योग	3901.22	835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2097.92	3603.63	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग	38993.12	34467.81	0.00	673.69	0.00	0.00	17551.22	9950.04	0.00	7806.42	3067.93	0.00
कुल आर्नलाईन भुगतान							1080.98	0.00	0.00			
कुल	77055.21	182549.51	33629.43	1170.71	899.50	0.00	39639.35	17407.81	0.00	10635.76	4568.26	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 5			क्षेत्रक 6			क्षेत्रक 7			क्षेत्रक 8	क्षेत्रक 9	कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	(31+35+36)	(31+35+36)	31	35	36	
0.40											368.79	555.52	0.00	924.31
											0.00	0.00	0.00	0.00
32.41											1754.89	665.99	0.00	2420.88
											0.00	0.00	0.00	0.00
9.44											1089.07	685.12	0.00	1774.19
											0.00	0.00	0.00	0.00
10.85			0.00	6.20	0.00						449.37	331.56	0.00	780.93
											0.00	0.00	0.00	0.00
7.75			5.33	12.01	0.00						420.39	192.48	0.00	612.87
											0.00	0.00	0.00	0.00
											180.38	168.57	0.00	348.95
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						68.60	161.25	0.00	229.85
											0.00	0.00	0.00	0.00
											258.81	203.93	0.00	462.74
											0.00	0.00	0.00	0.00
											316.63	442.45	0.00	759.08
											0.00	0.00	0.00	0.00
			1.28	5.04	0.00						188.59	179.35	0.00	367.94
											0.00	0.00	0.00	0.00
60.84	0.00	0.00	7.88	28.29	0.00	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	5499.72	3935.80	0.00	9435.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.84	0.00	0.00	7.88	28.29	0.00	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	5499.72	3935.80	0.00	9435.52
679.93	0.00	0.00	180.87	474.96	0.00	35.13	26.08	0.00	0.00	0.00	65920.37	47986.83	0.00	113907.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
679.93	0.00	0.00	180.87	474.96	0.00	35.13	26.08	0.00	0.00	0.00	65920.37	47986.83	0.00	113907.20
360.27	0.00	0.00	34.41	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43997.14	146690.02	33629.43	224316.59
183.17	0.00	0.00	9.39	51.93	0.00	19.00	192.29	0.00	0.00	0.00	6131.40	5818.66	0.00	11950.06
5.13	0.00	0.00	0.78	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6880.08	1399.00	0.00	8279.08
0.00	0.00	0.00	11357.10	15.11	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17366.24	4454.00	0.00	21820.24
679.93	0.00	0.00	180.87	474.96	0.00	35.13	26.08	0.00	0.00	0.00	65920.37	47986.83	0.00	113907.20
											1080.98	0.00	0.00	1080.98
1228.50	0.00	0.00	11582.54	705.06	0.00	64.13	218.37	0.00	0.00	0.00	141376.21	206348.52	33629.43	381354.16

परिशिष्ट–XXI (जारी...)

वर्ष 2012–13 के दौरान महाविद्यालयों को प्रदत्त सामान्य योजनागत अनुदान (मुख्य शीर्षवार) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय										
1	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	मु.का.	19.70	159.59		2.33	0.00	0.00	67.92	17.39	
		क्षे.का.									
2	असम यूनिवर्सिटी, सिलचर	मु.का.	0.14	0.00							
		क्षे.का.									
3	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मु.का.	2.84	81.12					9.74		
		क्षे.का.									
4	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	मु.का.	358.45	351.53	1330.00	6.07	0.00	0.00	204.89	35.50	
		क्षे.का.									
5	गुरू घासीदास यूनिवर्सिटी,, बिलासपुर	मु.का.							6.00		
		क्षे.का.									
6	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	0.66	185.08	0.00	2.29	1.16	0.00	18.36		
		क्षे.का.									
7	मणीपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल	मु.का.	82.65	46.20	0.00	2.33	0.00	0.00	6.86	9.30	
		क्षे.का.									
8	मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइज़ौल	मु.का.	2.26	1.20	0.00						
		क्षे.का.									
9	नागालैण्ड यूनिवर्सिटी, कोहिमा	मु.का.	2.10	0.00	0.00						
		क्षे.का.									
10	नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मु.का.	8.55	3.38	0.00				7.75	11.63	
		क्षे.का.									
11	पुदुचेरी यूनिवर्सिटी, पाण्डिचेरी	मु.का.	22.35	3.10	0.00				48.19		
		क्षे.का.									
12	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर	मु.का.	6.49	6.30	0.00				12.40	18.60	
		क्षे.का.									
13	त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, अगरतला	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**506.18**	**837.50**	**1330.00**	**13.01**	**1.16**	**0.00**	**382.11**	**92.41**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**506.18**	**837.50**	**1330.00**	**13.01**	**1.16**	**0.00**	**382.11**	**92.41**	**0.00**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
16.71	5.60					106.66	182.58	0.00	289.24
						0.00	0.00	0.00	0.00
13.58	4.70		0.47			14.18	4.70	0.00	18.88
						0.00	0.00	0.00	0.00
9.94	3.30		9.77			32.28	84.42	0.00	116.70
						0.00	0.00	0.00	0.00
357.79	83.80		1.62			928.82	470.83	1330.00	2729.65
						0.00	0.00	0.00	0.00
0.29						6.29	0.00	0.00	6.29
						0.00	0.00	0.00	0.00
39.86	10.05					61.18	196.29	0.00	257.48
						0.00	0.00	0.00	0.00
61.89	23.32		8.55			162.27	78.82	0.00	241.09
						0.00	0.00	0.00	0.00
3.72	4.00		3.38			9.36	5.20	0.00	14.56
						0.00	0.00	0.00	0.00
			7.25			9.35	0.00	0.00	9.35
						0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00					17.30	15.00	0.00	32.30
						0.00	0.00	0.00	0.00
41.40	20.15		12.06			123.99	23.25	0.00	147.24
						0.00	0.00	0.00	0.00
6.32	2.00					25.20	26.90	0.00	52.10
						0.00	0.00	0.00	0.00
4.67	3.75					4.67	3.75	0.00	8.42
						0.00	0.00	0.00	0.00
557.17	**160.67**	**0.00**	**43.08**	**0.00**	**0.00**	**1501.55**	**1091.74**	**1330.00**	**3923.29**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
557.17	**160.67**	**0.00**	**43.08**	**0.00**	**0.00**	**1501.55**	**1091.74**	**1330.00**	**3923.29**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
	समविश्वविद्यालय										
1	भारती विद्यापीठ, पुणे	मु.का.									
		क्षे.का.									
2	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राज्य विश्वविद्यालय										
	आन्ध्र प्रदेश										
1	आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, गुंटूर	मु.का.	8.98	69.20	0.00	6.12			7.26	24.80	
		क्षे.का.									
2	आन्ध्रा यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर	मु.का.	21.57	16.20	0.00	2.33			69.06	55.80	
		क्षे.का.									
3	जवाहर लाल टेकनोलाजी, हैदराबाद	मु.का.							1.10		
		क्षे.का.									
4	काकातीया यूनिवर्सिटी, वारंगल	मु.का.	8.22	13.05	0.00	7.66			13.94	41.85	
		क्षे.का.									
5	उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	मु.का.	30.42	16.20	0.00	8.95			129.10	55.80	
		क्षे.का.									
6	श्री कृष्णदेवराय यूनिवर्सिटी, अनन्तपुर	मु.का.	16.30	41.80	0.00	3.67			53.87	125.13	
		क्षे.का.									
7	श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, तिरुपति	मु.का.	34.64	0.00	0.00				68.85	26.35	
		क्षे.का.									
8	डॉ0 एनटीआर इंस्टीटयूट आफ हैल्थ साईस, विजयवाडा	मु.का.							2.18		
		क्षे.का.									
9	कृष्णा यूनीवर्सिटी, मछलीपत्तनम	मु.का.	1.35	15.53	0.00						
		क्षे.का.									
10	जेएनटीयू, काकीनाडा	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**121.48**	**171.98**	**0.00**	**28.73**	**0.00**	**0.00**	**345.37**	**329.73**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**121.48**	**171.98**	**0.00**	**28.73**	**0.00**	**0.00**	**345.37**	**329.73**	**0.00**
	असम										
1	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़	मु.का.	165.86	20.45	0.00	11.10			63.18	67.15	
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
40.47	28.40					40.47	28.40	0.00	68.87
						0.00	0.00	0.00	0.00
7.95						7.95	0.00	0.00	7.95
						0.00	0.00	0.00	0.00
48.42	**28.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48.42**	**28.40**	**0.00**	**76.82**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43.44	19.01		17.28			83.09	113.01	0.00	196.09
						0.00	0.00	0.00	0.00
31.98	7.50		3.77			128.70	79.50	0.00	208.20
						0.00	0.00	0.00	0.00
						1.10	0.00	0.00	1.10
						0.00	0.00	0.00	0.00
44.21	15.80		6.70			80.74	70.70	0.00	151.44
						0.00	0.00	0.00	0.00
110.52	31.92		4.88			283.87	103.92	0.00	387.79
						0.00	0.00	0.00	0.00
4.47	0.40		4.88			83.20	167.34	0.00	250.54
						0.00	0.00	0.00	0.00
37.75	6.45		25.54			166.78	32.80	0.00	199.58
						0.00	0.00	0.00	0.00
						2.18	0.00	0.00	2.18
						0.00	0.00	0.00	0.00
						1.35	15.53	0.00	16.88
						0.00	0.00	0.00	0.00
4.27	3.50					4.27	3.50	0.00	7.77
						0.00	0.00	0.00	0.00
276.63	**84.58**	**0.00**	**63.06**	**0.00**	**0.00**	**835.27**	**586.29**	**0.00**	**1421.56**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
276.63	**84.58**	**0.00**	**63.06**	**0.00**	**0.00**	**835.27**	**586.29**	**0.00**	**1421.56**
50.17	31.45		28.05			318.36	119.05	0.00	437.41
						0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
2	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	मु.का.	171.05	104.95	0.00	2.33			42.31	46.50	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**336.91**	**125.40**	**0.00**	**13.43**	**0.00**	**0.00**	**105.48**	**113.65**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**336.91**	**125.40**	**0.00**	**13.43**	**0.00**	**0.00**	**105.48**	**113.65**	**0.00**
	बिहार										
1	बी.एन. मण्डल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा	मु.का.							1.17	0.00	
		क्षे.का.									
2	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	मु.का.	5.47						4.14	0.00	
		क्षे.का.									
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	मु.का.									
		क्षे.का.									
4	के.एस. दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	0.14	0.00	0.00						
		क्षे.का.									
5	एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा	मु.का.	20.39	5.40	0.00				16.27	18.60	
		क्षे.का.									
6	मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया	मु.का.	8.82	0.00	0.00	4.38			21.93	1.80	
		क्षे.का.									
7	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	मु.का.	1.80	2.70	0.00				8.01	9.30	
		क्षे.का.									
8	टी.एम. भागलपुर यूनिवर्सिटी, भागलपुर	मु.का.	6.89	0.00	0.00						
		क्षे.का.									
9	वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा	मु.का.	1.20	0.00	0.00	4.13					
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**44.69**	**8.10**	**0.00**	**8.51**	**0.00**	**0.00**	**51.52**	**29.70**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**44.69**	**8.10**	**0.00**	**8.51**	**0.00**	**0.00**	**51.52**	**29.70**	**0.00**
	छत्तीसगढ़										
1	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर	मु.का.	8.59	12.15	0.00	1.68			30.14	41.85	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**8.59**	**12.15**	**0.00**	**1.68**	**0.00**	**0.00**	**30.14**	**41.85**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**8.59**	**12.15**	**0.00**	**1.68**	**0.00**	**0.00**	**30.14**	**41.85**	**0.00**
	गुजरात										
1	भावनगर यूनिवर्सिटी, भावनगर	मु.का.									
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
93.66	31.25		40.18			349.53	182.70	0.00	532.23
						0.00	0.00	0.00	0.00
143.83	**62.70**	**0.00**	**68.23**	**0.00**	**0.00**	**667.89**	**301.75**	**0.00**	**969.64**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
143.83	**62.70**	**0.00**	**68.23**	**0.00**	**0.00**	**667.89**	**301.75**	**0.00**	**969.64**
3.96	0.00		0.22			5.35	0.00	0.00	5.35
						0.00	0.00	0.00	0.00
1.23	0.00		18.83			29.67	0.00	0.00	29.67
						0.00	0.00	0.00	0.00
1.22	1.25					1.22	1.25	0.00	2.47
						0.00	0.00	0.00	0.00
			0.47			0.60	0.00	0.00	0.60
						0.00	0.00	0.00	0.00
23.27	8.20		49.91			109.83	32.20	0.00	142.03
						0.00	0.00	0.00	0.00
11.12	0.00		34.71			80.97	1.80	0.00	82.77
						0.00	0.00	0.00	0.00
5.87	0.91					15.69	12.91	0.00	28.60
						0.00	0.00	0.00	0.00
1.86			23.72			32.46	0.00	0.00	32.46
						0.00	0.00	0.00	0.00
2.57						7.90	0.00	0.00	7.90
						0.00	0.00	0.00	0.00
51.09	**10.36**	**0.00**	**127.86**	**0.00**	**0.00**	**283.67**	**48.16**	**0.00**	**331.83**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51.09	**10.36**	**0.00**	**127.86**	**0.00**	**0.00**	**283.67**	**48.16**	**0.00**	**331.83**
26.15	10.45					66.55	64.45	0.00	131.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
26.15	**10.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66.55**	**64.45**	**0.00**	**131.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
26.15	**10.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66.55**	**64.45**	**0.00**	**131.00**
1.02	0.00		0.13			1.15	0.00	0.00	1.15
						0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
2	गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	मु.का.	1.47	0.00	0.00				5.85	0.00	
		क्षे.का.									
3	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	मु.का.	24.95	134.61	0.00				83.16	18.60	
		क्षे.का.									
4	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ	मु.का.	10.24	0.90	0.00				32.21	0.00	
		क्षे.का.									
5	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट	मु.का.	11.33	18.23	0.00				25.92	62.78	
		क्षे.का.									
6	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत	मु.का.							2.21	0.00	
		क्षे.का.									
7	कच्छ यूनिवर्सिटी	मु.का.									
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**47.99**	**153.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149.34**	**81.38**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**47.99**	**153.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149.34**	**81.38**	**0.00**
	गोवा										
1	गोवा यूनिवर्सिटी, गोवा	मु.का.	1.80	2.70	0.00				9.07	37.98	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**1.80**	**2.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.07**	**37.98**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**1.80**	**2.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.07**	**37.98**	**0.00**
	हरियाणा										
1	चौ0 चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हरियाणा, हिसार	मु.का.									
		क्षे.का.									
2	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र	मु.का.	16.85	1084.69	0.00		219.60		93.14	33.33	
		क्षे.का.									
3	महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक	मु.का.	7.65	1077.33	0.00		63.60		126.06	44.85	
		क्षे.का.									
4	चौ0 देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा	मु.का.	0.00	271.27	0.00		128.96		5.96	6.30	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**24.50**	**2433.29**	**0.00**	**0.00**	**412.16**	**0.00**	**225.16**	**84.48**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**24.50**	**2433.29**	**0.00**	**0.00**	**412.16**	**0.00**	**225.16**	**84.48**	**0.00**
	हिमाचल प्रदेश										
1	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	मु.का.	8.30	224.92	0.00				11.86	0.00	
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
10.88	6.70		5.08			23.27	6.70	0.00	29.97
						0.00	0.00	0.00	0.00
9.86	1.70					117.97	154.91	0.00	272.88
						0.00	0.00	0.00	0.00
18.06	6.35		0.20			60.71	7.25	0.00	67.96
						0.00	0.00	0.00	0.00
17.29	9.40		18.83			73.36	90.40	0.00	163.76
						0.00	0.00	0.00	0.00
7.93	6.20					10.14	6.20	0.00	16.34
						0.00	0.00	0.00	0.00
2.51	1.50					2.51	1.50	0.00	4.01
						0.00	0.00	0.00	0.00
67.54	**31.85**	**0.00**	**24.24**	**0.00**	**0.00**	**289.11**	**266.96**	**0.00**	**556.08**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
67.54	**31.85**	**0.00**	**24.24**	**0.00**	**0.00**	**289.11**	**266.96**	**0.00**	**556.08**
15.96	2.95					26.83	43.63	0.00	70.46
						0.00	0.00	0.00	0.00
15.96	**2.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26.83**	**43.63**	**0.00**	**70.46**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15.96	**2.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26.83**	**43.63**	**0.00**	**70.46**
			1.71			1.71	0.00	0.00	1.71
						0.00	0.00	0.00	0.00
42.68	9.95		38.41			191.08	1347.57	0.00	1538.65
						0.00	0.00	0.00	0.00
9.28	2.80		0.62			143.60	1188.58	0.00	1332.18
						0.00	0.00	0.00	0.00
3.87	6.15					9.83	412.68	0.00	422.51
						0.00	0.00	0.00	0.00
55.82	**18.90**	**0.00**	**40.73**	**0.00**	**0.00**	**346.21**	**2948.82**	**0.00**	**3295.03**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
55.82	**18.90**	**0.00**	**40.73**	**0.00**	**0.00**	**346.21**	**2948.82**	**0.00**	**3295.03**
1.25	0.90		28.60			50.02	225.82	0.00	275.84
						0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
	कुल	**मु.का.**	**8.30**	**224.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.86**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**8.30**	**224.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.86**	**0.00**	**0.00**
	जम्मू और कश्मीर										
1	जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू	मु.का.	2.60	420.13	0.00	5.79	1.94	0.00	6.88	0.00	
		क्षे.का.									
2	कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	मु.का.	2.85	361.94	0.00	9.81	20.54	0.00	19.08	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**5.45**	**782.07**	**0.00**	**15.60**	**22.48**	**0.00**	**25.96**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**5.45**	**782.07**	**0.00**	**15.60**	**22.48**	**0.00**	**25.96**	**0.00**	**0.00**
	झारखण्ड										
1	राँची यूनिवर्सिटी, राँची	मु.का.	13.58	10.45	0.00	4.38	0.00	0.00	30.31	32.55	
		क्षे.का.									
2	विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग	मु.का.	1.04	0.00	0.00						
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**14.62**	**10.45**	**0.00**	**4.38**	**0.00**	**0.00**	**30.31**	**32.55**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**14.62**	**10.45**	**0.00**	**4.38**	**0.00**	**0.00**	**30.31**	**32.55**	**0.00**
	कर्नाटक										
1	बंगलौर यूनिवर्सिटी, बंगलौर	मु.का.	25.69	74.43	0.00	1.68	0.00	0.00	86.20	118.58	
		क्षे.का.									
2	गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा	मु.का.	3.32	2.70	0.00				7.92	9.30	
		क्षे.का.									
3	कन्नड़ यूनिवर्सिटी, हम्पी	मु.का.							68.20	32.55	
		क्षे.का.									
4	कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़	मु.का.	20.69	69.45	0.00				0.80	0.00	
		क्षे.का.									
5	कर्नाटक स्टेट वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बीजापुर	मु.का.	3.60	5.40	0.00				12.40	18.60	
		क्षे.का.									
6	कुवेम्पू यूनिवर्सिटी, शिमोगा	मु.का.	7.43	8.10	0.00				20.89	27.90	
		क्षे.का.									
7	मंगलौर यूनिवर्सिटी, मंगलौर	मु.का.	12.89	4.30	0.00				24.30	0.00	
		क्षे.का.									
8	मैसूर यूनिवर्सिटी, मैसूर	मु.का.	44.74	14.55	0.00				96.14	24.12	
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
1.25	**0.90**	**0.00**	**28.60**	**0.00**	**0.00**	**50.02**	**225.82**	**0.00**	**275.84**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.25	**0.90**	**0.00**	**28.60**	**0.00**	**0.00**	**50.02**	**225.82**	**0.00**	**275.84**
13.11	5.90		3.18			31.56	427.97	0.00	459.53
						0.00	0.00	0.00	0.00
14.50	4.80					46.23	387.28	0.00	433.51
						0.00	0.00	0.00	0.00
27.61	**10.70**	**0.00**	**3.18**	**0.00**	**0.00**	**77.79**	**815.25**	**0.00**	**893.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
27.61	**10.70**	**0.00**	**3.18**	**0.00**	**0.00**	**77.79**	**815.25**	**0.00**	**893.04**
25.24	10.55		16.74			90.26	53.55	0.00	143.81
						0.00	0.00	0.00	0.00
2.86	3.10		3.99			7.88	3.10	0.00	10.98
						0.00	0.00	0.00	0.00
28.10	**13.65**	**0.00**	**20.73**	**0.00**	**0.00**	**98.14**	**56.65**	**0.00**	**154.79**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
28.10	**13.65**	**0.00**	**20.73**	**0.00**	**0.00**	**98.14**	**56.65**	**0.00**	**154.79**
66.98	18.16		4.95			185.49	211.16	0.00	396.65
						0.00	0.00	0.00	0.00
22.13	5.60		5.23			38.61	17.60	0.00	56.21
						0.00	0.00	0.00	0.00
						68.20	32.55	0.00	100.75
						0.00	0.00	0.00	0.00
72.96	15.85		2.04			96.49	85.30	0.00	181.79
						0.00	0.00	0.00	0.00
						16.00	24.00	0.00	40.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
43.32	23.05		6.98			78.61	59.05	0.00	137.66
						0.00	0.00	0.00	0.00
26.58	8.60		11.86			75.63	12.90	0.00	88.53
						0.00	0.00	0.00	0.00
64.19	30.15		16.63			221.70	68.82	0.00	290.52
						0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
9	विश्वैश्वरया यूनीवर्सिटी,	मु.का.							6.82	0.00	
		क्षे.का.									
10	राजीव गांधी यूनीवर्सिटी आफ हैल्थ सांईस, बंगलूरू	मु.का.							1.88	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**118.35**	**178.93**	**0.00**	**1.68**	**0.00**	**0.00**	**325.56**	**231.04**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**118.35**	**178.93**	**0.00**	**1.68**	**0.00**	**0.00**	**325.56**	**231.04**	**0.00**
	केरल										
1	कालीकट यूनिवर्सिटी, कोझीकोड	मु.का.	6.96	22.16	0.00	1.26	0.00	0.00	78.48	81.74	
		क्षे.का.									
2	कन्नूर यूनिवर्सिटी	मु.का.							2.28	0.00	
		क्षे.का.									
3	केरल यूनिवर्सिटी, तिरूअनंतपुरम	मु.का.	6.70	11.48	0.00				19.60	33.33	
		क्षे.का.									
4	महात्मा गाँधी यूनिवर्सिटी, थ्रिसूर	मु.का.	31.48	33.75	0.00	8.20	0.00	0.00	89.11	141.05	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**45.13**	**67.39**	**0.00**	**9.46**	**0.00**	**0.00**	**189.47**	**256.11**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**45.13**	**67.39**	**0.00**	**9.46**	**0.00**	**0.00**	**189.47**	**256.11**	**0.00**
	मध्य प्रदेश										
1	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	मु.का.	5.39	8.10	0.00				18.55	27.89	
		क्षे.का.									
2	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	मु.का.	10.94	16.20	0.00				54.38	55.80	
		क्षे.का.									
3	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, सागर	मु.का.							4.99	2.25	
		क्षे.का.									
4	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	मु.का.	1.20	0.00	0.00				11.49	0.00	
		क्षे.का.									
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	मु.का.	5.40	8.10	0.00				57.22	27.90	
		क्षे.का.									
6	विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन	मु.का.	1.20	0.00	0.00	4.13	0.00	0.00	8.20	0.00	
		क्षे.का.									
7	राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	मु.का.							3.80	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**24.12**	**32.40**	**0.00**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**158.63**	**113.84**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**24.12**	**32.40**	**0.00**	**4.13**	**0.00**	**0.00**	**158.63**	**113.84**	**0.00**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
29.81	22.10					36.63	22.10	0.00	58.73
						0.00	0.00	0.00	0.00
7.87	5.75					9.75	5.75	0.00	15.50
						0.00	0.00	0.00	0.00
333.84	**129.26**	**0.00**	**47.69**	**0.00**	**0.00**	**827.12**	**539.23**	**0.00**	**1366.35**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
333.84	**129.26**	**0.00**	**47.69**	**0.00**	**0.00**	**827.12**	**539.23**	**0.00**	**1366.35**
98.57	33.50		1.11			186.38	137.40	0.00	323.78
						0.00	0.00	0.00	0.00
25.33	0.65					27.61	0.65	0.00	28.26
						0.00	0.00	0.00	0.00
164.06	35.65		15.54			205.89	80.45	0.00	286.34
						0.00	0.00	0.00	0.00
181.42	61.64		37.05			347.25	236.44	0.00	583.69
						0.00	0.00	0.00	0.00
469.37	**131.44**	**0.00**	**53.70**	**0.00**	**0.00**	**767.13**	**454.94**	**0.00**	**1222.07**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
469.37	**131.44**	**0.00**	**53.70**	**0.00**	**0.00**	**767.13**	**454.94**	**0.00**	**1222.07**
3.57	1.30					27.51	37.29	0.00	64.80
						0.00	0.00	0.00	0.00
36.04	4.40		0.47			101.81	76.40	0.00	178.21
						0.00	0.00	0.00	0.00
8.76	2.55					13.75	4.80	0.00	18.55
						0.00	0.00	0.00	0.00
14.15	7.20					26.84	7.20	0.00	34.04
						0.00	0.00	0.00	0.00
8.47	3.05					71.09	39.05	0.00	110.14
						0.00	0.00	0.00	0.00
7.05	1.45					20.57	1.45	0.00	22.02
						0.00	0.00	0.00	0.00
						3.80	0.00	0.00	3.80
						0.00	0.00	0.00	0.00
78.03	**19.95**	**0.00**	**0.47**	**0.00**	**0.00**	**265.38**	**166.19**	**0.00**	**431.56**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
78.03	**19.95**	**0.00**	**0.47**	**0.00**	**0.00**	**265.38**	**166.19**	**0.00**	**431.56**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
	महाराष्ट्र										
1	एस.जी.बी. अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	मु.का.	38.46	70.70	0.00	2.33	0.00	0.00	57.87	110.05	
		क्षे.का.									
2	डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	मु.का.	39.28	160.10	0.00				102.89	65.10	
		क्षे.का.									
3	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.का.	54.96	44.25	0.00				119.35	103.85	
		क्षे.का.									
4	नार्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगाँव	मु.का.	16.50	97.40	0.00	2.00	0.00	0.00	29.60	27.90	
		क्षे.का.									
5	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	मु.का.	35.98	58.96	0.00	4.27	0.00	0.00	78.57	32.28	
		क्षे.का.									
6	आर.टी.एम. नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर	मु.का.	51.25	193.24	0.00	13.60			55.82	128.13	
		क्षे.का.									
7	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई	मु.का.	1.07	0.00	0.00				1.06	0.00	
		क्षे.का.									
8	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	मु.का.	26.97	29.04	0.00	4.13			68.55	102.69	
		क्षे.का.									
9	स्वामी आर.टी.एम. विश्वविद्यालय, नांदेड़	मु.का.	21.59	70.18	0.00	2.32			68.57	67.43	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**286.05**	**723.85**	**0.00**	**28.63**	**0.00**	**0.00**	**582.29**	**637.41**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**286.05**	**723.85**	**0.00**	**28.63**	**0.00**	**0.00**	**582.29**	**637.41**	**0.00**
	ओड़ीशा										
1	बरहामपुर यूनिवर्सिटी, बरहामपुर	मु.का.									
		क्षे.का.									
2	फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, बालासोर	मु.का.									
		क्षे.का.									
3	नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, बारीपाड	मु.का.	0.27	0.00	0.00				0.71	0.00	
		क्षे.का.									
4	सम्बलपुर, यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर	मु.का.	14.40	8.10	0.00				50.87	27.90	
		क्षे.का.									
5	उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	मु.का.	15.08	76.20	0.00				52.65	55.80	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**29.75**	**84.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104.23**	**83.70**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**29.75**	**84.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104.23**	**83.70**	**0.00**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
113.50	37.61		62.90			275.05	218.36	0.00	493.41
						0.00	0.00	0.00	0.00
163.95	57.60		23.41			329.53	282.80	0.00	612.33
						0.00	0.00	0.00	0.00
144.88	90.50		44.41			363.60	238.60	0.00	602.20
						0.00	0.00	0.00	0.00
60.38	21.95		31.87			140.35	147.25	0.00	287.60
						0.00	0.00	0.00	0.00
222.51	132.58		10.21			351.55	223.81	0.00	575.36
						0.00	0.00	0.00	0.00
114.24	72.40		57.89			292.80	393.76	0.00	686.56
						0.00	0.00	0.00	0.00
4.28	3.60		3.67			10.08	3.60	0.00	13.68
						0.00	0.00	0.00	0.00
155.78	82.65		6.98			262.40	214.38	0.00	476.77
						0.00	0.00	0.00	0.00
127.08	60.85		7.09			226.65	198.45	0.00	425.10
						0.00	0.00	0.00	0.00
1106.61	**559.74**	**0.00**	**248.42**	**0.00**	**0.00**	**2252.00**	**1921.00**	**0.00**	**4173.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1106.61	**559.74**	**0.00**	**248.42**	**0.00**	**0.00**	**2252.00**	**1921.00**	**0.00**	**4173.00**
3.34	2.60					3.34	2.60	0.00	5.94
						0.00	0.00	0.00	0.00
9.85	2.10		0.20			10.05	2.10	0.00	12.15
						0.00	0.00	0.00	0.00
0.40	0.00		0.93			2.31	0.00	0.00	2.31
						0.00	0.00	0.00	0.00
25.13	10.30					90.40	46.30	0.00	136.70
						0.00	0.00	0.00	0.00
26.76	3.08		22.35			116.83	135.08	0.00	251.91
						0.00	0.00	0.00	0.00
65.47	**18.08**	**0.00**	**23.48**	**0.00**	**0.00**	**222.92**	**186.08**	**0.00**	**409.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
65.47	**18.08**	**0.00**	**23.48**	**0.00**	**0.00**	**222.92**	**186.08**	**0.00**	**409.00**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
	पंजाब										
1	गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर	मु.का.	45.79	1558.97	0.00	4.64	125.33	0.00	203.35	173.60	
		क्षे.का.									
2	पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़	मु.का.	43.11	1702.51	0.00	11.75	142.21	0.00	224.38	34.88	
		क्षे.का.									
3	पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला	मु.का.	6.90	583.92	0.00	0.00	101.68	0.00	151.28	18.60	
		क्षे.का.									
4	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	मु.का.							3.16	0.00	
		क्षे.का.									
5	पंजाब टेक्नीकल यूनीवर्सिटी, जालंधर	मु.का.							0.99	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**95.80**	**3845.40**	**0.00**	**16.39**	**369.22**	**0.00**	**583.16**	**227.08**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**95.80**	**3845.40**	**0.00**	**16.39**	**369.22**	**0.00**	**583.16**	**227.08**	**0.00**
	राजस्थान										
1	जयनारायन व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर	मु.का.	1.13	43.69	0.00				3.88	5.81	
		क्षे.का.									
2	महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी, अजमेर	मु.का.	0.68	0.00	0.00				15.49	0.00	
		क्षे.का.									
3	मोहन लाल सुखोदिया यूनिवर्सिटी, उदयपुर	मु.का.									
		क्षे.का.									
4	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	मु.का.	23.11	58.65	0.00	2.33			116.71	10.85	
		क्षे.का.									
5	कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा	मु.का.							55.19	0.00	
		क्षे.का.									
6	महाराजा गंग सिंह यूनीवर्सिटी, बीकानेर	मु.का.							50.90	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**24.91**	**102.34**	**0.00**	**2.33**	**0.00**	**0.00**	**242.17**	**16.66**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**24.91**	**102.34**	**0.00**	**2.33**	**0.00**	**0.00**	**242.17**	**16.66**	**0.00**
	तमिलनाडु										
1	अलगप्पा यूनिवर्सिटी, कराई कुडी	मु.का.	10.91	4.75	0.00				2.64	0.00	
		क्षे.का.									
2	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.							1.32	0.00	
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
57.31	12.30		55.82			366.91	1870.20	0.00	2237.11
						0.00	0.00	0.00	0.00
39.33	13.85		75.50			394.08	1893.45	0.00	2287.52
						0.00	0.00	0.00	0.00
19.54	13.70					177.72	717.90	0.00	895.62
						0.00	0.00	0.00	0.00
						3.16	0.00	0.00	3.16
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.99	0.00	0.00	0.99
						0.00	0.00	0.00	0.00
116.18	**39.85**	**0.00**	**131.32**	**0.00**	**0.00**	**942.86**	**4481.54**	**0.00**	**5424.40**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
116.18	**39.85**	**0.00**	**131.32**	**0.00**	**0.00**	**942.86**	**4481.54**	**0.00**	**5424.40**
1.37	0.00					6.37	49.50	0.00	55.87
						0.00	0.00	0.00	0.00
20.07	0.60					36.23	0.60	0.00	36.83
						0.00	0.00	0.00	0.00
22.83	0.90					22.83	0.90	0.00	23.73
						0.00	0.00	0.00	0.00
79.98	10.35					222.13	79.85	0.00	301.98
						0.00	0.00	0.00	0.00
25.71	1.85					80.89	1.85	0.00	82.74
						0.00	0.00	0.00	0.00
						50.90	0.00	0.00	50.90
						0.00	0.00	0.00	0.00
149.95	**13.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419.36**	**132.70**	**0.00**	**552.06**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
149.95	**13.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**419.36**	**132.70**	**0.00**	**552.06**
21.41	18.10		0.47			35.42	22.85	0.00	58.27
						0.00	0.00	0.00	0.00
36.55	63.65					37.87	63.65	0.00	101.52
						0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
3	भरथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	मु.का.	26.59	116.58	0.00	6.44			23.94	70.43	
		क्षे.का.									
4	भारतीदासन यूनिवर्सिटी, तिरूचिरापल्ली	मु.का.	71.31	84.68	0.00	8.75			44.18	70.53	
		क्षे.का.									
5	मद्रास यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.	21.63	12.25	0.00	4.43			78.54	15.95	
		क्षे.का.									
6	मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुराई	मु.का.	41.85	48.90	0.00	17.39			103.40	77.50	
		क्षे.का.									
7	मनोनमनीयम सुन्दरनार यूनिवर्सिटी, तिरूनेलवेल्ली	मु.का.	37.41	28.90	0.00	6.02			44.41	88.35	
		क्षे.का.									
8	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोडाईकनाल	मु.का.									
		क्षे.का.									
9	पेरियार यूनिवर्सिटी, सेलम	मु.का.	0.00	10.00	0.00				7.98	0.00	
		क्षे.का.									
10	थिरूवल्वुर यूनिवर्सिटी	मु.का.							2.16	0.00	
		क्षे.का.									
11	तिरूवल्लूर यूनीवर्सिटी, वेल्लूर	मु.का.	1.86	2.00	0.00						
		क्षे.का.									
12	तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई	मु.का.							19.33	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**211.56**	**308.05**	**0.00**	**43.02**	**0.00**	**0.00**	**327.90**	**322.75**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**211.56**	**308.05**	**0.00**	**43.02**	**0.00**	**0.00**	**327.90**	**322.75**	**0.00**
	उत्तर प्रदेश										
1	बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झाँसी	मु.का.	0.36	212.99	0.00	0.00	51.54	0.00	4.79	0.00	
		क्षे.का.									
2	चौ0 चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ	मु.का.	30.93	1002.20	0.00	4.61	1.94	0.00	194.05	0.00	
		क्षे.का.									
3	छ0 शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर	मु.का.	7.70	355.25	0.00	0.00	17.05	0.00	48.40	9.30	
		क्षे.का.									
4	डी.डी.यू. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर	मु.का.	38.12	647.80	0.00	0.00	91.91	0.00	89.34	1.80	
		क्षे.का.									
5	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा	मु.का.	35.18	973.49	0.00	2.33	55.80	0.00	61.39	6.33	
		क्षे.का.									
6	डॉ. आर.एम.एल. अवध यूनिवर्सिटी, फैजाबाद	मु.का.	9.07	336.84	0.00	0.00	49.99	0.00	36.26	0.00	
		क्षे.का.									

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
280.04	139.85		32.74			369.75	326.85	0.00	696.60
						0.00	0.00	0.00	0.00
297.27	125.94		21.90			443.41	281.14	0.00	724.55
						0.00	0.00	0.00	0.00
208.56	92.95		7.08			320.23	121.15	0.00	441.38
						0.00	0.00	0.00	0.00
186.04	70.30		15.27			363.96	196.70	0.00	560.66
						0.00	0.00	0.00	0.00
124.43	53.86		49.76			262.02	171.11	0.00	433.13
						0.00	0.00	0.00	0.00
14.59	10.88					14.59	10.88	0.00	25.47
						0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	8.10					31.98	18.10	0.00	50.08
						0.00	0.00	0.00	0.00
10.24	2.87					12.40	2.87	0.00	15.27
						0.00	0.00	0.00	0.00
						1.86	2.00	0.00	3.86
						0.00	0.00	0.00	0.00
						19.33	0.00	0.00	19.33
						0.00	0.00	0.00	0.00
1203.14	**586.50**	**0.00**	**127.21**	**0.00**	**0.00**	**1912.83**	**1217.30**	**0.00**	**3130.12**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1203.14	**586.50**	**0.00**	**127.21**	**0.00**	**0.00**	**1912.83**	**1217.30**	**0.00**	**3130.12**
5.09	1.00		1.24			11.48	265.52	0.00	277.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
39.38	6.35					268.96	1010.49	0.00	1279.46
						0.00	0.00	0.00	0.00
91.87	21.10		20.33			168.30	402.70	0.00	571.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
42.48	57.55		78.41			248.34	799.06	0.00	1047.40
						0.00	0.00	0.00	0.00
91.86	10.20		52.47			243.23	1045.81	0.00	1289.04
						0.00	0.00	0.00	0.00
32.32	5.00		18.87			96.53	391.82	0.00	488.35
						0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
7	लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ	मु.का.	4.44	173.64	0.00				52.07	3.90	
		क्षे.का.									
8	एम.जी. काशी विद्यापीठ, वाराणसी	मु.का.	7.20	109.25	0.00				4.10	1.80	
		क्षे.का.									
9	एम.जे.पी रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली	मु.का.	6.71	485.93	0.00	0.00	11.78	0.00	34.76	26.35	
		क्षे.का.									
10	एस. संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	मु.का.	11.75	607.71	0.00	0.00	108.35	0.00	30.61	0.00	
		क्षे.का.									
11	वी.बी.एस. पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर	मु.का.	6.95	736.19	0.00	0.00	45.18	0.00	44.24	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**158.42**	**5641.28**	**0.00**	**6.93**	**433.53**	**0.00**	**600.03**	**49.48**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**158.42**	**5641.28**	**0.00**	**6.93**	**433.53**	**0.00**	**600.03**	**49.48**	**0.00**
	उत्तरांचल (उत्तराखण्ड)										
1	कुँमाऊ यूनिवर्सिटी, नैनीताल	मु.का.	0.00	161.10	0.00				4.52	0.00	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**0.00**	**161.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.52**	**0.00**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**0.00**	**161.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.52**	**0.00**	**0.00**
	पश्चिम बंगाल										
1	वर्द्धमान यूनिवर्सिटी, वर्द्धमान	मु.का.	7.04	5.40	0.00				18.72	18.60	
		क्षे.का.									
2	कोलकाता यूनिवर्सिटी, कोलकाता	मु.का.	28.55	34.85	0.00	13.81	0.00	0.00	67.72	51.15	
		क्षे.का.									
3	कल्याणी यूनिवर्सिटी, कल्याणी	मु.का.									
		क्षे.का.									
4	नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग	मु.का.	8.88	2.85	0.00	10.92	0.00	0.00	2.16	0.00	
		क्षे.का.									
5	विद्यासागर यूनिवर्सिटी, मिदनापुर	मु.का.	19.01	17.58	0.00				46.93	48.83	
		क्षे.का.									
	कुल	**मु.का.**	**63.48**	**60.68**	**0.00**	**24.74**	**0.00**	**0.00**	**135.53**	**118.58**	**0.00**
		क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	समग्र योग		**63.48**	**60.68**	**0.00**	**24.74**	**0.00**	**0.00**	**135.53**	**118.58**	**0.00**

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
29.64	2.50					86.15	180.04	0.00	266.19
						0.00	0.00	0.00	0.00
26.07	13.65		21.71			59.08	124.70	0.00	183.78
						0.00	0.00	0.00	0.00
77.51	17.60		0.95			119.93	541.66	0.00	661.59
						0.00	0.00	0.00	0.00
4.51	0.00		46.66			93.52	716.06	0.00	809.58
						0.00	0.00	0.00	0.00
48.41	14.25		15.50			115.10	795.62	0.00	910.72
						0.00	0.00	0.00	0.00
489.12	**149.20**	**0.00**	**256.13**	**0.00**	**0.00**	**1510.63**	**6273.48**	**0.00**	**7784.11**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
489.12	**149.20**	**0.00**	**256.13**	**0.00**	**0.00**	**1510.63**	**6273.48**	**0.00**	**7784.11**
14.84	1.80					19.37	162.90	0.00	182.27
						0.00	0.00	0.00	0.00
14.84	**1.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.37**	**162.90**	**0.00**	**182.27**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.84	**1.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.37**	**162.90**	**0.00**	**182.27**
33.27	15.55		11.86			70.89	39.55	0.00	110.44
						0.00	0.00	0.00	0.00
131.27	51.78		55.10			296.45	137.78	0.00	434.23
						0.00	0.00	0.00	0.00
3.84	0.60		0.15			3.99	0.60	0.00	4.59
						0.00	0.00	0.00	0.00
19.96	7.10					41.92	9.95	0.00	51.87
						0.00	0.00	0.00	0.00
39.83	25.45					105.77	91.85	0.00	197.61
						0.00	0.00	0.00	0.00
228.16	**100.48**	**0.00**	**67.11**	**0.00**	**0.00**	**519.02**	**279.73**	**0.00**	**798.74**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
228.16	**100.48**	**0.00**	**67.11**	**0.00**	**0.00**	**519.02**	**279.73**	**0.00**	**798.74**

क्र. सं.	विश्वविद्यालय		क्षेत्रक 1			क्षेत्रक 2			क्षेत्रक 3		
			31	35	36	31	35	36	31	35	36
	समग्र योग	मु.का.	1671.91	15130.50	0.00	209.64	1237.38	0.00	4237.70	2807.96	0.00
		क्षे.का.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल		1671.91	15130.50	0.00	209.64	1237.38	0.00	4237.70	2807.96	0.00

	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कुल योग		506.18	837.50	1330.00	13.01	1.16	0.00	382.11	92.41	0.00
	समविश्वविद्यालयों का कुल योग		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विश्वविद्यालयेत्तर/संस्थानों का कुल योग		2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	0.00	0.00
	कुल आईयूसी		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य विश्वविद्यालयों का कुल योग		1671.91	15130.50	0.00	209.64	1237.38	0.00	4237.70	2807.96	0.00
	समग्र योग		2180.83	15968.00	1330.00	222.65	1238.55	0.00	4631.26	2900.37	0.00

(लाख रुपये में)

क्षेत्रक 4			क्षेत्रक 5			कुल			समग्र योग (31+35+36)
31	35	36	31	35	36	31	35	36	
4948.71	1997.02	0.00	1332.13	0.00	0.00	12400.08	21172.87	0.00	33572.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4948.71	1997.02	0.00	1332.13	0.00	0.00	12400.08	21172.87	0.00	33572.95
557.17	160.67	0.00	43.08	0.00	0.00	1501.55	1091.74	1330.00	3923.29
48.42	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	48.42	28.40	0.00	76.82
43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.48	0.00	0.00	57.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4948.71	1997.02	0.00	1332.13	0.00	0.00	12400.08	21172.87	0.00	33572.95
5597.59	2186.09	0.00	1375.21	0.00	0.00	14007.53	22293.01	1330.00	37630.54

परिशिष्ट-XXI

सारांश (योजनागत) 2012—2013

(लाख रुपये में)

		कुल पहुंच में वृद्धि क्षेत्रक–1	अंशधारिता क्षेत्रक–2	गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता क्षेत्रक–3	अनुसंधान परियोजना क्षेत्रक–4	तर्कसंगत एवं मूल्य आधारित शिक्षा क्षेत्रक–5	आईसीटी समेकन क्षेत्रक–6	शासन एवं कार्यकुशलता में सुधार क्षेत्रक–7	नई योजनाएं क्षेत्रक–8	दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्ध देयताएं क्षेत्रक–9	कुल (क्षेत्रक 1–9)
विश्वविद्यालय											
केन्द्रीय विद्यालय	मु.का.	205966.87	646.69	14333.73	2843.81	360.27	165.23	0.00	0.00	0.00	**224316.59**
	क्षे.का.										
सम विश्वविद्यालय	मु.का.	7817.14	749.82	1814.85	1112.47	183.17	61.32	211.29	0.00	0.00	**11950.06**
	क्षे.का.										
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का.	73460.93	673.69	27501.26	10874.36	679.93	655.83	61.21	0.00	0.00	**113907.20**
	क्षे.का.										
अंतर–विश्वविद्यालय		4736.48	0.00	5701.55	0.00	0.00	11372.21	10.00	0.00	0.00	**21820.24**
विश्वविद्यालेतर संस्थान		1252.74	0.00	6614.80	373.38	5.13	33.02	0.00	0.00	0.00	**8279.08**
छात्रवृति के लिए ऑनलाईन भुगतान		0.00	0.00	1080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1080.98**
कुल	**मु.का.**	**293234.16**	**2070.21**	**57047.17**	**15204.02**	**1228.50**	**12287.60**	**282.50**	**0.00**	**0.00**	**381354.16**
	क्षे.का.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल विश्वविद्यालय		**293234.16**	**2070.21**	**57047.17**	**15204.02**	**1228.50**	**12287.60**	**282.50**	**0.00**	**0.00**	**381354.16**
महाविद्यालय											
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	मु.का.	2673.68	14.17	474.52	717.84	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	**3923.29**
	क्षे.का.										
सम विश्वविद्यालय	मु.का.	0.00	0.00	0.00	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**76.82**
	क्षे.का.										
राज्य विश्वविद्यालय	मु.का.	16802.41	1447.02	7045.66	6945.73	1332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	**33572.95**
	क्षे.का.										
विश्वविद्यालेतर संस्थान		2.74	0.00	11.45	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**57.48**
महाविद्यालयों का योग		**19478.84**	**1461.19**	**7531.63**	**7783.68**	**1375.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37630.54**
समग्र योग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)		**312712.99**	**3531.40**	**64578.80**	**22987.70**	**2603.70**	**12287.60**	**282.50**	**0.00**	**0.00**	**418984.70**
स्थापना				**414.19**				**202.44**			**616.63**
क्षेत्रीय केन्द्र		80368.27	10591.09	15932.75	4246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**111138.63**
समग्र–योग		**393081.27**	**14122.49**	**80925.74**	**27234.21**	**2603.70**	**12287.60**	**484.94**	**0.00**	**0.00**	**530739.96**